VISIONIAS

www.visionias.in

समसामयिकी

अगस्त - 2016

Copyright © by Vision IAS

All rights are reserved. No part of this document may be reproduced, stored in a retrieval system or transmitted in any form or by any means, electronic, mechanical, photocopying, recording or otherwise, without prior permission of Vision IAS.

विषय सूची

1. राजव्यवस्था..8

1.1 शहरी शासन: प्रत्यक्ष निर्वाचित महापौर (मेयर)..8

1.2. प्रतिस्पर्धी संघवाद...9

1.3. भारत में नियामक निकायों से संबंधित मुद्दे...10

1.4. विशेष राज्य के दर्जे की मांग..13

1.5. भारत में अदालतों के समक्ष लंबित मामले..14

1.6. भारतीय निर्वाचन आयोग ने ज्यादा शक्तियों की मांग की..16

1.7. संसद के मानसून सत्र का मूल्यांकन..16

1.8. नागरिकता (संशोधन) विधेयक, 2016...17

1.9. प्रौद्योगिकी संस्थान (संशोधन) विधेयक, 2016..18

1.10. लोकपाल और लोकायुक्त (संशोधन) विधेयक, 2016...18

1.11. सौराष्ट्र नर्मदा अवतरण सिंचाई (सौनी) परियोजना..19

1.12. आर्थिक रूप से पिछड़े वर्गों के लिए आरक्षण..20

2. अंतर्राष्ट्रीय / भारत और विश्व...21

2.1. भारत - म्यांमार...21

2.2 भारत-पाकिस्तान...21

2.3 बलूचिस्तान का मुद्दा...22

2.4 गिलगित-बाल्टिस्तान..23

2.5 सार्क के आंतरिक/गृह मंत्रियों का सातवाँ सम्मेलन...24

2.6 संयुक्त राज्य अमेरिका-पाकिस्तान..24

2.7 अफपाक-मध्य एशिया में चीन की भूमिका..24

2.8 एशियाई आधारभूत संरचना निवेश बैंक (AIIB)...25

2.9 RCEP पर भारत का रवैया...25

2.10 आकाशवाणी मैत्री...26

2.11 दक्षिण एशियाई कूटनीति के लिए नाविक..27

3. अर्थव्यवस्था..28

3.1 रेल बजट ख़त्म?..28

3.2 GST विधेयक राज्यसभा में पारित 29

3.3. बैंक समेकन: भारतीय स्टेट बैंक के सहयोगी बैंकों का विलय 31

3.4. घरेलू प्रणालीबद्ध महत्वपूर्ण बैंक (D-SIBs) 31

3.5. अंतर्देशीय जलमार्गों को बढ़ावा देना 32

3.6 सागरमाला के माध्यम से लॉजिस्टिक लागत में बचत 32

3.7 SARFAESI और DRT अधिनियम में संशोधन हेतु विधेयक 33

3.8. मॉडल लैंड लीजिंग लॉ (भूमि पट्टा प्रारूप कानून) 35

3.9. कर आतंकवाद 35

3.10 कर लड़ाई-एप्पल बनाम यूरोपीय संघ 36

3.11. केंद्र पर राज्यों का 80,000 करोड़ रुपये बकाया: कैग रिपोर्ट 37

3.12 केंद्रीय जल आयोग 38

3.13. व्यापार सुविधा पर राष्ट्रीय समिति 39

3.14. वित्तीय सेवाओं में विदेशी निवेश 39

3.15 बासमती के GI टैग संबंधी दावे पर विवाद 40

3.16 खेती-बाड़ी अब युवाओं के लिए आकर्षक नहीं रहा : FAO 40

3.17 इंटरनेशनल आर्बिट्रेशन मैकेनिज्म (अंतरराष्ट्रीय मध्यस्थता/पंचाट तंत्र) 41

3.18 समावेशी आवास और भारत का मॉर्गेज (बंधक/गिरवी) बाजार 41

3.19 कार्ड से भुगतान को बढ़ावा देने के लिए पैनल गठित 42

3.20 एलेक्ट्रोप्रेन्योर पार्क 42

3.21 कॉरपोरेट बॉन्ड बाजार 43

3.22 SWIFT: ईज ऑफ़ डूइंग बिज़नेस 43

3.23 चीनी मिलों के लिए उत्पादन सब्सिडी हेतु फार्मूला 44

3.24 भारतीय रिजर्व बैंक की वार्षिक रिपोर्ट 44

3.25 अटल पेंशन योजना (APY) 45

3.26 मुद्रास्फीति लक्ष्यीकरण 45

3.27 हरित उपकर (ग्रीन सेस) 46

3.28 कराधान कानून (संशोधन) विधेयक , 2016 47

4. सामाजिक मुद्दे 48

4.1 वाणिज्यिक सरोगेसी विधेयक 48

4.2 मानसिक स्वास्थ्य देखभाल विधेयक, 2013 49

VISION IAS

4.3 मातृत्व लाभ (संशोधन) विधेयक, 2016 50
4.4 राष्ट्रीय प्रौद्योगिकी संस्थान, विज्ञान शिक्षा एवं अनुसंधान (संशोधन) विधेयक, 2016 51
4.5 धार्मिक स्थलों में महिलाओं को प्रवेश: बॉम्बे हाईकोर्ट..51
4.6 भारत पर तपेदिक (TB) का बोझ 52
4.7 राष्ट्रीय स्वास्थ्य अनुमान लेखा 53
4.8 माँ (MAA) कार्यक्रम: स्वास्थ्य मंत्रालय 53
4.9 प्रच्छन्न / अदृश्य भूख बायो फोर्टीफिकेशन..54
4.10 बढ़ते हेपेटाइटिस के विरुद्ध भारत की लड़ाई 54
4.11 तीन तलाक प्रथा पर केंद्र का मत..55
4.12 अगले 3 ओलंपिकों के लिए कार्यबल..55
5. विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी 56
5.1. कॉपीराइट उल्लंघन: सरकार की नीति और उपाय..56
5.2. स्क्रैमजेट ईंजन का सफल परीक्षण..57
5.3. एडवांस्ड अल्ट्रा सुपर क्रिटिकल (AUSC) प्रौद्योगिकी 58
5.4. साइबाथ्लोन (CYBATHLON) 2016 58
5.5. शनि के चन्द्रमा टाइटन पर जलमग्न कैनियन पाए गए..58
5.6. ब्लैक होल के संबंध में स्टीफन हॉकिंग का पूर्वानुमान..59
5.7. प्रोक्सिमा बी..59
5.8. पावा शैल्स 60
5.9. पहला मानव आनुवंशिक संपादन परीक्षण 60
5.10. एच.पी.वी. वैक्सीन की आवश्यकता..61
5.11. मेड-इन-इंडिया कुष्ठ रोग का टीका..61
5.12. वैज्ञानिकों ने प्रयोग करने योग्य ईंधन बनाने के लिए CO2 का पुर्नचक्रण किया..62
6. सुरक्षा..63
6.1 राष्ट्रीय अपराध रिकार्ड ब्यूरो के आंकड़े 2015 63
6.2. जांच एजेंसियों का पहला राष्ट्रीय सम्मेलन..64
6.3. साइबर अपराध..64
6.4 अंग तस्करी (मानव अंगों का संगठित अवैध व्यापार) 65
6.5 महाराष्ट्र आंतरिक सुरक्षा संरक्षण अधिनियम..65
6.6. अंतरिक्ष में क्वांटम प्रयोग (QUESS) 66

VISION IAS

6.7. स्कॉर्पियन पनडुब्बी डेटा लीक 66

7. पर्यावरण 68

7.1. पर्यावरण एवं वन मंत्रालय द्वारा पर्यावरण जागरूकता गतिविधियाँ 68

7.2. भारत में आपदा प्रबंधन के लिए वित्तीय तंत्र 69

7.3. बाढ़ प्रबंधन 69

7.4. CPCB सर्वेक्षण के निष्कर्ष: वायु प्रदूषण 72

7.5. उदयपुर घोषणा: ब्रिक्स (BRICS) 73

7.6. पारिस्थितिक प्रायोगिक क्षेत्र 74

7.7. क्रोमियम संदूषण का पता लगाने के लिए पोर्टेबल किट 75

7.8. समुद्र धाराओं पर ग्लोबल वार्मिंग का प्रभाव 75

7.9. लुप्तप्राय प्रजातियों के संरक्षण के लिए उठाए गए कदम: पर्यावरण एवं वन मंत्रालय 75

7.10. विश्व का आपदा जोखिम सूचकांक 76

7.11. निर्वनीकरण से गंगा बेसिन, उत्तर-पूर्व में गर्मी में कम बारिश 76

7.12. वर्षा पर वनों की कटाई का प्रभाव 77

7.13. बादल, प्रदूषण और मानसून 77

7.14. पूर्वी हिमालय सिंटेक्सिस का उत्तर की ओर विस्तार हो रहा है 78

7.15. ग्लोबल ग्रीन अवार्ड 78

7.16. औद्योगिक अपशिष्ट पुनर्चक्रण: नैनो तकनीक 79

7.17. देश का पहला टाइगर रिपोजिटरी 79

8. संस्कृति 80

8.1. तिरोत सिंग 80

8.2. ग्रामीण लोकगीतों का विश्वकोश 80

8.3. 2016 दशहरा थीम 80

8.4. उड़ीसा की जुआंग जनजाति 80

8.5. सत्यार्थी ने यूथ अगेंस्ट चाइल्ड अभियान आरंभ किया 81

9. नीतिशास्त्र 82

9.1 भ्रष्टाचार निवारण और व्यक्तिगत सत्यनिष्ठा 82

9.2 वाणिज्यिक सरोगेसी 83

9.3. सेलेब्रिटी विज्ञापन 84

9.4. गर्भपात का मुद्दा - कानूनी या नैतिक? 84

VISION IAS

10. सुर्ख़ियों में......86

10.1. स्टार प्रचारक पर व्यय मामले में उच्चतम न्यायालय का निर्णय......86

10.2. सभी NGO को गृह मंत्रालय के अधीन लाने के लिए प्रस्ताव......86

10.3 .हाइब्रिड एन्युइटी मॉडल: अद्यतन......86

10.4. खदानों की स्टार रेटिंग के लिए वेब पोर्टल......87

10.5. वाहन आधुनिकीकरण कार्यक्रम......87

10.6. हैबिटेट प्रतिबद्धता सूचकांक......87

10.7. राष्ट्रीय राजमार्ग इंटरकनेक्टिविटी......88

10.8. तरंग मोबाइल एप्लिकेशन, "ई-ट्रांस (E-TRANS)" तथा दीप (DEEP)......88

10.9. SME क्षेत्र के क्षेत्रीय नेतृत्वकर्ताओं में भारत......88

10.10. मसाला बांड......89

10.11. ई-कॉमर्स कंपनियों के लिए आसान नीति व्यवस्था......89

10.12. POCSO ई-बटन......89

10.13. सुगम्य पुस्तकालय......90

10.14. 'मेरा अस्पताल' पहल......90

10.15. खुर-पका और मुंह-पका रोग (FMD)......90

10.16. गिफ़्ट मिल्क योजना......91

10.17. महाराष्ट्र सरकार द्वारा यातायात की निगरानी के लिए ड्रोन का उपयोग......91

10.18. सर्पमीन(EEL) की नई प्रजाति बंगाल की खाड़ी में पायी गई......91

10.19. आधुनिक समय का पृथ्वी का सबसे गर्म माह......92

10.20. सुनामी चेतावनी का अगला स्तर......92

10.21. बैटरी के पुनर्चक्रण में कवक का उपयोग......93

10.22. ग्रीनलैंड शार्क......93

10.23. शिकार और कृषि जलवायु परिवर्तन से अधिक नुकसानदायक......93

10.24. मत्स्यन जलवायु परिवर्तन में योगदान देता है: अध्ययन......93

VISION IAS

CSE 2013
CSE 2014
GAURAV AGRAWAL
AIR-1
NIDHI GUPTA
AIR-3
VANDANA RAO
AIR-4
SUHARSHA BHAGAT
AIR-5
AIR-1
TINA DABI
AIR-4
ARTIKA SHUKLA
AIR-6
ASHISH TIWARI
AIR-5
SHASHANK TRIPATHI
AIR-9
KARN SATYARTHI
Interview Guidance Prog
Foundation Course
All India PRELIMS MAINS Test Series
PT 365: 1 year Current Affairs Prog

1. राजव्यवस्था

(POLITY)

1.1 शहरी शासन: प्रत्यक्ष निर्वाचित महापौर (मेयर)

(Urban Governance: Directly Elected Mayors)

सुर्खियों में क्यों?

महापौर के प्रत्यक्ष चुनाव और देश में उसके पद को सशक्त बनाने का प्रावधान करने वाले एक निजी-विधेयक को संसद में पेश किया गया।

पृष्ठभूमि

- 1992 में 74वें संविधान संशोधन के पारित होने के साथ ही शहरी स्थानीय निकायों (ULBs) - नगर पंचायतों, नगर परिषदों और नगर निगमों - को संवैधानिक रूप से "स्व-शासन की संस्था" के तौर पर मान्यता प्राप्त हुई।
- हालांकि इसके अंतर्गत ULBs की चुनाव प्रक्रिया, कार्यकाल या महापौर/अध्यक्ष की शक्तियों का स्पष्ट उल्लेख नहीं किया गया है।
- विधेयक इसी व्यवस्था में परिवर्तन का प्रावधान करता है। इसमें महापौर के प्रत्यक्ष चुनाव, नगर पालिका के कार्यकाल के सामानांतर महापौर के कार्यकाल को भी निश्चित करने तथा महापौर को नगर पालिका का कार्यपालिका प्रमुख बनाने का प्रावधान है।

आवश्यकता

- हालाँकि भारत की शहरी समस्याओं के कई कारण हैं, फिर भी शहरों में शक्तिशाली और राजनीतिक रूप से जवाबदेह नेतृत्व का अभाव इन अंतर्निहित समस्याओं में से एक है।
- हमारे शहरों में विविध एजेंसियों को समाहित करने वाली एक कमजोर और खंडित संस्थागत संरचना है।

वर्तमान स्थिति

- भारत में महापौर नगर निगम का प्रमुख और शीर्ष अधिकारी होता है।
- कार्यपालक अधिकारी महापौर और सभी पार्षदों के समन्वय के माध्यम से योजना और निगम के विकास से संबंधित सभी कार्यक्रमों के कार्यान्वयन की निगरानी करता है ।
- वर्तमान में, छह राज्यों उत्तराखंड, छत्तीसगढ़, झारखंड, मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश और तमिलनाडु में महापौरों को पांच वर्ष की अवधि के लिए मतदाताओं द्वारा प्रत्यक्ष रूप से चुना जाता है ।

प्रस्तावित परिवर्तन

- विधेयक का उद्देश्य प्रत्यक्षतः निर्वाचित और सशक्त महापौर के माध्यम से शहरों के लिए मजबूत नेतृत्व का विकास करना है।
- यह मोहल्ला सभाओं और वार्ड समितियों के गठन संबंधी अनिवार्य प्रावधान करने जैसे सुधारों की सिफारिश करता है, साथ ही स्थानीय सरकारों को शक्तियों के हस्तांतरण को प्रस्तावित करता है।
- इसके अंतर्गत महापौर को नगर पालिका का कार्यपालिका प्रमुख बनाने का प्रावधान है।
- यह महापौर को परिषद के कुछ प्रस्तावों पर वीटो शक्तियां प्रदान करने के साथ ही कुछ सदस्यों को मनोनीत करने की शक्ति भी प्रदान करता है।

प्रभाव

- महापौर को अनियमितताओं के लिए जिम्मेदार ठहराया जा सकता है क्योंकि वह सीधे लोगों द्वारा निर्वाचित किया जाएगा।
- विधेयक में किये गए प्रावधान नगर पालिकाओं को बेहतर वित्तीय प्रबंधन के लिए प्रोत्साहित करेंगे।
- इसके माध्यम से और अधिक पारदर्शिता लायी जा सकेगी क्योंकि इन प्रावधानों के अंतर्गत कोई भी संप्रेषण और रिपोर्ट देने का कार्य सीधे महापौर द्वारा किया जाएगा।
- विधेयक में किये गए प्रावधानों के माध्यम से महापौर के पद को राजनीतिक रूप से प्रासंगिक बनाया जा सकेगा, जिससे योग्यता, कार्य-निष्पादन और जवाबदेही की एक संस्कृति का निर्माण किया जा सकेगा।

चुनौती

- पहली चुनौती स्वयं यथास्थिति और इसमें निहित स्वार्थ हैं। राज्य सरकारें शहर-स्तरीय संस्थाओं को और अधिक प्राधिकार सौंपने के लिए इच्छुक नहीं हैं।
- हालांकि कुछ शक्तियां नगरपालिकाओं को सौपी गयी हैं, फिर भी राज्य सरकारों ने नगर निगम आयुक्तों को कार्यकारी प्रमुख बनाकर महापौर की शक्तियों में कटौती करने का प्रयास किया है। विधेयक महापौर को नगरपालिका का कार्यकारी प्रमुख बनाने के माध्यम से इस स्थिति में बदलाव का प्रावधान करता है।

VISION IAS

- प्रत्यक्ष निर्वाचित महापौर के साथ एक बुनियादी मुद्दा यह है कि कहीं यह कार्यकुशलता लाने के बजाय नगर परिषद के निर्वाचित सदस्यों के बहुमत के विभिन्न राजनीतिक दलों से होने की स्थिति में प्रशासन में गतिरोध न उत्पन्न कर दे। इसी समस्या से ग्रस्त होकर हिमाचल प्रदेश में सरकार ने प्रत्यक्ष चुनाव की प्रणाली को खत्म कर दिया है।
- इस बात के बहुत कम प्रमाण हैं कि प्रत्यक्ष निर्वाचित महापौर बेहतर कार्य कर रहे हैं। राजस्थान और हिमाचल प्रदेश जैसे राज्यों ने प्रत्यक्ष निर्वाचित महापौर व्यवस्था की कठिनाइयों के कारण ही व्यवस्था में परिवर्तन कर दिया है।

आगे की राह

- उत्तरदायी शहरी शासन के लिए हमें शहरों में अधिक स्वायत्तता वाली एक शक्तिशाली राजनीतिक कार्यपालिका की आवश्यकता है, चाहे वह प्रत्यक्ष या परोक्ष रूप से चुनी जाय।
- हालांकि, स्थानीय स्व-शासन अभी भी संविधान की सातवीं अनुसूची की सूची II का विषय है। इसलिए केवल राज्यों को ही इस विषय पर कानून बनाने का अधिकार है।
- भारत जैसी संघीय प्रणाली में, संवैधानिक प्रावधानों के माध्यम से स्थानीय सरकारों के लिए केवल व्यापक संस्थागत ढाँचे का प्रारूप ही प्रस्तावित किया जा सकता है।

1.2. प्रतिस्पर्धी संघवाद

(Competitive Federalism)

सुर्खियों में क्यों?

- हाल के अध्ययनों से भारतीय अर्थव्यवस्था में सफल प्रतिस्पर्धी संघवाद के लक्षण दिखाई दिए हैं विशेष रूप से इज ऑफ़ डूइंग बिज़नेस के सन्दर्भ में। राज्य सुधार प्रक्रिया के माध्यम से निवेश आकर्षित करने की कोशिश कर रहे हैं।

प्रतिस्पर्धी संघवाद क्या है?

- प्रतिस्पर्धी संघवाद एक अवधारणा है जहां केंद्र राज्यों से और विभिन्न राज्य केंद्र से तथा राज्य आपस में संयुक्त रूप से भारत के विकास के प्रयास में एक-दूसरे के साथ प्रतिस्पर्धा करते हैं।
- इस संकल्पना के अंतर्गत एक नीति के समूचे राष्ट्र के लिए उपयुक्त होने के बजाय विभिन्न राज्यों की प्राथमिकताओं के आधार पर भिन्न-भिन्न नीतियां अपनाई जाती हैं।
- प्रतिस्पर्धी संघवाद की अवधारणा नीचे से ऊपर की ओर विकास की अवधारणा पर टिकी हुई है क्योकि इसमें विकास प्रक्रिया मूल रूप से राज्यों के द्वारा निर्धारित होती है।

उदाहरण-श्रम सुधार

गुजरात –वर्ष 2015 में श्रम सुधारों की एक पूरी श्रंखला की शुरुआत की जिसके कारण औद्योगिक इकाइयों के अंतर्गत कार्य करने वाले श्रमिकों के द्वारा हड़ताल करना असंभव हो गया। कर्मचारियों के बर्खास्त किये जाने की स्थिति में मुआवजा-भत्ता प्राप्त करने के लिए निर्धारित समयावधि को कम किया गया।

कर्नाटक- वर्ष 2016 में सरकार ने नयी खुदरा नीति की घोषणा की जिसके माध्यम से प्रतिष्ठानों को देर तक खुला रखना संभव हो गया। श्रम कानूनों में सुधार किया गया और स्टॉक की सीमा को समाप्त किया गया। महिलाओं को रात्रि में कार्य करने की अनुमति दी गयी।

राजस्थान – नवंबर 2014 में सरकार ने, तीन श्रम सुधार कानूनों पर राष्ट्रपति की स्वीकृति प्राप्त की जिनके माध्यम से 300 तक कर्मचारियों की संख्या वाली कंपनियां बिना सरकार की पूर्वानुमति के अपने कर्मचारियों को निकाल सकती हैं या इकाई को बंद कर सकती हैं।

- एक अवधारणा के रूप में, प्रतिस्पर्धी संघवाद का जन्म अमेरिका जैसे देशों में हुआ है।
- संयुक्त राज्य अमेरिका के लिबर्टी फाउंडेशन द्वारा प्रतिपादित प्रतिस्पर्धी संघवाद की अवधारणा के अनुसार यह एक ऐसी प्रक्रिया है जिसमें राज्य विस्तृत मुद्दों पर व न्यूनतम लागत के आधार पर अपने नागरिकों को सर्वोत्तम सेवाएँ और वस्तुएं प्रदान करने के लिए आपस में प्रतिस्पर्धा करते हैं।

भारत में प्रतिस्पर्धी संघवाद

- भारत में सरकार ने योजना आयोग को नीति आयोग से प्रतिस्थापित कर दिया जिसका प्रमुख कार्य भारत में प्रतिस्पर्धी संघवाद विकसित करना है।
- अब राज्य सरकारें नीतिगत मार्गदर्शन और वित्तीय संसाधनों के लिए पूरी तरह केंद्र पर निर्भर नहीं हैं।
- केंद्र ने केंद्रीय कर राजस्व में राज्यों की हिस्सेदारी बढ़ाते हुए इसे पहले के 32% से बढाकर 42% कर दिया है।
- सरकार ने घोषणा की है कि राज्य अपनी प्राथमिकताओं के आधार पर योजना निर्माण कर सकते है साथ ही वे केन्द्र प्रायोजित योजनाओं में बदलाव के लिए स्वतंत्र हैं।

- हालांकि, राज्यों को साझा राष्ट्रीय उद्देश्यों की परिधि में ही कार्य करना चाहिए।

प्रतिस्पर्धी संघवाद के मामले में प्रगति

- प्रतिस्पर्धी संघवाद की अवधारणा ने राज्यों को सुधार प्रक्रियाओं को अपनाने के लिए प्रेरित किया है जिसके माध्यम से राज्यों में कारोबार प्रक्रिया आसान हो तथा लंबित परियोजनाओं को शीघ्र मंजूरी मिल सके।
- निवेश के लिए प्रतिस्पर्धा करना कोई नई बात नहीं है। हम आंध्र प्रदेश और कर्नाटक के द्वारा उनके मुख्य प्रौद्योगिकी केन्द्रों हैदराबाद और बेंगलुरू के निर्माण के लिए निवेशकों को आकर्षित करने का सक्रिय प्रयास करते हुए देख चुके हैं।
- प्रतिस्पर्धी संघवाद की प्रगति को राज्यों के द्वारा पिछले एक वर्ष में विभिन्न सुधारों के माध्यम से निवेश के लिए प्रतिस्पर्धा के सन्दर्भ में देख सकते हैं।

उदाहरण- भूमि सुधार

गुजरात –वर्ष 2016 में कुछ विकास परियोजनाओं को संचालित करने के लिए सामाजिक प्रभाव आंकलन और सहमति प्रावधान को समाप्त करने हेतु भूमि अधिग्रहण और पुनर्वास अधिनियम में संशोधन किया गया।

महाराष्ट्र –वर्ष 2016 में भूमि राजस्व संहिता में कुछ निजी भूमि की बिक्री हेतु स्वीकृति देने के लिए संशोधन किया गया। दृष्टव्य है कि पहले निजी भूमि केवल लीज पर दी जा सकती थी। वर्ष 2015 में गुंथेवारी अधिनियम में संशोधन के द्वारा मध्यम आकार के भू -खंडो को इनकी बिक्री हेतु छोटे भू-खंडो में विभाजित करने की स्वीकृति दी गयी।

आंध्रप्रदेश –वर्ष 2015 में भूमि को सरकार द्वारा निजी संस्थाओं को लीज पर दिए जाने की अवधि को 33 वर्ष से बढाकर 99 वर्ष कर दिया गया।

राजस्थान –वर्ष 2016 में राजस्थान शहरी (हक प्रमाणन) भूमि विधेयक -2016 पारित किया गया, जिसके माध्यम से राज्य सरकार के द्वारा भूमि के खरीदे जाने के बाद हक की गारंटी दी गयी।

उत्तर प्रदेश –वर्ष -2016 में व्यवसाय प्रारंभ करने वाली इकाइयों के लिए उत्तर प्रदेश आई. टी. एवं स्टार्ट-अप नीति 2016 को विधान सभा के द्वारा मंजूरी दी गयी।

आगे की राह

- ऊपर टिप्पणियों से स्पष्ट रूप से संकेत मिलता है कि भारत प्रतिस्पर्धी संघवाद के सही रास्ते पर है।
- हालांकि सभी राज्यों ने अभी तक प्रतिस्पर्धी संघवाद की अवधारणा को नहीं अपनाया है।
- केवल मुट्ठी भर राज्य अपने यहां व्यवसायिक वातावरण को मजबूत करने के लिए भूमि अधिग्रहण कानून जैसे कठोर प्रावधानों में संशोधन कर रहे हैं और श्रम संबंधी नियमों में लचीलापन ला रहे हैं, जबकि ऐसे मुदों पर राष्ट्रीय स्तर पर होने वाले सुधार राजनितिक अड़ंगे में फंसे हुए हैं।
- बिहार, ओडिशा, झारखंड, उत्तर-पूर्वी राज्यों जैसे घाटे वाले राज्यों पर विशेष ध्यान देने की जरूरत है, जिसके अंतर्गत केंद्र सरकार द्वारा इन राज्यों के लिए विशेष अनुदान प्रदान किया जाना चाहिए। विशेष अनुदान के बिना इन राज्यों की प्रतिस्पर्धी संघवाद में भागीदारी की कल्पना नहीं की जा सकती।

1.3. भारत में नियामक निकायों से संबंधित मुद्दे

(Issues Related to Regulatory Bodies in India)

सुर्खियों में क्यों?

हाल ही में, उर्जित पटेल को भारतीय रिजर्व बैंक के नए गवर्नर के रूप में नामित किया गया।

अधिकांश नियामक निकायों के प्रमुख सरकार द्वारा नियुक्त किए जाते हैं, अतः मुद्दा नियामक निकायों की स्वतंत्रता बनाम जवाबदेही का है।

RBI के संबंध में निवर्तमान प्रक्रिया

- RBI के गवर्नर और डिप्टी गवर्नर केंद्र सरकार द्वारा नियुक्त किए जाते हैं।
- “कैबिनेट कमिटी ऑन अपॉइंटमेंट” द्वारा उनके नामों की अनुशंसा की जाती है।

नियामक निकायों की आवश्यकता

नियामकीय हस्तक्षेप की आवश्यकता क्यों है, इसका औचित्य हम निम्नलिखित तरीके से सिद्ध कर सकते हैं:

VISION IAS

- **बाजार अर्थव्यवस्था**
  - बाजार की विफलता की रोकथाम हेतु इनकी आवश्यकता होती है, जैसे- सेबी, RBI आदि।
  - प्रतिस्पर्धा विरोधी कार्य प्रणाली (स्वाभाविक एकाधिकार) की जांच करने अथवा उनके रोकथाम के लिए भी इनकी आवश्यकता महसूस की जाती है, यथा- CCI
  - असमान जानकारी के पहलू को कम से कम करने के लिए : यह सूचनाओं में विषमताओं को कम से कम करने या समाप्त करने के लिए किसी तीसरे पक्ष से संबंधित प्रावधानों तथा बाजार में लेनदेन के संबंध में नियमन के लिए जगह बनाता है।
  - शासन व्यवस्था के संचालन के लिए मौद्रिक नीति का निर्धारण करना आवश्यक होता है। इस संदर्भ में हमें RBI की जरुरत है।
- **उचित नियम, उपभोक्ता संरक्षण और दक्षता में वृद्धि**
  - CERC और TRAI
  - AERB - परमाणु ऊर्जा नियामक परिषद
  - DGCA - नागर विमानन महानिदेशालय
  - RERA - रियल एस्टेट नियामक प्राधिकरण
  - **बाह्यताओं (Externalities) की रोकथाम**
  - पर्यावरण नियमन: CPCB
  - स्वास्थ्य और सुरक्षा: पूर्व FSSAI
  - मानक स्थापना: राष्ट्रीय फिल्म प्रमाणन बोर्ड, विज्ञापन मानक परिषद आदि
- **सार्वजनिक हित को बढ़ावा देने के लिए: समान पहुंच सुनिश्चित करना, गैर-भेदभाव तथा सकारात्मक कार्यवाही:**
  - न्यूनतम समर्थन मूल्य का निर्धारण: इसके माध्यम से सरकार बाजार मूल्य की तुलना में अधिक कीमत पर किसानों से गेहूं या चावल खरीदने की पेशकश करती है, जैसे- CACP द्वारा MSP का निर्धारण।
  - सार्वजनिक वितरण प्रणाली: बाजार मूल्य से कम कीमत पर खाद्यान्न की आपूर्ति
  - नि: शुल्क वितरण: इसके अंतर्गत कृषि हेतु नल-जल और मुफ्त बिजली का वितरण शामिल है (CERC)।
  - नाबार्ड और सिडबी विभिन्न सरकारी योजनाओं में सक्रिय तौर पर शामिल हैं। उदाहरण के लिए: स्टैंड-अप इंडिया, राष्ट्रीय कौशल विकास मिशन आदि।
  - NHB- राष्ट्रीय आवास बैंक वस्तुतः समावेशी आवास की उपलब्धता हेतु प्रयासरत है।

नियामक निकायों से जुड़े मुद्दे

- **स्वतंत्रता**
  - प्रभावी विनियमन के लिए यह एक पूर्व शर्त है जोकि उन्हें बिना राजनीतिक हस्तक्षेप के कार्य करने में सक्षम बनती है।
  - इसके अलावा 'राज्य' कई आर्थिक क्षेत्रों में बाजार का एक प्रमुख भागीदार हैं।
  - सभी नियामक समान रूप से स्वतंत्र नहीं हैं, क्योंकि उनकी स्थापना करने वाले कानून एक समान मानक पर आधारित नहीं हैं।
  - सरकार से वित्तीय और प्रशासकीय स्वतंत्रता और स्वतंत्र स्थिति (सांविधिक प्राधिकरण)।
  - नियामक कर्मचारियों की नियुक्ति और उनका प्रबंधन कैसे करता है इस संबंध में विवेकाधिकार होना चाहिए।
- **गैर-जवाबदेही**
- विभिन्न संसदीय चर्चाओं के दौरान ये नियामक सामान्यतः खुद से संबंधित सवालों का जवाब नहीं देते हैं। इसके लिए सबद्ध मंत्रालय के मंत्री जवाबदेह होते हैं। यह विसंगतिपूर्ण है क्योंकि मंत्री को नियामक के कामकाज के लिए जिम्मेदार नहीं ठहराया जा सकता और फिर भी उन्हें इसके लिए जवाबदेह बनाया गया है।
- नियामकों की जांच को अक्सर नजरअंदाज कर दिया जाता है। 16वीं लोकसभा में (मार्च 2016 तक) नियामकों से संबंधित केवल 2 प्रश्न पूछे गए।
- नियामक संसद की स्थायी समितियों के समक्ष अपनी वार्षिक रिपोर्ट प्रस्तुत नहीं करते। इस सन्दर्भ में गठित तदर्थ समितियां अप्रभावी हैं।
- **प्रभावशीलता**
- विनियम प्रभावी होने चाहिए: उदाहरण के लिए मोटर वाहन विभाग की क्षमता और विशेषज्ञता के साथ सड़क पर वाहनों की विस्फोटक वृद्धि तालमेल नहीं रखती है।

VISION IAS

- **अतिव्यापी कार्य-क्षेत्र: नियमाकीय समाभिरूपता की आवश्यकता**
- सेबी और इरडा दोनों ने ULIPs के ऊपर अपने-अपने क्षेत्राधिकार का दावा किया था, जिससे उपभोक्ता को नुकसान उठाना पड़ा था।
- बैंकों के विलय के प्रश्न पर RBI और CCI (भारतीय प्रतिस्पर्धा आयोग) दोनों में टकराव।
- **नियामको की संख्या में वृद्धि**
- हाल ही में, एक जैव प्रौद्योगिकी नियामक, एक रियल एस्टेट नियामक, एक कोयला नियामक, और यहां तक कि सड़कों के लिए भी एक नियामक प्रस्तावित किया गया है।
- "नागरिक केंद्रित प्रशासन" नामक शीर्षक वाली द्वितीय प्रशासनिक सुधार आयोग की 12 वीं रिपोर्ट में कहा गया है कि नियमन केवल वहीं किया जाना चाहिए जहां आवश्यक हो।
- **न्यायिक ढांचा**
- क्षेत्र विशेष पर आधारित न्यायाधिकरणों की स्थापना के माध्यम से न्यायिक प्रशासन में बढ़ती विशेषज्ञता भी न्यायिक प्रशासन की व्यापक प्रणाली पर नकारात्मक प्रभाव डाल सकती है।
- **पारदर्शिता**
- इन नियामकों द्वारा जारी किए जाने वाले विनियम को कानूनी दर्जा प्राप्त होता है। ये विनियम गैरनिर्वाचित अधिकारियों द्वारा तैयार किये जाते हैं, जबकि कानून बनाने की शक्ति केवल निर्वाचित प्रतिनिधियों तक ही सीमित है।
- अतः एक सशक्त पारदर्शी नियमन व्यवस्था की जरूरत है, जिसके द्वारा गैरनिर्वाचित अधिकारियों को मनमाने ढंग से कानून बनाने की शक्ति ना प्राप्त हो सके।

Present	Proposed	Functions
RBI	RBI	Monetary policy; regulation and supervision of banks; regulation and supervision of payments system.
SEBI FMC IRDA PFRDA	Unified Financial Agency (UFA)	Regulation and supervision of all non-bank and payments related markets.
Securities Appellate Tribunal (SAT)	Financial Sector Appellate Tribunal (FSAT)	Hear appeals against RBI, the UFA and FRA.
Deposit Insurance and Credit Guarantee Corporation (DICGC)	Resolution Corporation	Resolution work across the entire financial system.
Financial Stability Development Council (FSDC)	FSDC	Statutory agency for systemic risk and development.
New entities	Debt Management Agency	An independent debt management agency.
	Financial Redressal Agency (FRA)	Consumer Complaints

प्रस्तावित सुधार

वित्तीय क्षेत्रक विधायी सुधार आयोग (Financial Sector Legislative Reforms Commission:FSLRC) ने सरकार के क्षेत्राधिकार से नियामकों के संरचनात्मक, कानूनी और प्रशासनिक पृथक्करण की सिफारिश की है। इसका अर्थ है यह कि इन नियामकों के पास संरचनात्मक और कार्मिक स्वतंत्रता होनी चाहिए।

1. **वित्तीय स्वतंत्रता**- FSLRC ने विभिन्न स्रोतों (जैसे- फीस आदि) से प्राप्त फंडिंग के आधार पर इन नियामकों के वित्तीय स्वतंत्रता की सिफारिश की है।

2. **उचित जवाबदेही**- FSLRC ने सिफारिश की है कि नियामकों को

(क) स्पष्ट व संक्षिप्त नियामकीय उद्देश्य प्रदान किए जाने चाहिए

(ख) नियामकीय कार्यों की व्याख्या आम जनता के समक्ष की जानी चाहिए तथा विनियामक परिवर्तन जनता से पूर्व परामर्श के बाद किया जाना चाहिए, और

(ग) अपने नियामकीय उद्देश्यों को प्राप्त करने की दिशा में उन्होंने क्या प्रयास किए हैं और इसमें में वे कितना सफल हुए हैं; इस संबंध में संसद में रिपोर्ट प्रस्तुत की जानी चाहिए।

3. **संरचनात्मक**: FSLRC की सिफारिशों के अनुसार नियामकों का विलय किया जाना चाहिए, उदाहरण के लिए IRDA और PFRDA का विलय।

4. सभी नियामकों के कामकाज की देखरेख के लिए - **स्वतंत्र नियामकों की स्थापना** करना (पुंछी आयोग)।

5. **प्रक्रियात्मक**: एक व्यापक और प्रवर्तनीय आचार संहिता का निर्माण।

6. द्वितीय प्रशासनिक सुधार आयोग ने विधायी निगरानी को सशक्त करने के लिए निम्नलिखित सिफारिश की है:

(क) नियामकों को संसदीय समितियों के सवालों का जवाब देने के लिए संसदीय समितियों के समक्ष उपस्थित होना चाहिए,

(ख) उन्हें कार्य-प्रगति की वार्षिक रिपोर्ट प्रस्तुत करना चाहिए, जो जनता के लिए सुलभ हो; और

(ग) उनकी सिफारिशों की विशेषज्ञ समितियों द्वारा छानबीन की जानी चाहिए।

7. विभिन्न नियामकीय अधिकारियों की नियुक्ति, कार्यकाल और पद से हटाए जाने के नियमों में अधिक से अधिक एकरूपता की आवश्यकता है। (प्रशासनिक सुधार आयोग)

8. ऐसे सभी नियामकीय प्राधिकरणों के अध्यक्ष और बोर्ड के सदस्यों की नियुक्ति एक आरंभिक जांच के उपरांत चयन समिति द्वारा सुझाए गए विभिन्न नामों की सूचि से केंद्र/राज्य सरकार द्वारा किया जाना चाहिए। (प्रशासनिक सुधार आयोग)

1.4. विशेष राज्य के दर्जे की मांग

(Demand for Special Category Status)

सुर्खियों में क्यों?

- आंध्र प्रदेश के लिए विशेष राज्य के दर्जे की मांग ने राज्य भर में व्यापक विरोध प्रदर्शन तथा संसद में बहस को प्रेरित किया है।
- यह मांग राज्य के विभाजन के बाद से उभरी है। जबकि बिहार, छत्तीसगढ़, झारखंड, ओडिशा और राजस्थान काफी समय से यह मांग कर रहे हैं।

पृष्ठभूमि

- विशेष राज्य के दर्जे की अवधारणा को पहली बार 5वें वित्त आयोग द्वारा 1969 में प्रस्तुत किया गया था।
- विशेष राज्य के दर्जे के पीछे प्रमुख तर्क यह था कि कुछ राज्यों में अन्तर्निहित विषमताओं के कारण उनके संसाधन आधार कम हैं और विकास के लिए संसाधन जुटा पाना उनके लिए संभव नहीं है।
- विशेष राज्य के दर्जे के लिए कुछ आवश्यक शर्तें निम्न हैं:
- पहाड़ी और दुर्गम क्षेत्र;
- कम जनसंख्या घनत्व या अत्यधिक आदिवासी जनसंख्या;
- पड़ोसी देशों के साथ सीमा पर सामरिक अवस्थिति;
- आर्थिक और ढांचागत पिछड़ापन;
- राज्य वित्त की अलाभकारी प्रकृति।

14वें वित्त आयोग की सिफारिशों के बाद स्थिति

- नीति आयोग की स्थापना के बाद और 14वें वित्त आयोग (FFC) की सिफारिशों के पश्चात विशेष दर्जे वाले राज्यों को प्राप्त होने वाली केन्द्रीय योजना सहायता को करों में बढ़ी हिस्सेदारी में (कर विभाज्य पूल में हिस्सेदारी को 32% से बढ़ाकर 42 % कर दिया गया है) में शामिल कर लिया गया है।
- FFC ने वनाच्छादन को मापदंड के रूप में शामिल किया है, जिसका भारांश 7.5 % होगा, इससे पूर्वोत्तर राज्यों को लाभ प्राप्त होगा जिन्हें पहले विशेष राज्य के रूप में सहायता प्रदान की जाती थी।

- विशेष राज्य के दर्जे पर निर्णय करने का अधिकार पहले राष्ट्रीय विकास परिषद के पास था।

विशेष श्रेणी का राज्य होने के लाभ

विशेष राज्य होने से प्राप्त होने वाले लाभों की प्रकृति, कई राज्यों को इस प्रकार की मांग करने के लिए प्रेरित करती है

- सामान्य केंद्रीय सहायता (56.25%) का एक बड़ा हिस्सा 11 विशेष श्रेणी के राज्यों के बीच तथा शेष (43.75%) 18 सामान्य श्रेणी राज्यों के बीच वितरित किया जाता है।
- केवल विशेष श्रेणी के राज्यों के लिए विशेष योजना सहायता और विशेष केन्द्रीय सहायता अनुदान प्रदान किया जाता है।

VISION IAS

- बाह्य सहायता प्राप्त परियोजनाओं(EAPs) के लिए विशेष श्रेणी के राज्यों के लिए 90 प्रतिशत सहायता अनुदान के रूप में प्रदान की जाती है जबकि सामान्य श्रेणी के राज्यों के लिए, यह ऋण के रूप में प्रदान की जाती है।
- केंद्र प्रायोजित योजनाओं में राज्यांश सामान्य श्रेणी के राज्यों की तुलना में विशेष श्रेणी के राज्यों के लिए कम है।
- विशेष श्रेणी के राज्यों के लिए उत्पाद शुल्क में महत्वपूर्ण रियायत व अन्य तरह के कर से छूट प्राप्त होती है जिससे इन राज्यों की सीमा में उद्योगों और विनिर्माण इकाइयों को आकर्षित करने में सहायता मिलती है।
- केंद्रीय कर राजस्व के बंटवारे के सन्दर्भ में विशेष राज्यों से कोई विशेष व्यवहार नहीं किया जाता है।

विशेष राज्यों की कार्यप्रणाली से सम्बंधित मुद्दे

- विशेष राज्य का दर्जा देने का आधार बहस का विषय रहा है।
- विशेष राज्य का दर्जा देने के लिए प्रयुक्त सिद्धांतों के सन्दर्भ में राज्यों के बीच कोई आम सहमति नहीं है।
- पूर्व अनुभवों से यह पता चलता है कि इस बात की कोई गारंटी नहीं है कि विशेष राज्य का दर्जा देने के बाद भी राज्य की आर्थिक प्रगति हो पायेगी।
- इसका तात्पर्य यह है कि आर्थिक विकास के लिए एक सशक्त आर्थिक नीति का पालन करने की आवश्यकता है। विशेष राज्य से सम्बंधित विशेषतायें सकारात्मक प्रोत्साहन के रूप में कार्य कर सकती हैं लेकिन सब कुछ प्रत्येक राज्य की नीति पर निर्भर करता है।
- 14 वें वित्त आयोग की सिफारिशों के बाद राज्यों को प्राप्त होने वाला हिस्सा बढ़ गया है इस संबंध में इसकी सिफ़ारिशें स्वीकार कर ली गयी हैं। अतः विशेष राज्य की प्रासंगिकता पूरी तरह समाप्त हो सकती है।

आगे की राह

- किसी भी नए राज्य को विशेष दर्जा देने की परिणति डोमिनो प्रभाव (समान मांगो का अन्य राज्यों द्वारा भी किया जाना) उत्पन्न कर सकता है और अन्य राज्यों को भी ऐसी ही मांग करने के लिए प्रेरित कर सकता है।
- विशेष राज्य की मांग करने वालो के लिए यह आर्थिक रूप से फायदेमंद नहीं है क्योकि मौजूदा व्यवस्था के तहत लाभ अत्यंत कम हैं।
- विशेष समस्याओं का सामना कर रहे राज्यों को केंद्र से विकास केंद्रित पैकेज प्राप्त करने का प्रयास करना चाहिए। केंद्र द्वारा प्रदान किया गया पैकेज किस्तों और राज्यों की प्रगति का आकलन करने के बाद प्रोत्साहन पर आधारित हो सकता है।

1.5. भारत में अदालतों के समक्ष लंबित मामले

(Pendency of Cases in Courts in India)

सुर्खियों में क्यों?

- भारतीय न्यायपालिका के सन्दर्भ में अत्यधिक संख्या में लंबित मामले और न्यायाधीशों की कमी अक्सर सुर्ख़ियों में रहने वाले मुद्दे हैं।
- अपनी तरह के किये गए पहले अध्ययन में वाद-सूची, अदालतों की वेबसाइटों, और ई-अदालतों की वेबसाइटों के माध्यम से पहली बार मामलों की संख्या और उनकी पहचान की गयी है।

लंबित मामले

- उच्च न्यायालयों में, इलाहाबाद HC में लंबित मामलों की संख्या सर्वाधिक है सिक्किम HC में लंबित मामलों की संख्या सबसे कम है।
- दक्ष (DAKSH) द्वारा तैयार 'भारतीय न्यायपालिका की दशा रिपोर्ट' वस्तुतः देश के 21 राज्यों के उच्च न्यायालयों और 475 अधीनस्थ अदालतों से एकत्र आंकड़ों पर आधारित है।
- रिपोर्ट के लिए निर्मित डेटाबेस में उच्च न्यायालय और अधीनस्थ अदालतों से 3514486 मामले लिए गए थे।
- सभी उच्च न्यायालयों के संबंध में पर्याप्त आंकड़े उपलब्ध नहीं थे, किन्तु रिपोर्ट के अनुसार यह पाया गया है कि मुंबई, गुजरात, केरल और उड़ीसा उच्च न्यायालयों में लंबित मामलों के 86 प्रतिशत से अधिक के निपटारे में 10-15 वर्षों का समय लगा।
- रिपोर्ट के अनुसार विलम्ब का प्रमुख कारण न्यायधीशों के द्वारा प्रतिदिन औसतन कम मामलों की सुनवाई करना है। 21 उच्च न्यायालयों के सर्वेक्षण में यह पाया गया कि न्यायाधीशों ने एक दिन में 20 से 150 के बीच मामलों में सुनवाई की। इस प्रकार एक न्यायाधीश के लिए प्रति दिन औसत सुनवाई 70 है।

काम का बोझ

- उच्च न्यायालयों के न्यायाधीश दैनिक 70 मामलों के औसत से 20-150 मामलों की सुनवाई करते हैं।
- न्यायाधीशों के द्वारा प्रत्येक मामलों में सुनवाई के लिए लिया गया औसत समय उनके द्वारा सुने गए मामलों की संख्या और दैनिक काम के घंटे के अनुसार औसतन 2 मिनट हो सकता है।
- कलकत्ता हाईकोर्ट के द्वारा सर्वाधिक सुनवाई की गयी जबकि दिल्ली उच्च न्यायालय में सुने गए मामलों की संख्या सर्वाधिक कम है।
- सुनवाई की आवृत्ति, दक्षता के साथ संबद्ध है जिसका प्रभाव निष्पक्ष सुनवाई की अवधारणा पर पड़ता है।

VISION IAS

सर्वेक्षण का विश्लेषण

- सर्वेक्षण के अनुसार, लंबित मामलों के अपर्याप्त आंकड़े और आंकड़ों के "वैज्ञानिक रखरखाव के अभाव" ने इस समस्या के विश्लेषण तथा न्यायपालिका के लिए स्थायी समाधान प्रस्तुत करने के कार्य को और कठिन बना दिया है।
- राष्ट्रीय न्यायालय प्रबंधन प्रणाली समिति में व्याप्त "विसंगतियां", सुप्रीम कोर्ट द्वारा प्रकाशित कोर्ट समाचार, राष्ट्रीय न्यायिक डाटा ग्रिड और विभिन्न अदालतों की वेबसाइटों के माध्यम से उपलब्ध आंकड़ों से यही तथ्य उभरता है कि "देश में न्यायाधीशों की संख्या पर कोई मतैक्य" नहीं है।
- मामलों का अक्षम प्रबंधन और बेंच में रिक्त पदों के कारण मामलों के निपटान में देरी न्यायपालिका के समक्ष दो प्रमुख समस्याएं हैं।
- रिपोर्ट में उल्लेख है कि जमानती अपराधों के आरोपी व्यक्तियों के 31 प्रतिशत ने दावा किया है कि वे जेल में इसलिए है क्योंकि वे ज़मानत प्राप्त करने के लिए जमानत राशि या जमानतदार की व्यवस्था नहीं कर सकते।
- यह भी पता चलता है कि सरकार द्वारा नियुक्त वकीलों का लाभ लेने के लिए पात्र होने के बावजूद वादियों के केवल 3 फीसदी ने ही कानूनी सहायता का इस्तेमाल किया।

आगे की राह

- समय की मांग है कि न्यायपालिका पर प्रस्तुत उक्त रिपोर्ट पर गंभीरता से विचार किया जाए। रिपोर्ट का प्रयोग न्यायिक प्रणालियों में प्रमुख बाधाओं को हल करने के लिए किया जा सकता है।
- रिपोर्ट समस्या प्रधान क्षेत्रों की पहचान करती है, विशेष रूप से वे जिन्हें सुधारा जा सकता है। उदाहरण के लिए झारखंड हाईकोर्ट में दीवानी मामलों की तुलना में आपराधिक मामले अधिक संख्या में लंबित हैं। लंबित मामलों को विशेष बेंच के निर्माण से निपटाया जा सकता है।
- उच्च न्यायपालिका में नियुक्तियों के मुद्दे को जल्द ही हल किया जाना चाहिए। न्यायपालिका और कार्यपालिका के बीच एक आम सहमति बनायीं जानी चाहिए और सभी के लिए स्वीकार्य मेमोरेंडम ऑफ़ प्रोसीजर (MoP) तैयार किया जाना चाहिए।
- इसके माध्यम से उच्च न्यायपालिका में रिक्त पदों को शीघ्रता से भरने में मदद मिलेगी।

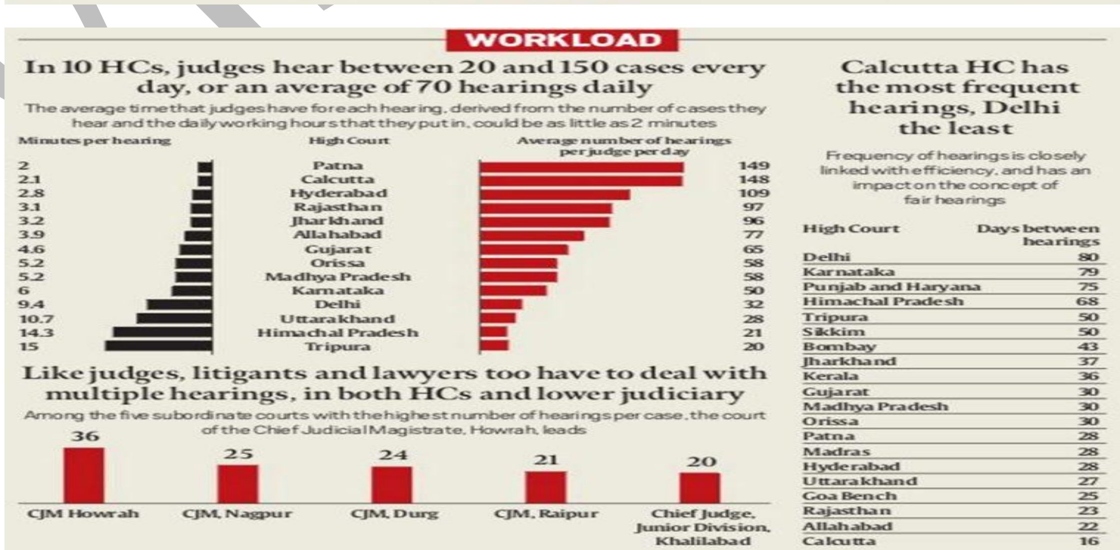

1.6. भारतीय निर्वाचन आयोग ने ज्यादा शक्तियों की मांग की

(ECI Seeks More Powers)

सुर्खियों में क्यों?

- भारतीय निर्वाचन आयोग (ECI) हाल ही में बिहार, असम और पश्चिम बंगाल में विधानसभा चुनाव से पहले समाचार पत्रों में राजनीतिक विज्ञापनों को प्रतिबंधित करने के लिए असाधारण शक्तियों का सहारा लेने के लिए मजबूर हो गया।
- ECI ने पिछले वर्ष संविधान के अनुच्छेद 324 के तहत बिहार चुनाव से एक दिन पूर्व प्रिंट मीडिया में राजनीतिक विज्ञापनों पर एक अभूतपूर्व प्रतिबंध लगाया था।

ECI द्वारा मांग किये गए चुनाव सुधार

- जन प्रतिनिधित्व कानून की धारा 126 मतदान से 48 घंटे पूर्व इलेक्ट्रॉनिक मीडिया (टीवी, रेडियो) में राजनीतिक दलों द्वारा विज्ञापन के प्रकाशन पर प्रतिबंध लगाता है, इसके अंतर्गत हाल ही में सोशल मीडिया को भी शामिल किया गया है। ECI प्रिंट मीडिया को भी जनप्रतिनिधित्व कानून की धारा 126 में शामिल करना चाहता है।
- सभी तीन निर्वाचन आयुक्तों को बराबर संवैधानिक संरक्षण।

टोटलाइजर मशीन के बारे में

- विभिन्न बूथों में पड़े मत को मतगणना के समय टोटलाइजर मशीन से मिश्रित किया जाता है।
- मौजूदा प्रणाली में प्रत्येक मतदान केंद्र पर पड़े वोट इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन से अलग-अलग गिने जाते हैं और इससे प्रत्येक मतदान केंद्र पर मतदान के रुझान का पता चलता है।
- इससे उस क्षेत्र में रहने वाले मतदाताओं को उत्पीड़न, धमकी और चुनाव के बाद जुल्म सहना पड़ता है।

- निर्वाचन आयोग वोटों की गिनती के लिए टोटलाइजर मशीनों का प्रयोग करना चाहता है।
- मतदाता पंजीकरण के लिए एकाधिक अंतिम तारीखों की घोषणा।
- अगर किसी अदालत ने चुनाव लड़ने वाले उम्मीदवार के खिलाफ आरोप तय कर दिए हैं तो उम्मीदवार को अयोग्य ठहराया जाना चाहिए। वर्तमान में किसी भी उम्मीदवार को यदि किसी अपराध में 2 साल से अधिक की सजा हुई है तो उसे चुनाव लड़ने के लिए अयोग्य घोषित कर दिया जाता है।
- निर्वाचन आयोग चुनाव के दौरान रिश्वत देने को संज्ञेय अपराध घोषित करवाना चाहता है।
- निर्वाचन आयोग पेड न्यूज को भी एक चुनावी अपराध मानने तथा इसके लिए दो साल कारावास की सजा का समर्थन करता है।

आगे की राह

- निर्वाचन आयोग संविधान द्वारा सौंपी गयी भूमिका के अनुरूप भारतीय लोकतंत्र की प्रहरी संस्थाओं में प्रमुख है। इसे स्वतंत्र और निष्पक्ष चुनाव कराने के अपने संवैधानिक कर्तव्य का पालन करने के लिए स्वायत्तता और शक्तियों की आवश्यकता है।
- निर्वाचन आयोग द्वारा प्रस्तावित परिवर्तन प्रगतिशील हैं और इन्हें लागू किया जाना चाहिए। इसके माध्यम से चुनाव परिणामों की विश्वसनीयता और इस तरह खुद ECI की विश्वसनीयता में वृद्धि होगी।
- प्रस्तावित सुधारों में से कई सुधारों की पहले ही विभिन्न विधि आयोगों द्वारा सिफारिश की गयी है। इस प्रकार ये सभी तथ्य भारत में चुनाव को स्वतंत्र और निष्पक्ष बनाने के लिए आवश्यक परिवर्तन लाने का समर्थन करते हैं।

Planned legislative business was actually bettered by the performance Parliament achieved during the Monsoon Session

	PLANNED	ACTUAL
Sittings (Lok Sabha)	20	20
Sittings (Rajya Sabha)	20	20
Bills for passage (Finance & Appropriation)	0	1
Bills for passage (Other Bills)	15	14
Bills for introduction (Finance & Appropriation)	0	1
Bills for introduction (Other Bills)	6	14
Bills for withdrawal	0	1

1.7. संसद के मानसून सत्र का मूल्यांकन

(Monsoon Session of Parliament-Assessment)

सुर्खियों में क्यों?

- संसद का मानसून सत्र 12 अगस्त, 2016 को अनिश्चितकाल के लिए स्थगित कर दिया गया।
- लोकसभा और राज्यसभा दोनों ने लगभग 100% उत्पादकता आधारित कार्य किया, इससे पिछले साल के मानसून सत्र की तुलना में सरकार-विपक्ष के बीच रिश्तो में सुधार का संकेत मिलता है।

VISION IAS

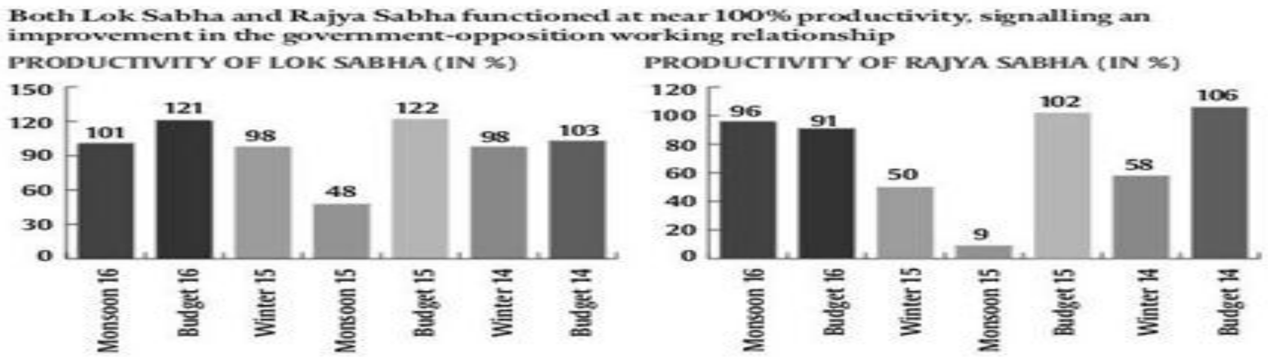

महत्व

- मानसून सत्र यह प्रदर्शित करता है कि भारत ने लोकतांत्रिक व्यवस्था में परिपक्वता प्राप्त कर ली है।
- कश्मीर में गहन समस्याओं के बावजूद भी कश्मीर में स्थिति सहित कई महत्वपूर्ण विधेयकों पर चर्चा हुई।
- GST जैसे ऐतिहासिक रूप से महत्वपूर्ण विधेयक इस सत्र में पारित किये गए, इस विधेयक के एकमत से पारित होने से विभिन्न हितधारकों के बीच आम सहमति बनाने की संसद की क्षमता प्रदर्शित होती है।
- इसी प्रकार की ऊर्जा और उत्साह भविष्य में होने वाले संसद सत्र में भी दिखाया जाना चाहिए जिससे उपयोगी परिणाम प्राप्त हो सके और भारत को विकास पथ पर अग्रसर किया जा सके ना कि गतिरोध और स्थगन की नीति अपनाई जाए।

1.8. नागरिकता (संशोधन) विधेयक, 2016

(The Citizenship (Amendment) Bill, 2016)

सुर्खियों में क्यों?

- नागरिकता (संशोधन) विधेयक, 2016 को गृह मंत्रालय द्वारा लोकसभा में पेश किया गया था। विधेयक नागरिकता अधिनियम, 1955 में संशोधन प्रस्तावित करता है।
- विधेयक में कुछ विवादास्पद प्रावधानों की वजह से नागरिकता के संबंध में पक्ष-पात का मुद्दा उठा है।

पृष्ठभूमि

- नागरिकता अधिनियम, 1955 के अंतर्गत पांच विभिन्न तरीकों से नागरिकता को प्राप्त किया जा सकता है। यह जन्म, वंश, पंजीकरण, देशीयकरण और भारत में किसी क्षेत्र के समावेश जैसे आधारों पर नागरिकता प्रदान करने का प्रावधान करता है।
- यह अधिनियम अवैध प्रवासियों द्वारा भारतीय नागरिकता प्राप्त करने पर प्रतिबंध लगाता है। एक अवैध प्रवासी को यह एक विदेशी के रूप में परिभाषित करता है जो (I) एक वैध पासपोर्ट या यात्रा दस्तावेजों के बिना भारत में प्रवेश करता है, या (ii)स्वीकृत समय सीमा से अधिक भारत में रहता है।
- देशीयकरण द्वारा नागरिकता प्राप्त करने हेतु आवेदन करने के लिए, आवेदन करने से पहले व्यक्ति कम से कम 11 साल से भारत में रह रहा हो या केंद्र सरकार की सेवा में रहा हो।
- अधिनियम यह प्रावधान करता है कि केंद्र सरकार कुछ आधारों पर OCI's का पंजीकरण रद्द कर सकती है। इनमें शामिल हैं: (i) यदि OCI धोखाधड़ी के माध्यम से पंजीकृत है, या (ii) पंजीकरण के पांच साल के भीतर दो या उससे अधिक साल के लिए कारावास की सजा सुनाई गई है, या (iii) यह भारत की संप्रभुता और सुरक्षा के हित में आवश्यक हो जाता है, आदि।

अधिनियम में महत्वपूर्ण परिवर्तन

- विधेयक, अधिनियम में यह संशोधन प्रस्तावित करता है कि अफगानिस्तान, बांग्लादेश और पाकिस्तान से आए हिंदू, सिख, बौद्ध, जैन, पारसी तथा ईसाई समूह के व्यक्तियों को अवैध प्रवासी नहीं माना जाएगा।
- विधेयक, नागरिकता की योग्यता के संबंध में अफगानिस्तान, बांग्लादेश और पाकिस्तान के हिंदू, सिख, बौद्ध, जैन, पारसी और ईसाईयों के लिए अपवाद का प्रावधान करता है जिसके अंतर्गत 11 साल की अनिवार्यता को कम करके छह साल कर दिया जाएगा।
- विधेयक OCI के पंजीकरण को रद्द करने के लिए एक और आधार प्रदान करता है वह यह है कि- यदि OCI द्वारा देश में लागू किसी भी कानून का उल्लंघन किया जाता है।

विधेयक के खिलाफ उठाए गए मुद्दे

- इस मुद्दे पर विपक्ष के सदस्यों का आरोप है कि विधेयक में संशोधन सांप्रदायिक दृष्टिकोण से प्रेरित है।

VISION IAS

इस मुद्दे पर सरकार का दृष्टिकोण

- पाकिस्तान, बांग्लादेश और अफगानिस्तान में धार्मिक अल्पसंख्यकों को गंभीर भेदभाव का सामना करना पड़ता है जिसे अक्सर राज्य की मंजूरी प्राप्त होती है और यहां तक कि इसका संस्थागत स्वरूप भी होता है, विशेष रूप से पाकिस्तान में यह अधिक प्रखर है।
- इन समुदायों का सरकारी नौकरियों, पुलिस, सेना या न्यायपालिका में अल्प प्रतिनिधित्व है;
- महिलाओं को इसका सर्वाधिक खामियाजा भुगतना पड़ता है उनका कभी- कभी पीछा किया जाता है, पीटा जाता है और उनके साथ बलात्कार किया जाता है वहीँ कमजोर कानूनों और राज्य की उदासीनता के कारण उन्हें राज्य से कोई राहत नहीं मिलती
- उनके निवास क्षेत्रों में दंगे, बम विस्फोट, आतंकवादी हमले आदि किये जाते हैं
- देश भर में रहने वाले कई शरणार्थियों के साथ अनुचित व्यवहार किया गया और भारत के लिए प्रवास करने से पहले धर्म परिवर्तन के लिए मजबूर किया गया।

आगे की राह

- भारत, क्षेत्र की सबसे सफल उभरती हुई अर्थव्यवस्था है, अतः रोजगार और एक बेहतर जीवन की तलाश के सन्दर्भ में भारत प्रवासियों को सीमा पार करने के लिए आकर्षित करता है।
- नागरिकता के मुद्दे पर निष्पक्ष दृष्टिकोण अपनाया जाना चाहिए। क्योंकि इन देशों में इस्लाम के भीतर कई अल्पसंख्यक संप्रदाय विशेष रूप से अहमदिया और यहां तक कि शिया समुदाय भी उत्पीड़न के शिकार हैं।
- भारत एक धर्मनिरपेक्ष राष्ट्र है और इसे यह स्थिति बनाए रखनी चाहिए। संशोधन के परीक्षण हेतु इसे एक संसदीय चयन समिति को भेजा जाना चाहिए और उसके बाद सभी हितधारकों को विश्वास में लेने के बाद में एक आम सहमति का निर्माण करना चाहिए।

1.9. प्रौद्योगिकी संस्थान (संशोधन) विधेयक, 2016

(Institutes of Technology (Amendment) Bill, 2016)

सुर्खियों में क्यों ?

- संसद ने छह नए भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थानों (IIT) की स्थापना के लिए प्रौद्योगिकी संस्थान (संशोधन) विधेयक, 2016 को पारित कर दिया है।

विधेयक की मुख्य विशेषताएं

- विधेयक प्रौद्योगिकी अधिनियम, 1961 में संशोधन प्रस्तावित करता है, जो कुछ प्रौद्योगिकी संस्थानों को राष्ट्रीय महत्व का घोषित करता है।
- छह नए IIT पलक्कड़ (केरल), तिरुपति (आंध्र प्रदेश), गोवा, धारवाड़ (कर्नाटक), भिलाई (छत्तीसगढ़) और जम्मू (जम्मू-कश्मीर) में स्थापित किए जाएंगे।
- यह संशोधन, अधिनियम के दायरे में, धनबाद के इंडियन माइन्स स्कूल को लाना प्रस्तावित करता है।
- इन सभी संस्थानों को राष्ट्रीय महत्व के संस्थानों के रूप में घोषित किया जाएगा।

आगे की राह

- नए IIT की घोषणा से पहले यह सुनिश्चित किया जाना चाहिए कि ये वित्तीय स्रोतों और बुनियादी सुविधाओं के मामले में एक बेहतर योजना पर आधारित हैं।
- पिछले विस्तार में हमने देखा है कि नए IIT को भूमि उपलब्ध नहीं हो पाने के कारण कई सालों तक अपने निर्माण कार्य में देरी हुई।
- यह विस्तार इस तरह डिजाइन किया जाना चाहिए कि यह आंशिक रूप से मौजूद IIT के विस्तार से और आंशिक रूप से नए IIT के निर्माण से आकार ग्रहण करे।
- एक पूर्णकालिक निदेशक और शिक्षकों की नियुक्ति प्रथम प्रवेश प्रक्रिया शुरू करने के कम से कम एक साल पूर्व की जानी चाहिए।

1.10. लोकपाल और लोकायुक्त (संशोधन) विधेयक, 2016

(The Lokpal and Lokayuktas (Amendment) Bill, 2016)

सुर्खियों में क्यों?

- लोकपाल और लोकायुक्त (संशोधन) विधेयक, 2016 संसद द्वारा पारित किया गया।
- यह विधेयक कार्मिक, लोक शिकायत और पेंशन मंत्रालय द्वारा पेश किया गया था।

VISION IAS

विधेयक की विशेषताएं

- विधेयक लोक सेवकों द्वारा परिसंपत्तियों और देनदारियों की घोषणा के संबंध में लोकपाल और लोकायुक्त अधिनियम, 2013 में संशोधन प्रस्तावित करता है।
- यह सरकारी कर्मचारियों की देनदारियों और परिसंपत्तियों की घोषणा करने वाली धारा 44 में संशोधन प्रस्तावित करता है।
- यह प्रधानमंत्री, मंत्रियों, सांसदों सहित व्यक्तियों की एक विस्तृत श्रृंखला जिसके अंतर्गत सरकार के या किसी भी संगठन, ट्रस्ट या गैर-सरकारी संगठन जिसे कि 10 लाख रुपये से 1 करोड़ रुपये तक की विदेशी सहायता या सरकारी सहायता प्राप्त होती है, के अधिकारियों को "लोक सेवक" के रूप में परिभाषित करता है।
- लोकपाल अधिनियम एक लोक सेवक के लिए स्वयं के साथ ही अपने जीवन-साथी और आश्रित बच्चों की संपत्ति और देनदारियों की घोषणा करने को अनिवार्य करता है। इस तरह की घोषणाएं कार्यालय में प्रवेश करने के 30 दिनों के भीतर सक्षम प्राधिकारी के समक्ष की जानी चाहिए।
- लोक सेवक को हर वर्ष की 31 जुलाई तक इस तरह की परिसंपत्तियों और देनदारियों का वार्षिक रिटर्न फाइल करना होगा।
- लोकपाल अधिनियम यह भी उदघोषित करता है कि ऐसी घोषणा को उस वर्ष के 31अगस्त तक प्रासंगिक मंत्रालय की वेबसाइट पर प्रकाशित किया जाना चाहिए।
- संशोधन अनिश्चित काल के लिए संपत्ति और देनदारियों की घोषणा के लिए समय सीमा का विस्तार करता है।

मुद्दे क्या हैं?

- संशोधनों को बिना बहस और विचार-विमर्श के आनन-फानन में पारित किये जाने का प्रयास किया जा रहा था।
- उद्योग लॉबी समूह और ट्रस्ट, FCRA के तहत गैर सरकारी संगठन चाहते हैं कि "लोक सेवक" की परिभाषा में संशोधन किया जाय।
- सरकार का हस्तक्षेप ट्रस्ट, सोसाइटी तथा धर्मार्थ और गैर लाभकारी संगठनों के कामकाज में अवरोध पैदा करेगा।

आगे की राह

- विधेयक परिसंपत्तियों के प्रकटीकरण को अनिश्चित काल के लिए 5 वीं बार विस्तार प्रदान करता है। इसे समयबद्ध बनाया जाना चाहिए।
- कार्मिक, लोक शिकायत, विधि और न्याय पर संसदीय स्थायी समिति विधेयक का फिर से आकलन करने और धारा 44 में परिवर्तन का सुझाव देने के बाद संसद के अगले सत्र में अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत करगी।
- पैनल से विभिन्न हितधारकों से विचार-विमर्श के पश्चात "लोक सेवक" को परिभाषित करने की उम्मीद है।

1.11. सौराष्ट्र नर्मदा अवतरण सिंचाई (सौनी) परियोजना

(Saurashtra Narmada Avtaran Irrigation (SAUNI) Project)

सुर्खियों में क्यों?

- प्रधानमंत्री ने हाल ही में सौनी परियोजना, जिसके तहत राजकोट, जामनगर और मोरबी के करीब 10 बांधों और जलाशयों को नर्मदा नदी के पानी से भरे जाने की योजना है , के पहले चरण का उद्घाटन किया।

विवरण

- सौनी योजना को सौराष्ट्र क्षेत्र में नर्मदा में बहने वाले बाढ़ के पानी के अतिरिक्त एक मिलियन एकड़ फ़ीट(MAFt) को डाइवर्ट करने के लिए शुरू किया गया है।
- इसके माध्यम से पनबिजली भी उत्पन्न होगी।
- सौनी एक पूर्णतः सिंचाई और पीने के पानी पर आधारित परियोजना है जो पूरी तरह से सौराष्ट्र प्रायद्वीप के लिए डिजाइन की गयी है।
- **अनूठी विशेषता:** सौनी पारंपरिक खुली नहरों के बजाय पाइप नहरें होंगी।
- सौनी बड़े पैमाने पर भूमिगत पाइपलाइनों पर आधारित होगी जिसके लिए कोई भूमि अधिग्रहण की आवश्यकता नहीं होगी और पारंपरिक नहरों की तुलना में पानी का कम नुकसान होगा।

VISION IAS

1.12. आर्थिक रूप से पिछड़े वर्गों के लिए आरक्षण

(Reservation for Economically Backward Classes)

सुर्खियों में क्यों ?

गुजरात उच्च न्यायालय ने राज्य सरकार के आर्थिक रूप से पिछड़े वर्गों (EBCs) के लिए 10% आरक्षण देने के अध्यादेश को खारिज कर दिया है।

पृष्ठभूमि -

- मई 2016 में, पाटीदार समुदाय के आंदोलन से विवश होकर गुजरात सरकार द्वारा EBCs से संबंधित छात्रों को प्रवेश में 10% कोटा प्रदान करने के लिए **गुजरात, अनारक्षित आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग अध्यादेश, 2016** जारी किया गया।
- अध्यादेश कोटा का लाभ उठाने के लिए 6 लाख रुपये की आय सीमा आरोपित करता है।

निर्णय की मुख्य विशेषताएं

- उच्च न्यायालय ने कहा है कि कोई भी कोटा आर्थिक मापदंड के आधार पर नहीं दिया जा सकता क्योंकि संविधान में इसका कोई प्रावधान नहीं है।
- संविधान सामाजिक रूप से पिछड़ी और अनुसूचित जातियों तथा जनजातियों के लिए कोटा की अनुमति देता है।
- कोर्ट ने यह भी कहा कि अध्यादेश के कारण कुल आरक्षण 50 प्रतिशत की सीमा से अधिक हो जायेगा, जो सुप्रीम कोर्ट द्वारा निर्धारित सीमा से अधिक है, अतः यह असंवैधानिक है।
- कोर्ट ने कहा है कि गुजरात में ECB कोटा देने के लिए कोई सर्वेक्षण नहीं किया गया था।
- यह फैसला **इंद्रा साहनी मामले** में कोर्ट के निर्णय पर आधारित है जो **मंडल आयोग** की सिफारिश पर ओबीसी आरक्षण को चुनौती देने के लिए लाया गया था।

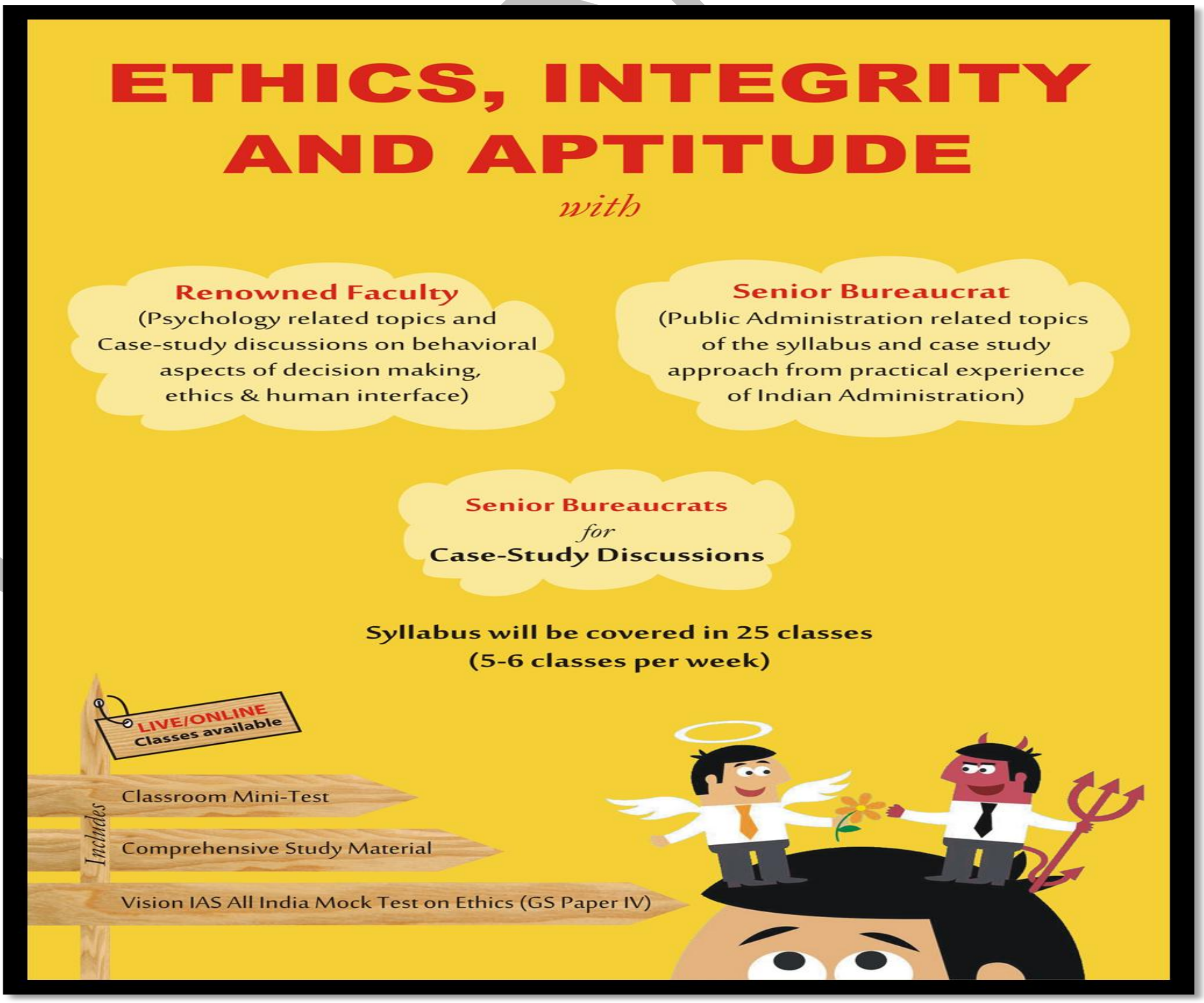

-

2. अंतर्राष्ट्रीय / भारत और विश्व

(International/India and World)

2.1. भारत - म्यांमार

(India-Myanmar)

सुर्ख़ियों में क्यों?

म्यांमार संघ गणराज्य के राष्ट्रपति H.E.U. हेतिन काव ने 2016 अगस्त में भारत का राजकीय दौरा किया।

म्यांमार के राष्ट्रपति की भारत यात्रा के दौरान हस्ताक्षर किए गए समझौता ज्ञापनों की सूची:

- म्यांमार के त्रिपक्षीय राजमार्ग (Trilateral Highway) तामू-क्यिगोन-कलेवा सड़क क्षेत्र में सड़कों सहित 69 पुलों के निर्माण में सहयोग के लिए करार।
- कलेवा-यज्ञी सड़क खंड के निर्माण तथा उन्नयन में सहयोग पर समझौता ज्ञापन।
- अक्षय ऊर्जा के क्षेत्र में सहयोग के लिए करार।
- चिकित्सा की पारंपरिक प्रणालियों के क्षेत्र में सहयोग के लिए करार।

भारत के विदेश मंत्री की म्यांमार यात्रा

असैनिक सरकार के म्यांमार में सत्ता में आने के बाद भारतीय विदेश मंत्री की यह यात्रा पहली उच्च स्तरीय यात्रा थी।

- म्यांमार के नेताओं ने आश्वासन दिया कि वे भारत के खिलाफ किसी भी उग्रवादी समूह को अपने क्षेत्र का उपयोग करने की अनुमति नहीं देंगे।
- विदेश मंत्री ने म्यांमार के प्रमुख नेताओं के साथ सहयोग के सभी संभव क्षेत्रों जैसे विद्युत शक्ति पर चर्चा की। भारत पहले ही मोरेह-तामू लिंक के माध्यम से म्यांमार को 3 मेगावाट विद्युत की आपूर्ति कर रहा है।

म्यांमार का महत्व

- राष्ट्रपति H.E.U. हेतिन काव ने मार्च 2016 में सत्ता में आने के बाद सबसे पहले भारत को विदेशी गंतव्य के रूप में चुना। इससे म्यांमार के भारत से जुड़ाव के महत्व का पता चलता है।
- कृषि, सूचना प्रौद्योगिकी, मानव संसाधन विकास, बुनियादी ढांचे के विकास और संस्कृति जैसे क्षेत्रों में विकास सहयोग कार्यक्रम के कारण भारत और म्यांमार के परस्पर घनिष्ठ संबंध हैं।
- हाल की यात्रा दोनों देशों के मध्य व्यापार में वृद्धि के साथ ही म्यांमार में भारतीय निजी उद्यमों की अधिक से अधिक भागीदारी की अपेक्षाओं को बढ़ाती है।

2.2 भारत-पाकिस्तान

(India-Pakistan)

सुर्ख़ियों में क्यों?

प्रधानमंत्री ने अपने स्वतंत्रता दिवस संबोधन में पाकिस्तान सम्बंधित नीति में एक महत्वपूर्ण बदलाव करते हुये बलूच आजादी संघर्ष का ज़िक्र किया और कहा कि संघर्षरत पाकिस्तानी राज्य बलूचिस्तान में तथा गिलगित और पाकिस्तान अधिकृत कश्मीर में भी लोग उनके पास पहुंचे हैं।

अभूतपूर्व कदम

- राजनयिकों ने कहा कि प्रधानमंत्री का अपने संबोधन में बलूचिस्तान के मामले को उठाने का फैसला 'अभूतपूर्व' था क्योंकि भारत ने शायद ही कभी इस राज्य के स्वतंत्रता आंदोलन का ज़िक्र किया है तथा भारत ने बलूच राष्ट्रवादी समूह की किसी भी प्रकार से सहायता करने के, पाकिस्तान के आरोप का सदैव खंडन किया है।
- भारत-पाकिस्तान संबंधों के इतिहास में यह पहली बार था कि एक भारतीय प्रधानमंत्री ने बलूचिस्तान मुद्दे पर बात की।
- इससे पहले, विदेश मंत्रालय ने पाकिस्तानी सरकार की दिसंबर 2005 में बलूचिस्तान में अपने ही लोगों पर बमबारी कराने और उसके बाद 2006 में एक हवाई हमले में बलूच नेता नवाब अकबर शाहबाज खान बुगती की हत्या करवाने की आलोचना की थी।
- इस संदर्भ में मानव अधिकारों के मुद्दों को उठाकर, भारत अपने लोकतांत्रिक मानकों और परंपराओं के अनुसार कार्य कर रहा है और यह पूर्णतया न्यायसंगत है।

- यह तर्क कमजोर आधार पर स्थित है कि यह पाकिस्तान को कश्मीर मुद्दे का "अंतर्राष्ट्रीयकरण" करने का एक अवसर देना होगा क्योंकि पाकिस्तान आजादी के बाद से ही ऐसा करने की कोशिश कर रहा है, जिसमे उसे अब तक अधिक सफलता नहीं मिली है।

पाकिस्तान की प्रतिक्रिया

- पाकिस्तान ने कहा कि प्रधानमंत्री ने बलूचिस्तान के बारे में बात करके 'सीमा रेखा' (red line) पार कर दी है।
- पाकिस्तान ने आरोप लगाया कि भारत, बलूचिस्तान और कराची की विध्वंसक गतिविधियों में शामिल है और यह भी कहा कि कश्मीर में होने वाले मानवाधिकारों के उल्लंघन को ढकने के लिए भारत बलूचिस्तान का जिक्र कर रहा है।
- पाकिस्तान ने दिल्ली पर, बलूचिस्तान को अस्थिर करने में, काबुल और तेहरान का सहयोग करने का आरोप भी लगाया है।
- नवीनतम आरोप यह है कि चीन की आर्थिक परियोजनाओं को कमजोर करने के लिए दिल्ली और वाशिंगटन बलूचिस्तान में आतंक को बढ़ावा दे रहे है।

कश्मीर पर बात करने के लिए पाकिस्तान का आमंत्रण

पाकिस्तान ने कश्मीर पर वार्ता के लिए भारत को आमंत्रित किया और कहा कि इस समस्या को हल करना दोनों देशों का "अंतर्राष्ट्रीय दायित्व" है।

भारत की प्रतिक्रिया

- भारत ने पाकिस्तान के कश्मीर पर वार्ता के प्रस्ताव को खारिज कर दिया।
- भारत ने दोहराया कि वह पाकिस्तान से केवल आतंकवाद के मुद्दों जिनमे जनवरी 2016 में हुये पठानकोट एयरबेस हमले और 2008 में मुंबई में हुये 26/11 के हमलों की जांच सम्मिलित है, के अलावा एक नई मांग कि पाकिस्तान तुरंत पाकिस्तान अधिकृत कश्मीर (PoK) को खाली करने दे, के बारे में ही बात करने के लिए तैयार है।

कश्मीर में अशांति पर पाकिस्तान का दृष्टिकोण :

- पाकिस्तान कश्मीर में तनाव बढ़ाना चाहता है और उसने हिजबुल मुजाहिदीन के आतंकवादी बुरहान वानी को "कश्मीरी नेता" कहा तथा भारतीय सेनाओं पर "न्यायेतर हत्याओं" का आरोप लगाया।
- पाकिस्तान के प्रधानमंत्री नवाज शरीफ ने वानी की प्रशंसा की और उसे शहीद कहा। इसके अतिरिक्त, प्रदर्शनकारियों का समर्थन करने के लिए 19 जुलाई को 'ब्लैक डे' के रूप में मनाया तथा शरीफ ने कहा कि पाकिस्तान "कश्मीरियों के लिए नैतिक, राजनीतिक और कूटनीतिक समर्थन" जारी रखेगा।

2.3 बलूचिस्तान का मुद्दा

(Issue of Balochistan)

बलूचिस्तान पाकिस्तान का सबसे बड़ा लेकिन सबसे अल्पविकसित प्रांत है, जहाँ 13 लाख से अधिक जनसंख्या निवास करती हैं, जिनमें से ज्यादातर बलूची है।

- संघर्ष की जड़ें देश की आजादी के साथ शुरू हुई। 1947 में जब पाकिस्तान अलग देश बना, कलात का खानैत, जो ब्रिटिश शासन के तहत एक रियासत था और आज के बलूचिस्तान का हिस्सा था, के शासकों ने नए राष्ट्र में शामिल होने से इनकार कर दिया था।
- पाकिस्तान ने इस क्षेत्र को हड़पने के लिए मार्च 1948 में सैनिक टुकड़ियां भेजी। हालांकि, कलात के तत्कालीन शासक यार खान ने विलय-संधि पर हस्ताक्षर कर दिए लेकिन इसके बाद भी उसके भाइयों और अनुयायियों ने लड़ाई जारी रखी।

उग्रवाद और मानव अधिकारों के उल्लंघन

- प्रांत में अनेक अलगाववादी समूह हैं।
- उनमें से सबसे मजबूत बलूचिस्तान लिबरेशन आर्मी (BLA) है, जो पाकिस्तान और ब्रिटेन द्वारा एक आतंकवादी समूह के रूप में नामित है।
- इस्लामाबाद ने दावा किया है कि भारत BLA का समर्थन कर रहा है।
- प्रांत में पाकिस्तानी अत्याचारों की अंतरराष्ट्रीय निंदा हुई है।
- यहाँ के लोगों की न्यायेतर (Extra-judicial) हत्यायें और उन्हें अगवा करना, यहाँ की सबसे आम गतिविधियाँ हैं।

सामाजिक-आर्थिक विकास की कमी

- बलूची राष्ट्रवादी इस्लामाबाद पर आरोप लगाते हैं कि खनिज संपन्न प्रांत को जानबूझकर गरीब रखा जा रहा है, जबकि पाकिस्तान के शासकों का कहना है कि विकास की गति उग्रवाद के कारण धीमी है।

VISION IAS

- जनसांख्यिकी को बदलने के लिए पाकिस्तान सरकार द्वारा प्रयास किये जा रहे है ।
- प्राकृतिक गैस राजस्व में इसके स्पष्ट योगदान को नकारना।
- फलतः यह प्रांत, पाकिस्तान का सबसे पिछड़ा क्षेत्र बना हुआ है।

वृहद् परियोजनायें

अब पाकिस्तान की वृहद् आर्थिक और भू राजनीतिक रणनीतियों में इस प्रांत का महत्व बहुत अधिक बढ़ रहा है।

- यह चीन द्वारा प्रस्तावित आर्थिक गलियारे के महत्वपूर्ण स्थानों में से एक है। चीन ने 46 अरब डालर के निवेश द्वारा गहरे जल वाले ग्वादर बंदरगाह को झिंजियांग के पश्चिमी चीनी क्षेत्र में एक व्यापारिक केंद्र, काशगर शहर के साथ जोड़कर आर्थिक गलियारे के निर्माण को प्रस्तावित किया है।
- ईरान-पाकिस्तान गैस पाइपलाइन को भी बलूचिस्तान से गुज़ारते हुये आगे ले जाने की योजना बनाई है।

2.4 गिलगित-बाल्टिस्तान

(Gilgit-Baltistan)

गिलगित-बाल्टिस्तान, जम्मू-कश्मीर के उत्तर पश्चिमी कोने में ऊंचाई पर स्थित क्षेत्र का एक हिस्सा है। यह जम्मू-कश्मीर की पूर्व रियासत का एक हिस्सा था, लेकिन नवंबर 1947 के बाद से इस पर पाकिस्तान का नियंत्रण स्थापित हो गया।

- क्षेत्र को 'पाकिस्तान के उत्तरी क्षेत्र' नाम दिया गया और इसे इस्लामाबाद के सीधे नियंत्रण में रखा गया। ये उत्तरी क्षेत्र पाकिस्तान अधिकृत कश्मीर (PoK) से अलग थे।
- पाकिस्तानी सरकार द्वारा अगस्त, 2009 में गिलगित-बाल्टिस्तान सशक्तिकरण और स्व-शासन का आदेश अधिनियमित करने के बाद, 'उत्तरी क्षेत्र' को गिलगित-बाल्टिस्तान के नाम से जाना जाने लगा।

गिलगित-बाल्टिस्तान की वर्तमान स्थिति क्या है?

- इसकी एक निर्वाचित विधानसभा है और पाकिस्तान के प्रधानमंत्री के नेतृत्व में एक परिषद का गठन किया गया है। इस परिषद के पास सभी शक्तियां होती है और यह इस क्षेत्र के संसाधनों और राजस्व को नियंत्रित करती है।
- गिलगित-बाल्टिस्तान या उत्तरी क्षेत्र का पाकिस्तानी संविधान में कोई उल्लेख नहीं किया गया है: यह न तो स्वतंत्र है और न ही इसे प्रान्तीय दर्जा प्राप्त है। यह क्षेत्र भी पाक अधिकृत कश्मीर की तरह पाकिस्तान की उसके क्षेत्र के बारे में अस्पष्टता बनाए रखने में मदद करता है।

इस क्षेत्र पर भारत का दृष्टिकोण क्या है?

- भारत गिलगित-बाल्टिस्तान को भारतीय क्षेत्र के रूप में देखता है जो अवैध रूप से पाकिस्तान के कब्जे में है।
- 1994 के एकमत संसदीय संकल्प ने पुष्टि की थी कि यह क्षेत्र "जम्मू एवं कश्मीर राज्य का हिस्सा है, जो 1947 में इसके परिग्रहण के आधार पर भारत का अभिन्न अंग है।

चीन की भूमिका

1963 में पाकिस्तान-चीन समझौते के तहत चीन को शाख्सगाम घाटी का हस्तांतरण किया गया, इस समझौते के बाद से बीजिंग की इस क्षेत्र में भूमिका महत्वपूर्ण हो गयी है।

- चीन ने झिंजियांग के काशगर को गिलगित से जोड़ने के लिए काराकोरम राजमार्ग का निर्माण किया।
- **चीन-पाकिस्तान आर्थिक गलियारा (CPEC)** इस क्षेत्र से होकर गुजरता है।
- भारत ने इस आर्थिक गलियारे का विरोध किया है क्योंकि यह जम्मू-कश्मीर के विवादित क्षेत्र से होकर गुजरता है।

VISION IAS

2.5 सार्क के आंतरिक/गृह मंत्रियों का सातवाँ सम्मेलन

(7th SAARC Interior and Home Ministers' Conference)

सुर्ख़ियों में क्यों?

केंद्रीय गृह मंत्री ने सार्क देशों के गृह मंत्रियों की बैठक में भाग लेने के लिए इस्लामाबाद का दौरा किया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की दिसंबर 2015 में लाहौर में वार्ता प्रक्रिया की शुरुआत करने के लिए की गयी यात्रा के बाद, पहली बार भारत से एक उच्च स्तरीय यात्रा इस्लामाबाद के लिए की गयी। वार्ता प्रक्रिया को 2 जनवरी में पठानकोट एयरबेस पर हुये हमले के बाद से रोक दिया गया था।

यात्रा के मुख्य बिंदु

- गृह मंत्री ने कहा कि आतंकवादियों की किसी भी परिस्थिति में "शहीदों के रूप में " प्रशंसा नहीं की जानी चाहिए और आतंकवाद का समर्थन करने वाले देशों के खिलाफ "मजबूत संभव" कदम उठाये जाना चाहिए।
- उन्होंने इस बात को दोहराया की भारत का दृष्टिकोण दृढ है कि आतंकवादी अच्छा या बुरा नहीं हो सकता है ।
- गृह मंत्री ने आतंकवाद के दमन और इसके अतिरिक्त प्रोटोकॉल पर सार्क क्षेत्रीय अभिसमय के कार्यान्वयन के लिए कहा।

इस अभिसमय में प्रभावी उपाय सुनिश्चित करना शामिल है ताकि जो लोग आतंकवादी गतिविधियाँ करते हैं वे अभियोजन और सजा से नहीं बच पाते है और उनका प्रत्यर्पण किया जाता है या उन पर मुकदमा चलाया जाता है।

गृह मंत्री ने **आपराधिक मामलों में पारस्परिक सहायता पर सार्क अभिसमय के तत्काल अनुसमर्थन** के लिए कहा।

2.6 संयुक्त राज्य अमेरिका-पाकिस्तान

(USA-Pakistan)

सुर्ख़ियों में क्यों?

- संयुक्त राज्य अमेरिका ने पाकिस्तान की हक्कानी नेटवर्क के खिलाफ पर्याप्त कार्रवाई करने में विफलता के कारण पाकिस्तान को दी जाने वाली 300 मिलियन डॉलर की सैन्य सहायता को बन्द करने का फैसला किया है।
- अमेरिका ने आरोप लगाया है कि पाकिस्तान की सेना और खुफिया एजेंसियां दोहरे मापदंड अपनाती है, ये अफगान विद्रोही और भारत विरोधी आतंकी समूहों के साथ मित्रवत संबंध बनाए रखती हैं।

गठबंधन सहायता कोष (CSF)

- 9/11 के आतंकवादी हमलों के बाद, अमेरिका के नेतृत्व में आतंकवाद के विरुद्ध कार्यवाही में पाकिस्तान और अन्य देशों को उनके परिचालन और सैन्य सहायता के लिए अमेरिकी कांग्रेस ने 2002 में अरबों डॉलर की सहायता देना शुरू किया।
- 2001 के बाद से CSF खातों का लगभग आधा भाग पाकिस्तान को प्रत्यक्ष अमेरिकी वित्तीय सहायता के रूप में दिया जाता है।
- पाकिस्तान, CSF की क्षतिपूर्ति का सबसे बड़ा प्राप्तकर्ता है, इसने 2002 के बाद से लगभग 14 बिलियन अमरीकी डालर प्राप्त किये।

हक्कानी नेटवर्क

- हक्कानी नेटवर्क ने अफगानिस्तान में अमरीकी दलों के साथ ही अफगान सरकार और नागरिक ठिकानों के खिलाफ बहुत अधिक संख्या में हमले और अपहरण किये है।
- इस समूह को काबुल में 2008 में भारतीय दूतावास पर हुये बम विस्फोट सहित अफगानिस्तान में भारतीय हितों के खिलाफ कई घातक हमलों के लिए भी दोषी ठहराया गया है।

2.7 अफपाक-मध्य एशिया में चीन की भूमिका

(China role in Afpak-Central Asia)

चीन ने अफगानिस्तान, तजाकिस्तान और पाकिस्तान में अस्थिरता को कम करने हेतु नेतृत्व करने का फैसला किया है।

चतुर्पक्षीय तंत्र

(Quadrilateral mechanism)

- चीन, पाकिस्तान, अफगानिस्तान और ताजिकिस्तान के शीर्ष सैन्य कमांडर "आतंकवाद के विरोध में चतुर्पक्षीय सहयोग और समन्वय तंत्र" का गठन करने के लिए झिंजियांग प्रांत के उरूमकी में मिले।

चतुर्पक्षीय तंत्र के गठन के कारण

- झिंजियांग प्रांत में आतंकवादी समूहों के उदय और इन आतंकी समूहों के अंतर-संबंधो के कारण चीन इस क्षेत्र तथा OBOR (One Belt One Road) परियोजनाओं की सुरक्षा के बारे में चिंतित है।

VISION IAS

- अफगानिस्तान में राजनीतिक सुलह के प्रयास हेतु चीन, पाकिस्तान, अफगानिस्तान और अमेरिका के मध्य एक अन्य चतुर्पक्षीय वार्ता की असफलता।
- चीन OBOR पहल को बढ़ावा देने के लिये तथा अफगानिस्तान की राष्ट्रीय सुरक्षा की बहाली के लिए अफगान संकट का राजनीतिक समाधान ढूँढ रहा है।

2.8 एशियाई आधारभूत संरचना निवेश बैंक (AIIB)

(Asian Infrastructure Investment Bank [AIIB])

- बुनियादी सुविधाओं में कमी, कमजोर अंत:क्षेत्रीय और क्षेत्रीय जुड़ाव और शहरी क्षेत्रों में लगभग नगण्य सुविधायें आदि कुछ प्रमुख चुनौतियाँ हैं जो एशिया के कई देशों को संकट में डाल रही हैं।
- एशियाई अर्थव्यवस्थाओं के विकास की संभावनाओं को अवरुद्ध करने वाली चुनौतियों से निपटने के लिए, एशियाई आधारभूत संरचना निवेश बैंक (AIIB) को एक "एशियाई उपकरण" के रूप में पेश किया गया।

भारत के लिए एआईआईबी का महत्व

- देश के भीतर और पड़ोसी देशों के साथ कनेक्टिविटी और बुनियादी ढांचा, तीव्र सामाजिक-आर्थिक विकास के लिए महत्वपूर्ण हैं।
- भारत अपने पूर्वोत्तर क्षेत्र को विकसित करने के लिए प्रयास कर रहा है। यह एक लक्ष्य है जो ज्यादा से ज्यादा क्षेत्रीय सहयोग और बहुपक्षीय वित्तीय एजेंसियों के समर्थन के माध्यम से शीघ्रता से प्राप्त किया जा सकता है। इस उद्देश्य के लिए, भारत अपने AIIB प्रस्तावों के तहत BBIN (बांग्लादेश-भूटान-भारत-नेपाल) गलियारे और बहुक्षेत्रीय तकनीकी और आर्थिक सहयोग के लिए बिम्सटेक गलियारों को आगे बढ़ाने पर विचार कर सकता है।
- भारत की 2-3 अरब डॉलर तक की कुछ परियोजनायें हैं जिनको AIIB द्वारा वित्त पोषित किया जा सकता है।

AIIB सम्बंधित चिंताएं

- चीन, 26.06 प्रतिशत मतदान भागीदारी के साथ सबसे बड़ा शेयरधारक होने के कारण AIIB पर हावी हो सकता है।
- भारत और रूस 7.5 और 5.92 प्रतिशत मतदान शेयरों के साथ क्रमशः दूसरे और तीसरे सबसे बड़े शेयरधारक हैं। पहले और दूसरे शेयरधारक के बीच का अंतर चीन को किसी विशेष परियोजना पर अपनी वीटो शक्ति का उपयोग करने में मदद कर सकता है।
- चीन भारत को OBOR का हिस्सा बनाना चाहता है। AIIB द्वारा वित्त पोषित अधिकांश परियोजनाओं के आगे चलकर अंततः OBOR से जुड़ जाने की संभावना है।
- भारत ने OBOR का एक हिस्सा होने की इच्छा नहीं दिखाई है, जिसके निम्न संभावित कारक है :
  - OBOR परियोजना की पारदर्शिता के विषय में आशंकाए,
  - सभी के लिए समान लाभ से संबंधित चुनौतियाँ,
  - प्रस्तावित चीन-पाकिस्तान आर्थिक गलियारा,पाकिस्तान अधिकृत कश्मीर में से होकर गुजरेगा,
  - चीन का बार-बार भारतीय सीमा में घुसपैठ करना, OBOR के सन्दर्भ में भारत के निर्णय के पीछे प्रमुख कारक रहा है।

2.9 RCEP पर भारत का रवैया

(RCEP-Stance of india)

सुर्ख़ियों में क्यों?

- भारत क्षेत्रीय व्यापक आर्थिक साझेदारी समझौते (RCEP) के सभी सदस्य देशों को सीमित परिवर्तन (Limited Deviation) के साथ टैरिफ में समान कटौती (Similar Tariff Cuts) प्रदान करने के लिए सहमत हो गया है। इससे चीन को भी अनावश्यक रूप से फायदा होता है।
- इससे पहले भारत ने त्रि स्तरीय टैरिफ का प्रस्ताव रखा था।
- जापान, एकल स्तरीय प्रणाली के लिए जोर डाल रहा है जिसपर अब भारत सहमत हो गया है।

इस कदम के निहितार्थ

- आसियान +6 क्षेत्र एक बड़ा एकीकृत बाजार बन जाएगा
- भारत से चीन को जाने वाली अधिक वस्तुओं के लिए टैरिफ कम करने की उम्मीद की जायेगी।

- वर्ष 2015-16 में भारत-चीन व्यापार में 52.7 अरब डॉलर का अत्यधिक व्यापार घाटा हुआ जिसमें केवल 9 अरब डॉलर का निर्यात हुआ। इससे हमारे लिए नकारात्मकता में वृद्धि होगी।
- चीन RCEP का उपयोग कर भारत में अधिक बाजार पहुंच प्राप्त करने की तथा अन्य वस्तुओं को कम कीमत पर बेचने की कोशिश कर रहा है जिससे भारतीय उद्योग, विशेष रूप से इस्पात क्षेत्र जोखिम का सामना करते हैं।
- RCEP नीति निर्माताओं के की निर्णय क्षमता को संकीर्ण कर देगा।
- इसके अतिरिक्त यह हमारे 'मेक इन इंडिया' कार्यक्रम को कमजोर कर सकता है।

चुनौतियां

- आरसीईपी में सेवाओं के क्षेत्र में ज्यादा प्रगति नहीं हुई है, जिसमे भारत का विशेष रुझान है।
- अन्य देश इसको लिखित रूप में देने में रुचि नही दिखा रहे है कि व्यापार समझौते, एकल उपक्रम (जिसमे माल, सेवायें और निवेश शामिल है) के रूप में किए जाएंगे, जिस पर भारत ने जोर दिया।
- अपने कमजोर बुनियादी ढांचे और विनिर्माण आधार की वजह से भारत के विनिर्माण क्षेत्र को अन्य देशों के बाजार में पहुंच से ज्यादा लाभ प्राप्त नहीं होता है अत: भारत इसके बढ़ते कुशल व्यवसायों के लिए आसान वीजा की व्यवस्था पर जोर दे रहा है।
- हालांकि, सेवा क्षेत्र में व्यापार का उदारीकरण एक विवादास्पद मुद्दा बना हुआ है, अधिकांश देश अपने श्रम बाजार को खोलने में अनिच्छुक है।
- हितधारकों के परस्पर विरोधी जरूरतों के बीच संतुलन साधना तथा विनिर्माण और व्यापार अर्थव्यवस्थाओं को एक साथ सम्मिलित करना, RCEP के लिए एक कठिन कार्य होगा। समझौतों के पश्चात्, सभी मौजूदा FTA जारी रहेंगे और सिर्फ RCEP में अनेक नई रियायत सूचियां जोड़ दी जायेंगी ।

भारत के लिए आरसीईपी का महत्व

- RCEPमें पेटेंट्स को अनवरत रूप से बनाये रखने से संबंधित प्रावधानों को भारत के कड़े विरोध के बाद हटा दिया गया।
- क्षेत्रीय व्यापार समझौते: भारत के लिए आरसीईपी के भीतर बने रहना महत्वपूर्ण है क्योंकि हम अन्य दो बड़े क्षेत्रीय व्यापार समझौतों, ट्रांस पैसिफिक पार्टनरशिप (TPP) और ट्रान्सअटलांटिक व्यापार और निवेश भागीदारी का हिस्सा नहीं हैं।
- भारत चीन के लिए एक आकर्षक निवेश गंतव्य के रूप में उभर सकता है।
- रोजगार की संभावना: समूहीकरण, क्षेत्रीय आर्थिक एकीकरण, विश्व में सबसे बड़े क्षेत्रीय व्यापार गुट के निर्माण में अग्रणी रहने, 21.3 ट्रिलियन डॉलर के संयुक्त सकल घरेलू उत्पाद के साथ विश्व की लगभग 45% जनसंख्या को सम्मिलित करने की परिकल्पना करता है।

आगे की राह

- भारत चीन के लिए प्रशुल्क को एक लंबी अवधि लगभग 30 वर्ष के लिये हटा सकता है।
- भारत के हित मुख्यतः सेवाओं में; व्यापार में आने वाली तकनीकी बाधाओं को हटाने में जैसे सेनेटरी एवं फाईटीओ सेनेटरी के तहत किए गए उपाय ; दवाइयों और वस्त्र उद्योग जैसे विनिर्माण क्षेत्रों में व्यापार आदि में निहित है। भारत को सक्रियता से इनका अनुसरण करना चाहिए।

2.10 आकाशवाणी मैत्री

(Akashvani Maitree)

सुर्ख़ियों में क्यों?

राष्ट्रपति ने "आकाशवाणी मैत्री" चैनल का शुभारंभ किया। यह चैनल ऑल इंडिया रेडियो का एक अनूठा कार्य है जिसका उद्देश्य भारत और बांग्लादेश के बीच संबंधों को मजबूत बनाना है। यह सेवा 596 किलोहर्ट्ज पर प्रसारित की जायेगी।

उद्देश्य

- 596 किलोहर्ट्ज पर चैनल को पुन:प्रस्तुत करने के दो संयुक्तउद्देश्य हैं: अपनी मजबूत प्रोग्रामिंग के साथ (चीनी रेडियो इंटरनेशनल) CRI की उपस्थिति का मुकाबला करना तथा दोनों देशों के बंगाली भाषी श्रोताओं को आकर्षित करना।
- इससे दोनों पड़ोसियों के बीच सांस्कृतिक, आर्थिक, राजनीतिक और भावनात्मक जुड़ाव को भी मजबूत बनाने में मदद मिलेगी
- बांग्लादेश मुक्ति आंदोलन के दौरान 1971 में बांग्ला रेडियो सेवा शुरू की गयी और इसे 2010 में बंद कर दिया गया।

VISION IAS

2.11 दक्षिण एशियाई कूटनीति के लिए नाविक

(NAVIC- Navigation With Indian Constellation)

खबर में क्यों?

- नाविक, भारत की स्वदेशी ग्लोबल नेवीगेशन सेटेलाइट सिस्टम है, इसके अगस्त से पूरी तरह से चालू हो जाने की उम्मीद है।
- इसके साथ, भारत भी वैश्विक शक्तियों-अमेरिका, यूरोपीय संघ, चीन और रूस के समूह में शामिल हो जाएगा जो अपने स्वयं के नेवीगेशन सेटेलाइट सिस्टम को नियंत्रित करते हैं।

दक्षिण एशियाई कूटनीति के लिए नाविक

बड़े पैमाने पर दक्षिण एशियाई क्षेत्र के निहितार्थ और अवसरों के लिए इसका पूरा संचालन निम्नलिखित तरीके से किया जाता है:

- नाविक के लाभों को साझा करना, क्षेत्र में एक सहयोगी भागीदार के रूप में भारत की साख को बढ़ावा दे सकता है।
- किसी राष्ट्र के पास वैश्विक नेविगेशन प्रणाली का होना, उस राष्ट्र की एक "निश्चित सुरक्षा प्रदाता" के रूप में सेवा करने की क्षमता को आधार प्रदान करता है। नेट सुरक्षा प्रदाता उन देशों को कहा गया है जो अन्य देशों की सुरक्षा और स्थिरता के साथ ही प्राकृतिक और मानव निर्मित आपदाओं में सहायता देने के लिए अपने अधिशेष राष्ट्रीय संपत्ति का उपयोग करते हैं।
- संयुक्त राज्य अमेरिका के GPS ने 2004 में सुनामी और 2005 में पाकिस्तान-भारत में आए भूकंप के बाद के राहत प्रयासों में महत्वपूर्ण भूमिका निभायी तथा अमेरिका के लिए महत्वपूर्ण रणनीतिक और आर्थिक लाभ को जन्म दिया है।
- नाविक पर्यावरण और मौसम संबंधी निगरानी के साथ ही जलवायु अनुसंधान के लिए भी एक साधन है। इस प्रकार नेपाल भूकंप 2015 जैसी आपदाओं के लिए अधिक सटीक भविष्यवाणी एवं कुशल प्रतिक्रिया में मदद कर सकता है।
- नाविक को प्रौद्योगिकीय नवाचारों और अतिरिक्त उत्पादों के लिए प्रेरित करना चाहिए जो दक्षिण एशिया को पश्चिम और अन्य जगहों से तकनीकी आयात पर क्रमशः कम निर्भर बनाएगा।
- यह एक तरह से पाकिस्तान के साथ संबंधों में सुधार करने के लिए भी प्रयुक्त हो सकता है। भारत द्वारा 2014 में पाकिस्तान अधिकृत कश्मीर और अन्य क्षेत्रों में बाढ़ के दौरान पाकिस्तान को सहायता की पेशकश के आधार पर, नाविक क्षेत्रीय निगरानी की एक परंपरा स्थापित कर सकता है जिससे भारत सम्पूर्ण उपमहाद्वीप के लोगों की रक्षा के लिए अपनी तकनीकी बढ़त का लाभ उठा सकता है। इस तरह की गतिविधियाँ लंबे समय से चल रहे भारत-पाकिस्तान संबंधों की विरोधात्मक प्रकृति को कम कर सकती है।

आगे की राह

- नाविक की नागरिक और वाणिज्यिक क्षमता का पता लगाने और उसे कार्यान्वित करने में स्वयं को समर्पित कर, भारत अपने क्षेत्रीय साझेदारों को संकेत दे सकता हैं कि इसका विकास न केवल शांतिपूर्ण है बल्कि यह प्रत्यक्ष रूप से उनके लिए फायदेमंद है।

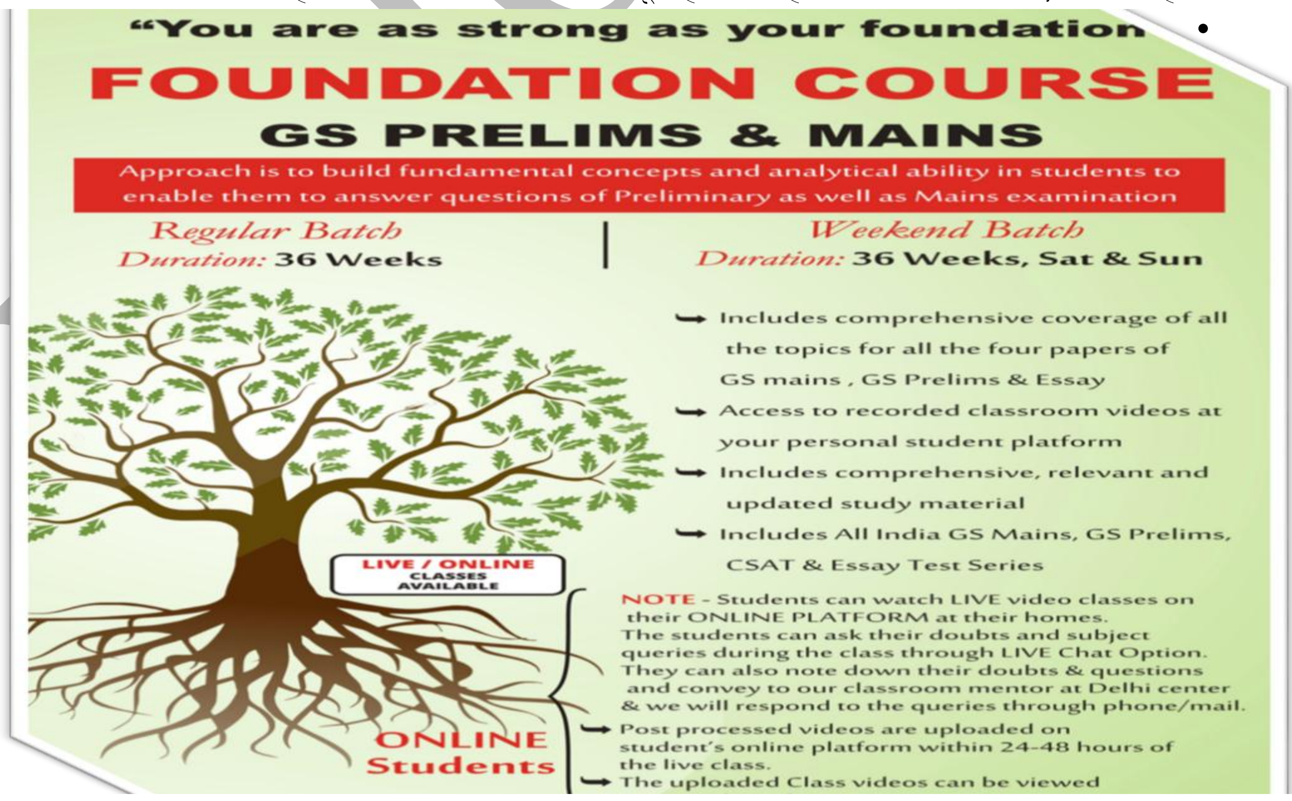

3. अर्थव्यवस्था

(Economy)

3.1 रेल बजट ख़त्म?

(Railway Budget Scrapped?)

सुर्ख़ियों में क्यों?

- अगले वित्तीय वर्ष से एक अलग रेल बजट प्रस्तुत किये जाने की 92 वर्ष पुरानी परंपरा समाप्त कर दी जाएगी। वित्त मंत्रालय द्वारा स्वीकृत रेल मंत्रालय के प्रस्ताव के अनुसार अब इसे आम बजट के एक भाग के रूप में प्रस्तुत किया जाएगा।

पृष्ठभूमि

- रेल बजट की प्रथा का प्रारम्भ 1924 में विलियम एकवर्थ द्वारा प्रस्तुत एक रिपोर्ट के माध्यम से हुआ।
- उनके अनुसार चूंकि ब्रिटिश सरकार द्वारा बुनियादी सुविधाओं के विकास के दौरान सर्वाधिक व्यय रेलवे लाइनों के निर्माण में किया गया, अतः एक अलग रेल बजट प्रस्तुत किया जाना चाहिए।
- हालाँकि आलोचकों द्वारा बाद में तर्क दिया जाता रहा कि एक अलग रेल बजट की कोई संवैधानिक या कानूनी आवश्यकता नहीं है।
- केंद्रीय बजट एक संवैधानिक आवश्यकता है और इसे वार्षिक वित्तीय विवरण के रूप में भारतीय संविधान के अनुच्छेद 112 के तहत प्रस्तुत किया जाता है, जबकि रेल बजट के बारे में ऐसा कोई प्रावधान नहीं किया गया है।

इसके निहितार्थ क्या हैं?

- विलय के बाद, यात्री किराया बढ़ाने का निर्णय वित्त मंत्री द्वारा किया जाएगा।
- विलय के बाद भारतीय रेलवे को, हर साल सरकार की ओर से प्रदत्त सकल बजटीय समर्थन के एवज में दिए जाने वाले, वार्षिक लाभांश के भुगतान से छुटकारा मिल जाएगा।
- बड़े पैमाने पर राजस्व घाटे से पीड़ित भारतीय रेलवे, विलय के बाद वित्त मंत्रालय पर यह बोझ स्थानांतरित कर देगी।
- वित्त मंत्रालय ने विलय के लिए तौर तरीकों पर काम करने के लिए एक पांच सदस्यीय समिति का गठन किया है। इस समिति को 31 अगस्त तक अपनी रिपोर्ट सौंपने को कहा गया है।

विलय के पक्ष में तर्क

- भारत में रेलवे लाइनों की लंबाई 66,000 किमी है, जिसमें से केवल 17,000 किमी आजादी के बाद से जोड़ी गयी हैं। इससे रेलवे के निराशाजनक प्रदर्शन का पता चलता है।
- यह विचार हाल ही में रेलवे के पुनर्गठन के लिए नीति आयोग के सदस्य बिबेक देबरॉय की अध्यक्षता में गठित एक समिति द्वारा रखा गया था।
- समिति ने सिफारिश की थी कि रेल बजट को उत्तरोत्तर चरणबद्ध रूप से समाप्त किया जाना चाहिए।
- रेलवे बजट लोकलुभावन उपायों की घोषणा करने वाला राजनीतिक उपकरण बन गया था।
- यह सांसदों द्वारा नई ट्रेनों की मांग करने और ट्रेन के किराए में बढ़ोतरी का विरोध करने के लिए लोकलुभावन मार्ग बन गया है।
- आम बजट के विपरीत, अलग रेल बजट के लिए कोई संवैधानिक या कानूनी आवश्यकता नहीं है। रेल बजट तैयार करने की प्रक्रिया में संसाधनों की बड़ी मात्रा में बर्बादी होती है।
- यह भारतीय रेल के प्रदर्शन को बढ़ाने के उपायों की एक श्रृंखला में एक महत्वपूर्ण कदम होगा।

विलय के विपक्ष में तर्क

- वार्षिक बजट के दायरे में रेल बजट लाने से, रेलवे को किसी भी परिवर्तन के लिए वार्षिक बजट के आने का इंतजार करना होगा। रेलवे इतना लंबा इंतज़ार वहन नहीं कर सकता।
- हालांकि भारतीय रेल पर केंद्र का एकाधिकार है, परंतु फिर भी इसे सड़क और नागरिक उड्डयन क्षेत्रों से कड़ी प्रतिस्पर्धा का सामना करना पड़ रहा है। उनके साथ प्रतिस्पर्धा करने के लिए अलग बजट प्रणाली की आवश्यकता है।
- विलय रेलवे को एक सरकारी विभाग में परिवर्तित कर सकता है। इस प्रकार यह अपना वाणिज्यिक चरित्र खो सकता है।
- रेलवे के संभावित राजस्व की कमी को पूरा करने के लिए वित्त मंत्रालय की ओर से भी कोई व्यवस्था नहीं है।
- यह रेलवे के निजीकरण की योजना की गति को धीमा भी कर सकता है।

आगे की राह

- अलग रेलवे बजट के अपने फायदे और नुकसान है।

VISION IAS

- भविष्य में एक संयुक्त बुनियादी सुविधाओं के बजट के रूप में एक पहल की जा सकती है जिसके विभिन्न क्षेत्रकों के मध्य बेहतर सम्मिलन एवं समन्वयन संभव हो सकेगा।

3.2 GST विधेयक राज्यसभा में पारित

(GST Bill Passed in Rajya Sabha)

सुर्ख़ियों में क्यों?

- संसद ने संविधान (122वां संशोधन) विधेयक (GST), 2014 पारित कर दिया है। इसे सर्वसम्मति से राज्यसभा द्वारा किए गए सभी पुराने संशोधनों को मंजूरी देकर लोक सभा द्वारा पारित किया गया था।
- यह विधेयक अब राज्यों के सम्मुख उनके अनुमोदन के लिए (29 राज्यों में से कम-से-कम 15 राज्यों द्वारा इसे अनुमोदित करना होगा) भेजा जायेगा, क्योंकि यह राजकोषीय संघवाद के सिद्धांतों में परिवर्तन से सम्बंधित है।

GST क्या है ?

- GST एक मूल्य वर्धित कर है। GST वस्तुतः केंद्र एवं राज्य स्तर पर सभी वस्तुओं पर लगने वाले अप्रत्यक्ष करों को समाहित करता है। GST प्रणाली को निम्न इंफो-ग्राफ़िक में समझाया गया है। यहाँ हम 10% कर की दर मान लेते हैं।

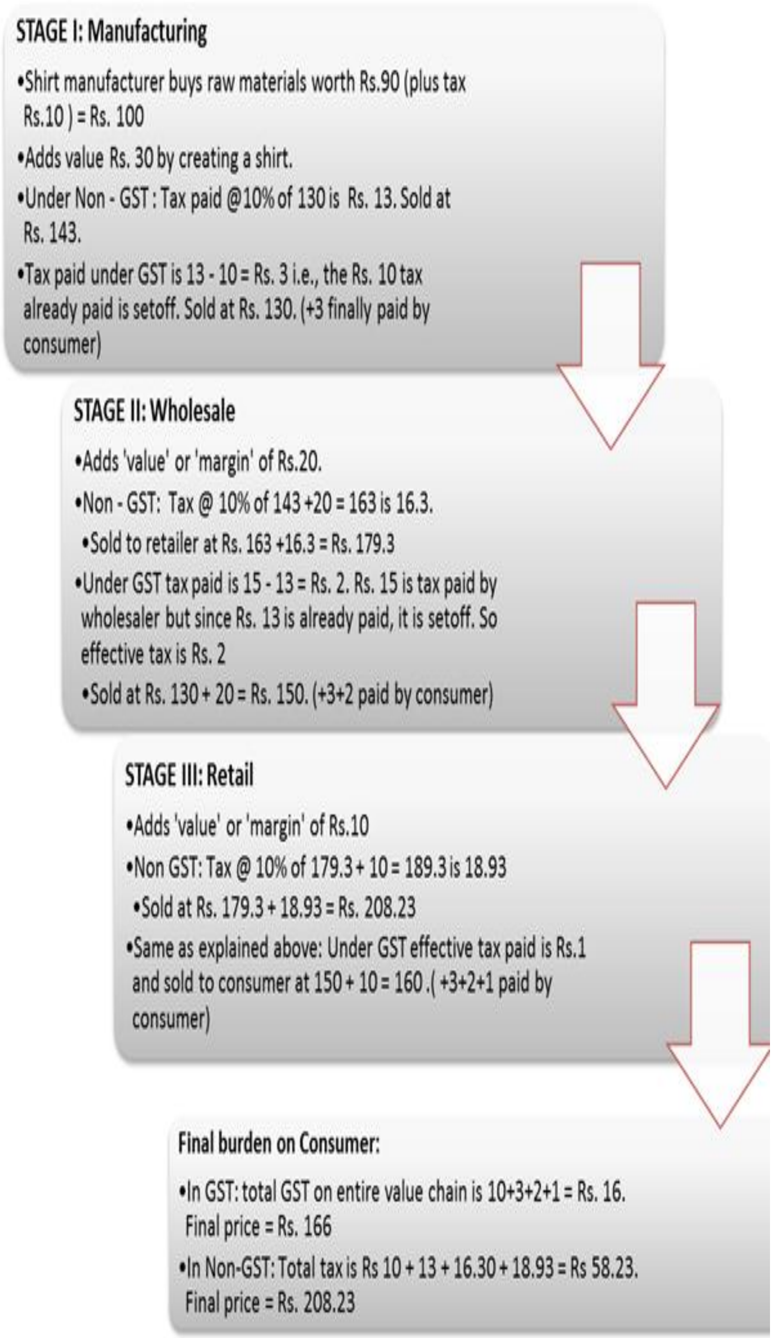

GST प्रणाली की विशेषताएं

- इसमें वैट विधि के आधार पर अर्थात मूल्य वर्धन के हर स्तर पर टैक्स एकत्रित किया जाएगा।
- यह 20% की एक समान दर पर लगाया जाएगा। (केंद्र की हिस्सेदारी = 12 प्रतिशत और राज्य की 8 प्रतिशत)।
- GST सिर्फ गंतव्य बिंदु पर ही लगाया जा सकेगा, विभिन्न बिंदुओं पर नहीं। इसलिए यह कर-आतंकवाद को कम करेगा।
- सरकार ने विधेयक में निम्नलिखित बदलावों को भी मंजूरी दी है:-
    - उत्पादक राज्यों को अतिरिक्त 1 फीसदी कर के भुगतान की मनाही
    - GST के लागू होने के उपरांत अगले पांच वर्षों में किसी भी राजस्व हानि के लिए राज्यों को क्षतिपूर्ति प्रदान की जाएगी।
- अगले कदम के रूप में, केंद्र सरकार दो कानूनों को अधिनियमित करेगी, एक सेंट्रल GST (CGST केंद्रीय करों को समाहित करता है) तथा दूसरा इंटीग्रेटेड GST (IGST) के निर्माण के लिए। इसके अतिरिक्त राज्य सरकारों द्वारा (विभिन्न राज्य करों को समाहित करते हुए) स्टेट GST के लिए एक कानून पारित किया जाएगा।
- लेकिन सीमा शुल्क, स्टांप शुल्क, पेट्रोलियम, विद्युत कर और शराब को GST से छूट दी गई है।

लाभ

- **गवर्नेंस (शासन)**
    - GST के कारण वर्तमान समय में केंद्र व राज्यों द्वारा लगाए जाने वाले विभिन्न अप्रत्यक्ष करों से छुटकारा मिल जाएगा और उत्पाद शुल्क, मूल्य वर्धित कर, चुंगी एवं बिक्री कर जैसे करों के स्थान पर एक समान कर प्रणाली लागू की जाएगी, जिसे केंद्र और राज्यों द्वारा साझा किया जाएगा।
    - पहले के अधिकांश अप्रत्यक्ष कर भ्रामक थे और इनकी कई अलग-अलग दरें निर्धारित थी।
    - कर विवाद कम होंगे।
    - आसान कर ढांचे के कारण कर अनुपालन में सुधार आएगा, पुनः अब कर चोरी पर नज़र रखना आसान होगा।
    - इसके द्वारा एक पारदर्शी और भ्रष्टाचार मुक्त कर प्रशासन के निर्माण में मदद मिलने की उम्मीद है।
- **अर्थव्यवस्था**
    - इससे एक समेकित राष्ट्रीय बाजार की स्थापना संभव हो सकेगी। यह पारगमन समय में कमी और ट्रकों के उपयोग में बेहतरी लाएगा।
    - प्रतिस्पर्धा को बढ़ावा मिलेगा, क्योंकि अब विभिन्न प्रतियोगियों को स्थान या उत्पाद आदि के कारण अनुचित लाभ प्राप्त नहीं होंगे।
    - कर एवं लॉजिस्टिक्स के क्षेत्रों में उत्पादकता लाभ को बढ़ावा मिलेगा।
    - यह अनुमान है कि वस्तु एवं सेवा कर को लागू करने से भारत को 15 अरब डॉलर का वार्षिक लाभ प्राप्त होगा तथा इससे निर्यात, रोजगार और विकास को बढ़ावा मिलेगा।
    - दोनों घटकों (सेंट्रल और स्टेट GST) को विनिर्माण लागतों पर आरोपित किया जाएगा। इससे कीमतों में कमी आएगी, जिससे उपभोग बढ़ेगा और परिणामस्वरूप कंपनियों को लाभ मिलेगा।
- अंतः और अंतर-राष्ट्रीय स्तर पर नई आर्थिक संरचना का विकास
    - GST के तहत कराधान बोझ को विनिर्माण और सेवाओं के बीच समतामूलक विभाजन किया जाएगा। एक कम कर दर के माध्यम से कर आधार में वृद्धि एवं अपवादों में कमी कर ऐसा किया जाएगा।
    - सेवाओं के अंतरराष्ट्रीय व्यापार में वृद्धि के कारण, GST एक पसंदीदा वैश्विक मानक बन चूका है। अमेरिका को छोड़कर सभी OECD देश, इस कराधान संरचना का पालन करते हैं।
- कर आधार और कर-GDP अनुपात में वृद्धि होगी।

चुनौतियां

- राजस्व नुकसान के मुद्दे पर केंद्र और राज्यों के बीच आम सहमति बन पाना एक प्रमुख चुनौती है। हालांकि केंद्र द्वारा मुआवजा दिए जाने की वजह से यह समस्या अगले 5 वर्षों के लिए हल हो गई है, फिर भी यह एक चुनौती है।
- अंतिम GST विधेयक से 1% अतिरिक्त कर के हटाये जाने से विनिर्माण प्रधान राज्यों को नुकसान होगा।
- हर क्षेत्र में दोहरा नियंत्रण।
- ऋण सिर्फ GST नेटवर्क के साथ अर्थात केवल ऑनलाइन उपलब्ध होगा। यह छोटे व्यवसायों को नकारात्मक रूप से प्रभावित करेगा।
- मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़ और तमिलनाडु की सरकारों का कहना है कि "सूचना प्रौद्योगिकी प्रणालियाँ और प्रशासनिक बुनियादी ढांचे अभी GST को लागू करने के लिए तैयार नहीं हैं।"
- राज्य कर की दर को बदलने की स्वायत्तता खो देंगे क्योंकि इसका निर्णय GST परिषद द्वारा लिया जाएगा। खण्ड 246A के अनुसार संसद का फैसला प्रभावी होगा और राज्यों पर बाध्यकारी रहेगा।
- पेट्रोलियम और शराब अभी भी इसके दायरे से बाहर हैं। उनका भारत के कुल व्यापार में लगभग 40% हिस्सा है, इसलिए महत्वपूर्ण भाग अभी भी बाहर है।
- प्रशासनिक तंत्र: भारत में दो सरकारी एजेंसियों के बीच विलय तब तक लगभग असंभव है जबतक वेतन और पदोन्नति का सम्बन्ध खेदजनक कार्यक्षमता प्रदर्शन के बजाये वरिष्ठता से सम्बंधित है। इसके माध्यम से समस्त राज्यों की राजस्व संग्रहण सेवाओं तथा शक्तिशाली केन्द्रीय सेवाओं का एक GST संग्रह एजेंट में एकीकरण कर दिया गया है।
- वर्तमान में कर लाभों का आनंद लेने वाले क्षेत्रों पर नकारात्मक प्रभाव पड़ेगा: वस्त्र, मीडिया, डेयरी, IT/ITES, फार्मा आदि।

VISION IAS

3.3. बैंक समेकन: भारतीय स्टेट बैंक के सहयोगी बैंकों का विलय

(Bank Consolidation: Merger of SBI Associated Banks)

सुर्ख़ियों में क्यों?

- स्टेट बैंक ऑफ़ बीकानेर एंड जयपुर (SBBJ), स्टेट बैंक ऑफ़ मैसूर (SBM), स्टेट बैंक ऑफ त्रावणकोर (SBT), गैर-सूचीबद्ध स्टेट बैंक ऑफ हैदराबाद (SBH), स्टेट बैंक ऑफ पटियाला (SBP) और भारतीय महिला बैंक के बोर्डों ने इन बैंकों के भारतीय स्टेट बैंक के साथ विलय की योजना को मंजूरी दे दी है।

कुछ तथ्य

- इस विलय के साथ SBI का परिसंपत्ति आधार, 22,500 शाखाओं और 58,000 एटीएम के साथ 37 लाख करोड़ रुपये या 555 अरब डॉलर से अधिक का हो जाएगा। इसके 50 करोड़ से अधिक ग्राहक हो जाएंगे।
- इसके अलावा, SBI की बाजार हिस्सेदारी 17 प्रतिशत से बढ़कर लगभग 22 प्रतिशत हो जाएगी।
- 36 देशों में विस्तृत 191 विदेशी कार्यालयों के साथ SBI की लगभग 16,500 शाखाएं हैं।

विलय के लाभ

- इसके कई आर्थिक लाभ प्राप्त होंगे। इसके चलते ट्रेजरी ऑपरेशन्स, ऑडिट, प्रौद्योगिकी आदि से संबंधित खर्चों में कमी आएगी, पुनः तरलता का बेहतर प्रबंधन हो सकेगा।
- इसके द्वारा BASEL-III मानकों के क्रियान्वयन में मदद मिलेगी। इससे बैंक की 21.5 लाख करोड़ की परिसंपत्तियां बढ़कर 28.25 लाख करोड़ हो जाएगी।
- ग्राहकों और परिसंपत्तियों का विविधीकरण।
- कम बैंकों के कारण बेहतर निगरानी और विनियमन।
- अंतरराष्ट्रीय स्तर पर पहचान।
- चूंकि SBI ग्राहक सेवा में सुधार करने के लिए प्रक्रियाओं का उन्नयन कर रहा है, अतः इस विलय के बाद छोटे बैंकों के ग्राहकों को ऋण दरों के लिए एक बेहतर विकल्प उपलब्ध होगा।

मुद्दे

- यह क्षेत्रीय विशिष्टता को प्रभावित करेगा, जिससे क्षेत्रीय फोकस को नुकसान पहुंचने की संभावना है।
- बड़े बैंक जोखिम की स्थिति में एक साथ संकटग्रस्त हो सकते हैं, जैसे 2007 के वैश्विक वित्तीय संकट के दौरान हुआ था।
- भारत को बैंकिंग दक्षता में सुधार करने के लिए समेकन की तुलना में बैंकिंग प्रतिस्पर्धा की अधिक जरूरत है।
- कर्मचारियों की चिंताएं- शाखाओं को पुनः संगठित करने के कारण स्थानांतरण, वरिष्ठता को नजरंदाज करने के कारण उनकी प्रोन्नति की संभावनाओं पर कुप्रभाव आदि।
- विलय के संबंध में सरकार का पूर्ववर्ती ख़राब रिकॉर्ड यथा एयर इंडिया और इंडियन एयरलाइंस।

सुझाव

- सरकार को विलय प्रक्रिया में जल्दीबाजी नहीं करनी चाहिए तथा सभी हितधारकों को प्रक्रिया में शामिल करना चाहिए।
- आगे विनिवेश की स्थिति में भारत सरकार के शेयर किसी भी मामले में 51% से कम नहीं होने चाहिए।
- बड़े बैंक को छोटे बैंक पर हावी नहीं होना चाहिए अपितु दोनों के अच्छे कार्यक्रमों को संयुक्त किया जाना चाहिए; एवं मतभेदों के संश्लेषण के लिए जागरूक और संगठित प्रयास किए जाने चाहिए।

निष्कर्ष

- बैंक समेकन एक पेचीदा मुद्दा है। हालांकि यह कहा जाता है कि समेकन के दीर्घकालिक लाभ अल्पकालिक चिंताओं को सुलझा देंगे, फिर भी इसे एक सामान्य नीति नहीं बनाया जाना चाहिए। इसे केवल उचित सुरक्षा उपायों के साथ सही उद्देश्य के लिए सही बैंकों के साथ किया जाना चाहिए। ***(नोट: अधिक विस्तार के लिए कृपया करंट अफेयर्स मई 2016 पढ़ें)***

3.4. घरेलू प्रणालीबद्ध महत्वपूर्ण बैंक (D-SIBS)

(Domestic Systemically Important Banks [D-Sibs])

सुर्ख़ियों में क्यों?

रिजर्व बैंक ने हाल ही में भारत के सार्वजनिक क्षेत्रक के बैंक SBI तथा निजी क्षेत्रक के बैंक ICICI की घरेलू प्रणालीबद्ध महत्वपूर्ण बैंकों (Domestic Systemically Important Banks: D-SIBs) के रूप में पहचान की है।

VISION IAS

यह क्या है?

- SIBs को वस्तुतः देश में कुछ बड़े बैंकों के रूप में माना जाता है। राष्ट्रीय अर्थव्यवस्था इन बैंकों पर निर्भर होती है। इन्हें कथित तौर पर 'Too Big To Fail (TBTF) की संज्ञा से नवाजा जाता है, इसका कारण यह है कि संकट के समय में इन बैंकों के लिए सरकार के समर्थन की उम्मीद होती है। फलतः ये बैंक वित्तीय बाजार में इन मान्यताओं के कारण निश्चित लाभ की स्थिति में होते हैं।
- SIBs के दो प्रकार हैं:-
  - वैश्विक SIBs; इनकी पहचान बैंकिंग पर्यवेक्षण पर BASEL समिति द्वारा की जाती है।
  - घरेलू SIBs; देश के केंद्रीय बैंक द्वारा।

SIB से जुड़े मुद्दे

- इस तरह की उम्मीदों के कारण ऐसे बैंक अधिक जोखिम उठाने की प्रवृत्ति दिखाते हैं, बाजार अनुशासन में कमी आती है, प्रतिस्पर्धी विकृतियों जैसी लापरवाह प्रवृत्तियाँ अपनायी जा सकती हैं। इससे ये भविष्य में संकट की संभावना को बढ़ा सकते हैं।
- इसलिए, यह आवश्यक है कि SIBs प्रणालीगत जोखिम और उनके द्वारा उत्पन्न नैतिक जोखिम के खतरे से निपटने के लिए अतिरिक्त नीतिगत उपायों के अधीन हों।
- उन्हें वित्तीय आपात स्थिति का सामना करने के लिए अतिरिक्त पूंजी/बैकअप रखने के लिए बाध्य किया जा सकता है ताकि करदाताओं के पैसे संकट के दौरान उन्हें बचाने में बर्बाद न किए जाएं।

3.5. अंतर्देशीय जलमार्गों को बढ़ावा देना

(Promoting Inland Waterways)

सुर्ख़ियों में क्यों?

अंतर्देशीय जलमार्गों को विकसित करने के उद्देश्य से सभी प्रमुख पत्तनों को उनकी **सहायक कंपनियां** गठित करने हेतु सक्षम बनाने के लिए केंद्र सरकार एक नीति तैयार कर रही है।

पृष्ठभूमि

- सरकार कम लागत और पर्यावरण हितैषी होने के कारण अंतर्देशीय जलमार्गों को बढ़ावा देना चाहती है।
- सरकार ने पहले से ही अपने नए राष्ट्रीय जलमार्ग अधिनियम-2016 के तहत पांच मौजूदा नेटवर्क के अलावा 24 राज्यों में 106 नए अंतर्देशीय जलमार्गों के राष्ट्रीय जलमार्गों के रूप में विकास को मंजूरी दे दी है।
- हालांकि, जलमार्ग के लिए धन जुटाना कठिन है और 20,000 किमी अंतर्देशीय जलमार्ग के लिए लगभग 80,000 करोड़ जुटाने की आवश्यकता होगी, जिसे जहाजरानी मंत्रालय के 1,800 करोड़ रुपये के वार्षिक बजट के माध्यम से पूरा नहीं किया जा सकता है।
- वर्तमान में इन परियोजनाओं के लिए विदेशी निवेश प्राप्त करना मुश्किल है क्योंकि फ़िलहाल उनकी वित्तीय साख मजबूत नहीं है।

नई नीति

- सरकार इस प्रयोजन के लिए भारतीय पत्तनों के इकॉनोमिक गुडविल का उपयोग करना चाहती है, क्योंकि फॉरेन करेंसी बिलिंग के आधार पर विदेशी मुद्रा में एक सस्ता ऋण प्राप्त किया जा सकता है।
- सभी प्रमुख पत्तनों का संयुक्त टर्नओवर लगभग 4,000 करोड़ रुपये का है। अतः 2.75% के ब्याज दर पर 50,000 करोड़ रुपये की राशि के आसपास विदेशी ऋण प्राप्त किया जा सकता है।
- **सहायक कंपनियां** जलमार्गों के विकास के लिए उक्त पैसे का प्रभावी ढंग से उपयोग कर सकती है। उदाहरण के लिए JNPT पत्तन महाराष्ट्र में (मध्य प्रदेश से बहने वाली) 7-8 नदियों पर जलमार्गों को विकसित कर सकती है।

कई लाभ

- लॉजिस्टिक्स लागत में कमी निर्यात को अंतरराष्ट्रीय बाजार में प्रतिस्पर्धी बनाएगी।
- अंतर्देशीय जलमार्गों का विकास पत्तनों के प्रत्यक्ष हित में है क्योंकि निर्यात से उनके व्यवसाय में वृद्धि होगी।
- साथ ही जहाजरानी मंत्रालय ने अंतर्देशीय जलमार्गों के लिए पेट्रोल और डीजल पर उपकर के रूप में एकत्र धनराशि का 5% आवंटित करने के लिए वित्त मंत्रालय से आग्रह किया है।

3.6 सागरमाला के माध्यम से लॉजिस्टिक लागत में बचत

(Logistic Costs Saving Through Sagarmala)

सुर्ख़ियों में क्यों?

- जहाजरानी मंत्रालय के सागरमाला बंदरगाह-आधारित विकास कार्यक्रम के तहत '*Origin Destination study on cargo traffic projections & logistics bottlenecks*' नामक एक रिपोर्ट तैयार की गयी है।

सागरमाला
यह निम्नलिखित को बढ़ावा देने के लिए सरकार का एक फ्लैगशिप कार्यक्रम है (i) बंदरगाह-आधारित विकास, (ii) पत्तन अवसंरचना में वृद्धि, और (ii) पत्तनों से तथा पत्तन तक 'कुशल निकासी' के लिए अवसंरचना।

प्रमुख सुझाव
- अपेक्षित मांग वाले और लॉजिस्टिक श्रृंखला केन्द्रों पर कुशल बुनियादी ढांचे के निर्माण की आवश्यकता है।
- कोयले जैसे थोक वस्तुओं की तटीय शिपिंग को बढ़ावा देना, तथा सीमेंट और स्टील जैसे थोक वस्तुओं के लिए तटीय क्लस्टरों की स्थापना करना।
- नए ट्रांसशिपमेंट पत्तनों की स्थापना।
- तटीय शिपिंग के लिए समर्पित कोस्टल बर्थ पत्तनों का निर्माण।
- उत्पत्ति-गंतव्य पत्तनों पर भंडारण क्षमता की स्थापना के ज़रिये प्रतिवर्तन काल(turnaround time) में कमी लाना।
- समुद्र तटीय राज्यों में पर्याप्त जहाज मरम्मत सुविधाओं का विकास करना।
- राष्ट्रीय राजमार्ग और रेलवे नेटवर्क के साथ पत्तनों की लास्ट माइल कनेक्टिविटी प्रदान करना।

महत्व
- 2025 तक लॉजिस्टिक प्रवाह को इष्टतम करके प्रतिवर्ष लगभग 40,000 करोड़ रुपये की बचत की क्षमता इसमें विद्यमान है।
- वर्ष 2025 तक कार्गो ट्रैफिक में 2.5 bn MMTPA की वृद्धि होगी।
- वैश्विक बाजारों में भारतीय वस्तुएं अधिक प्रतिस्पर्धी बन पाएंगी और बंदरगाह-आधारित विकास को बढ़ावा मिलेगा।

3.7 SARFAESI और DRT अधिनियम में संशोधन हेतु विधेयक

(Bill to Amend Sarfaesi and DRT Act)

सुर्ख़ियों में क्यों?
- लोकसभा ने हाल ही में निवर्तमान Securitisation and Reconstruction of Financial Assets and Enforcement of Security Interest {वित्तीय आस्तियों का प्रतिभूतिकरण तथा पुनर्निर्माण और प्रतिभूति हित प्रवर्तन (SARFAESI)} अधिनियम, और ऋण वसूली न्यायाधिकरण (DRT) अधिनियम में संशोधन के लिए एक विधेयक पारित किया है।
- अब इसे लोक सभा और राज्य सभा, दोनों द्वारा पारित कर दिया गया है।

SARFAESI: सारफेसी कानून को वस्तुतः किसी भी अदालत या ऋण वसूली न्यायाधिकरण के हस्तक्षेप के बिना आवासीय या वाणिज्यिक परिसंपत्तियों की नीलामी के लिए बैंकों और वित्तीय संस्थानों को सक्षम करने के लिए अधिनियमित किया गया था। इसके चलते परिसंपत्ति पुनर्निर्माण कंपनियों (ARCs) का गठन हुआ, जिससे बैंक ऐसे सुरक्षित परिसंपत्तियों का प्रबंधन अपने हाथों में लेने में सक्षम हो गए।
ऋण वसूली न्यायाधिकरण: दीवानी अदालतों के विकल्प के तौर पर इन्हें ऋणों के प्रवर्तन तथा वसूली के लिए सृजित किया गया है। यह ऋण वसूली के लिए एक तीव्र एवं आसान प्रक्रिया सुलभ कराता है।

आवश्यकता
- बढ़ते NPA की समस्या किसी से छिपी नहीं है।
- मौजूदा ऋण वसूली की प्रक्रिया में निहित खामियों ने NPA की समस्या को और अधिक बढ़ाया है। उदाहरण के लिए, फिलहाल 70,000 से अधिक मामले DRTs के समक्ष लंबित हैं।
- SARFAESI और DRT की परिकल्पना वस्तुतः ऐसे मामलों के त्वरित निपटान को सुनिश्चित करने के लिए की गयी थी। परंतु, वे उम्मीदों पर खरे नहीं उतर सके हैं।
- विधेयक में इन मुद्दे के समाधान की कोशिश की गयी है। यह निम्नलिखित चार अधिनियमों में संशोधन करेगा:
    - SARFAESI अधिनियम, 2002
    - The Recovery of Debts due to Banks and Financial Institutions Act, 1993
    - द इंडियन स्टाम्प एक्ट (भारतीय स्टाम्प अधिनियम), 1899;
    - द डिपोजिटरी एक्ट, 1996

VISION IAS

लाभ

- तीव्र वसूली और बैंकों एवं वित्तीय संस्थानों के ऋणों का समाधान।
- इससे ARCs के प्रकार्य आसान होंगे।
- इससे अधिक संख्या में ARCs को भारत में कारोबार शुरू करने के लिए प्रोत्साहन मिलेगा। DRTs के पुनर्निर्माण में भी इससे मदद मिलेगी।
- यह नए दिवालियापन कानून के पूरक के रूप में काम करेगा और दबाव वाली परिसंपत्तियों और ऋण वसूली से निपटने के लिए एक समयबद्ध रूपरेखा प्रदान करेगा।
- कानूनी रूप से बैंकिंग प्रणाली को मजबूत करेगा।

विधयेक की मुख्य विशेषताएं

- SARFAESI
- यह बैंकों को 30 दिनों के भीतर जमानत सुरक्षा (collateral security) पर अधिकार की अनुमति देता है। विजय माल्या विवाद के मद्देनजर यह महत्वपूर्ण है।
- ARCs तक भारतीय रिजर्व बैंक की नियामक शक्तियों का विस्तार;
  - भारतीय रिजर्व बैंक के पास ARC की लेखा परीक्षा एवं निरीक्षण हेतु अधिक शक्तियां होंगी और इसके अध्यक्ष या किसी भी निदेशक को हटाने तथा किसी केंद्रीय बैंक के अधिकारी को इसके बोर्ड में नियुक्त करने का अधिकार होगा।
  - RBI के पास इसके निर्देशों का पालन न करने के लिए दंड लगाने का अधिकार होगा, और वह ऐसी संपत्तियों को प्राप्त करने के समय बैंकों के लिए इन ARCs द्वारा आरोपित शुल्क को नियंत्रित कर सकेगा।
- यह विधेयक पंजीयन का आधार विस्तृत करेगा जोकि सभी उधारदाताओं द्वारा, संपत्तियों के आधार पर दिए गए ऋण का एक केंद्रीय डेटाबेस होगा।
- विधेयक के अनुसार सुरक्षित लेनदार जमानत पर तब तक कब्जा लेने के लिए सक्षम नहीं हो सकेंगे जब तक कि यह केंद्रीय रजिस्ट्री के साथ पंजीकृत नहीं हो जाता। इसके अलावा, इन लेनदारों को, सुरक्षा हितों के पंजीकरण के बाद, बकाया राशि की अदायगी में दूसरों पर प्राथमिकता दी जाएगी।
- यह सुरक्षित लेनदारों को कंपनी पर अधिकार करने तथा ऋण लेने वाली कंपनी में ब्याज पर नियंत्रण हासिल करके अपने व्यापार को बहाल करने के लिए सक्षम बनता है ।
- DRT
  - वसूली आवेदन पत्रों, दस्तावेजों और लिखित बयानों की इलेक्ट्रॉनिक फाइलिंग के माध्यम से ऑनलाइन DRTs की ओर बढ़ने की बात कही गयी है।
  - समयबद्ध प्रक्रिया की स्थापना।
  - लेनदारों के हितों को भी ध्यान में रखा गया है। अपील दाखिल करने के लिए ऋण का 50% DRT के पास जमा करना होगा।
- विधेयक में भारतीय स्टाम्प अधिनियम में भी संशोधन किए जाने का प्रस्ताव है ताकि ARC के पक्ष में वित्तीय परिसंपत्तियों के हस्तांतरण पर स्टांप शुल्क आरोपित न किया जाए।
- विधेयक किसी ARC के प्रायोजक की 100% हिस्सेदारी सुनिश्चित करने के लिए मार्ग प्रशस्त करता है। यह ARC द्वारा जारी किए गए सुरक्षा प्राप्तियों (सिक्यूरिटी रिसीट) में निवेश हेतु गैर-संस्थागत निवेशकों को सक्षम करेगा और सुरक्षित परिसंपत्तियों के अधिकार के लिए एक समय निर्धारित करेगा।
- बैंकों और अन्य वित्तीय संस्थानों के लिए वसूली प्रक्रिया की फ़ास्ट ट्रैकिंग।
- **मुद्दे और चुनौतियां**
  - RBI द्वारा ARCs का विनियमन हितों के टकराव को जन्म दे सकता है। भारतीय रिजर्व बैंक ARCs को NPA की वास्तविक मूल्य से उच्च मूल्य पर वसूली के लिए निर्देश दे सकता है। यह वैश्विक परम्पराओं के खिलाफ है तथा साथ ही संपत्ति की वसूली का व्यापार बैंकिंग कारोबार से बहुत अलग है।
  - प्रस्तावित स्वचालन हेतु अत्यधिक निवेश की आवश्यकता होगी।
  - अधिकारियों और कर्मचारियों की कमी जैसी अन्य समस्याओं को विधेयक में संबोधित नहीं किया गया है।

VISION IAS

3.8. मॉडल लैंड लीजिंग लॉ (भूमि पट्टा प्रारूप कानून)

(Model Land Leasing Law)

सुर्ख़ियों में क्यों?

- टी. हक के अधीन गठित 11 सदस्यीय समिति द्वारा कृषि भूमि को पट्टे पर देने और उसे सुकर बनाने के लिए एक कानून निर्मित करने की सिफारिश के उपरांत नीति आयोग के एक पैनल ने मॉडल लैंड लीजिंग लॉ का प्रस्ताव रखा है।

महत्व

- टी. हक (CACP के पूर्व अध्यक्ष) के अनुसार, भूमि जोत का लगभग 20% पट्टेदार कृषकों (tenant farmers) द्वारा प्रबंधित किया जाता है। आंध्र प्रदेश में यह 60% तक देखा जा सकता है।
- वर्तमान में पट्टे पर खेती करने वाले कृषक वस्तुतः ऋण प्रदान करने वाली संस्थाओं के द्वारा प्रदत ऋणों, बीमा, आपदा राहत और सरकार द्वारा उपलब्ध कराई गई अन्य सहायता सेवाओं का उपयोग करने में असमर्थ होते हैं, क्योंकि उन्हें भूमि पर मालिकाना हक़ प्राप्त नहीं होता है।
- भूमि मालिकों को विभिन्न पट्टेदारी कानूनों के तहत पट्टेदारी के माध्यम से अपनी जमीन खोने का डर होता है। अतः वे पट्टेदारों को बदलते रहते हैं। इससे पट्टेदार विभिन्न सरकारी योजनाओं से लाभ प्राप्त करने में असमर्थ हो जाते हैं।

मॉडल अधिनियम की व्यापक रूपरेखा

- भूमि को पट्टे पर दिए जाने को कानूनी दर्जा दिया जाएगा।
- राज्यों के कानूनों से प्रतिकूल कब्जा खंड को हटाया जाएगा प्रतिकूल कब्जे का नियम मालिकों के बीच भय पैदा करता है क्योंकि यदि किसी किरायेदार का एक निर्दिष्ट अवधि के लिए भूमि पर कब्जा है तो वह भूमि पर मालिकाना हक़ के लिए दावा कर सकता है।
- पट्टेदारों को एक सरल पट्टा समझौते के आधार पर अल्पकालिक ऋण और फसल बीमा के उपयोग की सुविधा।
- पट्टे की अवधि की समाप्ति पर भूमि की स्वत: बहाली | बिना किसी न्यूनतम क्षेत्र के मापदंड की आवश्यकता के ही ऐसा किया जाएगा। (कुछ राज्यों में, पट्टे की अवधि समाप्त होने पर पट्टेदार के भविष्य की रक्षा के लिए एक न्यूनतम क्षेत्र छोड़े जाने की व्यवस्था है)।
- पट्टा और किराए की शर्तें मालिक और पट्टेदार द्वारा आपस में निर्धारित की जाएंगी।
- एक फसल मौसम या एक फसल या किराए का भुगतान न करने, भूमि का आपसी सहमति से तय तरीकों के बजाय अन्य तरीकों से उपयोग करने, पट्टे द्वारा भूमि को हानि होने से, पट्टे का कानूनी ढांचा कृषक के लिए हितकारी न होने तथा दोनों पक्षों के लाभ प्राप्त न करने की स्थिति में एक अग्रिम नोटिस देकर लीज पीरियड के अंदर ही लीज समाप्त की जा सकती है।

लाभ

- यह मालिकों को ज़मीन खोने के किसी डर के बिना पट्टेदार कृषकों को कृषि भूमि लीज पर देने के लिए प्रेरित करेगा।
- पट्टे पर भूमि देने को वैधता।
- भूमि मालिक के अधिकार को प्रभावित किए बिना यह पट्टेदार को संस्थागत ऋण तथा बीमा किस सुविधा प्रदान करेगा और आपदा मुआवजे तक उसकी पहुंच सुनिश्चित करने में सहायक होगा।
- यह अप्रयुक्त भूमि को उत्पादक कार्यों के लिए इस्तेमाल करने में सहायक होगा और पट्टेदार भूमि में निवेश करने हेतु सक्षम होगा तथा उसकी ऋण और बीमा तक पहुँच हो सकेगी।
- यह खेतों के समेकन की अनुमति देगा जिससे छोटे भूखंड जो कि आर्थिक रूप से अव्यावहारिक हैं, किराये पर चढ़ाये जा सकेंगे।

आगे की राह

- मध्य प्रदेश जुलाई में अपने स्वयं के कानून का मसौदा तैयार करने वाला पहला राज्य बन गया है, और अन्य राज्य यथा गुजरात, ओडिशा और पंजाब इसके उदाहरण का अनुसरण कर रहे हैं।
- भूमि चूकि राज्य का विषय है, अतः ऐसे में एकरूपता लाने व एक सर्वश्रेष्ठ मॉडल को अपनाने के लिए केंद्र राज्यों से आग्रह कर सकता है।

3.9. कर आतंकवाद

(Tax Terrorism)

सुर्ख़ियों में क्यों?

- हाल ही में, आयकर विभाग द्वारा एक PSU से गलत कर वसूलने का मामला सामने आया है। ऐसा उन्होंने मार्च में समाप्त होने वाले वित्तीय वर्ष के चलते अपने सालाना लक्ष्य को पूरा करने के लिए किया।

VISION IAS

- लेकिन अप्रैल में इस कर मांग को रद्द कर दिया गया।
- राजस्व सचिव ने इस मामले के सन्दर्भ में दंडात्मक उपाय के रूप में इस विवाद से जुड़े कुछ अधिकारियों के हस्तांतरण का आदेश दिया है।

कर आतंकवाद क्या है?

कर आतंकवाद का प्रयोग निम्नांकित व्यवहारों के संदर्भ में किया जाता है:

- **भूतलक्षी कराधान** मामले जैसे- वोडाफोन विवाद, केयर्न इंडिया-वेदांता समूह मामला।
- **न्यूनतम वैकल्पिक कर-** यद्यपि इसका इरादा सही होता है, लेकिन इसका क्रियान्वयन गलत माना जाता है।
- **कर परिहार से संबंधित विनियमों का प्रवर्तन**: GAAR (जनरल एंटी अवॉयडेंस रूल) आदि,
- बहुत अधिक राशि वाले **अनुचित कर मांग**, जिसमें निम्न बाते देखने को मिलती हैं:
    A. आक्रामक वसूली प्रक्रियाएं
    B. बलात साधनों का प्रयोग
    - ब्याज दर का समायोजन इस प्रकार करना कि देय रिफंड शून्य हो जाए।
    - उचित जवाबदेही के बिना विवेक के आधार पर लिए गए निर्णय।

प्रभाव

- **अर्थव्यवस्था:** ऐसे में एक बहुत बड़ी रकम सरकार के पास पड़ी रह जाती है, जिनका उद्यमी अपने कारोबार में उपयोग कर सकते थे।
    A. ईज़ ऑफ़ डूइंग बिजनेस पर नकारात्मक प्रभाव पड़ता है। यह एक बाजार के रूप में भारत की प्रतिस्पर्धा कम कर देता है।
    B. निवेशकों का भरोसा टूट जाता है।
- **गवर्नेंस (शासन):** जनता के हित के नाम पर इस तरह के व्यवहार से कर विभाग के बारे में दुष्प्रचार होता है।
    A. करदाताओं के लिए कुशल सेवा वितरण संभव नहीं हो पाता।

आगे की राह

- पार्थसारथी शोम समिति ने कहा है कि इस तरह की अस्वस्थ प्रथाओं का मूल कारण बजट में कर अधिकारियों के लिए अवास्तविक राजस्व संग्रह लक्ष्य निर्धारित करने की परंपरा में है। इसे सुधारा जाना चाहिए।
- बुनियादी समस्या समाजवादी युग की विरासत के रूप में प्रचलित भारतीय कर कानूनों की है। यह पद्धति विरोधात्मक है और प्रवर्तन के बजाय अनुपालन की दिशा में झुकी हुई है।
- कर संहिता में नाटकीय परिवर्तन की आवश्यकता है।
- कर अधिकारियों को भी जनता के प्रति उनकी जवाबदेहिता का एहसास होना चाहिए।
- प्रत्येक लेन-देन को संदिग्ध निगाहों से देखा जाना कर आतंकवाद की स्थिति पैदा करता है, अतः इससे बचा जाना चाहिए।
- RAPID द्वारा प्रदत्त हाल के सुझाव।
- इस तरह के कृत्यों के लिए आयकर अधिकारियों के स्थानांतरण का निर्णय वस्तुतः राजस्व सचिव द्वारा उठाया गया एक प्रशंसनीय कदम है।

3.10 कर लड़ाई-एप्पल बनाम यूरोपीय संघ

(Tax Battle-Apple V/S EU)

सुर्ख़ियों में क्यों?

यूरोपीय संघ के एक नियामक ने एप्पल को आदेश दिया है कि वह कर तथा ब्याज के रूप में आयरलैंड को 14.5 अरब डॉलर का भुगतान करे।

मुद्दा

- **स्वीट हार्ट/ दोहरा आयरिश कर रणनीति:** इसकी मदद से अमेरिकी कंपनियां विदेशों में अपने मुनाफे लगभग कर मुक्त कर लेती हैं।
- यूरोपीय संघ का प्रयास विभिन्न देशों के कर सम्बन्धी कमियों को सुधारने का है।

- 2008 के बाद से राजकोषीय प्रोत्साहन आवश्यक हो चूका है। अतः यदि कॉरपोरेट टैक्स अवॉयडेंस (निगम कर परिहार) के मुद्दे को हल कर लिया जाता है तो निश्चित ही इससे सरकार के राजस्व में वृद्धि होगी, जिससे समग्र रूप से अर्थव्यवस्था में सुधार होगा।

प्रभाव

- एप्पल के अनुसार, इसके द्वारा यूरोप में निवेश और रोजगार सृजन पर नकारात्मक प्रभाव पड़ेगा।
- यह U.S.-E.U. के आर्थिक संबंधों को प्रभावित कर सकता है।
- यह भविष्य में बहुराष्ट्रीय निगमों के गवर्नेंस को प्रभावित करेगा।
- वास्तविक समस्या अनियंत्रित वैश्विक कर प्रणाली में निहित है। ऐसे अंतर्राष्ट्रीय कर धोखाधड़ी के बाजारों पर वास्तविक परिणाम देखने को मिलते हैं और इससे बाजार विकृत हो जाते हैं।
- बड़ी कंपनियां विदेशों में नकदी का ढेर जमा किए होती हैं, फिर भी वे अपने देश के ऋण बाजार से पैसे उधार लेती हैं।
- दुर्भाग्य से अधिकांश कम्पनियां ऐसे ऋण का उपयोग शेयर बायबैक के लिए करती हैं जोकि मुख्य रूप से धनी व्यक्ति को और अधिक समृद्ध बनाता है तथा इसका वास्तविक उत्पादकता और आर्थिक विकास पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता। यह केवल दुनिया में धन के वितरण में अनियमितता को बढ़ाता है तथा बाजारों और मुख्य सड़क के बीच विषाक्त दरार को चौड़ा करता है।

नकारात्मक

- **संप्रभुता:** ब्रुसेल्स (EU मुख्यालय) ने आयरिश सरकार के प्राधिकार को नजरंदाज करते हुए एप्पल इंक पर 14.5 अरब डॉलर का कर थोपने का निर्णय लिया है।
- **कर या व्यापार सौदे:** इस मामले में आयरलैंड एप्पल के साथ अपने स्वयं के कर सौदे करने के लिए स्वतंत्र नहीं है जबकि यह अमेरिका या जापान या कजाकिस्तान के साथ अपने व्यापार सौदे करने के लिए स्वतंत्र है।
- आप्रवासन समझौते: यूरोपीय संघ के देश अपने स्वयं के आव्रजन नियम निर्धारित करने के लिए स्वतंत्र नहीं हैं- इसी मुद्दे ने अंततः ग्रेट ब्रिटेन को BREXIT के लिए बाध्य किया।

अतः G-20 देशों के बीच BEPS समझौते की हीं भाँति निगम कर परिहार को रोकने के लिए एक बहुपक्षीय संधि पर हस्ताक्षर किए जाने की आवश्यकता है।

3.11. केंद्र पर राज्यों का 80,000 करोड़ रुपये बकाया: कैग रिपोर्ट

(Centre Owes Rs. 80,000 Crore to States: CAG Report)

सुर्ख़ियों में क्यों?

- कैग की रिपोर्ट के निष्कर्षों का अधिकांश राज्यों के वित्त पर महत्वपूर्ण असर पड़ने की संभावना है।
- रिपोर्ट के मुताबिक, केंद्र पर राज्यों का 80,000 करोड़ रुपये से अधिक का बकाया है।

पृष्ठभूमि

- संविधान के **अनुच्छेद 279** के अनुसार, कैग शुद्ध आय को प्रमाणित करने के लिए आवश्यक प्राधिकरण होगा (संग्रह की लागत को कम करके किसी कर या ड्यूटी का आगम), तथा इसका प्रमाण पत्र अंतिम होगा। "
- वित्त मंत्रालय ने 80वें संविधान संशोधन की वजह से 1996-97 से पूर्व दिनांकित करों की शुद्ध आय हेतु कैग प्रमाण पत्र के लिए अनुरोध किया था।
- केंद्र और राज्यों के बीच केंद्रीय करों और ड्यूटियों से प्राप्त आय को साझा करने हेतु एक वैकल्पिक तरीका निर्धारित करने के लिए 10वें वित्त आयोग की सिफारिशों के फलस्वरूप 80वें संविधान संशोधन के लिए मार्ग प्रशस्त हुआ।

रिपोर्ट की टिप्पणियां

- कैग की रिपोर्ट के अनुसार, 'शुद्ध आय' के प्रमाणीकरण के दौरान यह पता चला है कि **1996-97 से 2014-15** की अवधि के दौरान राज्यों को **81,647.70 करोड़ रुपये** कम दिए गए।
- इस रहस्योद्घाटन से ज्यादातर राज्यों के वित्त प्रभावित होंगे क्योंकि उनमें से कई को कुछ हजार करोड़ रुपये का लाभ हो सकता है।

आगे की राह

- केंद्र को कैग की इस रिपोर्ट का त्वरित संज्ञान लेना चाहिए और लंबित बकाया राशि के भुगतान की दिशा में तुरंत कार्य करना चाहिए।
- राज्य इस अतिरिक्त धन का अपनी विकास आवश्यकताओं के अनुसार उपयोग कर सकते हैं।
- भविष्य में इस तरह की गलतियों से बचने पर भी ध्यान दिया जाना चाहिए। हस्तांतरण की प्रक्रिया पारदर्शी और कुशल होनी चाहिए।

3.12 केंद्रीय जल आयोग

(Central Water Commission)

सुर्ख़ियों में क्यों ?

मिहिर शाह के नेतृत्व में एक उच्चाधिकार प्राप्त समिति ने प्रधानमंत्री कार्यालय को हाल ही में अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत की।

रिपोर्ट का शीर्षक था "A 21st Century Institutional Architecture for India's Water Reforms: Restructuring the CWC and CGWB" (भारत की जल सुधारों के लिए एक 21वीं सदी की संस्थागत संरचना: CWC और CGWB का पुनर्गठन)

पृष्ठभूमि

- केन्द्रीय जल आयोग (CWC) को 1945 में स्थापित किया गया था। यह सतही जल की देखरेख और भंडारण संरचनाओं यथा बांधों और मध्यम आकार के जलाशयों के निर्माण हेतु प्रभारी है।
- केन्द्रीय भूजल बोर्ड (CGWB) का उद्देश्य भूजल संसाधनों का प्रबंधन करना है।
- शाह समिति का गठन 2015 में CWC (जो सतही जल परियोजनाओं को विकसित करता है) और CGWB को पुनर्गठित करने के तरीकों की सिफारिश करने के लिए की गयी थी।

समिति की सिफारिशें

- बांधों के निर्माण के बजाये पानी के विकेन्द्रीकृत प्रबंधन और रखरखाव पर ध्यान केंद्रित करने के लिए एक व्यापक राष्ट्रीय जल आयोग का गठन किया जाए।
- CWC और CGWB को नए राष्ट्रीय जल आयोग में शामिल किया जाएगा और मौजूदा कर्मियों को केंद्र एवं क्षेत्रीय कार्यालयों में पुन: तैनात किया जाएगा।
- इसे एक मुख्य राष्ट्रीय जल आयुक्त की अध्यक्षता में गठित किया जाना चाहिए और जहां पूर्णकालिक आयुक्तों को शामिल किया जाएगा जो विभिन्न विभागों का प्रतिनिधित्व करेंगे यथा जल विज्ञान (Hydrology-वर्तमान अध्यक्ष, CWC), Hydrogeology (वर्तमान अध्यक्ष, CGWB), Hydrometeorology, नदी पारिस्थितिकी, पर्यावरण अर्थशास्त्र, कृषि विज्ञान (मिट्टी और पानी पर ध्यान देने के साथ) और पार्टीसिपेटरी रिसोर्स प्लानिंग एंड मैनेजमेंट।
- नए निकाय को विश्व स्तर के संस्थानों, प्रख्यात विशेषज्ञों और जल प्रबंधन के क्षेत्र में कार्यरत स्वैच्छिक संगठनों के साथ साझेदारी करना होगा।
- नए निकाय को एक विश्व स्तर के क्षमता निर्माण, आंकड़ा केंद्र और ज्ञान संस्था के रूप में काम करना होगा।
- इस समिति की प्रमुख सिफारिशें वस्तुतः निर्माण गतिविधियों से हटकर विकेन्द्रीकृत प्रबंधन और रखरखाव पर ध्यान केन्द्रित करना है।

रिपोर्ट से जुड़े मुद्दे

- CWC के सिविल इंजीनियर और हाईड्रोलोजिस्ट शाह समिति की सिफारिशों के खिलाफ हैं।
- मुख्य तर्क यह है कि जल राज्य का विषय है और केंद्र द्वारा इस तरह के सुधारों से सहकारी संघवाद की भावना को क्षति पहुंचेगी।
- इन इंजीनियरों के मुताबिक भारत केवल बांधों के निर्माण एवं सतही जल के विकास के माध्यम से ही अपने भोजन और पानी संबंधी सुरक्षा जरूरतों को पूरा कर सकता है।
- इंजीनियर तर्क देते हैं कि चीन ने 1.4 अरब की आबादी के लिए 718 अरब घन मीटर की भंडारण क्षमता का सृजन किया है जबकि भारत में 1.3 अरब की आबादी के लिए 259 अरब घन मीटर की भंडारण क्षमता है। हमें स्थिरता के लिए और अधिक भंडारण क्षमता का निर्माण करने की जरूरत है।

आगे की राह

- यह वर्ष 2000 के बाद से तीसरी बार है कि CWC के पुनर्गठन के लिए किसी रिपोर्ट को सामने रखा गया है और यह अभी भी स्पष्ट नहीं है कि सरकार इसके पुनर्गठन के लिए कितनी गंभीर है।
- हाल के सूखे (2014 और 2015) तथा भूजल प्रदूषण की समस्या ने CWC को पुनर्गठित करने के मुद्दे को पुनः सामने ला खड़ा किया है।
- ये सिफारिशें भविष्य से जुडी हैं और इनमे भारत में जल संसाधन एजेंसियों को पुनर्गठित करने की क्षमता है।
- इन सिफारिशों को सहकारी संघवाद के ढांचे के भीतर सभी हितधारकों के साथ आम सहमति बनाने के बाद लागू किया जाना चाहिए।

VISION IAS

3.13. व्यापार सुविधा पर राष्ट्रीय समिति

(National Committee on Trade Facilitation)

पृष्ठभूमि

- भारत फ़रवरी 2016 में विश्व व्यापार संगठन के व्यापार सुविधा समझौते (TFA) के तहत विभिन्न प्रतिबद्धताओं को अपनाने के लिए सहमत हुआ था।
- इस प्रकार इसे राष्ट्रीय स्तर के एक ऐसे निकाय की आवश्यकता पड़ी, जो घरेलू समन्वय और TFA के प्रावधानों के कार्यान्वयन की सुविधा प्रदान कर सके। तदनुसार, राष्ट्रीय व्यापार सुविधा समिति (National Committee of trade Facilitation: NCTF) की स्थापना की गई।

NCTF की संरचना तथा उद्देश्य

- यह कैबिनेट सचिव की अध्यक्षता में व्यापार सुविधा पर एक अंतर-मंत्रालयी निकाय है।
- यह एक समावेशी निकाय है जहां व्यापार के मुद्दों को संबोधित करने वाले सभी प्रमुख विभागों यथा राजस्व, वाणिज्य, कृषि, जहाजरानी, स्वास्थ्य आदि के सचिवों को तथा साथ ही प्रमुख व्यापार संघों जैसे, फिक्की, CII आदि के सदस्यों को शामिल किया जाएगा।
- इसका सचिवालय केंद्रीय उत्पाद एवं सीमा शुल्क बोर्ड (CBEC) के अंतर्गत निर्यात संवर्धन महानिदेशालय, नई दिल्ली, में स्थित होगा।
- इसके द्वारा सभी हितधारकों के बीच देश भर में विभिन्न व्यापार सुविधा के दृष्टिकोण में भागीदारी के द्वारा व्यापार सुविधा के लिए अखिल भारतीय रोडमैप को विकसित करने में मदद मिलेगी।
- इसकी तीन स्तरीय संरचना होगी:
  - **राष्ट्रीय समिति:** TFA के कार्यान्वयन की निगरानी करने वाला प्रमुख केंद्र
  - **संचालन समिति:** यह TFA के अनुपालन के लिए आवश्यक विधायी परिवर्तनों एवं TFA के लिए आवश्यक अन्य बातों के लिए उत्तरदायी होगा।
  - **विशेषज्ञों का तदर्थ समूह:** यह विशिष्ट व्यापार सुविधा से संबंधित मुद्दों से निपटेगा।

व्यापार सुविधा के बारे में

- 2013 में बाली में विश्व व्यापार संगठन के मंत्रिस्तरीय सम्मेलन में TFA पर सहमति व्यक्त की गई। इस समझौते का उद्देश्य पारगमन सहित माल की निकासी और संचलन में तेजी लाना है, और साथ ही व्यापार सुविधा तथा सीमा शुल्क अनुपालन के मुद्दों पर सीमा शुल्क के तथा अन्य अधिकारियों के बीच प्रभावी सहयोग स्थापित करना भी एक प्रमुख उद्देश्य है।
- विश्व व्यापार संगठन के 162 सदस्यों में से जब दो-तिहाई औपचारिक रूप से इस समझौते को स्वीकार कर लेंगे तब यह लागू होगा।

(TFA पर अधिक जानकारी के लिए विजन करंट अफेयर्स फरवरी 2016 संस्करण देखें)

3.14. वित्तीय सेवाओं में विदेशी निवेश

(Foreign Investment in Financial Services)

सुर्ख़ियों में क्यों?

- कैबिनेट ने हाल ही में 'अन्य वित्तीय सेवाओं' में स्वचालित मार्ग के माध्यम से विदेशी निवेश (FDI) की अनुमति दी है, शर्त यह है कि ये निवेश सेबी, इरडा, RBI जैसे नियामकों के तहत विनियमित हों।
- वर्तमान नियमों के अनुसार केवल 18 निर्दिष्ट NBFC गतिविधियों के लिए स्वचालित मार्ग के तहत FDI की अनुमति है। इनमें मर्चेंट बैंकिंग, हामीदारी (अंडरराइटिंग), पोर्टफोलियो प्रबंधन, निवेश सलाहकार, वित्तीय सलाहकार, स्टॉक ब्रोकिंग और परिसंपत्ति प्रबंधन आदि शामिल हैं।
- इस संशोधन के बाद अन्य क्षेत्रों यथा- कमोडिटी ब्रोकिंग, एसेट फाइनेंस कंपनी, डिपॉजिटरी पार्टिसिपेंट्स और इंफ्रास्ट्रक्चर डेट फंड में भी FDI की अनुमति होगी।

लाभ

- प्रौद्योगिकी हस्तांतरण, उत्पादों एवं प्रक्रियाओं में नवोन्मेष तथा संवर्धित प्रतिस्पर्धा के कारण वित्तीय क्षेत्र में कार्यकुशलता को बढ़ावा मिलेगा।
- यह आर्थिक गतिविधियों को भी प्रोत्साहित करेगा।

VISION IAS

वित्तीय सेवाएं FDI के लिए एक आकर्षक क्षेत्र क्यों हैं?

- वित्तीय सेवाएं विदेशी निवेशकों के लिए निवेश के एक आकर्षक क्षेत्र होते हैं क्योंकि यह उन्हें बढ़ते मध्यम वर्ग और उच्च निवल मूल्य वाले व्यक्तियों से लाभ उठाने का एक अवसर प्रदान करता है।
- पुनः वित्तीय समावेशन पर सरकार का फोकस बना हुआ है, अतः वित्तीय उत्पादों की पैठ और गहरी होगी। इसलिए, निवेशक इसके साथ-साथ खुदरा वित्तीय सेवा क्षेत्रों की ओर भी आकर्षित हो रहे हैं।
- पहले के समय की तुलना में ये व्यवसाय अब परिपक्व हैं और जोखिमों में कमी आ गयी है।
- वित्तीय सेवाओं में निवेश अर्थव्यवस्था में किसी भी उछाल पर नियंत्रण करने का अच्छा तरीका है।
- गिरती मुद्रास्फीति और ब्याज दरों ने भी इस क्षेत्र में निवेशकों को आकर्षित किया है।
- एक मजबूत नियामकीय नियंत्रण और कम कॉर्पोरेट गवर्नेंस विवाद वस्तुतः इस क्षेत्र को और आकर्षक बनाते हैं।

3.15 बासमती के GI टैग संबंधी दावे पर विवाद

(Dispute Over Basmati GI Tag Claim)

मुद्दे की पृष्ठभूमि

- फ़रवरी 2016 में, IPAB (बौद्धिक संपदा अपीलीय बोर्ड) ने अपने एक निर्णय में हिमालय की तलहटी पर गंगा के मैदानी इलाकों में उत्पादित होने वाले बासमती चावल को भौगोलिक संकेतक (GI) का दर्जा देने की अनुमति प्रदान कर दी।
- इन क्षेत्रों में पंजाब, हरियाणा, हिमाचल प्रदेश, दिल्ली, उत्तराखंड, पश्चिमी यूपी तथा जम्मू और कठुआ के चावल उत्पादक क्षेत्र सम्मिलित हैं।
- तथापि, बासमती कुछ अन्य क्षेत्रों (जैसे- मध्य प्रदेश के कुछ जिले) में भी उगायी जाती है। अतः वे भी GI के दर्जे की मांग कर रहे हैं।
- GI का दर्जा वस्तुतः विक्रय और उत्पादों के निर्यात में मदद प्रदान करता है, क्योंकि GI टैग निश्चित गुणवत्ता की गारंटी प्रदान करता है और इस प्रकार अंतरराष्ट्रीय बाजार में उक्त वस्तु के विक्रय में मदद करता है।

मध्य प्रदेश का मामला

- यह तर्क दिया जा रहा है कि मध्य प्रदेश में इस सदी के शुरुआत से ही बासमती की खेती शुरू की गयी है। इस प्रकार, यहाँ बासमती की कृषि की परंपरा जो भौगोलिक संकेतक के लिए एक आवश्यक शर्त है, नहीं प्राप्त होती। हालांकि, यह मुद्दा विवादास्पद है।
- हालाँकि मध्य प्रदेश में चावल की नई नस्ल, बासमती उत्पादन को सहज बना रही है तथापि, यह वास्तव में पंजाब, हरियाणा आदि जैसे विशेष कृषि जलवायु परिस्थितियों के पारंपरिक क्षेत्रों से मेल नहीं कर सकती।

निहितार्थ

- मध्य प्रदेश जैसे राज्यों के लिए इसकी अनुमति बासमती चावल की गुणवत्ता में अंतर कर सकती है। यह अंतरराष्ट्रीय बाजार में उत्पाद की प्रतिष्ठा के नुकसान का कारण भी बन सकता है।

3.16 खेती-बाड़ी अब युवाओं के लिए आकर्षक नहीं रहा : FAO

(Farming Becoming Unattractive for Youth: FAO)

मुद्दा:

- दुनिया भर में, किसानों की जनसांख्यिकीय उम्र बढ़ रही है क्योंकि खेती-बाड़ी में युवाओं का आकर्षण कम होने लगा है, और वे काम की तलाश में शहरों की ओर रुख़ कर रहे हैं।
- अफ्रीकी महाद्वीप में, जहाँ की लगभग 60% जनसंख्या 24 वर्ष से कम आयु वर्ग वालों की है, किसानों की औसत उम्र 60 वर्ष है।
- यह पूरे विश्व, विशेषकर कम आय वाले देशों के छोटे किसानों, के लिए एक संभावित समस्या है।

निहितार्थ

- यह सर्वविदित है कि इन अर्थव्यवस्थाओं में कृषि उत्पादकता पहले से ही कम है और यदि अब खेती-बाड़ी में केवल वृद्ध आबादी ही काम करने के लिए रह जाएगी तो निश्चित हीं भविष्य में स्थिति बदतर हो जाएगी। पुनः इससे वैश्विक खाद्य सुरक्षा पर भी सीधा प्रभाव पड़ेगा।
- इससे स्थानीय विनियमों पर आधारित भूमि पट्टा एवं चकबंदी को बढ़ावा मिल सकता है।

क्या किए जाने की आवश्यकता है?

- वर्तमान कृषि पद्धति को पूरी तरह से बदलने की आवश्यकता है ताकि यह युवाओं को शहरी जीवन के बदले एक आकर्षक विकल्प प्रदान कर सके।
- नवीन प्रौद्योगिकियों को विकसित करने की आवश्यकता है ताकि उत्पादकता में सुधार हो सके। इसका दीर्घकालिक समाधान यह है कि विकासशील देश उद्योगों की ओर रुख़ करें। हालांकि यह परिवर्तन अवश्य ही क्रमिक और आर्थिक आवश्यकताओं के अनुरूप होना चाहिए।

- बुनियादी ढांचे और संबद्ध क्षेत्रों में बड़े पैमाने पर निवेश की आवश्यकता है।

3.17 इंटरनेशनल आर्बिट्रेशन मैकेनिज्म (अंतरराष्ट्रीय मध्यस्थता/पंचाट तंत्र)

(International Arbitration Mechanism)

सुर्ख़ियों में क्यों?

- भारत ने ब्रिक्स के सदस्य राष्ट्रों से उनके बीच एक आर्बिट्रेशन मैकेनिज्म को विकसित करने के लिए आग्रह किया है।
- ब्रिक्स कांफ्रेंस ऑन इंटरनेशनल आर्बिट्रेशन (अंतरराष्ट्रीय मध्यस्थता पर हुए ब्रिक्स सम्मेलन) के दौरान वित्त मंत्री द्वारा यह प्रस्ताव रखा गया।

इस प्रकार के तंत्र की आवश्यकता क्यों?

- **पश्चिम का वर्चस्व:** यह देखा गया है कि अधिकतर आर्बिट्रेशन केन्द्र पश्चिम में संकेंद्रित हैं और आशंका है कि ये उभरती अर्थव्यवस्थाओं के खिलाफ पक्षपातपूर्ण निर्णय देते हैं।
- पुनः, **उभरती अर्थव्यवस्थाओं का इन आर्बिट्रेशन केंद्रों में पर्याप्त प्रतिनिधित्व नहीं है,** फलतः विकासशील देशों की चिंताओं और अपेक्षाओं को यहां ठीक से नहीं रखा जाता है। अतः विकासशील देशों को ऐसे आर्बिट्रेशन केंद्रों को विकसित करने की आवश्यकता है।
- हालिया उदाहरण - ब्रिटिश तेल और गैस खनन कंपनी केयर्न एनर्जी ने 29,047 करोड़ रुपये के भूतलक्षी कर मांग के खिलाफ इंटरनेशनल आर्बिट्रेशन में भारत सरकार से 5.6 अरब डॉलर की मुआवजे की मांग की है।

भारत का प्रयास

- भारत पहले से ही स्वयं को ग्लोबल आर्बिट्रेशन हब (वैश्विक पंचाट केंद्र) के रूप में परिवर्तित करने की दिशा में काम कर रहा है। हाल ही में जून 2016 में, सिंगापुर आर्बिट्रेशन सेंटर ने गिफ्ट सिटी (Gujarat International Finance Tec-City; GIFT CITY) में अपनी एक शाखा खोलने के लिए सहमति जताई है।
- भारत ने अपने द्विपक्षीय निवेश संधि व्यवस्था में इस हेतु परिवर्तन किया है।
- भारत ने आर्बिट्रेशन एंड कंसिलिएशन एक्ट (मध्यस्थता और सुलह अधिनियम) में कई महत्वपूर्ण परिवर्तन किए हैं।
- इसके अलावा, घरेलू न्यायालयों को इंटरनेशनल ट्रिब्यूनलों के अधिकार-क्षेत्र में हस्तक्षेप करने में संयम दिखाने की जरूरत है। अतीत में घरेलू अदालतों द्वारा इंटरनेशनल ट्रिब्यूनलों की कार्यवाही में हस्तक्षेप ने भारतीय अर्थव्यवस्था की क्षवि को दुष्प्रचारित किया है।

3.18 समावेशी आवास और भारत का मॉर्गेज (बंधक/गिरवी) बाजार

(Inclusive Housing and India's Mortgage Market)

सुर्ख़ियों में क्यों?

भारत का लगभग 10 ट्रिलियन रुपये वाला मॉर्गेज बाजार सरकार और संवेदनशील मॉर्गेज नियामक- राष्ट्रीय आवास बैंक (नेशनल हाउसिंग बैंक-NHB) द्वारा शुरू की गई आरंभिक पहलों की एक शृंखला के बाद मंद पड़ा हुआ है।

प्राथमिक मॉर्गेज बाजार क्या है?

प्राथमिक मॉर्गेज बाजार एक ऐसा प्रारंभिक बाज़ार स्थल है, जहां ऐसे मॉर्गेज ऋण लेने वाले और मॉर्गेज प्रवर्तक (बैंक, क्रेडिट यूनियन या मॉर्गेज ब्रोकर), वस्तुतः किसी मॉर्गेज लेन-देन की प्रक्रिया को संचालित करने के लिए एक साथ एकत्रित होते हैं। इस प्रक्रिया के समापन के समय प्राथमिक मॉर्गेज ऋणदाता, उधारकर्ता को फण्ड उपलब्ध कराता है, जिसका उपयोग उधारकर्ता अपने मकान की खरीद को पूरा करने के लिए करता है।

महत्व

- एक अनुमान के अनुसार, भारत के शहरी क्षेत्रों में 18.7 मिलियन और ग्रामीण क्षेत्रों 39.3 मिलियन आवासों की कमी है। भारत सरकार अब अपने "हाउसिंग फॉर ऑल" (सभी के लिए आवास) योजना के के तहत इसे 2020 तक इसे पूरा करना चाहती है।
- शहरी क्षेत्रों में 80% आवास की कमी केवल आठ राज्यों में है। ये राज्य हैं- मध्य प्रदेश, राजस्थान, बिहार, तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश, प. बंगाल, महाराष्ट्र और उत्तर प्रदेश।
- बैंकों की इसमें रुचि: होम लोन भारतीय बैंकरों के लिए सबसे सुरक्षित राह हैं। डिफ़ॉल्ट होने की स्थिति में, उक्त संपत्ति को हमेशा के लिए जब्त किया जा सकता है और पैसे की वसूली के लिए इसे बेचा भी जा सकता है।

VISION IAS

- समावेशी: होम लोन अधिकांशतः EWS (आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग) और LIG (निम्न आय समूह) वर्ग के पहुँच से बाहर होता है, जबकि आवास की सर्वाधिक कमी से जनसंख्या के यही दोनों हिस्से जूझ रहे हैं।
- क्षमता: भारत में मॉर्गेज बाजार में लगातार वृद्धि देखी गयी है और सकल घरेलू उत्पाद के प्रतिशत के रूप में बकाया आवास ऋण 2% (2002) से बढकर 9% (2012) तक पहुंच गया है। लेकिन यह चीन (20%) और यू.के. (88%) की तुलना में बहुत कम है।

उठाए गए कदम:

- हाउसिंग फाइनेंस कंपनियों (HFCs) के लिए लाइसेंसिंग मानदंडों को काफी उदार किया गया है।
- प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत क्रेडिट-लिंक्ड सब्सिडी के माध्यम से कमजोर वर्गों के लिए किफायती आवास को प्रोत्साहन दिया जा रहा है। इस योजना के तहत 3 लाख से 6 लाख रूपये तक के एक घर को खरीदने वाले किसी व्यक्ति को 6.5% की ब्याज सब्सिडी दी जाती है।
- NHB 6.12% की दर पर मध्यवर्ती संस्थाओं को ग्रामीण आवास वित्त प्रदान करता है। अब तक, 15 लाख ग्रामीण इकाइयों के लिए फंड स्वीकृत किए जा चुके हैं।

आगे की राह

NHB मॉर्गेज के अन्य पहलुओं को भी टटोल रहा है:

- कम लागत वाले किराये का आवास (प्रवासी मजदूरों के लिए),
- स्वत्वाधिकार बीमा (title insurance) का सृजन (बैंक ऋण में शीघ्रता सुनिश्चित करने के लिए),
- सभी राज्यों में एक समान स्टांप शुल्क,
- देश के किसी भी भाग में हाउसिंग मार्केट में किसी भी प्रकार के दोष उत्पन्न होने पर उसे आरंभ में ही शीघ्रता से पहचान हेतु एक व्यवस्थित तंत्र का सृजन और छोटे होम लोन के लिए सूक्ष्म वित्त संस्थानों का पुनर्वित्तयन।

3.19 कार्ड से भुगतान को बढ़ावा देने के लिए पैनल गठित

(Panel to promote card payments)

- सरकार ने पूर्व वित्त सचिव रतन पी. वटल की अध्यक्षता में एक ग्यारह सदस्यीय पैनल गठित की है जो इलेक्ट्रॉनिक माध्यम से लेनदेन को बढ़ावा देने के तरीके सुझाएगी जिसमे कर छूट जैसे प्रोत्साहन, कैश बैक, लॉटरी और मौजूदा नियामक तंत्र में परिवर्तन आदि सम्मिलित हैं।
- यह पैनल विशिष्ट पहचान संख्या या अन्य पहचान दस्तावेजों से सत्यापन कार्ड और डिजिटल लेनदेन में लाभ उठाने के क़दमों के सम्बन्ध में सुझाव देगी और भुगतान से सम्बंधित सर्वोत्तम वैश्विक प्रचलनों का अध्ययन करेगी।
- डिजिटल साधनों के माध्यम से "तत्काल, कम लागत वाले माइक्रो-क्रेडिट" (instant, low cost micro-credit) को सुनिश्चित करने के लिए यह पैनल केंद्रीकृत KYC रजिस्ट्री की स्थापना का परीक्षण करेगी और सभी कार्ड/डिजिटल भुगतान की एक भुगतान हिस्ट्री तैयार करने की व्यवहार्यता का भी अध्ययन करेगी।
- यह समिति सभी प्रकार के कार्ड/सरकार की प्राप्तियों के डिजिटल भुगतान को स्वीकार करने , NPCL के माध्यम से उन्हें निपटाने और सभी सरकारी प्रणालियों जैसे- लोक वित्त प्रबंधन प्रणाली, PayGov, भारतकोष और ई-कुबेर के एकीकरण की सम्भावना के लिये भुगतान गेटवे की एकल खिड़की प्रणाली को प्रारम्भ करने से सम्बंधित अध्ययन करेगी।

3.20 एलेक्ट्रोप्रेन्योर पार्क

(Electropreneur Park)

यह क्या है?

- यह हाल ही में प्रारम्भ की गई एक पहल है जो इलेक्ट्रॉनिक्स और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय (MeitY) द्वारा वित्त पोषित है।
- इसका प्रबंधन और क्रियान्वयन क्रमशः सॉफ्टवेयर टेक्नोलॉजी पार्क ऑफ़ इंडिया (STPI) और इंडिया इलेक्ट्रानिक्स एंड सेमीकंडक्टर एसोसिएशन द्वारा किया जा रहा है।
- इसका उद्देश्य प्रारंभिक चरण वाले 50 स्टार्ट-अप्स का पोषण करना और 5 वर्षों में कम-से-कम 5 वैश्विक कंपनियों को खड़ा करना है।

लाभ

- यह पहल IP सृजन और इलेक्ट्रॉनिक सामग्रियों जैसे- स्मार्टफोन, स्मार्ट मीटर, माइक्रो एटीएम, सेट टॉप बॉक्स आदि के घरेलू विनिर्माण को बढ़ावा देने के लिए उत्पाद संवर्धन पर ध्यान केंदित करेगा।
- प्रति वर्ष इलेक्ट्रॉनिक सिस्टम डिजाइन एंड मैन्युफैक्चरिंग क्षेत्रक के दस सबसे होनहार विचारों/स्टार्ट-अप्स का चयन कर उन्हें पोषित किया जाएगा।

- यह पहल उद्यमशीलता और नवाचार पर ध्यान केंद्रित करता है, जिसका सरकार के मेक इन इंडिया और स्टार्टअप इंडिया मिशन के साथ समन्वय है।
- यह पार्क विदेशी फंडिंग सहित उद्यमों के लिए सीड फंडिंग की सुविधा भी उपलब्ध कराएगी।

3.21 कॉरपोरेट बॉन्ड बाजार

(Corporate bond market)

सुर्ख़ियों में क्यों?

- भारतीय रिजर्व बैंक ने मध्यावधि में बैंकों को जमानत के रूप में कॉरपोरेट बॉन्ड को गिरवी रखकर भारतीय रिजर्व बैंक (RBI) से ओवरनाइट रेपो विंडो द्वारा धन उधार लेने की अनुमति दी है।
- वर्तमान में, बैंक केवल सरकारी बॉन्ड को ही गिरवी रखकर रिजर्व बैंक से उधार ले सकते हैं। जबकि उन्हें कॉरपोरेट बॉन्ड गिरवी रखकर उधार लेने की सुविधा मुहैया कराने से उधारदाताओं द्वारा ऋण की अधिक खरीद को प्रोत्साहन मिलेगा।

मुख्य विशेषताएं

- नवीनतम पहल द्वारा ब्रोकरों को कॉरपोरेट बॉन्ड रिपरचेज या रेपो में भाग लेने के लिए अनुमति दी गई है , तथा कॉरपोरेट बॉन्ड को केंद्रीय बैंक से उधार प्राप्त करने का पात्र बनाया गया है और विदेशी पोर्टफोलियो निवेशकों को सीधे कॉरपोरेट बॉन्ड में व्यापार करने की अनुमति दी गई है ।
- बैंकों को रुपया बांड या मसाला बांड, जो की उनको विदेशी बाजारों में कहा जाता है को जारी करने की अनुमति दी गयी हैं जो बुनियादी ढांचे और किफायती आवास के लिए धन प्राप्ति को सुलभ बना देगा।
- केंद्रीय बैंक वाणिज्यिक बैंकों को विदेशी बाजारों में रुपया बांड जारी करने की अनुमति देगा- जो मसाला बांड के रूप में जाना जाता है ,ऐसा अपनी पूंजी की आवश्यकता के लिए, बुनियादी ढांचे और सस्ती हाउसिंग के वित्तीयन की आवश्यकताओं के लिए किया जाएगा।
- कंपनियों और बड़े व्यापारिक समूहों की निधि के लिए बैंकों पर भारी निर्भरता से कई भारतीय बैंको के बैलेंस शीट ख़राब हो रही थी तथा इससे उनका NPA बढ़ रहा था , अब वो अधिक विविधिकृत ऋण लेने वालों को निधि दे पाएंगे।

3.22 SWIFT: ईज ऑफ़ डूइंग बिज़नेस

(Swift: Ease of Doing Business)

सुर्ख़ियों में क्यों?

- विश्व बैंक की ईज ऑफ़ डूइंग बिज़नेस रिपोर्ट- 2016 में भारत 2015 की तुलना में चार पायदान ऊपर आ गया है। अब इसकी रैंकिंग 2015 के 134वें स्थान की तुलना में 130वीं (189 देशों के बीच) हो गयी है।
- यह सुधार SWIFT (Single Window Interface for Facilitating Trade) के आरम्भ होने के बाद आया है।

SWIFT क्या है?

- केंद्रीय उत्पाद एवं सीमा शुल्क बोर्ड (CBEC) ने व्यापार को सुविधाजनक बनाने और ईज ऑफ़ डूइंग बिज़नेस में सुधार करने के लिए 1 अप्रैल 2016 को SWIFT का शुभारंभ किया।
- SWIFT वस्तुतः आयातकों/निर्यातकों को ICEGATE (Indian Customs Electronic Commerce/Electronic Data Interchange Gateway) पर एक समान एकीकृत इलेक्ट्रॉनिक घोषणा दायर करने के लिए सक्षम बनाता है।
- यह एकीकृत घोषणा मुख्यतः सीमा शुल्क, FSSAI, पादप संगरोध (Plant Quarantine), पशु संगरोध, ड्रग कंट्रोलर, वन्य जीवन नियंत्रण ब्यूरो और वस्त्र समिति के लिए आवश्यक जानकारी को संकलित करता है।
- यह छह भिन्न एजेंसियों के लिए आवश्यक नौ अलग-अलग प्रपत्रों की आवश्यकता को समाप्त करेगा।
- सहयोगी सरकारी एजेंसियों (पार्टनर गवर्नमेंट एजेंसीज-PGAs) के लिए CBEC ने भी एक समग्र जोखिम प्रबंधन सुविधा की शुरूआत की है।
- इससे यह सुनिश्चित होगा कि एजेंसियां सैद्धांतिक जोखिम प्रबंधन के आधार पर परीक्षण के लिए कन्साइनमेंट का चयन करें।

3.23 चीनी मिलों के लिए उत्पादन सब्सिडी हेतु फार्मूला

(Formula for Production Subsidy to Sugar Mills)

सुर्ख़ियों में क्यों?

- आर्थिक मामलों की मंत्रिमंडलीय समिति (CCEA) ने 2015-16 के लिए चीनी मिलों को दी जाने वाली उत्पादन सब्सिडी की गणना के लिए एक नए फार्मूले को मंजूरी दे दी है।
- यह कदम वस्तुतः चीनी के उत्पादन और निर्यात में कमी आने के बाद उठाया गया है।

पृष्ठभूमि

- केंद्र सरकार ने पिछले वर्ष अक्टूबर 2015 से सितंबर 2016 की अवधि के लिए गन्ने की पेराई पर प्रति क्विंटल 4.5 रूपये की सब्सिडी की घोषणा की थी।
- यह सब्सिडी इस शर्त पर घोषित की गई थी कि मिलें 40 लाख टन के निर्यात कोटे और इथेनॉल सम्मिश्रण के लक्ष्य को पूरा करेंगी।
- पिछले सब्सिडी योजना को 19 मई 2016 से बंद कर दिया गया है।

इथेनॉल सम्मिश्रण क्या है?

- इथेनॉल सम्मिश्रण वस्तुतः पेट्रोलियम के साथ इथेनॉल का सम्मिश्रण है।
- वाहनों द्वारा उत्सर्जित प्रदुषण को कम करने के लिए ऐसा किया जाता है। पुनः यह कच्चे पेट्रोलियम के आयात बोझ को भी कम करता है।
- भारत में वर्ष 2001 में ही इसकी शुरूआत कर दी गयी थी।
- इथेनॉल चीनी उद्योग के उप-उत्पादों में से एक है और इसलिए चीनी मीलों द्वारा इसकी आपूर्ति की जाती है।

इसमें नया क्या है?

- उत्पादन सब्सिडी की गणना के लिए निर्यात कोटे और इथेनॉल सम्मिश्रण के लक्ष्य में संशोधन किया गया है।
- प्रारंभ में, प्रत्येक टन **"गन्ने की अनुमानित पेराई"** के लिए 15.70 किलोग्राम चीनी को **निर्यात कोटा लक्ष्य** के तहत रखा गया था; लेकिन इसे अब, प्रत्येक टन **"गन्ने की वास्तविक पेराई"** हेतु 15.70 किलोग्राम कर दिया गया है।
- एथेनॉल आपूर्ति के लक्ष्य को संशोधित किया जाएगा, तथा इसे मिलों द्वारा तेल विपणन कंपनियों (OMCs) को की जाने वाली आपूर्ति की वास्तविक मात्रा तक लाया जाएगा।
- उक्त संशोधन के प्रभाव में आने से चीनी मिलों को दिया जाने वाला उत्पादन सब्सिडी पहले अनुमानित 1,147.5 करोड़ रुपये से घटकर 600 करोड़ रुपये हो जाएगा।

3.24 भारतीय रिजर्व बैंक की वार्षिक रिपोर्ट

(RBI's Annual Report)

सुर्ख़ियों में क्यों?

- भारतीय रिजर्व बैंक ने अपने एनुअल रिपोर्ट 2016 का प्रकाशन किया है जिसमें अर्थव्यवस्था की वर्तमान स्थिति और भविष्य की संभावनाओं पर प्रकाश डाला गया है।

रिपोर्ट की मुख्य विशेषताएं-

- रिपोर्ट में कहा गया है कि अर्थव्यवस्था के लिए मौजूदा संभावनाएं पिछले वित्त वर्ष की तुलना में अधिक उज्जवल हैं।
- अवरुद्ध परियोजनाओं को तेजी से मंजूरी मिलने से समग्र व्यापार धारणा को मजबूती मिली है।
- सड़कों और बंदरगाहों जैसे क्षेत्रों में महत्वपूर्ण सुधार देखे गए हैं।
- अच्छे मानसून और सरकारी कर्मचारियों के लिए वेतन आयोग द्वारा की गई वेतन में बढ़ोतरी की सिफारिश से खपत को बढ़ावा मिलेगा, जिससे मांग में वृद्धि होने की संभावना है।
- केंद्रीय बैंक के समक्ष प्रमुख चुनौतियां हैं:- आर्थिक वृद्धि, मुद्रास्फीति पर नियंत्रण और यह सुनिश्चित करना कि बैंक अपना ध्यान रेट कट ट्रांसमिशन तथा बैलेंस शीट को साफ़ करने पर केंद्रित करें।

VISION IAS

3.25 अटल पेंशन योजना (APY)

(Atal Pension Yojana [APY])

सुर्ख़ियों में क्यों?

- APY अपने प्रथम एवं द्वितीय चरणों के लक्ष्यों को पूरा करने में विफल रहा है। सार्वजनिक क्षेत्रक के बैंक अपने प्रथम एवं द्वितीय चरणों के लक्ष्यों का क्रमशः 6.07% और 11.7% ही प्राप्त कर पाए हैं।

APY क्या है?

- यह सभी भारतीयों के लिए एक **सार्वभौमिक सामाजिक सुरक्षा कार्यक्रम** है। यह मई 2015 से प्रभाव में है।
- APY के तहत, सरकार ने वैसे व्यक्तियों को, जो 31 मार्च 2016 से पहले इस योजना में नामांकित हो गए थे, पहले पांच वर्षों के लिए पॉलिसी की राशि के 50% (अधिकतम 1000 रुपये तक) का सह-योगदान दिया है। इस योजना का लाभ केवल उन लोगों को दिया गया जो आयकर दाता नहीं हैं।
- APY स्वावलंबन योजना की जगह लेगा।
- सरकार ने APY के साथ-साथ 'प्रधानमंत्री जीवन ज्योति बीमा योजना' और 'प्रधानमंत्री सुरक्षा बीमा योजना' का भी शुभारंभ किया है।

3.26 मुद्रास्फीति लक्ष्यीकरण

(Inflation Targeting)

सुर्ख़ियों में क्यों?

- सरकार ने मुद्रास्फीति (उपभोक्ता मूल्य सूचकांक-CPI) के लिए 2021 तक 2 अंकों की ऊपरी/निचली सीमा (अर्थात उतार-चढ़ाव) के साथ 4% का लक्ष्य अधिसूचित किया है।

यह क्या है?

- **मुद्रास्फीति लक्ष्यीकरण** वस्तुतः **मौद्रिक नीति रणनीति** को संदर्भित करता है, जहां इस हेतु मुद्रास्फीति का एक लक्ष्य निर्धारित किया जाता है और उसके उपरांत नीति निर्माण इस तरह से किया जाता है ताकि निर्धारित लक्ष्य को प्राप्त किया जा सके।
- RBI ने आधिकारिक तौर पर **फरवरी 2015** में मुद्रास्फीति लक्ष्यीकरण को **मौद्रिक नीति रणनीति** के रूप में अपनाया।
- इसके तहत मुद्रास्फीति लक्ष्य को **प्रत्येक पांच वर्षों** में एक बार संशोधित किया जाएगा।

RBI will have to achieve 4% CPI inflation, +/- 2%

LOWER bound of 2%; upper bound 6%

TARGET applicable till March 2021

CONSUMER Inflation out of this range for 3 successive quarters will constitute monetary policy failure

RESERVE Bank will have to explain reasons and suggest corrective measures

Monetary Policy Committee

- A 6-member monetary policy committee is to be setup to decide **key policy rates.**
- The panel will have three members from RBI. They are the **governor, deputy governor and another officer.**
- The other three members will be decided by the centre based on the recommendations of a panel headed by the **Cabinet Secretary**.
- The **RBI governor** will have a **vote in case of a tie**.

- मुद्रास्फीति लक्ष्य पूरा करने के लिए RBI ब्याज दरों में बढ़ोतरी या कमी करेगी।

- RBI को **4% (+/-2 %) CPI मुद्रास्फीति** का लक्ष्य हासिल करना होगा।
- अर्थात अब न्यूनतम 2% एवं अधिकतम 6% की मुद्रास्फीति होनी चाहिए।
- यह लक्ष्य मार्च 2021 तक के लिए निर्धारित है।
- यदि **CPI** मुद्रास्फीति **लगातार तीन तिमाहियों** तक निर्धारित लक्ष्य से दायरे से बाहर होगा, तो इसे मौद्रिक नीति की असफलता समझा जाएगा।
- RBI को इसके कारण और इसे दूर करने के उपाय बताने होंगे।

VISION IAS

मौद्रिक नीति समिति

- एक छः सदस्यीय मौद्रिक नीति समिति का गठन प्रमुख नीतिगत दरों को निर्धारित करने के लिए किया जाएगा।
- पैनल में भारतीय रिजर्व बैंक से तीन सदस्य होंगे, जिसमें गवर्नर, डिप्टी गवर्नर और एक अन्य अधिकारी शामिल होगा।
- अन्य तीन सदस्यों की नियुक्ति केंद्रीय कैबिनेट सचिव की अध्यक्षता में गठित एक पैनल की सिफारिशों के आधार पर की जाएगी।
- मौद्रिक नीति समिति में टाई (मतों के बराबरी) की स्थिति में RBI के गवर्नर के पास एक मत होगा।

महत्व

- मौद्रिक नीति का यह लचीला दृष्टिकोण वस्तुतः RBI को अल्पावधि में ग्रोथ टारगेट को प्राप्त करने और मध्यावधि में मुद्रास्फीति को नियंत्रित करने में सहायक होगा।
- प्रस्तावित **मौद्रिक नीति समिति** के साथ-साथ इस नये मौद्रिक नीति ढांचे में निवर्तमान दृष्टिकोण एक महत्वपूर्ण घटक है।

3.27 हरित उपकर (ग्रीन सेस)

(Green Cess)

सुर्ख़ियों में क्यों?

- सुप्रीम कोर्ट ने राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र (NCR) में डीजल चालित बड़े वाहनों के पंजीकरण पर आठ महीने पूर्व आरोपित प्रतिबंध को हटा दिया है और ऐसे वाहनों के विनिर्माताओं लिए शहर में वायु प्रदूषण फैलाने के बदले एक प्रकार की लेवी के भुगतान की शर्त रखी है।
- 2000cc से अधिक इंजन क्षमता वाले डीजल वाहनों की एक्स शोरूम मूल्य के 1% के बराबर की एक लेवी का भुगतान ऑटोमोबाइल निर्माताओं को करना होगा।

पृष्ठभूमि

- WHO ने 2014 में दिल्ली को दुनिया के सर्वाधिक प्रदूषित शहर की रैंकिंग प्रदान की थी।
- इस वर्ष WHO ने दिल्ली की हवा की गुणवत्ता को 11वाँ सबसे ख़राब रैंकिंग प्रदान की है।
- सुप्रीम कोर्ट ने दिसंबर 2015 में, 2000cc से अधिक इंजन क्षमता वाली लक्जरी ऑटोमोबाइल और स्पोर्ट्स यूटिलिटी वाहनों (SUV) के राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र में पंजीकरण पर प्रतिबंध लगा दिया था।

सुप्रीम कोर्ट के फैसले का प्रभाव

- सुप्रीम कोर्ट ने केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड से बड़ी डीजल कार और SUV विनिर्माताओं से ग्रीन लेवी प्राप्त करने के लिए सार्वजनिक क्षेत्रक के बैंकों में खाता खोलने के लिए कहा है।
- परिवहन प्राधिकरण अब ग्रीन लेवी के भुगतान की रसीद दिखाने पर ही बड़ी डीजल कार या SUV का रजिस्ट्रेशन करेंगी।
- पंजीकरण अधिकारी इसकी जाँच करेंगे कि विनिर्माता/डीलर द्वारा उक्त शुल्क का भुगतान किया गया है या नहीं।
- शीर्ष अदालत यह भी तय करेगी कि बड़ी डीजल कारों पर ग्रीन लेवी की दर क्या ऐसे वाहनों की एक्स शोरूम कीमत के 1 प्रतिशत से अधिक हो सकती है।

लेवी के पक्ष में तर्क

- उक्त प्रतिबंध से डीजल वाहनों की बिक्री पर नकारात्मक असर पड़ा था और साथ ही होने वाले निवेश पर भी प्रतिकूल प्रभाव पड़ा था। इस प्रकार की लेवी बाजार में उछाल आएगी।
- यह भी सुझाव दिया गया है कि अदालत सभी डीजल यात्री वाहनों, यहां तक कि 2000cc की क्षमता से नीचे वाले वाहनों पर हरित उपकर (ग्रीन सेस) का विस्तार करे।
- इससे पर्यावरण पर सकारात्मक प्रभाव पड़ेगा।

लेवी के विपक्ष में तर्क

- यह संदेह व्यक्त की जा रहा है कि हरित उपकर से डीजल कारों की बिक्री पर कोई असर नहीं पड़ेगा। क्या विनिर्माता खरीदारों पर इस लागत को हस्तांतरित कर पाएंगे या नहीं, इस पर भी संदेह है।
- सरकार ने तर्क दिया है कि पर्यावरण क्षतिपूर्ति शुल्क को आरोपित करने का अधिकार अदालत के पास नहीं है, बल्कि यह एक विधायी प्रक्रिया है।

VISION IAS

- कर लगाना एक विधायी अधिकार है और अदालतों द्वारा इसे नहीं लगाया जा सकता है। इसे न्यायिक धोखा की श्रेणी में रखा जा सकता है।

आगे की राह

- इस निर्णय ने डीजल ईंधन वाहनों से सम्बंधित सभी विवादों पर लगाम लगा दिया है।
- इसमें आगे सभी डीजल वाहनों को भी शामिल किया जा सकता है।
- संसद को उच्चतम न्यायलय के निर्देशों के अनुपालन और उन्हें मजबूती प्रदान करने के लिए एक कानून लाना चाहिए।
- भारत 2020 तक मध्यवर्ती स्तर को छोड़ते हुए वर्तमान BS-IV से BS-VI के कड़े उत्सर्जन मानकों को अपनाएगा।
- इससे अप्रैल 2020 तक कंपनियां अपनी वाहनों को BS-VI मानकों के अनुरूप बनाने के लिए अपना ध्यान केंद्रित करने के लिए सक्षम हो जाएंगी।

3.28 कराधान कानून (संशोधन) विधेयक, 2016

(Taxation Laws [Amendment] Bill, 2016)

सुर्ख़ियों में क्यों?

- लोकसभा ने कराधान कानून (संशोधन) विधेयक, 2016 को पारित कर दिया है, जिसमें आयकर अधिनियम,1961 और सीमा शुल्क अधिनियम (कस्टम टैरिफ एक्ट), 1975 में संशोधन संबंधी प्रावधान हैं।

विधेयक की विशेषताएं

आयकर अधिनियम, 1961

- **सार्वजनिक क्षेत्रक की कंपनियों का विघटन:** कंपनी अधिनियम, 1956 में कंपनियों को अनेकों कंपनियों में विभाजित (विघटित) होने अनुमति प्राप्त है।
- आयकर अधिनियम, 1961 में इन मूल कंपनियों से अलग होकर बनी नयी कंपनियों को ध्यान में रखते हुए उनपर कराधान का प्रावधान है।
- विधेयक में यह स्पष्ट किया गया है कि ये प्रावधान सार्वजनिक क्षेत्रक के किसी कंपनी के विभाजन के मामले में लागू होगें, क्योंकि इस प्रकार बनी नयी कंपनी अब सार्वजनिक क्षेत्रक की कंपनी नहीं रह जाएगी।
- **नए कर्मचारियों के रोजगार के संबंध में कटौतियाँ**: आयकर अधिनियम-1961, व्यवसाय में नए कर्मचारियों की भर्ती के लागत का 30% की सीमा तक कर योग्य आय पर एक कटौती प्राप्त करने की अनुमति देता है।
- अधिनियम में यह प्रावधान है कि ऐसे कर्मचारी को पिछले वर्ष में 240 दिनों की न्यूनतम अवधि के लिए नियोजित होना चाहिए।
- इसे विधेयक में **150 दिनों** की सीमा का प्रावधान है।

कस्टम टैरिफ एक्ट, 1975

- **संगमरमर और ग्रेनाइट ब्लॉक और स्लैब पर सीमा शुल्क:** वर्तमान में, निश्चित उद्देश्यों के लिए इस्तेमाल होने वाले ग्रेनाइट और संगमरमर के आयात पर 10% का सीमा शुल्क लगाया जाता है।
- विधेयक में इसे **40%** करने का प्रस्ताव है।

विश्लेषण

- भारतीय परिधान सामान्यतः गर्मियों में अधिक प्रयुक्त होते हैं अर्थात इस व्यापार की प्रकृति मौसमी है। इसलिए, कंपनियों को आयकर अधिनियम में संशोधन द्वारा मदद कर उन्हें प्रतिस्पर्धी होने के लिए प्रोत्साहन दिया गया है।
- यह जून 2016 में की गई घोषणाओं की दिशा में उठाया गया एक कदम है, जिससे वस्त्र और परिधान उद्योग में रोजगार सृजन तथा निर्यात को बढ़ावा मिलेगा। पुनः यह अगले तीन वर्षों में वस्त्र और परिधान क्षेत्र में एक करोड़ रोजगार पैदा करने की प्रतिबद्धता पूर्ण करने का भी प्रयास करेगा।
- सीमा शुल्क कानून में प्रस्तावित संशोधन का मुख्य उद्देश्य सरकार को टैरिफ के सम्बन्ध में अधिक से अधिक लचीला बनाने के लिए सक्षम करना है।
- वर्तमान में, संगमरमर ब्लॉक/स्लैब और ग्रेनाइट ब्लॉक/स्लैब का आयात गैर-टैरिफ उपायों के एक संयोजन के अधीन हैं जिसमें मात्रात्मक प्रतिबंध, न्यूनतम आयात मूल्य और टैरिफ मानक अर्थात कस्टम ड्यूटी भी सम्मिलित हैं।

4. सामाजिक मुद्दे

(Social Issues)

4.1 वाणिज्यिक सरोगेसी विधेयक

(Commercial Surrogacy Bill)

सुर्खियों में क्यों?

केंद्रीय मंत्रिमंडल ने व्यावसायिक सरोगेसी पर प्रतिबंध लगाने और केवल बांझ दंपतियों को ही सरोगेट मां द्वारा बच्चा प्राप्त करने की अनुमति देने वाले विधेयक को प्रस्तुत करने की मंजूरी दे दी है।

पृष्ठभूमि

- भारत सरोगेसी हब के रूप में उभरा है साथ ही इसके चलते इस क्षेत्र में कई अनैतिक कृत्य भी प्रकाश में आये है।
- भारतीय उद्योग परिसंघ (CII) द्वारा 2012 में किये गए एक अध्ययन के अनुसार, भारत के सरोगेट मातृत्व उद्योग का आकार प्रतिवर्ष लगभग 2 अरब डॉलर था।
- यहाँ सरोगेट मां के शोषण, सरोगेसी से पैदा हुए बच्चों का परित्याग और मानव भ्रूण और युग्मक का आयात करने वाले बिचौलियों के रैकेट के विषय में कई घटनाएँ हुई हैं।
- वर्ष 2012 में एक ऑस्ट्रेलियाई जोड़े ने कथित तौर पर भारतीय सरोगेट मां से जन्में जुड़वां बच्चों में से एक को छोड़ दिया क्योंकि उनके पास पहले से ही उस लिंग का एक बच्चा था।

STRICT NORMS

FOR PARENTS
- Married for at least 5 yrs, with no biological/ adopted children.
- Live-in partners, single parents, homosexuals, foreigners, NRIs, PIOs not allowed.

FOR SURROGATES
- A close relative, married with at least one child of her own.
- Can be surrogate mother only once in her lifetime; cannot be paid.

PUNISHMENT

प्रस्तावित विधेयक के प्रावधान

- अनिवासी भारतीय या भारतीय मूल के कार्ड धारकों को भारत में सरोगेट माँ की मदद लेने की अनुमति नहीं दी जाएगी।
- **दायरे से बाहर:** एकल पुरुष व महिला, विषमलैंगिक जोड़े जो विवाह नहीं करना चाहते, समलैंगिक जोड़े, ट्रांसजेंडर व्यक्ति तथा एकल अभिभावक सरोगेसी के जरिए बच्चा प्राप्त नहीं सकते हैं।
- कानूनी तौर पर विवाहित भारतीय जोड़े को कानूनी शादी के पांच वर्ष बाद सरोगेट बच्चा हो सकता है लेकिन इसके लिए उनके बांझपन के सबूत के रूप में एक चिकित्सा प्रमाण पत्र की आवश्यकता होगी।
- विधेयक, सरोगेट मां के शादीशुदा होने और बच्चा चाहने वाले जोड़े की करीबी रिश्तेदार होने को अनिवार्य बनाता है। साथ ही अन्य जोड़े के लिए बच्चे को जन्म देने से पहले सरोगेट मां द्वारा एक स्वस्थ बच्चे को जन्म दिया होना चाहिए।
- एक औरत केवल एक सरोगेट बच्चे को जन्म दे सकती हैं।
- कानून का उल्लंघन करने पर 10 वर्ष का कारावास या 10 लाख रुपये के जुर्माने की सजा हो सकती हैं।
- स्वास्थ्य मंत्री की अध्यक्षता में कार्यान्वयन की निगरानी करने के लिए एक राष्ट्रीय सरोगेसी बोर्ड बनाया जाएगा।
- सरोगेट माँ और सरोगेसी से पैदा हुए बच्चों के अधिकारों की रक्षा की जाएगी।

COUNTRY & POSITION

Australia Recognises only altruistic surrogacy through close relatives and friends

China Any form of surrogacy is banned

UK Recognises only altruistic surrogacy through blood relatives

US Mixed–Allows commercial surrogacy in some states, doesn't recognize any form of surrogacy in others

पक्ष

- महिलाओं का शोषण रोकना, विशेष रूप से उन गरीब महिलाओं का जिन्हें अपने परिवार का खर्च चलाने के लिए इस कारोबार में शामिल होने के लिए मजबूर किया गया।
- यह मौद्रिक लाभ के लिए बार-बार सरोगेट गर्भधारण से महिलाओं की रक्षा करता है।
- एक बच्चे को जन्म देने में किसी भी मां के स्वास्थ्य और यहां तक कि जीवन के लिए एक खतरा बना हुआ रहता है, क्योंकि ज्यादातर प्रसव सीजेरियन सेक्शन से होता है।

VISION IAS

- सरोगेट माँ अधिकांशत: गरीब या अनपढ़ महिलायें होती है जिन्हें अपने संविदात्मक अधिकारों की बहुत कम समझ हो सकती हैं।

विपक्ष

- वाणिज्यिक सरोगेसी पर पूर्ण प्रतिबंध सरोगेसी उद्योग के गैरकानूनी प्रचलन को प्रेरित करेगा और सरोगेट माताओं को अधिक कमजोर बनाएगा।
- यह आधुनिक सामाजिक वास्तविकता का ध्यान नही रखता है जहां एकल व्यक्ति, समलैंगिकों या लिव-इन जोड़ों को सरोगेसी मार्ग के माध्यम से बच्चा प्राप्त करने की इच्छा हो सकती है।
- यह सरोगेसी के कारोबार में शामिल गरीब महिलाओं की आजीविका संबधी मामलों का समाधान नहीं करता है।

4.2 मानसिक स्वास्थ्य देखभाल विधेयक, 2013

(Mental Health Care Bill, 2013)

सुर्ख़ियों में क्यों ?

- अगस्त 2016 में, मानसिक स्वास्थ्य देखभाल विधेयक, 2013 को राज्य सभा में पारित किया गया।
- नया बिल लोकसभा में पारित होने के बाद 1987 के पुराने मानसिक स्वास्थ्य अधिनियम की जगह ले लेगा।

पृष्ठभूमि

- यह बिल, 2007 के विकलांग व्यक्तियों के अधिकारों पर संयुक्त राष्ट्र अभिसमय को सरकार द्वारा मंज़ूरी देने का का परिणाम है।
- नया विधेयक पेश किया गया क्योंकि मौजूदा अधिनियम न तो पर्याप्त रूप से मानसिक बीमारी वाले व्यक्तियों के अधिकारों की रक्षा करता है और न ही मानसिक स्वास्थ्य की देखभाल तक उनकी पहुँच को बढ़ावा देता है।

विधेयक की मुख्य विशेषताएं

- **मानसिक बीमारी वाले व्यक्तियों के अधिकार**: प्रत्येक व्यक्ति को सरकार द्वारा वित्त पोषित या चलाई जा रही सेवाओं का उपयोग कर मानसिक स्वास्थ्य संरक्षण तक पहुँच और उपचार प्राप्त करने का अधिकार होगा।
- **अग्रिम निर्देश**: मानसिक रूप से बीमार व्यक्ति को अग्रिम निर्देश बनाने का अधिकार होगा जिसमे कहा गया है कि मानसिक स्वास्थ्य की स्थिति के दौरान वह कैसे बीमारी का इलाज करवाना चाहता है तथा कौन उसका नामित प्रतिनिधि होगा।
- **केन्द्र और राज्य मानसिक स्वास्थ्य प्राधिकरण**: बिल का उद्देश्य निम्न कार्यो के लिए इन संस्थाओं की स्थापना करना है:
  - पंजीकरण और निगरानी करने तथा सभी मानसिक स्वास्थ्य संस्थानों में एक रजिस्टर बनाए रखने के लिए
  - ऐसे संस्थानों की गुणवत्ता और सेवा के प्रावधान मानदंडों का विकास करना
  - मानसिक स्वास्थ्य विशेषज्ञों का एक रजिस्टर बनाकर रखना
  - मानसिक स्वास्थ्य से संबंधित मामलों पर सरकार को सलाह देना।
- **मानसिक स्वास्थ्य संस्थान**: प्रत्येक मानसिक स्वास्थ्य संस्थान का सम्बंधित केन्द्रीय या राज्य मानसिक स्वास्थ्य प्राधिकरण द्वारा पंजीकृत होना आवश्यक है।
- **मानसिक स्वास्थ्य समीक्षा आयोग और बोर्ड**: यह एक अर्ध न्यायिक निकाय होगा जो कि समय समय पर अग्रिम निर्देश और उनके बनाने की प्रक्रिया की समीक्षा करेगा तथा मानसिक रूप से बीमार व्यक्तियों के अधिकारों के संरक्षण के लिए सरकार को सलाह देगा।
- **आत्महत्या को गैर-कानूनी नही मानना**: एक व्यक्ति जो आत्महत्या का प्रयास करता है, उसे उस समय मानसिक बीमारी से पीड़ित माना जाएगा और भारतीय दंड संहिता के तहत दंडित नहीं किया जाएगा।
- **विद्युत आक्षेप चिकित्सा (Electro-Convulsive Therapy) पर रोक लगाना**: ECT की अनुमति केवल बेहोश करने के बाद ही दी जाती है। यह चिकित्सा नाबालिगों के लिए निषिद्ध है।

विधेयक का समीक्षात्मक मूल्यांकन

- ऐसे मुद्दे उठाये गए जिनके अनुसार विधेयक के कई प्रावधानों का मानसिक रोगों के इलाज में नकारात्मक प्रभाव हो सकता है।
- वर्तमान विधेयक मनोचिकित्सक को असहज कर सकता है क्योंकि यह बहुत ज्यादा नियंत्रण स्थापित करता है।
- गैर विशेषज्ञों के हाथों में मानसिक स्वास्थ्य की देखभाल के फैसले होने के कारण चिंता जताई जा रही है। मानसिक स्वास्थ्य समीक्षा बोर्ड छह सदस्यों का बोर्ड है जिनमें से केवल एक ही मनोचिकित्सक है।
- मानसिक बीमारी की अधिक विस्तृत परिभाषा से मानसिक रोगियों के एक बड़े हिस्से को नुकसान हो सकता है क्योंकि उन्हें शर्मिंदगी महसूस हो सकती है।
- विधेयक में आवश्यक व्यय के बारे में प्रावधान नही है और यह केंद्र और राज्यों के बीच खर्च को साझा करने का विवरण प्रदान नहीं करता है।
- लोक स्वास्थ्य राज्य सूची का विषय होने के कारण इस विधेयक को लागू करने के लिए राज्यों पर भारी वित्तीय दबाव डाला जाएगा।

- केंद्र द्वारा राज्य के विषय पर इस तरह के कानून लाने से सहकारी संघवाद मॉडल पर असर होगा।

आगे की राह

- मानसिक स्वास्थ्य देखभाल विधेयक में कुछ अभूतपूर्व उपाय शामिल हैं जिनका उद्देश्य, देश भर में और विशेष रूप से वंचित लोगों की मानसिक बीमारी के इलाज तक पहुँच बढ़ाने में सुधार कर एक बड़ा परिवर्तन करना है।
- विधेयक से सम्बंधित मुद्दों को हल करना आवश्यक है। विधेयक को अधिनियम के रूप में अंतिम निर्णय देने से पहले राज्यों से सलाह ली जानी चाहिए।
- यह जांच कर लेनी चाहिए कि विधेयक देश में मानसिक रोगों के इलाज में बाधाओं का निर्माण नहीं करता है।
- यह सुनिश्चित किया जाना चाहिए कि मानसिक रोगियों का बड़ा हिस्सा बिना किसी शर्मिंदगी तथा बाधा के मानसिक स्वास्थ्य देखभाल की सुविधा के लाभ उठाने में सक्षम हो।

4.3 मातृत्व लाभ (संशोधन) विधेयक, 2016

(The Maternity Benefit [Amendment] Bill, 2016)

सुर्ख़ियों में क्यों?

- अगस्त 2016 में राज्य सभा द्वारा मातृत्व लाभ (संशोधन) विधेयक, 2016 पारित किया गया।
- विधेयक का उद्देश्य मातृत्व लाभ अधिनियम, 1961 में संशोधन करना है। यह अधिनियम बच्चे के जन्म की अवधि के दौरान महिलाओं के रोजगार को नियंत्रित करता है और उन्हें मातृत्व लाभ प्रदान करता है।
- विधेयक मातृत्व अवकाश की अवधि, प्रासंगिकता और अन्य सुविधाओं से संबंधित प्रावधानों में संशोधन करता है।

विधेयक की मुख्य विशेषताएं

- यह अधिनियम 10 या उससे अधिक व्यक्तियों को रोजगार देने वाले सभी संस्थानों पर लागू है।
- **मातृत्व अवकाश की अवधि**: अधिनियम के अनुसार प्रत्येक औरत 12 हफ्तों के मातृत्व लाभ की हकदार होगी। प्रस्तावित विधेयक में यह अवधि बढ़ाकर 26 सप्ताह कर दी गयी है।
- अधिनियम के तहत, इस मातृत्व लाभ का उपयोग डिलीवरी की अपेक्षित तारीख से छह सप्ताह से पहले नहीं किया जाना चाहिए। विधेयक में यह अवधि आठ सप्ताह कर दी गयी है।
- ऐसे मामले जिनमें किसी औरत के दो या दो से अधिक बच्चे हैं, में मातृत्व लाभ 12 सप्ताह के लिए दिया जाना जारी रहेगा, जिसका उपयोग डिलीवरी की अपेक्षित तारीख से छह सप्ताह से पहले नहीं किया जा सकता है।
- **दत्तक और कमीशन माताओं के लिए मातृत्व अवकाश**: विधेयक के अनुसार निम्न स्थितियों में 12 सप्ताह का मातृत्व अवकाश प्रदान करने का प्रावधान है:
  - जब कोई औरत कानूनी तौर पर तीन महीने से कम उम्र के बच्चे को गोद लेती है;
  - जब कोई औरत **कमीशन** माँ हो। **कमीशन** माँ को जैविक मां के रूप में परिभाषित किया गया है जो भ्रूण बनाने के लिए अपने अंडे का उपयोग करती है तथा उसे किसी दूसरी औरत में प्रत्यारोपित करती है।
- **घर से काम करने का विकल्प**: विधेयक के एक प्रावधान में यह कहा गया है कि नियोक्ता अवकाश अवधि के दौरान भी घर से काम करने के लिए किसी महिला को अनुमति दे सकता है।
- **क्रेच (शिशु गृह) सुविधाएं**: विधेयक के प्रावधान अनुसार, 50 या इससे अधिक कर्मचारियों वाली प्रत्येक संस्था द्वारा एक निर्धारित दूरी के अंदर क्रेच की सुविधा प्रदान करवाना आवश्यक है।
- **मातृत्व अवकाश के अधिकार के बारे में महिला कर्मचारियों को सूचित करना**: विधेयक के एक प्रावधान के तहत संस्था द्वारा महिला कर्मचारी को उसकी नियुक्ति के समय उसके पास उपलब्ध मातृत्व लाभ के बारे में सूचित करना आवश्यक है।

विधेयक का आलोचनात्मक मूल्यांकन

- इन संशोधनों से संगठित क्षेत्र में काम करने वाली 18 लाख महिला कर्मचारियों को मदद मिलेगी।
- ये महिलाओं को उनके बच्चों का ख्याल रखने करने के लिए समय उपलब्ध कराने में भी मदद करेंगे और भारत में महिलाओं की श्रम शक्ति में भागीदारी की दर (WLFPR) में वृद्धि को सक्षम बनायेंगे।
- सूक्ष्म विश्लेषण के आधार पर मातृत्व विधेयक उतना प्रगतिशील नहीं हो सकता जितना यह लगता है ।
- यह विधेयक मुक्त बाजार के उद्यमों में महिला कर्मचारियों को कम वांछनीय बना सकता है। उदाहरण के लिए, प्रबंधकों की नियुक्ति करते समय ऐसे कर्मचारियों को नियुक्त करने से बचा जाता है जो निकट भविष्य में आधे से एक वर्ष तक के अवकाश पर रह सकते हैं।

- इस विधेयक में उन एकल पुरुषो या समलैंगिक जोड़े के बारे में कोई उल्लेख नहीं है जो सरोगेसी के माध्यम से संतान प्राप्ति करना चाह सकते हैं।
- यह विधेयक लिंग भूमिका की रुढिवादिता का स्थायीकरण करता है अर्थात् पिता को नवजात के साथ समय बिताने की जरूरत नहीं है।
- एक ऐसा देश जहां लिंग रुढिवादिता मौजूद है, में अभिभावकता की दिशा में एक लिंग संतुलित दृष्टिकोण की जरूरत है। संशोधनों में पितृत्व अवकाश के मुद्दे पर कोई ज़िक्र नहीं किया गया हैं।
- इसके अतिरिक्त विधेयक में इस बुनियादी हकीकत की चर्चा नहीं की गयी है कि पुरुष बच्चों को पालने के बोझ को महिलाओं पर छोड़ देते हैं।

आगे की राह

- बचपन के दौरान बच्चे की माँ द्वारा देखभाल, बच्चे की वृद्धि और विकास के लिए महत्वपूर्ण है।
- 46 वें भारतीय श्रम सम्मेलन में मातृत्व लाभ में वृद्धि कर इसे 24 सप्ताह करने की सिफारिश की गयी। महिला एवं बाल विकास मंत्रालय ने मातृत्व लाभ को 8 महीने करने का प्रस्ताव रखा। हालांकि वे लिंग रूढ़िबद्धता से सम्बंधित मुद्दों का समाधान करने में विफल रहे है।
- भविष्य में किये जाने वाले संशोधनों में एकल अभिभावक के लिए प्रगतिशील प्रावधानों तथा नवजात बच्चे की देखभाल के लिए एक लिंग संतुलित दृष्टिकोण अपनाते हुये पितृत्व अवकाश को शामिल किया जाना चाहिए।

4.4 राष्ट्रीय प्रौद्योगिकी संस्थान, विज्ञान शिक्षा एवं अनुसंधान (संशोधन) विधेयक, 2016

(NIT, Science Education & Research (Amendment) Bill, 2016)

सुर्ख़ियों में क्यों?

- संसद में अंतत: राष्ट्रीय प्रौद्योगिकी संस्थान, विज्ञान शिक्षा एवं अनुसंधान (संशोधन) विधेयक, 2016 को पारित कर दिया गया।
- विधेयक का उद्देश्य आंध्र प्रदेश में राष्ट्रीय महत्व के संस्थान के रूप में राष्ट्रीय प्रौद्योगिकी संस्थान की स्थापना करना है।

बिल की विशेषताएं

- विधेयक में राष्ट्रीय प्रौद्योगिकी संस्थान (NIT), आंध्र प्रदेश की राष्ट्रीय महत्व के संस्थान के रूप में स्थापना करने का प्रावधान है।
- राष्ट्रीय प्रौद्योगिकी संस्थान, आंध्र प्रदेश की स्थापना राष्ट्रीय प्रौद्योगिकी संस्थान, विज्ञान शिक्षा एवं अनुसंधान (NITSER) अधिनियम, 2007 के तहत की जाएगी।
- इस NIT को 20 अगस्त, 2015 से राष्ट्रीय महत्व के संस्थान के रूप में माना जाएगा क्योंकि इसी दिन केंद्र सरकार ने इसकी स्थापना को मंजूरी प्रदान की।
- इस विधेयक को पारित करने का मुख्य उद्देश्य आंध्र प्रदेश में राष्ट्रीय प्रौद्योगिकी संस्थान की स्थापना कर वहां के लोगों से किये गए वादे को पूरा करना था।

आगे की राह

- किसी नए संस्थान की घोषणा करने से पहले अच्छी तरह से वित्तीय जानकारी और बुनियादी सुविधाओं के मामले में योजना बनाई जानी चाहिए।
- एक पूर्णकालिक निदेशक और संकाय नियुक्त किया जाना चाहिए, जिससे प्रथम वर्ष के विद्यार्थियों को समस्याओं का सामना न करना पड़े।

4.5 धार्मिक स्थलों में महिलाओं को प्रवेश: बॉम्बे हाईकोर्ट

(Women Entry to Religious Places: Bombay HC)

सुर्ख़ियों में क्यों ?

- बंबई उच्च न्यायालय ने एक ऐतिहासिक निर्णय के तहत मुंबई में सूफी दरगाह में मजार तक महिलाओं के प्रवेश को अनुमति दी है।
- कोर्ट ने कहा है कि "महिलाओं को पुरुषों के समान हाजी अली दरगाह के गर्भगृह में प्रवेश करने की अनुमति होगी।"

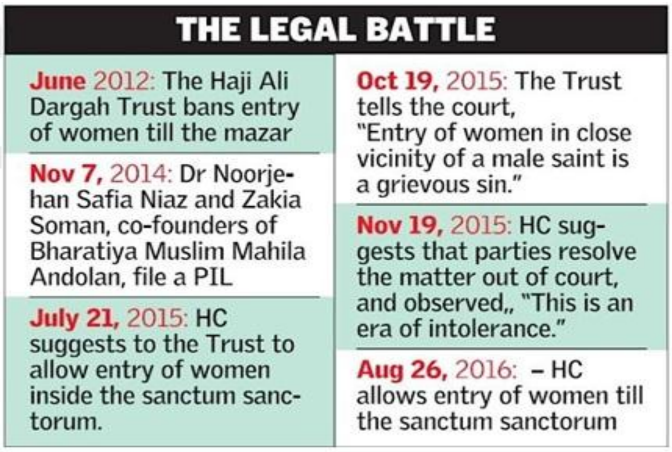

VISION IAS

पृष्ठभूमि

- चार वर्ष पहले दरगाह ट्रस्ट ने हाजी अली दरगाह के गर्भगृह में महिलाओं के प्रवेश पर रोक लगा दी।
- ट्रस्ट ने कुरान की आयतों और पैगंबर मोहम्मद का हवाला देते हुये दावा किया कि इस्लाम, दरगाह/मस्जिदों में महिलाओं को प्रवेश करने की अनुमति नहीं देता।
- ट्रस्ट ने संविधान के अनुच्छेद 26 के तहत "अपने स्वयं के मामलों का प्रबंधन करने के लिए" मौलिक अधिकार का दावा किया था।

उच्च न्यायालय की टिप्पणियाँ

- बंबई उच्च न्यायालय ने यह कहते हुए प्रतिबन्ध हटा लिया कि यह संविधान का उल्लंघन करता है तथा महिलाओं को "पुरुषों के समान" प्रवेश करने की अनुमति दी जानी चाहिए।
- कोर्ट ने कहा कि ट्रस्ट संविधान में प्रतिष्ठापित "मौलिक अधिकारों के विपरीत" इस प्रतिबंध को लागू नहीं कर सकते।
- अनुच्छेद 14 (विधि के समक्ष समानता),
- अनुच्छेद 15 (धर्म, नस्ल, जाति, लिंग या जन्म स्थान के आधार पर भेदभाव का निषेध)
- अनुच्छेद 25 (धर्म एवं अंतकरण की स्वतंत्रता और धर्म के प्रचार-प्रसार की स्वतंत्रता)।
- ट्रस्ट को सुप्रीम कोर्ट में अपील करने का अधिकार देने के लिए अदालत ने छह सप्ताह के लिए अपने आदेश पर रोक लगा दी।

निष्कर्ष

- धर्म के पुरुष संरक्षको द्वारा निषिद्ध स्थानों में पूजा करने के महिलाओं के अधिकार पर जोर देना सिर्फ आस्था के मामले में महिलाओं की समानता सुनिश्चित करने की बात नहीं है बल्कि यह धर्म पर पुरुष के स्वामित्व को तोड़ना भी है।

4.6 भारत पर तपेदिक (TB) का बोझ

(TB Burden on India)

सुर्ख़ियों में क्यों ?

- सरकार के केंद्रीय तपेदिक प्रभाग, लंदन के इंपीरियल कॉलेज और गेट्स फाउंडेशन द्वारा हाल ही में किये गए एक संयुक्त अध्ययन के अनुसार अधिकांश टीबी रोगी सरकारी अस्पतालों के बजाय निजी क्षेत्र से इलाज करवाना चाहते है।

रिपोर्ट की मुख्य टिप्पणियाँ

- अध्ययन का अनुमान है कि 2 लाख से अधिक रोगी निजी डॉक्टरों से परामर्श करते हैं और देश में 3.5 लाख से अधिक लोगों को टीबी होने की सम्भावना है।
- भारत के निजी स्वास्थ्य देखभाल तंत्र, विशेष रूप से टीबी के इलाज से संबंधित मामलों में काफी हद तक अनियमित है।
- इसका अर्थ यह है कि अधिकांश रोगियों को इस बीमारी के बारे में जानकारी नहीं होती हैं परिणामत: उन्हें उचित सहायता नहीं प्राप्त हो पाती है।
- निजी अस्पतालों में उचित प्रोटोकॉल के अभाव के कारण रोगी अक्सर जैसे ही बेहतर महसूस करते हैं, उपचार को बीच में ही छोड़ देते हैं तथा वे पूर्ण चिकित्सा के लिए अपेक्षित छह से नौ महीने का समय पूरा नहीं करते हैं।
- रिपोर्ट के अनुसार, निजी डॉक्टर टीबी रोगियों को उनके प्रथम चरण के उपचार में ही **विस्तृत श्रेणी** की एंटीबायोटिक दवायें दे देते है।
- चिकित्सा को बीच में ही रोकना, मरीज में तपेदिक बैक्टीरिया के प्रभाव को बाधा देता है।

मुद्दे

व्यवस्थित आंकड़ों की कमी

- वर्ष 2012 में परिशोधित राष्ट्रीय टीबी नियंत्रण कार्यक्रम ने प्रोटोकॉल प्रस्तुत किये जिनके अनुसार निजी स्वास्थ्य सेवा प्रदाताओं के लिए जिन टीबी के मामलों का वे इलाज करते है उनकी रिपोर्ट देना अनिवार्य कर दिया।
- सार्वजनिक क्षेत्र की तुलना में निजी क्षेत्र द्वारा अधिक मरीजों का इलाज होने के बावजूद निजी क्षेत्र में व्यवस्थित आंकड़ों की कमी है।

अन्य मामले

- टीबी का इलाज नि:शुल्क होने के बावजूद, रोगियों और उनकी देखभाल करने वालो को चुनौतियों का सामना करना पड़ता है जैसे ग्रामीण क्षेत्रों में रहने वाले गरीब मरीजों को प्रत्येक एक दिन छोड़ कर अगले दिन लंबी दूरी की यात्रा तयकर डॉट्स केंद्र तक पहुँचना पड़ता है।
- इसके अतिरिक्त डॉट्स केंद्र के टाइम-टेबल अत्यधिक सख्त होते है तथा दैनिक वेतनभोगियों के लिए अनुकूल नहीं होते हैं अत: उन्हें उपचार के लिए निजी क्षेत्र पर निर्भर रहना पड़ता है।

VISION IAS

- सार्वजनिक क्षेत्र में परामर्श अनुपस्थित होता है जो उपचार के समय, विशेष रूप से डॉट्स चिकित्सा के प्रारंभिक चरणों में रोगियों के लिए सबसे जरूरी होता है। आरएनटीसीपी में पर्याप्त योग्य सलाहकार नहीं है।

आगे की राह

- निजी क्षेत्र और सूचना प्रौद्योगिकी की सहायता से बेहतर विनियमन और आंकड़ों का संग्रह करना।
- निजी क्षेत्र में टीबी के निरीक्षण को मजबूत किया जाना चाहिए।
- रोगी के निवास की डॉट्स केंद्रों से निकटता बढ़ाने के लिए इन केन्द्रों की संख्या में वृद्धि करना।
- टीबी की देखभाल में संलग्न स्वास्थ्य कर्मियों की क्षमता को मजबूत किया जाना चाहिए
- उचित प्रशिक्षण प्रदान कर डॉट्स प्रदाताओं और मरीजों के बीच बेहतर संचार स्थापित करना।
- वर्तमान में, रोगी के अनुकूल होकर उपचार करने की बजाय कार्य को पूरा करने पर अधिक जोर दिया जाता है। इस प्रवृति में परिवर्तन होना चाहिए और RNTCP को टीबी पर नियंत्रण के लिए एक मरीज केंद्रित दृष्टिकोण पर गंभीरता से विचार करना चाहिए।

4.7 राष्ट्रीय स्वास्थ्य अनुमान लेखा

(National Health Accounts Estimates)

सुर्ख़ियों में क्यों ?

स्वास्थ्य मंत्रालय ने वित्तीय वर्ष 2013-14 के अनुमान के लिए राष्ट्रीय स्वास्थ्य लेखा जारी किया है।

जाँच–परिणाम

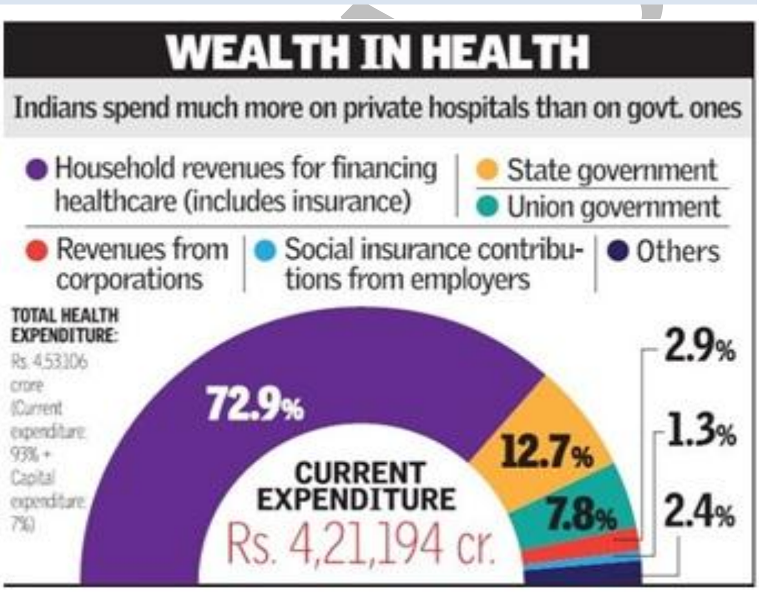

- भारतीय, सरकारी अस्पतालों की तुलना में निजी अस्पतालों में उपचार पर आठ गुना और रोगियों के परिवहन में दोगुना ज्यादा खर्च करते है।
- **कम सार्वजनिक खर्च**: स्वास्थ्य सेवा पर सार्वजनिक खर्च बहुत कम होता है। यह कुल स्वास्थ्य व्यय का लगभग 29 प्रतिशत है जो सकल घरेलू उत्पाद का लगभग 1.15 प्रतिशत मात्र है । शेष 72 प्रतिशत घरेलू व्यय से आता है।
- सुरक्षात्मक देखभाल (जिसमें राष्ट्रीय रोग नियंत्रण जैसे कार्यक्रम शामिल हैं) को भारत की स्वास्थ्य देखभाल प्रणाली के कुल वित्त का 9.6 प्रतिशत भाग प्राप्त होता है।
- देश में कुल स्वास्थ्य व्यय का लगभग 69% जेब से बाहर (Out-of-pocket) उच्च व्यय होता है। यह भारत में स्वास्थ्य बीमा की पैठ में कमी को दर्शाता है।

4.8 माँ (MAA) कार्यक्रम: स्वास्थ्य मंत्रालय

(MAA Programme: Ministry of Health)

- MAA – माताओं का निरपेक्ष स्नेह (Mothers Absolute Affection) एक देशव्यापी स्तनपान को बढ़ावा देने वाला कार्यक्रम है, जिसे स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय द्वारा हाल ही में शुरू किया गया है।
- यह स्तनपान के प्रोत्साहन तथा स्तनपान का समर्थन करने के लिए परामर्श सेवाओं के प्रावधान को बढ़ावा देता है।
- इस कार्यक्रम के मुख्य घटक, सामुदायिक जागरूकता, आशा (ASHA) के माध्यम से संचार को मजबूत बनाना, सार्वजनिक स्वास्थ्य सुविधाओं के प्रसव केन्द्रों में स्तनपान के लिए प्रशिक्षित सहायता, नियंत्रण करना, पुरस्कार आदि हैं।
- स्तनपान से मां और बच्चे के बीच एक खास रिश्ता बन जाता है और स्तनपान के दौरान हुई पारस्परिक क्रिया का जीवन में व्यवहार, बातचीत, सबके कल्याण का बोध, सुरक्षा और कैसे बच्चा अन्य लोगों से सम्बद्ध होता है आदि मामलों पर सकारात्मक प्रभाव पड़ता है।
- बच्चे के जन्म के एक घंटे के भीतर और उसके बाद विशेष रूप से पहले छह महीनों के लिए स्तनपान, बच्चे के स्वास्थ्य के लिए आवश्यक है।
- स्तनपान के शीघ्र आरम्भ से लगभग 20% नवजात शिशुओं और पांच वर्ष कम आयु के 13% बच्चों की मृत्यु को रोका जा सकता है।

4.9 प्रच्छन्न/अदृश्य भूख बायो फोर्टीफिकेशन

(Hidden Hunger Biofortification)

- संयुक्त राष्ट्र एजेंसियों के अनुमान के अनुसार "अदृश्य भूख" दुनिया भर में शारीरिक विकास और मस्तिष्क के विकास में कमी करते हुये प्रत्येक तीन बच्चों में से एक को प्रभावित करती है।
- अदृश्य भूख एक ऐसी स्थिति है जो पर्याप्त मात्रा में भोजन का सेवन करने के बावजूद शरीर में आवश्यक सूक्ष्म पोषक तत्वों की कमी के कारण पैदा होती है।
- उदाहरण के तौर पर, आमतौर पर इस्तेमाल किये जाने वाले मशीन पॉलिश्ड चावल की भूसी/चोकर (बीज के आसपास) नष्ट हो जाती है जिसमें फली और **अलयूरोन** परत होती है, जो सूक्ष्म मात्रा में आवश्यक पोषक तत्वों जैसे विटामिन, लोहा, जस्ता और अन्य अकार्बनिक घटक से युक्त होते हैं।
- जिंक एक सूक्ष्म पोषक तत्त्व है जो हमारी प्रतिरक्षा प्रणाली की रक्षा, डीएनए के संश्लेषण, घाव भरने और कई अन्य गतिविधियों के लिए आवश्यक है तथा बच्चों को शरीर में पानी की कमी और दस्त से बचाने में उपयोगी है।
- **बायो फोर्टीफिकेशन**, जिसमें चयनात्मक प्रजनन या आनुवंशिक संशोधन के माध्यम से अनाज का संवर्धन किया जाता है, एक अनूठी विधि है जिसका प्रयोग जिंक और ऐसे अन्य सूक्ष्म पोषक तत्वों को चावल, गेहूं, मक्का जैसे दैनिक आहार वाले अनाज का एक हिस्सा बनाकर इनकी मात्रा सुनिश्चित करने में किया जाता है।
- चावल की एक विशेष किस्म, DRR धान 45 (इसे IET23832 भी कहा जाता है) जिंक से भरपूर चावल का पौधा है जिसे चावल अनुसंधान संस्थान के वैज्ञानिकों के एक समूह द्वारा विकसित किया गया है। ये पौधे उन कीटों से सुरक्षित होते हैं जिनसे पत्ती को नष्ट करने वाला रोग होता है और लंबे समय तक जीवित रहते हैं।
- इनका **ग्लाइसेमिक** सूचकांक भी कम होता है अत: ये चावल मधुमेह के रोगियों के लिए बहुत उपयोगी होते हैं क्योंकि इससे लंबे समय तक के लिए भूख महसूस नहीं होती है।

4.10 बढ़ते हेपेटाइटिस के विरुद्ध भारत की लड़ाई

(India's Fight Against Growing Hepatitis)

खबर में क्यों ?

- हेपेटाइटिस, वायरस ए, बी, सी, डी और ई की वजह से यकृत में होने वाली सूजन/ जलन है। ये वायरस संचरण के प्रमुख माध्यम जैसे पानी या रक्त के आधार पर पहचाने जा सकते है और यह अपने महामारी विज्ञान, प्रस्तुति, रोकथाम और नियंत्रण में महत्वपूर्ण असमानता प्रदर्शित करते हैं।
- NCDC के एकीकृत रोग निगरानी कार्यक्रम ने 2013 में तीव्र वायरल हैपेटाइटिस के 2,90,000 मामलों की अधिसूचना प्राप्त की थी।
- यद्यपि वर्तमान में कोई आधिकारिक आंकडे उपलब्ध नहीं है फिर भी डबल्यु.एच.ओ. का मानना है कि भारत में लगभग 40 लाख लोगों को हेपेटाइटिस बी और 6 लाख लोगों को हेपेटाइटिस सी है।

मिस्र से क्या सबक सीखा जा सकता है?

- 2006 में, जब मिस्र ने हेपेटाइटिस के प्रसार को नियंत्रित करने के लिए एक राष्ट्रीय समिति का गठन किया, यह देश वैश्विक स्तर पर इस बीमारी के उच्चतम बोझ के लिए जाना जाता था।
- पिछले दशक के दौरान यहाँ हेपेटाइटिस का प्रसार 4.5 से 1 फीसदी तक कम हो गया।
- इसकी सफलता विकासशील देशों के लिए एक "रोल मॉडल" के रूप में कार्य कर सकती हैं।

महत्वपूर्ण विशेषताएं

- हैपेटाइटिस के नए मामलों को उत्पन्न होने से रोकने के लिए सिरिंज सुरक्षा को बढ़ाना।
- नाई की दुकानों में रोगाणुहीन उस्तरे का प्रयोग, पेडीक्योर और मैनीक्योर के लिए नए उपकरणों का उपयोग और रोगियों के लिए डिस्पोजेबल सीरिंज के उपयोग पर जागरूकता अभियान।
- सरकार, राजनेता, मीडिया और विभिन्न क्षेत्रों के व्यक्तियों की भागीदारी।
- हेपेटाइटिस दवा की कम लागत। यह देश अपने रोगियों का इलाज दवाओं के वैश्विक मूल्य से 1/10 मूल्य पर करने में सक्षम था।
- मिस्र ने अपना पहला हेपेटाइटिस सर्वेक्षण 1996 में किया और नवीनतम 2015 में। भारत में अभी तक पहला भी प्रवर्तन में नहीं आ सका।

VISION IAS

- मिस्र ने नए संक्रमण को रोकने के लिए अब जन्म-खुराक नीति शुरू की है।

आगे की राह

- भारत को मिस्र से प्रेरणा लेनी चाहिए और हमारी जरूरतों के अनुरूप संशोधन कर समान पद्धति का अनुसरण करना चाहिए।
- स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय ने नवजात शिशुओं की हेपेटाइटिस बी से सुरक्षा करने के लिए मिशन इंद्रधनुष के तहत एक टीकाकरण अभियान शुरू किया है, जिसका उद्देश्य शिशुओं की सात बीमारियों से सुरक्षा करना है।
- हालांकि देरी से परन्तु सरकार धीरे-धीरे डिस्पोजेबल सीरिंज की दिशा में बढ़ रही है। महाराष्ट्र एक बार प्रयोग करने योग्य सीरिंज के उपयोग को समाविष्ट करने वाले राज्यों में प्रथम स्थान पर है ।
- भारत को अभी भी प्रमाण आधारित नीतियों के लिए, निवारक उपायों को लागू करने, जागरूकता और भागीदारी बढ़ाने तथा वायरल हैपेटाइटिस की जांच और प्रबंधन करने के लिए आंकड़ों के संग्रहण की आवश्यकता है।

4.11 तीन तलाक प्रथा पर केंद्र का मत

(Center's Views Sought on Triple Talaq)

खबर में क्यों ?

- उच्चतम न्यायालय की खंडपीठ ने मुस्लिम निजी कानूनों के तहत " तलाक-ए-बिदत " (ट्रिपल तलाक), “निकाह हलाला " और बहुविवाह की प्रथाओं को अवैध और असंवैधानिक ठहराने की, पश्चिम बंगाल की एक मुस्लिम महिला की याचिका सुनी ।
- उच्चतम न्यायालय की खंडपीठ ने महिला एवं बाल विकास, कानून एवं न्याय, अल्पसंख्यक मामलों तथा राष्ट्रीय महिला आयोग के मंत्रालयों को नोटिस जारी किया तथा इस मुद्दे पर उनकी राय मांगी है।

पृष्ठभूमि

- जून में इस खंडपीठ ने इन दलों को इस याचिका के पक्ष या विपक्ष में तर्क तैयार कर एक बड़ी पीठ को सौंपने के लिए आठ सप्ताह का समय दिया।
- उच्चतम न्यायालय ने कहा कि यह एक बहुत महत्वपूर्ण मुद्दा है और यह आबादी के एक बहुत बड़े वर्ग को प्रभावित करता है तथा इस मामले में यह सभी भागीदारों को समान रूप से सुनने के लिए सहमत हुआ।

नोट: इस मुद्दे पर और अधिक जानकारी के लिए कृपया विजन का अक्टूबर 2015 करंट अफेयर्स देखें।

4.12 अगले 3 ओलंपिकों के लिए कार्यबल

(Task Force for Next 3 Olympics)

खबर में क्यों ?

- भारत को रियो ओलंपिक में दो पदक के साथ संतोष करना पड़ा। हालांकि पिछले ओलम्पिक की तुलना में 2016 के खेलों में ज्यादा खिलाड़ियों ने भाग लिया।
- पदको की संख्या 2012 के लंदन ओलंपिक के छह से नीचे आकर सिर्फ दो रह गयी।
- इस सबने प्रधानमंत्री को “कार्यबल” के गठन की घोषणा करने के लिए बाध्य किया जिससे वर्ष 2020, 2024 और 2028 में आयोजित होने वाले अगले तीन ओलंपिक खेलों में भारतीय खिलाड़ियों की "प्रभावी भागीदारी" के लिए योजना बनाने में मदद मिलेगी।

इस कार्यबल के कार्य और उद्देश्य

- यह सुविधाओं, प्रशिक्षण, चयन प्रक्रिया और अन्य संबंधित मामलों के लिए एक समग्र रणनीति तैयार करेगा।
- टास्क फोर्स, खेल प्रशासन के भारतीय और विदेशी विशेषज्ञों से मिलकर बना होगा।
- यह तीन ओलंपिक के लिए दीर्घकालिक योजना के निर्माण के लिए गठित किया जायेगा।

महत्व

- यह सही दिशा में एक कदम है, बशर्ते कि योग्य लोगों को इसमें शामिल किया जाए।
- टास्क फोर्स में लोगों की संख्या ज्यादा नहीं होनी चाहिए।
- मुख्य समूह में 20 से अधिक लोग नहीं होने चाहिए और ये लोग प्रसिद्ध खिलाड़ियों,खेल को बढ़ावा देने वाले कारोबार के प्रमुख विशेषज्ञों तथा प्रमुख उद्योगपतियों में से चयनित होने चाहिए।
- समिति के प्रयास सिर्फ पदक संख्या में सुधार करने तक सीमित नहीं होने चाहिए बल्कि संपूर्ण खेल संरचना में सुधार से सम्बंधित होने चाहिए।

VISION IAS

5. विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी

(Science & Technology)

5.1. कॉपीराइट उल्लंघन: सरकार की नीति और उपाय

(Copyright Infringement: Govt Policy and Measures)

सुर्ख़ियों में क्यों?

- सरकार ने देश में पाइरेसी की समस्या से निपटने के लिए अपनी IPR (बौद्धिक सम्पदा अधिकार) नीति के माध्यम से कॉपीराइट कानून के कठोर प्रवर्तन की योजना बनायी है।
- औद्योगिक नीति एवं संवर्द्धन विभाग (Department of Industrial Policy and Promotion: DIPP) द्वारा IPR पर राष्ट्रव्यापी जागरूकता अभियान आरम्भ किया जाएगा।
- सरकार ने ऑनलाइन कॉपीराइट के उल्लंघन के विरुद्ध कठोर चेतावनी जारी की है। इस चेतावनी में कॉपीराइट कानून के अंतर्गत दण्डनीय अपराधों को बताया गया है।

वर्तमान समस्या

- भारत में संगीत, पुस्तकों एवं फिल्मों तथा साथ ही अन्य उत्पादों के मामले में बड़े पैमाने पर कॉपीराइट उल्लंघन के मामले देखे जा रहे हैं।
- कॉपीराइट उल्लंघन में ऑनलाइन मीडिया की बहुत अधिक भागीदारी है।

भारत में कॉपीराइट कानून

- भारत में कॉपीराइट कानून की विषय-वस्तु को कॉपीराइट अधिनियम, 1957 द्वारा नियंत्रित किया जाता है।
- इसे 1957 से अब तक छ: बार संशोधित किया गया है। नवीनतम संशोधन 2012 में हुआ था।
- भारत कॉपीराइट कानून की विषय-वस्तु को प्रशासित करने वाली कई संधियों का सदस्य है। ये संधियां हैं:- बर्न कन्वेंशन -1886; यूनिवर्सल कन्वेंशन-1951, रोम कन्वेंशन-1961 एवं बौद्धिक सम्पदा अधिकारों के व्यापार संबंधी पक्षों पर समझौते (Agreement on Trade Related Aspects of Intellectual Property Rights: TRIPS)।

सामान्य कॉपीराइट उल्लंघन

- बिक्री या किराए पर देने के लिए अतिलंघन (infringing) प्रतिलिपियाँ बनाना या उन प्रतिलिपियों की बिक्री करना या किराए पर देना।
- सार्वजनिक रूप से ऐसे कार्यों के लिए किसी स्थान के प्रयोग की अनुमति देना जहाँ इस प्रकार का कार्य निष्पादन कॉपीराइट का उल्लंघन हो।
- अतिलंघन प्रतिलिपियों को व्यापारिक प्रयोजन से या कॉपीराइट के स्वामी के हित को हानि पहुँचाने के उद्देश्य से वितरित करना।
- व्यापार के माध्यम से अतिलंघन प्रतिलिपियों का सार्वजनिक प्रदर्शन।
- भारत में अतिलंघन प्रतिलिपियों का आयात करना।

सरकार की पहल के सकारात्मक पक्ष

- जागरूकता अभियानों से आशा की जा रही है कि वे जनता को बौद्धिक संपदा अधिकारों के संबंध में संवेदनशील बनाएँगे।
- नई IPR नीति, IPR प्रशासन के लिए विधिक ढाँचा स्थापित करती है।
- इसने यह लक्ष्य भी निर्धारित किया है कि यह वर्ष 2017 तक सरकार द्वारा ट्रेडमार्क का अनुमोदन करने में लगने वाले समय को एक वर्ष से कम करके एक महीना कर देगी।

कमियाँ

- हाल ही में सरकार द्वारा कॉपीराइट उल्लंघन के लिए कठोर दण्ड देने का दृष्टिकोण अपनाया गया है। वस्तुत: यह पथभ्रष्ट दृष्टिकोण है।
- पाइरेसी को केवल विनाशकारी शक्ति के रूप में ही देखा जा रहा है। इसका एक उत्पादक पहलू भी है कि यह इससे ज्ञान में बहुसंख्यक लोगों को साझेदारी मिलती है। इसके इस पहलू की पूर्ण रूप से उपेक्षा की गयी है।
- इसके अतिरिक्त मीडिया पाइरेसी के मूल कारण अर्थात वैश्विक मूल्य निर्धारण समस्या (मीडिया संबंधी वस्तुओं के उच्च मूल्य, निम्न आयों और सस्ती डिजिटल प्रौद्योगिकियों) पर विचार नहीं किया जा रहा है।

VISION IAS

कॉपीराइट अधिनियम के दण्डात्मक प्रावधान

- धारा 63 अतिलंघन के अपराधों के संबंध में है। यह 'जानबूझकर' कॉपीराइट का उल्लंघन करने वाले या उसमें भागीदारी करने वाले व्यक्ति को कारावास और जुर्माने का दण्ड देने का प्रावधान करती है।
- न्यूनतम 6 महीने का कारावास (जिसे 3 वर्ष तक बढ़ाया जा सकता है) और 3 लाख रुपए तक जुर्माने का दण्ड दिया जा सकता है।
- धारा 63-A दोबारा किए जाने वाले अपराधों से व्यवहार करती है और पुन: अपराध करने वालों के लिए पहले से अधिक जुर्माने और कारावास का प्रावधान करती है।
- धारा 65 अतिलंघन प्रतिलिपियाँ निर्मित करने के लिए प्लेट रखने से संबंधित है।

5.2. स्क्रैमजेट ईंजन का सफल परीक्षण

(Successful Testing of Scramjet Engine)

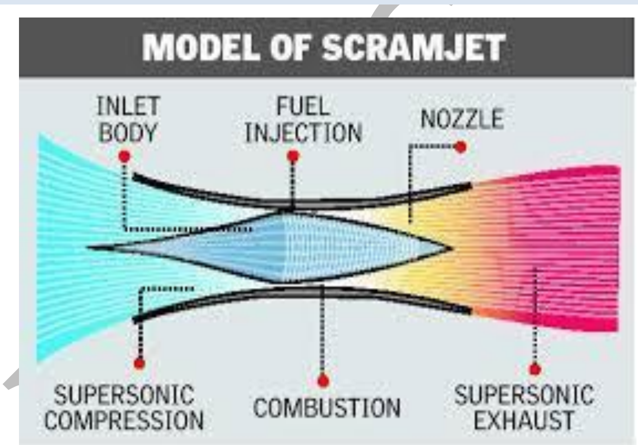

सुर्ख़ियों में क्यों?

- इसरो ने सतीश धवन अंतरिक्ष केंद्र, श्रीहरिकोटा से स्क्रैमजेट इंजन का सफल परीक्षण किया।
- भारत, स्क्रैमजेट इंजन का सफलतापूर्वक परीक्षण करने वाला चौथा देश बन गया है। इससे पहले केवल संयुक्त राज्य अमेरिका, रूस और यूरोपीय अंतरिक्ष एजेंसी ने इसका सफलतापूर्वक परीक्षण किया है।

उड़ान परीक्षण (फ्लाइट टेस्ट) के संबंध में अतिरिक्त जानकारी

- इसरो ने परीक्षण के लिए उन्नत प्रौद्योगिकी वाहन (Advanced Technology Vehicle: ATV) का उपयोग किया। यह एक ध्वनि रॉकेट है।
- ATV का आरम्भिक प्रक्षेपण सामान्यत: प्रयोग किए जाने वाले ठोस ईंधन रॉकेट मोटर द्वारा किया गया था।
- स्क्रैमजेट इंजन रॉकेट के पार्श्व में लगाए गए थे।
- स्क्रैमजेट इंजनों को 55 सेकंड बाद प्रज्वलित किया गया था और भौतिक रूप से 6 सेकंडों के लिए संचालित किया गया था।
- इंजन में प्रज्वलन हुआ और उसने ध्वनि की गति की तुलना में छ: गुना गति (Mach 6) पर दहन बनाए रखा।

स्क्रैमजेट क्या है?

- स्क्रैमजेट का अर्थ है पराध्वनिक दहन रैमजेट (Supersonic Combustion Ramjet)।
- स्क्रैमजेट वायु ग्रहण करता है और दहन से पहले ग्रहण की जाने वाली वायु को बलपूर्वक संपीडित करने के लिए उच्च गति वाहन (हाई स्पीड वीहिकल) का उपयोग करता है।
- दूसरी ओर पारंपरिक विमान इंजन, दहन से पहले पंखे का उपयोग कर वायु को संपीडित करते हैं।
- इसे वायु का श्वसन करने वाला इंजन भी कहा जाता है, क्योंकि यह हाइड्रोजन ईंधन का दहन करने के लिए वायुमंडलीय ऑक्सीजन का उपयोग करता है।
- स्क्रैमजैट इंजन केवल पराध्वनिक गति पर ही दक्षतापूर्वक कार्य कर सकते हैं।

इसका प्रयोग प्रारम्भ करने का महत्व

- स्क्रैमजैट प्रथम अवस्था में ईंधन का दहन करने के लिए ऑक्सीजन का उपयोग करता है। यह तथ्य विमान में ले जायी जाने वाली ऑक्सीकारक की मात्रा को काफी कम कर देगा।
- परिणामस्वरूप लागत-पेलोड अनुपात कम हो जाएगा।
- स्क्रैमजैट इंजन का उपयोग करने वाला रॉकेट काफी हल्का और छोटा होगा, इसलिए वह सस्ता भी होगा। यह अधिक पेलोड ले जाने में भी सक्षम होगा।
- क्रूज और अन्य मिसाइलों में स्क्रैमजैट इंजनों के कई अन्य अनुप्रयोग भी हैं।
- भारत के लिए यह उड़ान परीक्षण एक बड़ी प्रौद्योगिकीय उपलब्धि है। यह इसरो की क्षमताओं पर भी प्रकाश डालती है।

चुनौतियाँ

- स्क्रैमजैट इंजन का परीक्षण उच्च पराध्वनिक गतियों पर करना पड़ता है, इस कारण दहन की अवधि काफी लम्बी हो जाती है।

- स्क्रैमजैट इंजन की भूमिका रॉकेट द्वारा Mach 5 से अधिक गति प्राप्त करने पर आरम्भ होती है। इसलिए ऐसा इंजन बनाने की आवश्यकता है जो आरम्भिक रूप से अवध्वनिक (रैमजेट) के रूप में कार्य करे और बाद में स्क्रैमजैट इंजन की भाँति काम करे।

5.3. एडवांस्ड अल्ट्रा सुपर क्रिटिकल (AUSC) प्रौद्योगिकी

(Advanced Ultra Super Critical Technology [AUSC])

सुर्ख़ियों में क्यों?

- सरकार ने विद्युत संयत्रों के लिए एडवांस्ड अल्ट्रा सुपर क्रिटिकल (AUSC) प्रौद्योगिकी का विकास करने हेतु 1,554 करोड़ रुपए का अनुमोदन किया है।
- इसे भविष्य के ताप विद्युत संयत्रों द्वारा उपयोग किया जाएगा। भविष्य के इन ताप विद्युत संयत्रों को इस प्रकार अभिकल्पित किया जा रहा है कि उनमें कोयले की कम मात्रा का उपयोग हो और साथ ही CO_2 का उत्सर्जन भी कम हो।

महत्व

- पहली बार विशाल विद्युत संयत्र उपकरण का विनिर्माण विदेशी कम्पनियों के साथ किसी भी प्रकार के प्रौद्योगिकीय सहयोग/ लाइसेंसिंग समझौते के बिना ही उन्नत प्रौद्योगिकियों से किया जाएगा।
- यह प्रौद्योगिकी अभी भी परिपक्व नहीं हुई है और न ही विश्व में कहीं इसका प्रदर्शन किया गया है।

5.4. साइबाथ्लोन (CYBATHLON) 2016

(Cybathlon 2016)

सुर्ख़ियों में क्यों?

- इस वर्ष पहली बार ज़्यूरिख़ में 8 अक्टूबर को साइबाथ्लोन का आयोजन किया जाने वाला है।

साइबाथ्लोन के बारे में:

- यह 25 देशों से 74 एथलीटों की मेजबानी करेगा।
- इसमें छ: विधाओं को प्रदर्शित किया जाएगा।
  - फंक्शनल इलेक्ट्रिक स्टीम्युलेशन (FES) बाइसाइकिल रेस।
  - पॉवर्ड लेग प्रोस्थेसिस रेस
  - पॉवर्ड व्हीलचेयर रेस
  - पॉवर्ड एक्सोस्केलटन रेस
  - पॉवर्ड आर्म प्रोस्थेसिस रेस
  - ब्रेन कम्प्यूटर इंटरफेसेस गेम (BCI Race)।
- पैरालंपिक के विपरीत, साइबाथ्लोन मानव और रोबोटिक अवयवों के बीच इंटरफ़ेस का निर्माण करने के तरीके में उत्कृष्टता और नवोन्मेष की खोज करता है।
- इसका अभिप्राय बायोनिक तकनीक को प्रोत्साहित करना, विकास करना और व्यापक स्तर पर प्रयोग करना है।
- इसे स्विस नेशनल काम्पिटन्स सेन्टर ऑफ रिसर्च इन रोबोटिक्स (NCCR रोबोटिक्स) की ओर से आयोजित किया जाता है।
- राइसलेग्स (बेंत के बने कृत्रिम पैरों एवं चलने-फिरने में सक्षम करने वाली डिवाइस के विशेषज्ञ संगठन) द्वारा प्रशिक्षित और समर्थन प्राप्त एक भारतीय टीम इसमें भाग लेगी।

औषधि के क्षेत्र में बायोनिक प्रोद्यौगिकी

- मेडिसिन के क्षेत्र में, बायोनिक का अर्थ सामान्य रूप से अंगों या शरीर के अन्य भागों का मशीनी संस्करणों या इलेक्ट्रिकल एड ऑन द्वारा प्रतिस्थापन या संवर्धन होता है।
- बायोनिक प्रतिरोपण कृत्रिम अंगों से केवल इस अर्थ में भिन्न होता है कि यह मूल कार्य का अनुकरण बहुत सूक्ष्मतापूर्वक और यहाँ तक कि और भी अधिक उत्कृष्ट रूप से करता है।

5.5. शनि के चन्द्रमा टाइटन पर जलमग्न कैनियन पाए गए

(Flooded Canyons Found on Saturn's Moon Titan)

सुर्ख़ियों में क्यों?

- नासा के अंतरिक्षयान कैसिनी ने शनि के चन्द्रमा टाइटन पर हाइड्रोकार्बन से भरे तीव्र ढाल वाले कैनियन की खोज की है।
- ये कैनियन कई सौ मीटर गहरे पाए गए हैं।
- यह खोज टाइटन पर द्रव से भरे हुए चैनलों और कैनियनों दोनों के प्रथम प्रमाण हैं।

VISION IAS

नासा का कैसिनी-होयगेन्स मिशन

- नासा का कैसिनी मिशन अंतरिक्ष में प्रक्षेपित किए गए सर्वाधिक महत्वाकांक्षी मिशनों में से एक है।
- इस अंतरिक्षयान को दो घटक अवयवों में प्रक्षेपित किया गया था: कैसिनी यान और होयगेन्स प्रोब।
- इस अंतरिक्षयान में शक्तिशाली उपकरण और कैमरे लगे हुए हैं।
- यह विभिन्न प्रकार की वातावरणीय स्थितियों एवं प्रकाश स्प्रेक्ट्रा में सटीक मापन करने और विस्तृत छवियाँ लेने में सक्षम है।
- कैसिनी-होयगेन्स जुलाई, 2004 में शनि और उसके चन्द्रमाओं तक पहुंच गया।

5.6. ब्लैक होल के संबंध में स्टीफन हॉकिंग का पूर्वानुमान

(Stephen Hawking's Prediction about Black Holes)

- प्रयोगशाला में आभासी ब्लैक होल निर्मित करने वाले वैज्ञानिकों ने पहली बार ऐसी परिघटना देखने का दावा किया जिसके अनुसार कुछ कण ब्लैक होल से बच सकते हैं।
- इसका पूर्वानुमान ब्रिटिश भौतिक विज्ञानी स्टीफन हॉकिंग द्वारा 40 वर्ष पहले लगाया गया था।
- इससे पहले, वैज्ञानिकों द्वारा विश्वास किया जाता था कि ब्लैक होल से कभी कुछ भी, यहाँ तक कि प्रकाश भी, बचकर नहीं निकल सकता।
- लेकिन, 1974 में स्टीफन हॉकिंग ने सुझाव दिया कि कुछ कण ब्लैक होल से बचकर निकल सकते हैं। इन कणों को अब **हॉकिंग विकिरण** के नाम से जाना जाता है।
- उनके अनुसार यदि कोई कण और उसका प्रतिद्रव्य (एंटीमैटर) ब्लैक होल के किनारे पर अनायास प्रकट होते हैं तो युग्म में से कोई एक ब्लैक होल में आकर्षित किया जा सकता है जबकि दूसरा अपने साथ ब्लैक होल से कुछ ऊर्जा ग्रहण कर बच कर निकल सकता है।

प्रतिद्रव्य (एंटीमैटर)– प्रतिद्रव्य प्रतिकणों से निर्मित पदार्थ है। इसका द्रव्यमान सामान्य पदार्थ के कणों के समान होता है, किन्तु कणों के आवेश और साथ ही साथ अन्य गुणधर्म विपरीत होते हैं।

5.7. प्रोक्सिमा बी

(Proxima B)

सुर्ख़ियों में क्यों?

यह हाल ही में खोजा गया पृथ्वी-जैसा एक ग्रह है। यह प्रोक्सिमा सेंचुरी (हमारे सौर मण्डल के सर्वाधिक निकटवर्ती तारे) के चारों ओर उसके गोल्डीलॉक जोन में परिक्रमा करता है।

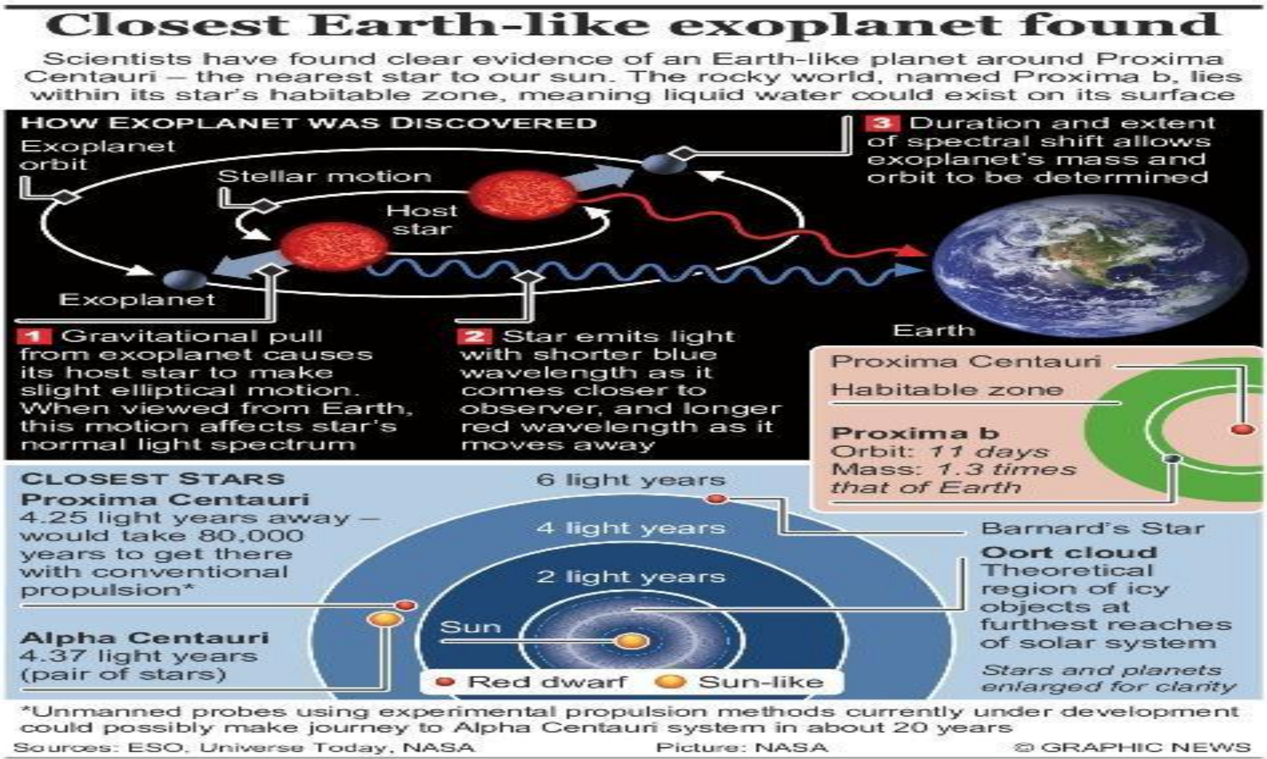

विशेषताएँ

- यह 4.22 प्रकाश वर्ष दूर है।
- इसका "वर्ष" केवल 11 दिन का होता है।
- यह ग्रह "शीतोष्ण" क्षेत्र में है जो द्रव जल की उपस्थिति के लिए उपयुक्त है।
- यह पृथ्वी की सूर्य से समीपता की तुलना में अपने तारे से 25 गुना अधिक समीप है, किन्तु इसके तारे का आकार हमारे सूर्य की तुलना में केवल 12 प्रतिशत है और चमक भी कम है इसलिए यह अधिवासयोग्य क्षेत्र में है।
- इस खोज को "बाह्य ग्रहों की खोज के बाद से बाह्य ग्रहों की सबसे बड़ी खोज" कहा गया है।

संबद्ध तथ्य: "ब्रेकथ्रू स्टारशॉट"

- रूसी अरबपति यूरी मिलनर द्वारा प्रायोजित मिशन जिन्होंने दूसरे तारामण्डल की यात्रा करने की योजना के लिए 100 मिलियन अमेरिकी डॉलर व्यय करने का संकल्प लिया है।
- आरम्भ में उनका लक्ष्य अल्फ़ा सेंचुरी था। किन्तु हाल ही में निकटवर्ती ग्रह प्रोक्सिमा-बी की खोज स्टारशॉट के लक्ष्य को परिवर्तित कर सकती है।

5.8. पावा शैल्स

(PAVA Shells)

सुर्ख़ियों में क्यों?

- गृह मंत्रालय की एक विशेषज्ञ पैनल ने निर्धारण किया कि PAVA नामक मिर्च आधारित गैर घातक युद्ध शस्त्र जम्मू-कश्मीर में पैलेट गन को प्रतिस्थापित करेगा।

यह क्या है?

- PAVA, पैलार्गोनिक एसिड वनिलिल एमाइड का संक्षिप्त रूप है। इसे नोनिवामाइड भी कहा जाता है।
- यह विशेष रूप से प्राकृतिक लाल मिर्च में पाया जाने वाला एक कार्बनिक यौगिक है।
- स्कोविले पैमाने (मिर्च का तीखापन मापने की डिग्री) पर PAVA को "एबव पीक" के रूप में वर्गीकृत किया गया है।
- इसमें मनुष्यों में अस्थायी किन्तु गंभीर रूप से जलन उत्पन्न करने एवं उन्हें शक्तिहीन करने की क्षमता होती है।

5.9. पहला मानव आनुवंशिक संपादन परीक्षण

(First Human Genetic Editing Trial)

सुर्ख़ियों में क्यों?

- चीन के वैज्ञानिक फेफड़ों के कैंसर का उपचार खोजने के लिए अगस्त 2016 में मनुष्यों पर विश्व का पहला आनुवंशिक संपादन परीक्षण करने के लिए तैयार हैं।
- कैंसर चिकित्सा विज्ञानी एक विशेष जीन संपादन तकनीक का उपयोग कर संशोधित कोशिकाएं रोगियों में डालेंगे।

यह क्या है?

- आनुवंशिक संपादन की प्रक्रिया CRISPR-Cas9 तकनीक के माध्यम से संपन्न की जाएगी।
- CRISPR (क्लस्टर्ड रेग्युलर्ली इंटरस्पेस्ड शॉर्ट पैलिन्ड्रोमिक रीपिट्स) डी.एन.ए. अनुक्रमों का संग्रह है। यह वैज्ञानिकों को चयनात्मक रूप से जीनोम के हिस्सों का संपादन करने और उन्हें नये डी.एन.ए. से प्रतिस्थापित करने में सक्षम बनाता है।
- Cas9 एक एंजाइम है। यह जीनोम संशोधन के माध्यम से आनुवंशिक पैटर्न का परिवर्तन संभव बनाते हुए डी.एन.ए. संपादित कर सकता है।
- CRISPR वस्तुतः Cas9 को काटने और चिपकाने संबंधी निर्देश देता है।

यह कैसे कार्य करता है?

- चिकित्सक फेफड़ों के कैंसर के रोगियों से T-cells (एक प्रकार की प्रतिरक्षा कोशिकाएं) निकालते और संपादित करते हैं।
- इसके बाद रोगी के शरीर में पुनःप्रविष्ट करने से पहले प्रयोगशाला में संपादित कोशिकाओं का संवर्धन किया जाता है।
- इसके बाद T-cells से ट्यूमर कोशिकाओं पर आक्रमण करने की अपेक्षा की जाती है।

निष्कर्ष

- यदि यह तकनीक सफल होती है, तो यह रक्त संबंधी रोगों, ट्यूमर और अन्य आनुवांशिक रोगों के उपचार में क्रांति ला सकती है।

- रोगी में डाली गईं संपादित T-cells सामान्य उत्तकों पर भी धावा बोल सकती हैं जिससे यह प्रक्रिया असुरक्षित बन सकती है।

5.10. एच.पी.वी. वैक्सीन की आवश्यकता

(Need for an HPV Vaccine)

सुर्ख़ियों में क्यों?

- इस बात पर बहस जारी है कि HPV (ह्यूमन पैपीलोमा वायरस) टीका सार्वभौमिक टीकाकरण कार्यक्रम में सम्मिलित किया जाना चाहिए या नहीं।

यह क्या है?

- यह टीका यौन संचारित मानव पैपीलोमा वायरस से सुरक्षा प्रदान करता है।
- यह टीका गर्भाशय ग्रीवा में होने वाले कैंसर का जोखिम भी टालता है।
- इसे प्रथम संभोग से पहले लगाए जाने की आवश्यकता होती है।
- WHO (विश्व स्वास्थ्य संगठन) विशेष रूप से 9-13 वर्ष की आयु में इस टीके की दो खुराक की अनुशंसा करता है।

विवाद क्या है?

- बेहतर व्यक्तिगत स्वच्छता, शौचालय में बहते जल की उपलब्धता और बेहतर पोषण के चलते पिछले 10 वर्षों में भारत में गर्भाशय ग्रीवा के कैंसर के मामलों में काफी कमी आई है।
- ऐसे परिदृश्य में, टीके की आवश्यकता वाद-विवाद की विषयवस्तु है क्योंकि यह काफी महंगा है।
- इसके अतिरिक्त, गर्भाशय ग्रीवा के कैंसर का खतरे टालने में इसकी क्षमता निर्धारित कर पाना दुष्कर है।
- इसके साथ ही, भारत में नियमित जांच (जैसे पैप स्मीयर टेस्ट) पर अधिक बल दिया जाता है।
- वहीं दूसरी ओर, WHO कहता है कि जांच और टीकाकरण जैसे कदम एक साथ उठाए जाने चाहिए और ये कैंसर समाप्त करने में भी सहायता कर सकते हैं।

वर्तमान स्थिति

- भारत में दो टीके: Gardasil एवं Cervarix उपलब्ध हैं।
- टीकाकरण कार्यक्रम में टीका को सम्मिलित करने का निर्णय स्वास्थ्य मंत्रालय के पास लंबित है।
- स्कूली बच्चों के लिए सार्वजनिक स्वास्थ्य कार्यक्रम के अंतर्गत यह टीका आरंभ करने के मामले में दिल्ली, देश का पहला राज्य बन गया है।

5.11. मेड-इन-इंडिया कुष्ठ रोग का टीका

(Made-in-India Leprosy Vaccine)

सुर्ख़ियों में क्यों?

भारत में विकसित अपनी तरह का पहला कुष्ठ रोग टीका बिहार और गुजरात में पायलट बेसिस पर लांच किया जा रहा है।

महत्वपूर्ण तथ्य

- इस टीके का नाम माइकोबैक्टीरियम इंडिकस प्रनी (MIP) है।
- इसे राष्ट्रीय प्रतिरक्षा विज्ञान संस्थान द्वारा विकसित किया गया है।
- यह टीका कुष्ठ रोगियों के साथ निकट संपर्क में रहने वालों लोगों को निवारक उपाय के रूप में दिया जाएगा।

कुष्ठ रोग के संबंध में महत्वपूर्ण तथ्य

- माइकोबैक्टीरियम लेप्री से होने वाला कुष्ठ रोग, प्रति वर्ष भारत में लगभग 1,27,000 लोगों को प्रभावित करता है। विश्व के लगभग 59 प्रतिशत कुष्ठ रोगी भारत में रहते हैं।
- राष्ट्रीय कुष्ठ उन्मूलन कार्यक्रम 1983 में आरंभ किया गया था।
- भारत ने दिसंबर, 2005 में सार्वजनिक स्वास्थ्य समस्या के रूप में कुष्ठ रोग के उन्मूलन का लक्ष्य प्राप्त कर लिया।
- छत्तीसगढ़ और दादरा एवं नगर हवेली में अभी भी उन्मूलन संभव नहीं हुआ है।

5.12. वैज्ञानिकों ने प्रयोग करने योग्य ईंधन बनाने के लिए CO_2 का पुर्नचक्रण किया

(Scientists Recycle CO_2 to Create Usable Fuel)

सुर्ख़ियों में क्यों?

- साइंस पत्रिका में प्रकाशित अध्ययन के अनुसार, वैज्ञानिकों ने कार्बन डाइऑक्साइड को मेथनॉल में परिवर्तित करने का अत्यंत प्रभावी तरीका विकसित कर लिया है।
- मेथनॉल का वाहनों के लिए कम उत्सर्जक ईंधन के रूप में उपयोग किया जा सकता है।

यह क्या है?

- जिस प्रकार पौधे CO_2 को शर्करा में परिवर्तित करते हैं, उसी प्रकार जीवाश्म ईंधन के जलने से बनी गैस को सौर प्रकाश के प्रयोग से उपयोग करने योग्य ऊर्जा स्रोत में परिवर्तित किया जा सकता है।
- पौधे रूपांतरण में जिस प्रकार उत्प्रेरकों का उपयोग करते हैं; उसी प्रकार यहां वैज्ञानिकों ने कार्बन डाइऑक्साइड को कार्बन मोनोऑक्साइड में परिवर्तित करने के लिए उत्प्रेरक के रूप में टंगस्टन डाईसेलेनाइड का प्रयोग किया। इसके बाद अत्यधिक अभिक्रियाशील होने के नाते कार्बन मोनोऑक्साइड को सरलतापूर्वक मेथनॉल जैसे उपयोगी ईंधन में परिवर्तित किया जा सकता है।

महत्व: यह विधि सीधे CO_2 के रूपांतरण को लक्षित करती है जिससे यह पर्यावरण संरक्षण के लिए अत्यधिक प्रभावी बन जाती है।

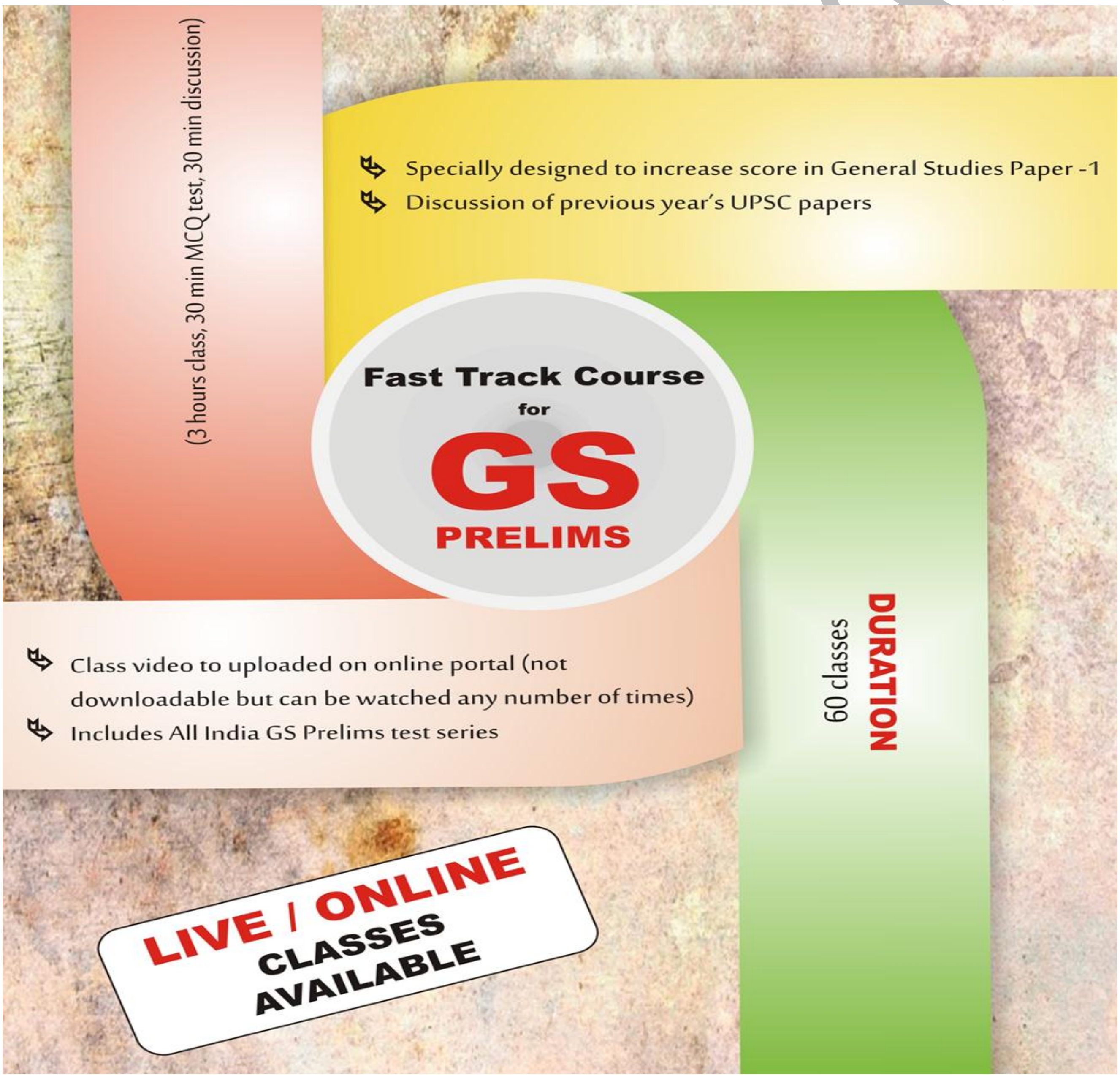

6. सुरक्षा

(Security)

6.1 राष्ट्रीय अपराध रिकार्ड ब्यूरो के आंकड़े 2015

(National Crime Records Bureau Data, 2015)

वर्ष 2015 में महिलाओं के खिलाफ अपराध में वर्ष 2014 की तुलना में कमी देखी गई है।

- बलात्कार के मामलों में 5.7% की गिरावट आई है तथा लगभग 95% मामलों में अपराधी पीड़िता के जान पहचान का है।
- हालाँकि महिलाओं के खिलाफ अन्य यौन अपराधों में 2.5% की वृद्धि हुई है। इन अपराधों में यौन उत्पीड़न, हमला या महिलाओं पर आपराधिक बल का प्रयोग तथा वस्त्रहीन स्थिति में देख कर संतुष्टि प्राप्ति की विकृत इच्छा (voyeurism) से प्रेरित होकर छिप कर देखना अथवा पीछा करने जैसे अपराध सम्मिलित हैं।
- अपहरण की घटनाओं में वर्ष 2015 में वृद्धि हुई हैं। जबरन शादी करना ,महिलाओं के अपहरण का प्रमुख कारण बना रहा।
- दिल्ली में महिलाओं के खिलाफ अपराध समग्र रूप से उच्चतम है।

B. मानव तस्करी से पीड़ित

- मानव तस्करी के 50% से अधिक मामले नाबालिगों से सम्बंधित है और उनमें से करीब 90% तस्करी लड़कियों की हुई जिन्हें जबरन वैश्यावृति में धकेल दिया गया।
- असम और पश्चिम बंगाल में वयस्क और बच्चों की तस्करी के मामले सबसे ज्यादा दर्ज किये गए हैं। इन दोनों राज्यों में मानव तस्करी की दर (प्रति 1 लाख जनसँख्या पर घटनाएँ) भी सर्वाधिक है। इन राज्यों की सीमा बांग्लादेश से जुड़ी है, जो इस उच्च संख्या के लिए जिम्मेदार है।
- NCRB के आंकड़ों के अनुसार केवल असम, पश्चिम बंगाल, बिहार और हरियाणा में देश में बच्चों की तस्करी के 85% से अधिक मामले पाए गए हैं।

C. बच्चों के विरुद्ध अपराध

- वर्ष 2014 में बच्चों के विरुद्ध अपराध में 5.3% की वृद्धि हुई।
- अपहरण और जबरन उठा लेने की घटनाएँ, बच्चों के खिलाफ अपराधों के कुल मामलों का लगभग 44.5% हैं। इसके बाद सर्वाधिक घटनाए यौन अपराध से सम्बंधित थीं।
- अपहरण तथा यौन अपराध संयुक्त रूप से बच्चों के खिलाफ अपराध के सभी मामलों का 81% हैं।
- आरोपी और पीड़ित के बीच संबंध के आधार पर वर्गीकरण से पता चलता है कि करीब 95% पीड़ित बच्चे आरोपी के जानकर थे।

D. दलितों पर अत्याचार

- चौंका देने वाला एक तथ्य यह है कि दर्ज अपराध के 45,003 मामले अनुसूचित जाति से संबंधित व्यक्तियों के विरुद्ध किये गए थे।
- NCRB द्वारा अनुमानित दलित आबादी के हिसाब से अपराध की दर 22.3 प्रति 100,000 रही।
- 2015 में अनुसूचित जनजाति के विरुद्ध किये गए अपराधों के दर्ज मामलों की संख्या 10,914 जो लगभग 10.5 प्रति 100,000 थी।

E. दंगे की घटनाएं

- दंगे की घटनाएं 2015 में 2014 के तुलना में समान बनी रही , परन्तु जहाँ सांप्रदायिक दंगों में कमी आई है, वही अन्य श्रेणियों में बड़ी वृद्धि देखी गयी जैसे - कृषि विद्रोह, वर्गीय (sectarian), छात्र दंगे और जातीय संघर्ष।
- कृषि विद्रोह की दर्ज की गयी घटनाओं में 327 प्रतिशत की वृद्धि हुई है, वर्ष 2014 के 628 से बढ़कर 2015 में यह 2683 हो गयी।
- वर्गीय दंगे - एक ही धर्म के दो सम्प्रदायों के बीच संघर्ष, जिसमें जातिगत संघर्ष शामिल नहीं है, की घटनाओं व दोष सिद्धि में वृद्धि देखने को मिली जोकि 2014 में निम्न स्तर पर था। इनमें से अधिकांश घटनाएँ उत्तर प्रदेश में घटित हुईं।
- NCRB द्वारा सांप्रदायिक दंगों में कमी दर्ज की गयी; यह 2014 में 1,227 तथा 2015 में 789 रही।

VISION IAS

- छात्र आधारित दंगों की घटनाओं में 85 प्रतिशत की वृद्धि हुई-261 से 485।
- केरल देश में राजनीतिक दंगों का बड़ा केंद्र है जहाँ कुल 1960 घटनाओं में से आधे से अधिक घटनायें (1031) घटित हुई।

6.2. जांच एजेंसियों का पहला राष्ट्रीय सम्मेलन

(First National Conference of investigating agencies)

केंद्रीय गृह मंत्री ने जांच एजेंसियों के पहले राष्ट्रीय सम्मेलन का उद्घाटन किया। सम्मेलन का आयोजन पुलिस अनुसंधान एवं विकास ब्यूरो (BPR&D) ने राष्ट्रीय जाच एजेंसी (NIA) के समन्वय से किया।

लक्ष्य

सम्मेलन का उद्देश्य एक ऐसा मंच तैयार करना था जिस पर देश की विभिन्न कानून प्रवर्तन एजेंसियाँ साथ आकर अपराध नियंत्रण हेतु एक समन्वित रणनीति पर विचार कर सकें।

गृह मंत्री के भाषण के मुख्य बिंदु

- अपराध नियंत्रण के मूलतः दो आयाम है: रोकथाम एवम खोज। रोकथाम को सर्वोत्तम उपाय माना जाता है क्योंकि इसमें अपराध को उसके प्रारंभ में ही समाप्त कर दिया जाता है। यदि अपराध हो गया है,तो जांच की गुणवत्ता ही वो नींव है जिस पर खोज आधारित होती है।
- NCRB के अनुसार , अपराधों की दोषसिद्धि की दर बहुत कम है, यही वजह है कि जांच की गुणवत्ता पीड़ितों को न्याय और अपराधी के लिए सजा सुनिश्चित करने में महत्वपूर्ण है।
- सरकार ने जांच की गुणवत्ता में सुधार के लिए विभिन्न कदम उठाए हैं, जिनमें ;
  - सामान्य अपराध के मामले में सरकार ने पुलिस की कार्यप्रणाली का पूरी तरह कंप्यूटरीकरण करने के लिए और अदालत, जेल, अभियोजन पक्ष और फोरेंसिक प्रयोगशालाओं तक इसका विस्तार करने हेतु क्राइम एंड क्रिमिनल ट्रैकिंग नेटवर्क सिस्टम (CCTNS) परियोजना का पुनरोत्थान किया है।
  - महिलाओं की सुरक्षा: महिलाओं के विरुद्ध अपराध की जाँच करने के लिए , स्त्री विरुद्ध अपराध पर समर्पित जांच इकाईयों (IUCAW) को भारत के 564 जिलों में स्थापित किया जा रहा है।
  - **अनुसूचित जाति / जनजाति के खिलाफ अपराध:** सरकार ने अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति (अत्याचार निरोधक) एक्ट में संशोधन करके उसमें अपराधों की नयी श्रेणियों की प्रविष्टि द्वारा उसे और मज़बूत बनाया है।
- साइबर अपराध के मामले
  - केन्द्र सरकार ने राष्ट्रीय स्तर पर सभी प्रकार के साइबर अपराधों से निपटने के लिए भारतीय साइबर अपराध समन्वय केंद्र (I4C) की स्थापना की है ।
  - I4C का उपयोग चाइल्ड पोर्नोग्राफी और ऑनलाइन दुर्व्यवहार सहित साइबर अपराध की जांच के लिए किया जा सकता है।
  - I4C साइबर अपराध के खिलाफ लड़ाई में नोडल पॉइंट तथा कानून प्रवर्तन एजेंसियों के लिए पूर्व चेतावनी प्रणाली के रूप में कार्य करेगा।
  - यह पीड़ितों के लिए एक प्लेटफार्म की भी स्थापना करेगा जहाँ वे साइबर अपराध सम्बन्धी शिकायतें दर्ज करा सकें।
- सोशल मीडिया की चुनौतियां
  - आतंकवादियों द्वारा इंटरनेट आधारित सोशल मीडिया के व्यापक उपयोग के कारण, हमें नए खतरों का सामना करना पड़ रहां हैं।
  - इन चुनौतियों का सामना करने के लिए, इंडियन कंप्यूटर इमरजेंसी रिस्पांस टीम (CERT-IN) , एडवांस्ड कम्प्यूटिंग विकास केंद्र (C-DAC) जैसे विशेषज्ञ संगठनों की वर्तमान क्षमताओं को मजबूत करने की आवश्यकता है।

6.3. साइबर अपराध

(Cybercrimes)

PWC और एसोचैम द्वारा किये गए एक संयुक्त अध्ययन के अनुसार भारत में साइबर अपराध के दर्ज मामलों की संख्या में 2011 से 2014 की अवधि में 350 प्रतिशत तक की वृद्धि हुई है, ।

VISION IAS

- अतीत में, ज्यादातर ऐसे हमले अमेरिका, तुर्की, चीन, ब्राजील, पाकिस्तान, अल्जीरिया, तुर्की, यूरोप, और संयुक्त अरब अमीरात जैसे देशों पर किये गए थे।
- बहरहाल, इंटरनेट और स्मार्ट फोन के बढ़ते उपयोग के साथ, भारत साइबर अपराधियों के बीच पसंदीदा देशों में से एक के रूप में उभरा है।

6.4 अंग तस्करी (मानव अंगों का संगठित अवैध व्यापार)

(Organ Trafficking [organized illegal trade in organs])

चर्चा में क्यों?

मुंबई में एक शीर्ष निजी अस्पताल में अंग प्रत्यारोपण के काम में लगे हुए कई उच्च स्तरीय डॉक्टरों की गिरफ्तारी।

WHO के अनुसार अंग तस्करी एक वाणिज्यिक प्रत्यारोपण है , जिसमे मुनाफ़ा होता है, यह प्रत्यारोपण राष्ट्रीय चिकित्सा प्रणालियों के बाहर होते हैं।

ऐसे व्यापार के कारण

- मांग और आपूर्ति का अंतर: जीवन को खतरे में डालती अंग विफलता से पीड़ित लोगो द्वारा अंगों की विशाल मांग सृजित होती है जिसकी आपूर्ति नहीं हो पाती। ऐसे लोग किसी भी संभव स्रोत से अंग प्राप्त करेंगे ।
- बहुत कम पंजीकृत दाता।
- ब्रेन डेड मरीजों या बीमार मरीजों से प्राप्त अंग दान की कम दर।
- जबकि कुछ मामलों में लोग पैसे के लिए अपने गुर्दे बेचते हैं , ऐसे भी मामले है जहाँ गुर्दे मरीज की सहमति के बिना ही निकाल लिए जाते हैं।

कानूनी प्रावधान

- 1994 में पारित मानव अंग प्रत्यारोपण अधिनियम 'असम्बद्ध प्रत्यारोपण' को आपराधिक ठहराता है और केवल एक कठोर प्रक्रिया के द्वारा ही इसकी अनुमति का प्रावधान करता है।
- अधिनियम में कहा गया है कि अंग प्रत्यारोपण होने से पहले एक प्राधिकरण समिति से अनुमोदन आवश्यक है।
- छोटे अस्पतालों के लिए समिति राज्य / क्षेत्रीय स्तर पर आधारित हो सकती है। एक वर्ष में 25 से अधिक प्रत्यारोपण करने वाले बड़े अस्पतालों के लिए आतंरिक समिति स्थापित की जा सकती है।

आगे की राह

- यदि देश ऐसे लोगो का एक पूल निर्मित करे जिनके मस्तिष्क मृत हो चुके हैं और जिन्होंने अंग दान की पेशकश की हो तो अंगों की मांग पूरी की जा सकती है ।
- जिस तरह अंगों (गुर्दे, जिगर, हृदय आदि) की मांग बढ़ रही है, अंगों के वाणिज्यिक व्यापार को गैरकानूनी बनाने के लिए सर्वाधिक उपयुक्त तरीका यह होगा कि अंगों की स्वैच्छिक आपूर्ति को बढ़ाया जाये। और इसके लिए कहीं अधिक जागरुकता की आवश्यकता है।
- कई डॉक्टरों ने सुझाव दिया है कि दाताओं के लिए प्रोत्साहन राशि को वैधता प्रदान करना शोषक बिचौलियों को रोकने के लिए सबसे अच्छा तरीका है। लेकिन भारत जैसे व्यापक सामाजिक-आर्थिक असमानता से घिरे देश में, अंग दान के लिए प्रोत्साहन राशि प्रदान किये जाने की व्यवस्था अमीरों को अंग देने के लिए गरीबों के शोषण की प्रक्रिया को संस्थागत रूप प्रदान कर सकती है।

6.5 महाराष्ट्र आंतरिक सुरक्षा संरक्षण अधिनियम

(Maharashtra Protection of Internal Security Act)

चर्चा में क्यों ?

महाराष्ट्र सरकार ने आंतरिक सुरक्षा अधिनियम " आतंकवाद, उग्रवाद, सांप्रदायिकता और जातीय हिंसा" से उत्पन्न चुनौतियों से निपटने के लिए एक मसौदा बनाया है। स्वयं आंतरिक सुरक्षा अधिनियम का मसौदा बनाने वाला महाराष्ट्र देश का पहला राज्य है।

महाराष्ट्र आंतरिक सुरक्षा संरक्षण अधिनियम (MPISA), 2016 की मुख्य विशेषताएं:

अधिनियम ने आतंरिक सुरक्षा को 'राज्य के लिए उसकी सीमाओं के भीतर खतरा उत्पन्न करने वाली 'एक स्थिति के रूप में परिभाषित किया है ।

VISION IAS

- यह मसौदा सभी सार्वजनिक स्थानों के लिए चाहे वह सार्वजनिक या निजी स्वामित्व में हो - पुलिस द्वारा आदेशित सीसीटीवी निगरानी और सुरक्षा व्यवस्था को अनिवार्य बनाता है।
- अधिनियम के तहत विशेष सुरक्षा क्षेत्र (SSZ) स्थापित किये जायेंगे, जहां से हथियार और विस्फोटकों और बेनामी धन के प्रवाह की आवाजाही को प्रतिबंधित कर दिया जाएगा। अधिनियम में यह भी परिभाषित है की SSZ के पास एक पृथक पुलिस अवसंरचना भी होगी।
- यह महत्वपूर्ण बुनियादी ढांचा क्षेत्रों (CIS) को परिभाषित करता है, और इसके दायरे में परमाणु रिएक्टरों, बांधों, प्रमुख परियोजनाओं, तटीय क्षेत्रों को भी शामिल करता है।
- मसौदा में एक 'राज्य आंतरिक सुरक्षा समिति' का भी प्रावधान किया गया है जिसके पदेन अध्यक्ष मुख्यमंत्री होंगे तथा गृह राज्य मंत्री एवं मुख्य सचिव इसके सदस्य होंगे।
- मसौदे में राज्य की सुरक्षा को धमकी देने वाले लोगों के लिए तीन वर्ष की जेल की सजा और जुर्माना का भी प्रावधान है।

प्रस्तावित कानून के प्रति आशंकाएं

- राज्य का दायित्व नहीं :इस कानून के तहत जिन लोगों पर गलत तरीके से आरोप लगाया गया है ऐसे नागरिक न तो राज्य पर मुकदमा कर सकते हैं न ही उससे क्षतिपूर्ति की मांग कर सकते हैं क्योंकि अधिनियम में किये गए प्रावधानों के अंतर्गत राज्य को ऐसी किसी भी कार्रवाई के विरुद्ध संरक्षण प्रदान किया गया है।
- मानव अधिकारों का उल्लंघन: ऐसी प्रत्येक स्थिति में जब कि इस तरह के कानूनों के तहत पुलिस के हाथों में अप्रतिबंधित शक्तियां प्रदान की गयी हैं उसका परिणाम मनमाने ढंग से गिरफ्तारियाँ, झूठे आरोप ,मुकदमों के बिना ही लम्बे समय तक कारावास,यातना एवं हिरासत में मौतों के रूप में प्रदर्शित हुआ है। इस का एक उदाहरण 2006 का मालेगांव विस्फोट मामला महाराष्ट्र से ही सम्बंधित है ।
- सीसीटीवी की तैनाती व्यक्ति की निजता के अधिकार का हनन है।
- कानूनों की बहुलता: आंतरिक सुरक्षा का प्रबंध करने के लिए , राज्य में पहले से ही संगठित अपराध नियंत्रण अधिनियम (MCOCA), 1999 ,2008 एवं 2012 में दो बार संशोधित गैरकानूनी गतिविधि (रोकथाम) अधिनियम (UAPA), 1967, और राष्ट्रीय सुरक्षा कानून (NSA), 1980 जैसे क़ानून मौजूद हैं।

6.6. अंतरिक्ष में क्वांटम प्रयोग (QUESS)

(Quantum Experiments at Space Scale [QUESS])

चीन ने विश्व के पहले क्वांटम उपग्रह का सफलतापूर्वक प्रक्षेपण किया।

- इसे 5 वीं सदी ईसा पूर्व के चीनी दार्शनिक एवं वैज्ञानिक,जिन्हें मानव इतिहास में प्रकाशिकी पर प्रयोग करने वाला प्रथम व्यक्ति माना जाता है , के नाम पर 'मिसिअस(Micius)'उपनाम दिया गया है।
- QUESS को इस तरह डिजाईन किया गया है कि अपने दो वर्षीय अभियान में यह अंतरिक्ष से धरती पर अनक्रैकेबल कीज़ को ट्रांसमिट कर हैक प्रूफ क्वांटम संचार को स्थापित करे तथा क्वांटम भौतिकी की अद्भुत परिघटना क्वांटम एनटैंगलमेंट के विषय में वैज्ञानिकों को कुछ जानकारी प्रदान कर सके।

6.7. स्कॉर्पियन पनडुब्बी डेटा लीक

(Scorpene Submarine Data Leak)

स्कॉर्पियन एक पारंपरिक तकनीक आधारित 1,500 टन वजनी पनडुब्बी है और यह 300 मीटर की गहराई तक जा सकती है। मझगांव डॉक्स लिमिटेड (MDL) फ्रांस के DCNS से प्रौद्योगिकी हस्तांतरण के साथ 6 स्कॉर्पीन पनडुब्बियों का निर्माण कर रहा है।

डेटा लीक

- भारतीय नौसेना में जल्दी ही शामिल होने वाली फ्रेंच स्कॉर्पियन पनडुब्बियों की मारक एवं स्टील्थ क्षमताओं के विषय में विस्तार से विवरण देने वाले डाटा के लीक होने का पता चला है।
- रिपोर्ट में कहा गया है कि इस तरह का डाटा लीक पाकिस्तान या चीन जैसे भारत के सामरिक प्रतिद्वंद्वियों को महत्वपूर्ण खुफिया सूचनाएं प्रदान कर सकता है।
- भारत ने सूचना लीक होने की वजह से होने वाले नुकसान का पता लगाने के लिए जांच प्रक्रिया शुरू की हैं।

VISION IAS

- हालाँकि रक्षा अधिकारियों ने स्कॉर्पीन पनडुब्बियों से संबधित डेटा लीक के प्रभाव को कम आंका है। इसके पक्ष में यह कहा गया है की तकनीकी विशिष्टताओं से सम्बद्ध जो सूचना जारी की गयी है वह विनिर्माता द्वारा दी गयी थी जबकि परिचालनात्मक विवरण पनडुब्बी को बेड़े में शामिल किये जाने पर नौसेना द्वारा निर्धारित की जायेगी।

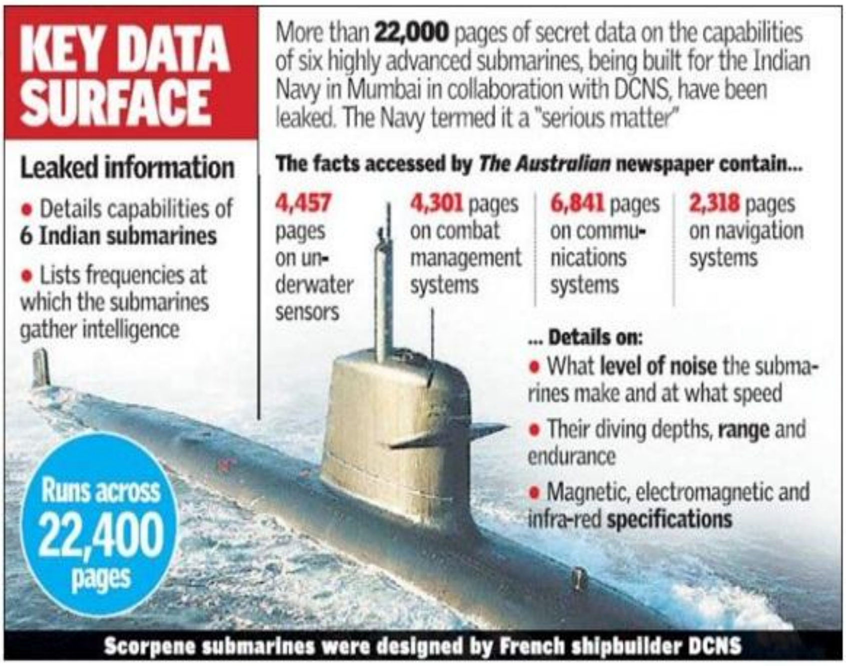

भारत के लिए चिंता

- इस रिपोर्ट द्वारा लीक सूचना भारत की समुद्री सुरक्षा को कमजोर करेगी।
- यह देश की हिंद महासागर रणनीति के मार्ग में बाधक सिद्ध हो सकता है। हिंद महासागर में चीनी पनडुब्बी गतिविधि नाटकीय रूप से पिछले कुछ वर्षों में बढ़ी है।
- यह साइबर सुरक्षा और रक्षा उत्पादन मानदंडों के पुनरावलोकन की अनिवार्यता को दर्शाने वाली एक चेतावनी है।
- असुरक्षा संबंधी एक अन्य महत्वपूर्ण तथ्य यह भी है कि भारत द्वारा लगभग अपनी सभी सैन्य जरूरतों का आयात किया जाना जारी है।इसमें संलग्न कर्ताओं या पक्षों की बहुलता का अर्थ यह है की लीक एवं हैकिंग जैसी घटनाओं की संभावना और बढ़ेगी।
- दूसरा यह कि भारत अपनी अधिक संवेदनशील प्रणालियों को सुरक्षित करने के विषय में अभी भी निष्क्रिय बना हुआ है। साइबर सुरक्षा अभी भी एक पालिसी डोमेन बना हुआ है जो दर्ज़न भर से अधिक एजेंसियों के मध्य बंटा हुआ है। ये सब एक साइबर सुरक्षा कमांड की आवश्यकता की ओर इंगित करती है जो अभी भी केवल कागजों पर ही सिमटा हुआ है।

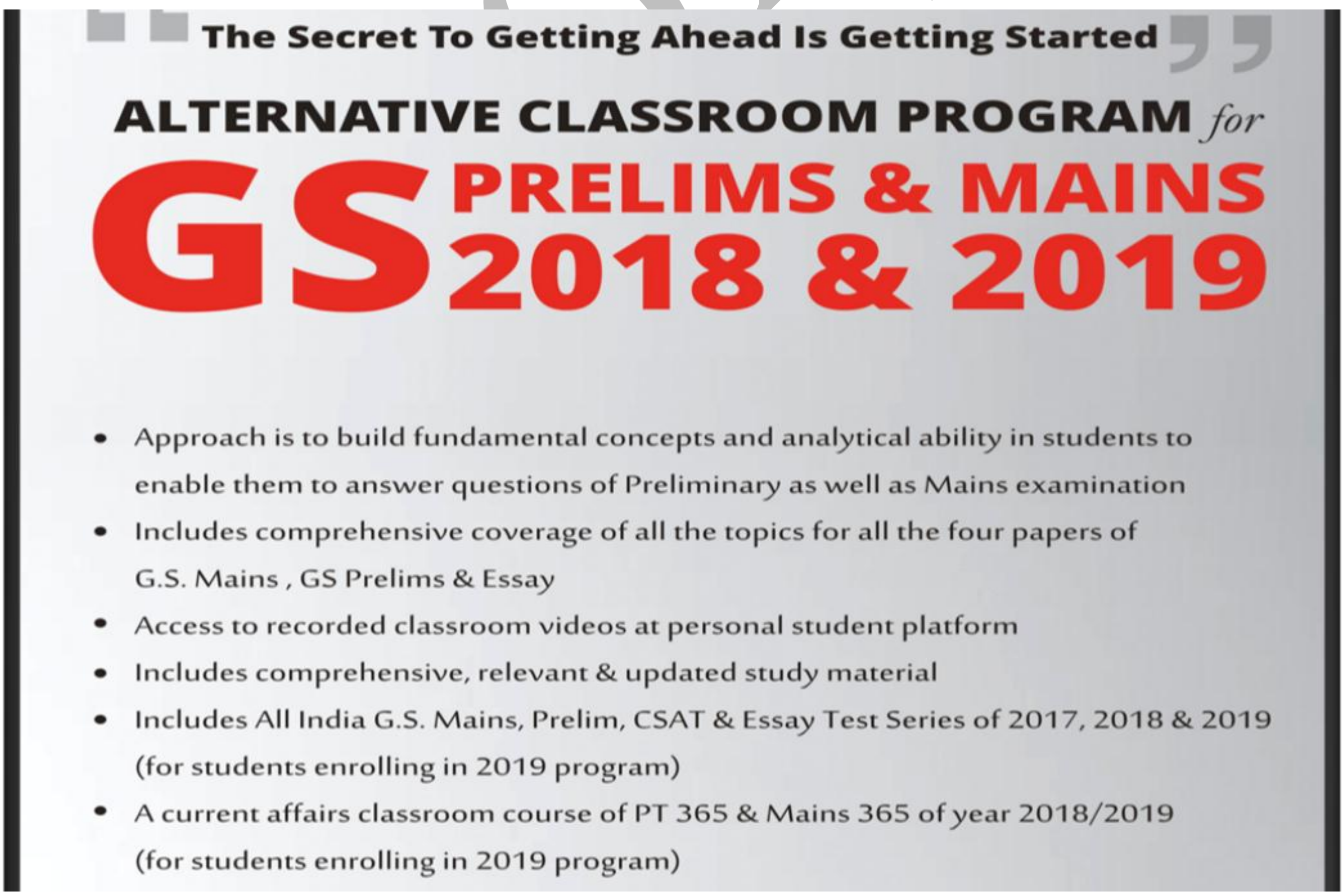

7. पर्यावरण

(Environment)

7.1. पर्यावरण एवं वन मंत्रालय द्वारा पर्यावरण जागरूकता गतिविधियाँ

(Environment Awareness Activities by MOEF)

स्वच्छता पखवाडा अभियान

यह स्वच्छ भारत मिशन के तहत 2 अक्टूबर 2019 तक संपूर्ण स्वच्छता और साफ-सफाई को प्राप्त करने के प्रयासों में तेजी लाने के सरकार के प्रयासों का एक हिस्सा है।

- इसके तहत विभिन्न मंत्रालयों द्वारा विषय-वार (थीम-वाइज) स्वच्छ भारत पखवाड़े का आयोजन किया जा रहा है।
    - उदाहरण के लिए- जून 2016 में, कॉर्पोरेट मामले के मंत्रालय ने स्वच्छता पखवाड़ा मनाया और फर्मों और अन्य हितधारकों से एक पखवाड़े के लिए साफ-सफाई से संबंधित गतिविधियों को आयोजित करने के लिए कहा।
    - इसी तरह, पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय ने इस महीने स्वच्छ भारत पखवाड़े का आयोजन किया।
- यह पूर्णतया स्वैच्छिक है तथा इसका उद्देश्य जागरूकता पैदा करना, लक्षित कार्यक्रमों का क्रियान्वयन, प्रतिज्ञाओं को आहूत करना CSR पर खर्च आदि है।

इको-क्लब

- इको-क्लब मंत्रालय के राष्ट्रीय हरित कोर कार्यक्रम (National Green Corps programme) के तहत स्थापित किये गए हैं जो स्वच्छता से संबंधित विभिन्न गतिविधियों को कार्यान्वित करते हैं जैसे- वाणिज्यिक क्षेत्रों के पास सफाई अभियान और सार्वजनिक कुओं, तालाबों और इलाके की नदियों की सफाई।
- वृक्षारोपण अभियान / ग्रीनिंग नेबरहुड जैसी अन्य गतिविधियों, नुक्कड़ 'नाटकों' का प्रदर्शन किया ;
- स्वयंसेवकों ने संबंधित विषयों की प्रतिज्ञा ली; संबंधित विषयों पर रैलियां निकली गयी, पोस्टर और नारे प्रतियोगिताओं का आयोजन किया गया |

नेशनल ग्रीन कोर कार्यक्रम (National Green Corps programme)

- **नेशनल ग्रीन कोर** पर्यावरण के प्रति जागरूकता पैदा करने के लिए पर्यावरण एवं वन मंत्रालय की एक प्रमुख पहल है।
- यह 2001-02 में शुरू की गयी थी और इसका लक्ष्य पर्यावरण संरक्षण और सतत विकास की दिशा में काम कर रहे युवा बच्चों के काडर का निर्माण करना है।
- यह इको-क्लबों के माध्यम से संचालित किया जा रहा है जो स्कूलों में स्थापित किये गये हैं और NGC के सदस्यों के रूप में पंजीकृत हैं।
- यह कार्यक्रम क्षेत्र के अनुभवों को स्कूली बच्चों के समक्ष प्रदर्शित करता है और उनके विचारों को रचनात्मक कार्रवाई में परिवर्तित करने का अवसर प्रदान करता है।
- इस कार्यक्रम का प्रभाव प्रपाती (cascading) रहा है जैसा कि यह पर्यावरण के अनुकूल दृष्टिकोण और कार्यों के प्रति छात्रों की चेतना को दिशा निर्देशित करने का प्रयास करता है और स्कूल की सीमाओं से पार जाकर समाज को जागरूक करने के लिए स्कूल-समाज के मध्य पारस्परिक क्रिया को बढ़ावा देता है।

UPSC IN PAST: Pre 2016

Q.एक राष्ट्रीय मुहिम 'राष्ट्रीय गरिमा अभियान' चलाई गई है

(a) आवासहीन और निराश्रित लोगों के पुनर्वासन और उन्हें उपयुक्त जीविकोपार्जन के स्रोत प्रदान करने के लिए

(b) यौन-कर्मियों (सेक्स वर्कर्स) को उनके पेशे से मुक्त कराने और उन्हें जीविकोपार्जन के वैकल्पिक स्रोत प्रदान करने के लिए

(c) मैला ढोने की प्रथा को समाप्त करने और मैला ढोने वाले कर्मियों के पुनर्वासन के लिए

(d) बँधुआ मजदूरों को उनके बंधन से मुक्त कराने और उनके पुनर्वासन के लिए

VISION IAS

7.2. भारत में आपदा प्रबंधन के लिए वित्तीय तंत्र

(Finance Mechanism of Disaster Management in India)

वर्तमान तंत्र: राष्ट्रीय आपदा मोचन कोष (NDRF)

- आपदा प्रबंधन अधिनियम, 2005 (DM Act) की धारा 46 के तहत एक NDRF की स्थापना की गयी है। इसने 13वें वित्त आयोग की सिफारिशों पर तत्कालीन राष्ट्रीय आपदा आकस्मिक कोष (NCCF) का स्थान लिया।
- यह आपातकालीन प्रतिक्रिया, राहत और पुनर्वास के खर्चे को पूरा करने के लिए केंद्र सरकार द्वारा प्रबंधित किया जाता है।
- NDRF गंभीर प्रकृति की आपदाओं के मामले में तत्काल राहत सुविधा प्रदान करने के लिए राज्यों के राज्य आपदा प्रतिक्रिया कोष (SDRF) के पूरक के रूप में गठित की गयी है।
- NDRF उत्पाद शुल्क और सीमा शुल्क के दायरे में आने वाली कुछ वस्तुओं पर उपकर के माध्यम से वित्त पोषित होता है जिसे हर वर्ष वित्त विधेयक के माध्यम से मंजूर किया जाता है। NDRF के तहत आवंटित धन से अधिक कोष की जरूरत को सामान्य बजटीय संसाधनों के माध्यम से पूरा किया जाता है।

एक उपशमन फंड की आवश्यकता क्यों है?

- NDRF केवल आपदा पश्चात (पोस्ट-डिजास्टर) मुद्दों पर ध्यान देता है।
- हालांकि, DM अधिनियम 2005 की मूल भावना, नयी राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन योजना और सेंडाइ फ्रेमवर्क आपदा रोकथाम, तैयारी और शमन पर ध्यान केंद्रित करने की मांग करते हैं।
- इस प्रकार, शमन के उद्देश्य के लिए परियोजनाओं को विशेष रूप से पर्याप्त वित्तीय सहायता की आवश्यकता है और एक अलग कोष राष्ट्रीय आपदा शमन फंड गठित किए जाने की जरूरत है।
- सुप्रीम कोर्ट ने मई 2016 में इससे पहले, इस तरह के एक कोष का गठन करने के लिए सरकार से कहा था।

विपक्ष में तर्क

- हालांकि,हाल ही में केंद्र सरकार ने शमन के उद्देश्य के लिए इस तरह के एक कोष की जरूरत को नकार दिया है क्योंकि पहले से ही मौजूद केन्द्र प्रायोजित योजनाओं (CSS) / केन्द्रीय क्षेत्र (CS) की योजनाओं जैसे कि प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना, कृषोन्नती योजना, राष्ट्रीय सतत कृषि मिशन, मनरेगा, बड़ी सिंचाई परियोजनाएं, नमामि गंगे-राष्ट्रीय गंगा योजना, नदी बेसिन प्रबंधन, राष्ट्रीय नदी संरक्षण योजना और जल संसाधन प्रबंधन मिशन द्वारा उपशमन का कार्य किया जा रहा है।
- एक अलग उपशमन फंड प्रयासों के दोहराव (डुप्लीकेशन) को बढ़ावा देगा।
- इसके अतिरिक्त, वित्त मंत्रालय ने सभी CSS योजनाओं (उन योजनाओं को छोड़कर जो किसी क़ानून के तहत बनी हैं (जैसे- MGNREGA) के लिए कुल परिव्यय के 10% का प्रावधान फ्लेक्सी फंड के रूप में किया है, जो शमन के लिए इस्तेमाल किया जा सकता है।

7.3. बाढ़ प्रबंधन

(Flood Management)

सुर्ख़ियों में क्यों?

इस वर्ष अगस्त में उत्तर प्रदेश, बिहार और मध्य प्रदेश में बाढ़ से व्यापक पैमाने पर क्षति हुई थी। इसका मुख्य कारण हिमालय के गिरिपादीय क्षेत्र में भारी वर्षा होना था जबकि उत्तर प्रदेश और बिहार में बाढ़ के समय सामान्य वर्षा दर्ज की गयी।

बाढ़ क्या है ?

बाढ़ एक नदी चैनल के साथ या तट पर उच्च जल स्तर की एक अवस्था है जो सामान्य रूप से जल प्लावित नहीं रहने वाली भूमि को जलप्लावित कर देती है। इसलिए बाढ़ एक प्राकृतिक

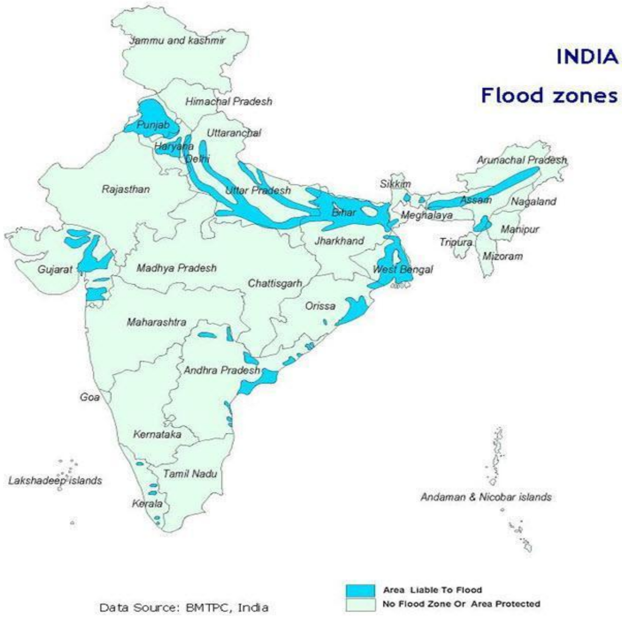

VISION IAS

आपदा है जो फसलों, पशुओं और मानव जीवन को काफी नुकसान पहुंचाती है।

समकालीन बाढ़ के कारण

- नदियां जलग्रहण क्षेत्र (कैचमेंट) से भारी मात्रा में तलछट भार लाती हैं। यह नदियों की अपर्याप्त वहन क्षमता के साथ मिलकर बाढ़ के लिए जिम्मेदार हैं।
- जल निकासी (ड्रेनेज) में अवसादों का जमाव और
- नदी-तटों का कटाव।
- नदियों के मुक्त प्रवाह में रुकावट: डेल्टा क्षेत्रों में अवसादन

अन्य सामान्य कारण

- भारत में वार्षिक वर्षा का 75% भाग मानसून ऋतु के 3-4 महीने में केंद्रित है। परिणामस्वरुप इस अवधि में नदियों से बहुत भारी मात्रा में जल का निर्वहन होता है जो बड़े पैमाने पर बाढ़ की स्थिति उत्पन्न करता है।
- चक्रवात तथा चक्रवाती परिसंचरण एवं मेघ प्रस्फोट के कारण फ़्लैश फ्लड आती है जिससे भारी नुकसान होता है।
- तूफान महोर्मि (surges) और तटीय जलप्लावन।
- नदियों के विसर्पण की प्रवृत्ति
- शहरी बाढ़: शहरों और कस्बों में जलमार्ग के अंधाधुंध अतिक्रमण, नालियों की अपर्याप्त क्षमता और जल निकासी के बुनियादी ढांचे के रखरखाव के अभाव में छोटी अवधि में भारी वर्षा की घटनाओं में वृद्धि की वजह से आने वाली बाढ़।उदाहरण के लिए: चेन्नई बाढ़।

सुभेद्यता

- 3290 लाख हेक्टेयर के भौगोलिक क्षेत्र में 40 लाख हेक्टेयर क्षेत्र बाढ़ संभावित क्षेत्र है।
- हर वर्ष बाढ़ से 1600 लोगों की जीवन क्षति और फसलों, घरों एवं सार्वजनिक उपयोगिताओं को 1800 करोड़ रुपए का नुकसान हो रहा है।
- इस वर्ष बिहार में लगभग 160 लोगों की मौत हो गयी और कम से कम 2,00,000 का पुनर्वास करना पड़ा।

संस्थागत ढांचा

- संवैधानिक प्रावधानों के अनुसार, बाढ़ प्रबंधन राज्य का विषय है।
- केंद्र सरकार ने विभिन्न कदम उठाए हैं: राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन अधिनियम, 2005 और NDMA की स्थापना।
- मंत्रालय के भारत सरकार के सचिव के साथ राष्ट्रीय कार्यकारिणी समिति (NEC); और राज्य कार्यकारिणी समितियां (SEC) बाढ़ प्रबंधन के आपदा पहलू को समाविष्ट करेंगी।
- FMPs बाढ़ प्रबंधन योजना: केंद्रीय मंत्रालय और संबंधित विभाग और राज्य सरकार अपने FMP तैयार करेंगे जो समग्र भागीदारी, समावेशी, पर्यावरण के अनुकूल और लिंग के प्रति संवेदनशील प्रकृति के होंगे और उनके कार्यान्वयन के परिणामस्वरूप एक **बाढ़-रोधी (फ्लड-रेजिलिएंट)** भारत का निर्माण होगा। योजना समुदाय और सरकारी तथा गैर सरकारी संगठनों के सामूहिक प्रयासों पर ध्यान केन्द्रित करेगा।
- विभिन्न कार्यक्रमों जैसे नीरांचल-वाटरशेड, रिवर-लिंकिंग आदि की चर्चा नीचे की जा रही है।

बाढ़ प्रबंधन

I. बाढ़ जोखिम न्यूनीकरण

- प्रथम चरण: इन गतिविधियों में केंद्रीय जल आयोग(CWC)/गंगा बाढ़ नियंत्रण आयोग (GFCC)/ब्रह्मपुत्र बोर्ड द्वारा मानचित्रों पर बाढ़ प्रवण क्षेत्रों की पहचान और चिन्हित करना, बंद कंटूर (समोच्च) और बाढ़ सुभेद्यता मानचित्र की तैयारी शामिल है।

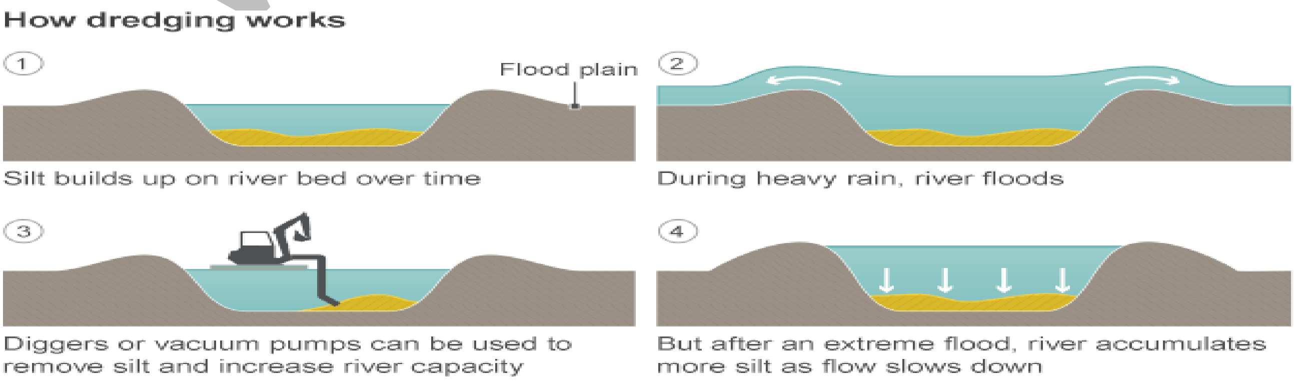

- द्वितीय चरण: इसमें बाढ़ की भविष्यवाणी और चेतावनी नेटवर्क के विस्तार और आधुनिकीकरण, बाढ़ सुरक्षा और जल निकासी सुधार योजनाओं का कार्यान्वयन शामिल है,
    - CWC, IMD, NRSA और राज्य सरकारों के प्रयासों को एकीकृत किया जाएगा
- तीसरा चरण: भारत के साथ-साथ पड़ोसी देशों में बांधों का निर्माण और जलग्रहण क्षेत्र उपचार कार्यों (CAT- कैचमेंट एरिया ट्रीटमेंट) जैसी गतिविधियां का क्रियान्वयन।

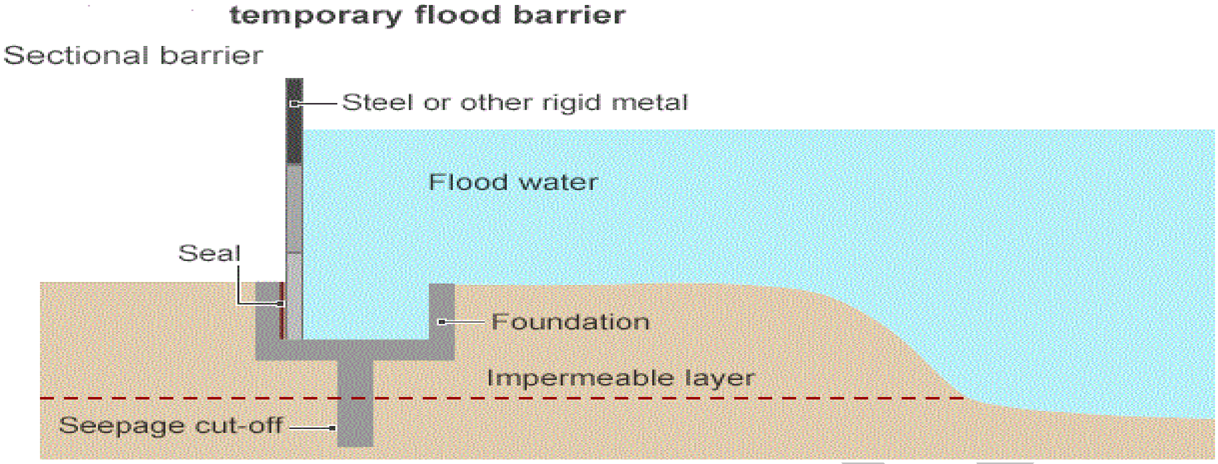

II. हार्ड प्रबंधन तकनीकें

- बांध: पानी को बहने से रोकने एवं एकत्रित करने के लिए निर्मित किया जाता है, जिसे बाद में निकाला जा सकता है।
- तटबंध या कृत्रिम तटबंध: ये उठे हुए नदी-तट होते हैं जो नदी के अनुप्रस्थ काट (क्रॉस-सेक्शन) को बड़ा बनाते हैं जिससे यह अधिक पानी इकठ्ठा कर सकती है। ये महंगे हो सकते हैं लेकिन प्रभावी होते हैं। अमेरिका में इन्हें तटबंध कहा जाता है ये तूफान कैटरीना के दौरान टूट गए और आसन्न भूमि पर बड़ी मात्रा में पानी भर गया था।
- बाढ़ दीवार / नदी प्रतिरक्षा / तटीय प्रतिरक्षा को बस्तियों के आसपास उन्हें बाढ़ से बचाने के लिए बनाया जाता है। वे कृत्रिम दिखाई पड़ते हैं और महंगे हैं, लेकिन ये काफी प्रभावी होते हैं।
- संग्रहण क्षेत्र: जहाँ पानी नदी से बाहर पंप कर अस्थायी झीलों में संग्रहीत किया जा सकता है। इसे बाद में वापस पंप किया जा सकता है।
- नदी घाटी तलकर्षण (ड्रेजिंग)
- इंटर-बेसिन स्थानान्तरण

III. सॉफ्ट प्रबंधन तकनीकें:

वाशलैंड्स: बाढ़ के मैदान के वे भाग जो बाढ़ के लिए छोड़ दिए जाते हैं, इन्हें आम तौर पर खेल मैदान और राष्ट्रीय उद्यानों रूप में छोड़ दिया जाता है ।

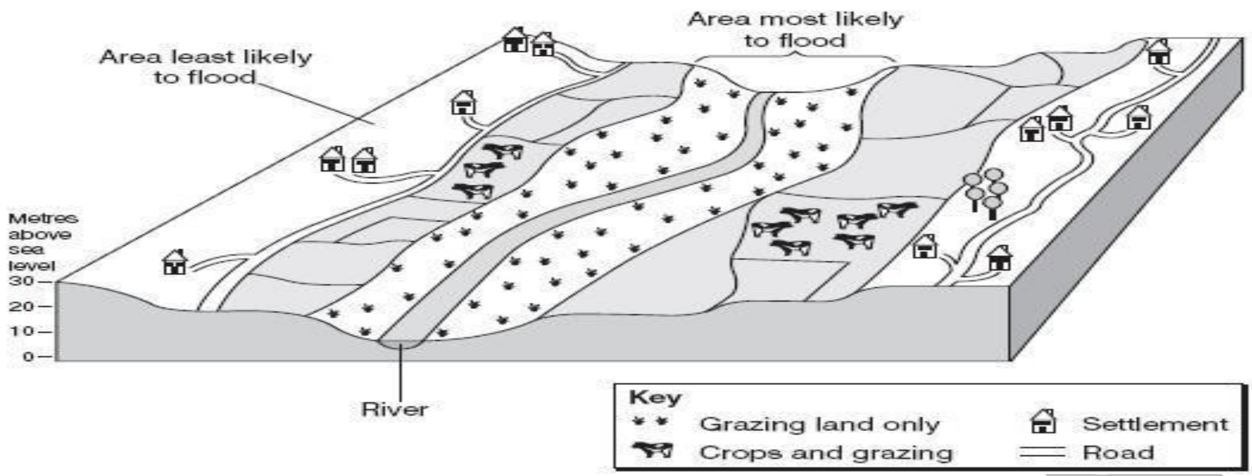

<u>भूमि उपयोग क्षेत्रीकरण / बाढ़ मैदान क्षेत्रीकरण:</u> इसे बाढ़ के लिए सबसे प्रवण क्षेत्रों में विकास गतिविधियों को रोकने के लिए और केवल 'सुरक्षित' क्षेत्रों में विकास अनुमति देने के लिए निर्मित किया गया है।

<u>वनीकरण:</u> नदी के जलग्रहण क्षेत्र में अवरोधन बढ़ाने, मिट्टी के अपवाह और मिट्टी से पानी के तेज बहाव को कम के लिए पेड़ों का रोपण।

<u>चेतावनी प्रणाली:</u> लोगों को खतरे में के प्रति अनुक्रिया के लिए सक्षम बनाने हेतु बाढ़ सुरक्षा एजेंसियों द्वारा जारी की जाती है।

IV. क्षमता विकास और अनुक्रिया:

- बाढ़ शिक्षा
- आपातकालीन खोज और बचाव
- आपातकालीन राहत

आगे की राह

- बड़े और मध्यम बांध के संचालन में अधिक परामर्शदात्री निर्णय लेने की प्रक्रिया को अपनाना जिनका प्रभाव कई राज्यों पर पड़ता है। यह महत्वपूर्ण है कि बिहार में आने वाली बाढ़ के लिए मध्यप्रदेश के बाणसागर बाँध से छोड़े गए जल को जिम्मेदार ठहराया जा सकता है।
- एक देशव्यापी सिल्ट प्रबंधन नीति। यह भविष्य में बिहार की बाढ़ जैसी बाढ़ों को रोक सकती है।

NDMA के दिशानिर्देश:

- फ्लड मैनेजमेंट प्लान (FMPs) को लागू कर तैयारी पर ध्यान केन्द्रित करना।
- विभिन्न संरचनाओं की प्रभावशीलता और स्थिरता की नियमित निगरानी सुनिश्चित करना और उनकी बहाली और मजबूत बनाने के लिए उचित उपाय करना।
- बाढ़ की भविष्यवाणी, पूर्व चेतावनी और निर्णय समर्थन प्रणाली का सतत आधुनिकीकरण।
- बाढ़ की आशंका वाले क्षेत्रों में नई संरचनाओं के डिजाइन और निर्माण में बाढ़ प्रतिरोधी सुविधाओं का समावेश सुनिश्चित करना।
- बाढ़ प्रवण क्षेत्रों में सामरिक और सार्वजनिक उपयोगिता संरचनाओं को बाढ़ रोधी बनाने के लिए समयबद्ध योजना बनाना।
- बाढ़ प्रवण क्षेत्रों में सभी हितधारकों की जागरूकता और तैयारियों में सुधार लाना।
- प्रभावी बाढ़ प्रबंधन के लिए उचित क्षमता विकास के हस्तक्षेप की शुरुआत करना (शिक्षा, प्रशिक्षण, क्षमता निर्माण, अनुसंधान और विकास, और प्रलेखन भी शामिल है।)
- उचित तंत्र के माध्यम से अनुपालन व्यवस्था में सुधार।
- आपातकालीन अनुक्रिया क्षमताओं को मजबूत बनाना।

7.4. CPCB सर्वेक्षण के निष्कर्ष: वायु प्रदूषण

(CPCB Survey Findings: Air Pollution)

सुर्ख़ियों में क्यों ?

केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड (CPCB) द्वारा जारी ताजा विश्लेषण के अनुसार, 2015 में, 10 लाख से अधिक आबादी वाले 41 भारतीय शहर, मॉनिटर किये गए कुल दिनों के लगभग 60% दिनों में वायु की ख़राब गुणवत्ता का सामना कर रहे हैं।

रिपोर्ट का विवरण

- <u>जलवायु</u>: ज्यादातर शहरों में सर्दियों के मौसम के दौरान अल्प प्रदूषण वाले दिनों **(अच्छे दिनों)** का प्रतिशत कम और मानसून के मौसम के दौरान इनका प्रतिशत उच्च दर्ज किया गया।
- <u>भूगोल</u>: स्थल रुद्ध (लैंड-लॉक्ड) शहरों की तुलना में तटीय शहरों में अच्छे दिनों का उच्च प्रतिशत दर्ज किया गया,
- <u>क्षेत्रीय</u>: दक्षिणी और पश्चिमी शहरों में अच्छे दिनों का उच्च प्रतिशत दर्ज किया गया।
- <u>कारण</u>: इसका प्रमुख स्रोत ईंधन की लकड़ी और बायोमास का जलना, ईंधन में मिलावट, वाहन उत्सर्जन और यातायात भीड़ है।
- शरद ऋतु और शीत ऋतु के महीनों में, बड़े पैमाने पर कृषि क्षेत्र में फसल अवशेषों का जलाना है,
- <u>कार्रवाई</u>: दिल्ली में इसके विरुद्ध जनता की एक बहुत मजबूत मत है इसलिए वहाँ कुछ कार्रवाई की गयी। लेकिन देश के शेष भागों में विशेष रूप से <u>टियर-2</u> शहरों, जो तेजी से बढ़ रहे हैं, में वायु की गुणवत्ता तेजी से ख़राब होती जा रही है। छोटे शहर अधिक प्रदूषित हैं।

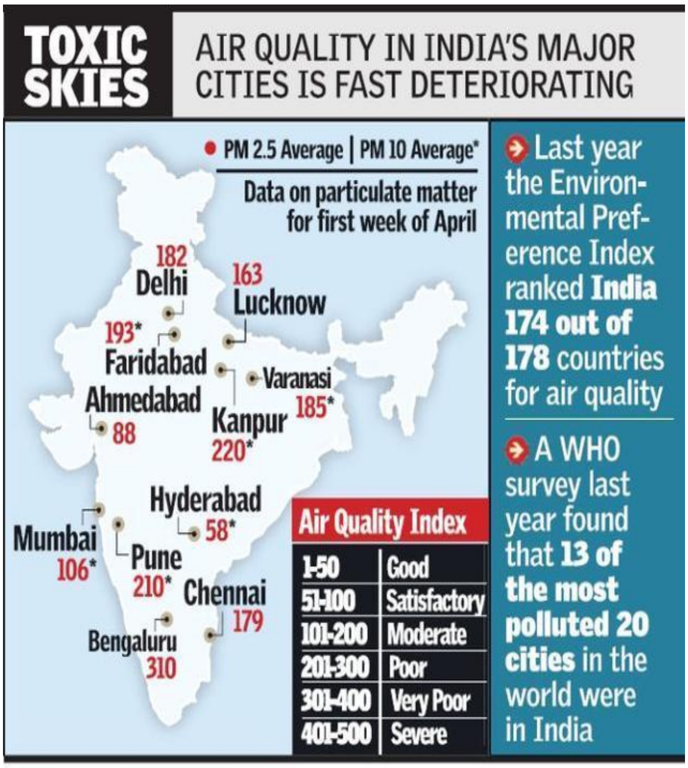

प्रभाव

- भारत में वायु प्रदूषण की स्थिति इतनी ख़राब है कि इससे प्रतिवर्ष करीब पांच लाख (5 वां सबसे बड़ा मौत का कारण) लोगों की मौत हो जाती है।

उठाए गए कदम

- नई दिल्ली में CNG चालित दोपहिया स्कूटर चलाने के लिए एक **पायलट प्रोग्राम** शुरू किया गया।
- पुरानी कारों को हटाने और BS VI मानकों की ओर कदम बढ़ाना।
- पर्यावरण मंत्रालय द्वारा इस कचरे को **(3 R) रिकवर, रिसायकल और रियूज़** करने के लिए एक प्रक्रिया बनाने के उद्देश्य से निर्माण और विध्वंस अपशिष्ट प्रबंधन नियम, 2016 अधिसूचित किया गया। भारतीय शहरों में निर्माण गतिविधियां **उच्च वायु प्रदूषण के लिए मुख्य कारणों में से एक** है।

DISEASE	DEATHS BY Outdoor pollution	Indoor Pollution
Ischaemic Heart Disease	40%	26%
Stroke	40%	34%
Chronic obstructive lung disease	11%	22%
Lung cancer	6%	6%
Acute respiratory tract infections among children	3%	12%

- **भीड़ शुल्क, लाइसेंस कोटा प्रणाली, पंजीकरण कैपिंग, पार्किंग शुल्क, काम के अधिक घंटे** आदि जैसे नए उपायों पर भी विचार किया जाना चाहिए।

(वायु प्रदूषण के बारे अधिक विवरण के लिए अप्रैल करंट अफेयर्स - 7.14, और जुलाई करंट अफेयर्स -7.2, 2016 का सन्दर्भ लें)

7.5. उदयपुर घोषणा: ब्रिक्स (BRICS)

(Udaypur Declaration: BRICS)

सुर्ख़ियों में क्यों?

- आपदा प्रबंधन पर ब्रिक्स मंत्रियों की एक बैठक उदयपुर, राजस्थान में आयोजित की गयी। यह बैठक उदयपुर घोषणा की स्वीकृति के साथ समाप्त हुई।

प्रमुख परिणाम

- इसने सभी ब्रिक्स देशों द्वारा सामना किये जाने वाले आपदा मुद्दों की चुनौतियों के लिए एक साझा सूत्र सामने रखा। ये थे:
- आपदा जोखिम में कमी को मुख्य धारा में लाना ,
- आपदा पूर्व चेतावनी प्रदान करने में उन्नत प्रौद्योगिकी का उपयोग,
- आपदा के बाद पुनर्वास और पुनर्निर्माण के लिए पर्याप्त कोष की आवश्यकता
- आपदाओं पर जलवायु परिवर्तन का प्रभाव
- सदस्य राष्ट्रों ने आपदा जोखिम प्रबंधन के लिए एक समर्पित संयुक्त कार्यबल की स्थापना करने का संकल्प लिया है जो नियमित वार्ता, सूचनाओं एवं अनुभव का आदान-प्रदान, आपसी सहयोग और सहभागिता को बढाएगा।
- आपदा प्रबंधन पर सूचना/अनुभवों के आदान-प्रदान, बाढ़ की पूर्व चेतावनी तथा चरम घटनाओं के अनुसंधान और प्रौद्योगिकी के आदान प्रदान तथा क्षमता निर्माण के लिए तीन वर्ष की संयुक्त कार्य योजना के कार्यान्वियन के लिए एक रोड मैप पर समझौता किया गया है।

महत्व

- यह आपदा प्रबंधन के क्षेत्र में ब्रिक्स देशों के बीच सहभागिता और सहयोग में एक नया मील का पत्थर है।
- चूंकि सभी सदस्य देश एक समान चुनौतियों का सामना कर रहे हैं, इसलिए यह उन्हें संयुक्त रूप से सामना करने में प्रभावी होगा।

7.6. पारिस्थितिक प्रायोगिक क्षेत्र

(Ecological Experimental Zones)

सुर्ख़ियों में क्यों?

- चीन पिछले तीन दशकों में तीव्र विकास से क्षतिग्रस्त हुए पर्यावरण को बेहतर बनाने हेतु "पारिस्थितिक सभ्यता" में सुधार के लिए कई राष्ट्रीय पर्यावरण प्रयोगात्मक क्षेत्रों की स्थापना करेगा।

लक्ष्य

- इनका उद्देश्य इन क्षेत्रों में कुछ पारिस्थितिकी अनुकूल क्रियाओं को सम्मिलित करना है जो विकास जरूरतों के भी अनुरूप होगी।
- परिणामस्वरुप, इन क्षेत्रों को 'पारिस्थितिक सभ्यता' के रूप में प्रस्तावित किया जा सकता है|
- सर्वोत्तम कार्यप्रणालीयों (best practices) को देश भर में लागू किया जाएगा।
- प्रमुख प्रगति 2017 तक हासिल की जाएगी और पूर्ण विकसित तंत्र 2020 तक स्थापित किया जाएगा।
- योजना में कई लक्ष्य निर्धारित किये गए हैं, जैसे प्रांत में जलीय तंत्र के 90 प्रतिशत से अधिक जल की गुणवत्ता इष्टतम स्तर तक पहुंच जाएगी, 90 प्रतिशत से अधिक दिनों में 23 शहर अच्छी वायु की गुणवत्ता का लाभ उठाएंगे और 2020 तक वनआवरण 66 प्रतिशत से अधिक होगा।

कार्यान्वयन

- मुख्य प्रयोगों में निम्नलिखित शामिल होंगे:
    - प्राकृतिक संसाधन परिसंपत्ति के रूप में संपत्ति अधिकार प्रणाली की स्थापना करना साथ ही ऐसी प्रणाली विकसित करना जो पारिस्थितिक उत्पादों के बाजार मूल्यों को प्रतिबिंबित करे, जिसके परिणाम स्वरुप पारिस्थितिक संरक्षण में आर्थिक प्रोत्साहन शुरू किया जा सके।
    - पारिस्थितिक संरक्षण के लिए स्पष्ट रूप से भूमि और स्थान (space) आरक्षित कर भूमि और स्थान योजना को इष्टतम बनाना और इसकी 'सीमा रेखा' का अतिक्रमण कभी नहीं करना।
    - अधिकारियों के प्रदर्शन मूल्यांकन में सुधार करना जो उनके पारिस्थितिक प्रदर्शन जैसे उनके रखरखाव में संसाधनों की कमी या पर्यावरण का क्षरण, को प्रतिबिंबित करे ।
    - प्राकृतिक संसाधन बैलेंस शीट और प्राकृतिक संसाधन परिसंपत्ति लेखा परीक्षा का संकलन करना।

महत्व

- यह वह रणनीति है जिसका विश्व विशेष रूप से भारत जैसे विकासशील देश प्रतीक्षा कर रहा है और दक्ष नीतियों को दोहराने के लिए तैयार हैं।
- इसकी सफलता वैश्विक पर्यावरण के लिए एक वरदान हो सकती है क्योंकि चीन दुनिया में सबसे बड़ा प्रदूषक देश है।

VISION IAS

7.7. क्रोमियम संदूषण का पता लगाने के लिए पोर्टेबल किट

(Portable Kit for Detection of Chromium Contamination)

सुर्ख़ियों में क्यों?

भाभा परमाणु अनुसंधान केंद्र (BARC) ने पानी में क्रोमियम संदूषण की जांच करने के लिए एक पोर्टेबल किट विकसित किया है।

महत्व

- भारतीय मानक IS10500 के अनुसार, पीने के पानी के लिए Cr(VI) की अधिकतम स्वीकार्य सांद्रता 50 माइक्रोग्राम प्रति लीटर है।
- Cr(VI) की इतनी कम मात्रा की जांच तकनीकी रूप से चुनौतीपूर्ण है और इसमें प्रभावित क्षेत्रों से पानी के नमूनों का संग्रह करना, प्रयोगशाला तक परिवहन करना, भंडारण और अंत में विश्लेषण करना शामिल है।
- BARC ने Cr(VI) के ऑनसाइट निर्धारण के लिए एक सरल, उपयोगकर्ता के अनुकूल, त्वरित और लागत प्रभावी किट विकसित किया है, जो IS10500 के साथ EPA की कसौटी के भी अनुकूल है।

क्रोमियम के बारे में

- क्रोमियम व्यापक रूप से चमड़े, स्टील, क्रोम प्लेटिंग, पेंट विनिर्माण, लकड़ी संरक्षण आदि जैसे विभिन्न उद्योगों में प्रयोग किया जाता है
- क्रोमियम Cr(VI) विषैला होता है और विश्व स्वास्थ्य संगठन ने इसे कैंसरकारक के रूप में वर्गीकृत किया है और यह पेट में अल्सर और कैंसर उत्पन्न कर सकता है तथा किडनी और लीवर को गंभीर नुकसान पहुंचा सकता है।

7.8. समुद्र धाराओं पर ग्लोबल वार्मिंग का प्रभाव

(Global Warming Impact on Ocean Currents)

सुर्खियों में क्यों?

वैज्ञानिकों ने दुनिया के महासागरों के संचलन में परिवर्तन का अवलोकन करने हेतु एलीफैंट सील्स के एक समूह का इस्तेमाल किया है।

विवरण

- इस शोध से यह पता चलता है कि कैसे "तलीय जल"- समुद्र के सतह वाले लवण जल की लीचिंग से बना गाढा जल, जब यह अंटार्कटिक में सर्दियों के दौरान जम जाता है – पिघलती बर्फ से प्रभावित हो रहा है।
- इससे **थर्मोहेलाइन परिसंचरण** प्रभावित हो रहे हैं। इसके अलावा इसकी गहराई भी प्रभावित हो रही है, जो उथली हो रही है।

प्रभाव

- आइस-शेल्फ के पिघलने की दर में वृद्धि हो सकती हैं।
- तलीय जल के उत्पादन को प्रभावित करता है।
- तलीय जल के उत्पादन में परिवर्तन अंटार्कटिक सागर में रहने वाले जीवन को भी प्रभावित कर सकता है जो जीवित रहने के लिए जल के पोषक तत्वों और गैसों पर निर्भर रहते हैं।
- जलवायु पर दीर्घकालिक प्रभाव हो सकते है अर्थात गल्फ स्ट्रीम और उत्तरी अटलांटिक प्रवाह पर दूरगामी प्रभाव डालता है।

7.9. लुप्तप्राय प्रजातियों के संरक्षण के लिए उठाए गए कदम: पर्यावरण एवं वन मंत्रालय

(Steps Taken for Protection of Endangered Species: MOEF)

सुर्ख़ियों में क्यों?

लोकसभा में लुप्तप्राय प्रजातियों के संरक्षण के लिए उठाए गए कदमों पर पूछे गये एक प्रश्न के लिखित जवाब में पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्री द्वारा यह जानकारी प्रदान की गयी।

विवरण

1. **<u>कानूनी संरक्षण:</u>** वन्य जीवन (संरक्षण) अधिनियम, 1972 के प्रावधानों के तहत शिकार और वाणिज्यिक दोहन के खिलाफ जंगली जानवरों को कानूनी सरंक्षण प्रदान किया गया है (उदा के लिए: अनुसूची 1 के जानवर आदि)

2. **वन्य जीव (संरक्षण) अधिनियम, 1972 में संशोधन** और इसे अधिक कठोर बनाया गया है।

- अधिनियम के तहत अपराधों के लिए सजा बढ़ायी गई है। अधिनियम वन्य जीवों के खिलाफ अपराध में प्रयुक्त किसी भी उपकरण, वाहन या हथियार की जब्ती का अधिकार प्रदान करता है।

VISION IAS

3. संरक्षित क्षेत्र:

- राष्ट्रीय उद्यान, अभयारण्य,
- संरक्षित रिज़र्व और समुदायिक रिज़र्व

वन्यजीव (संरक्षण) अधिनियम, 1972 के तहत देश भर में जंगली जानवरों और उनके आवास के संरक्षण के लिए बनाये गये महत्वपूर्ण वन्य जीवन अधिवास स्थलों को कवर करता है|

4. केंद्र द्वारा वित्तीय और तकनीकी सहायता:

- 'वन्यजीव आवास का समन्वित विकास'- सोलह प्रजातियों के लिए रिकवरी कार्यक्रमों को प्राथमिकता दी गयी है जिनमें निम्नलिखित तरह के सुधार कार्यक्रम शामिल हैं:

i. स्तनधारी: हिम तेंदुआ, बस्टर्डस(फ्लोरिकन सहित), हंगुल, नीलगिरि ताहर, एशियाई जंगली भैंस, मणिपुर ब्रोव-एंटल, मालाबार सीविट, महान एक सींग वाला गैंडा, एशियाई शेर, स्वैम्प डियर

ii. जलीय: नदी डॉल्फिन, समुद्री कछुए, ड्यूगोंग और प्रवाल भित्तियां,

iii. पक्षी: एडबल-नेस्ट स्विफ्टलेट्स (Edible-nest Swiftlets), निकोबार मॅगापोड, गिद्ध, और जेर्डोन कोर्सेर (**Jerdon's Courser**)।

- 'प्रोजेक्ट टाइगर' और 'हाथी परियोजना' वन्य जीवन को बेहतर सुरक्षा प्रदान करने के लिए और इनके आवास में सुधार हेतु।

7.10. विश्व का आपदा जोखिम सूचकांक

(Disaster Risk Index of The World)

सुर्ख़ियों में क्यों?

- विश्व जोखिम सूचकांक में भारत को 77वां स्थान दिया गया है, द्वीपीय राज्य वानुअतु सबसे ऊपर है।

Country	Ranking
Nepal	108
China	85
India	77
Pakistan	72
Sri Lanka	63
Bangladesh	05

रिपोर्ट के बारे में

- विश्व जोखिम रिपोर्ट एक देश के आपदा जोखिम को आकर देने में बुनियादी ढांचे की भूमिका का विश्लेषण करती है।
- स्टुटगार्ट विश्वविद्यालय द्वारा तैयार सूचकांक, प्राकृतिक खतरों के परिणामस्वरुप आपदा से ग्रस्त देशों को उनके जोखिम के अनुसार 171 देशों की रैंकिंग निर्धारित करता है|

विवरण

- जोखिम: अपर्याप्त बुनियादी ढांचा और कमजोर लोजिस्टिक चेन एक चरम प्राकृतिक घटना को आपदा बनने के जोखिम को बढ़ा देती है।
- अनुक्रिया: ज्यादातर चुनौतियां लॉजिस्टिक चेन के 'अंतिम भाग' में ही प्रकट होती हैं। यहां हमें क्षतिग्रस्त सड़कों या पुलों के बावजूद परिवहन की सुविधा को ध्यान में रखना पड़ता है, साथ ही जहां पानी, भोजन और आश्रय की कमी होती है, वहां उचित वितरण सुनिश्चित करना होता है।
- राहत: कमजोर पड़े परिवहन मार्ग, अविश्वसनीय बिजली ग्रिड, और जीर्ण-शीर्ण भवन न केवल विदेशों से मानवीय सहायता में बाधा उत्पन्न करते हैं बल्कि महत्वपूर्ण सहायता में भी देरी करते हैं।

7.11. निर्वनीकरण से गंगा बेसिन, उत्तर-पूर्व में गर्मी में कम बारिश

(Deforestation Reduces Summer Rain in Ganga Basin, North-East)

सुर्ख़ियों में क्यों?

उपग्रह डेटा और क्षेत्रीय जलवायु मॉडल का प्रयोग कर, IIT बॉम्बे के शोधकर्ताओं ने पाया है कि पूर्वोत्तर भारत और उत्तर-मध्य भारत में वनों की कटाई (वन बहुल सवाना से फसल भूमि में परिवर्तन) से इन दोनों क्षेत्रों में गर्मियों की मानसून बारिश में 100-200 मिमी की कमी हुई है।

टिप्पणियां

- मानसून के प्रारंभिक चरण के दौरान, समुद्री स्रोत बारिश लाने और मिट्टी में नमी बढ़ाने में एक प्रमुख भूमिका निभाते हैं।

VISION IAS

- लेकिन मानसून अवधि के अंत में, वनस्पति से वाष्पोत्सर्जन (evotranspiration) वर्षा में योगदान देता है। वाष्पोत्सर्जन वर्षा का एक स्थानीय नम स्रोत है। मानसून के अंत में पुनर्चक्रित वर्षा कुल मानसून वर्षा में 20-25 फीसदी का योगदान करती है तथा गंगा बेसिन और पूर्वोत्तर भारत में यह अत्यंत विशिष्ट है।
- वनों की कटाई के कारण गंगा बेसिन और पूर्वोत्तर भारत में मानसून के अंत में प्रति दिन 1-2 मिमी बारिश की कमी होती है।
- इसलिए भूमि उपयोग और भूमि आच्छादन (लैंड कवर) परिवर्तन को विनियमित किया जाना चाहिए।

7.12. वर्षा पर वनों की कटाई का प्रभाव

(Impact of Deforestation on Rainfall)

सुर्ख़ियों में क्यों ?

IISc की एक टीम ऑक्सीजन और हाइड्रोजन के समस्थानिकों के माध्यम से शहर में बारिश के संगठन की जांच करेगी। इन आइसोटोप की मात्रा समुद्र में और भूमि पर भिन्न है और वर्षा में इनका संगठन वर्षा के स्रोत के लिए एक संकेत दे सकता है।

विवरण

- भारत में गर्मियों के दौरान महासागरीय उष्मीकरण की घटना और अन्य वैश्विक मौसम घटनाएँ - मानसून के दौरान नमी में वृद्धि करते हैं।
- हालांकि, हवा और बादल के भंवर जब अंतर्देशीय भूभाग में प्रवेश करते हैं तो वे वर्षा वन, वनस्पति और अंतर्देशीय जलीय इकाइयों की वाष्प और नमी का ग्रहण कर लेते हैं।
- समय के साथ यह पुनर्चक्रण मानसून की अंतर्देशीय प्रगति और कुछ समुद्री योगदान के खोने के साथ वर्षा में एक महत्वपूर्ण योगदान देता है,
- पूर्वोत्तर क्षेत्र में मानसून द्वारा जब बंगाल की खाड़ी से नमी गृहीत की जाती है, पूर्वी घाट के घने वन यहां वर्षा में योगदान करती हैं।

7.13. बादल, प्रदूषण और मानसून

(Clouds, Pollution and Monsoon)

सुर्खियों में क्यों ?

शोधकर्ताओं ने पाया है कि उत्तरी और मध्य भारत में उच्च प्रदूषण मानसूनी तंत्र को प्रभावित कर सकता है। ऐसा बादलों के गठन में परिवर्तन के कारण होता है।

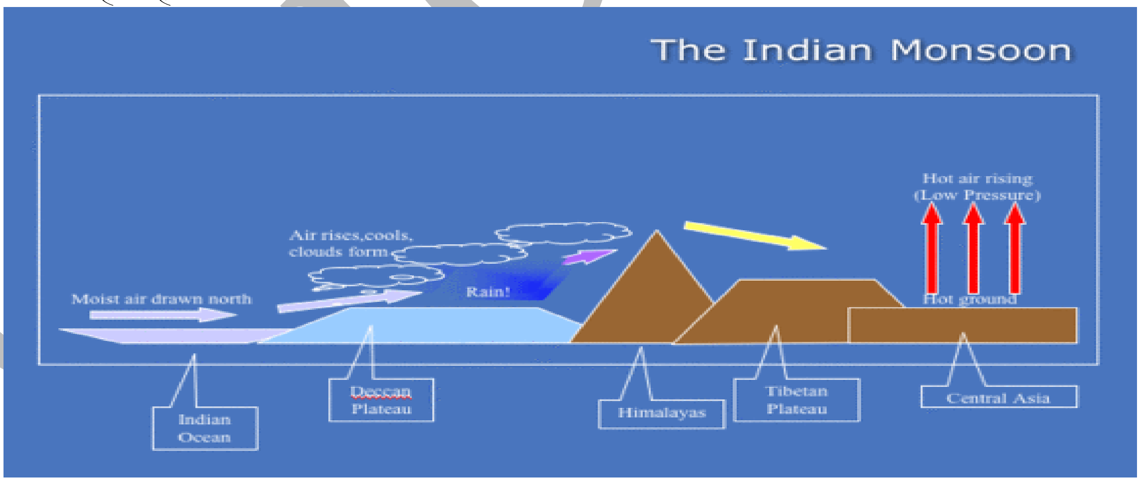

कैसे?

- भारतीय ग्रीष्मकालीन मानसून तब शुरू होता है जब भूमि की सतह इतनी गर्म हो जाती है कि वातावरण में ऊपर की ओर गर्म हवा का एक शक्तिशाली संचरण होने लगता है जिससे भारी वर्षा होने लगती है। अरब सागर के ऊपर ठंडी, नम हवा उठती वायु की क्षतिपूर्ति करने के लिए अवतलित होती है। इस प्रतिकारी संचलन में वायु को सतही उष्णता का सामना करना पड़ता है और यह इस चक्र को स्थिर बनाए रखती है।
- बहुत छोटे पैमाने पर भी वातावरण में छोटे कणों की वृद्धि सूर्य के प्रकाश को अवशोषित कर भूमि सतह को आच्छादित कर देती है,जिससे सतह तक पहुँचने वाली उष्णता में कमी हो जाती हैं।

- इन प्रदूषित वातावरण में बनने वाले बादलों से कम बारिश होने की संभावना होती है और ये लम्बी अवधि तक बने रहते है क्योंकि बूंदे छोटी होती है। ये दीर्घकालिक बादल सतह को और अधिक ठंडा करते हैं और परिसंचरण को कमजोर करते हैं।
- इस प्रकार और अधिक वायु प्रदूषण मानसूनी तंत्र को कमजोर कर सकता है।

7.14. पूर्वी हिमालय सिंटेक्सिस का उत्तर की ओर विस्तार हो रहा है

(Eastern Himalayan Syntaxis is Moving Northwards)

- Optically Stimulated Luminescence (OSL) thermochronometry वस्तुतः एक नई तकनीक है। इस तकनीक का इस्तेमाल **हिमालय सिंटेक्सिस** (पर्वत श्रृंखलाओं का अभिसरण, या भूगर्भीय परतें), जोकि तिब्बत में Parlung नदी के किनारे एक गॉर्ज है, के उत्तर की ओर संचरण का अध्ययन करने के लिए किया जा रहा है।
- पूर्वी हिमालय सिंटेक्सिस टेक्टोनिक्स पर कटाव के प्रभाव का अध्ययन करने के लिए एक आदर्श स्थान है- जहाँ 7,000 मीटर से अधिक उंचाई वाले पहाड़ और नदियां है।
- जैसे ही चट्टानें पृथ्वी की भूपर्पटी से ऊपर उठने लगती है, वे ठंडी होने लगती हैं।
- विशिष्ट तापमान पर, चट्टानों में समाहित क्वार्टज जैसे खनिज ऊपर उठते हुए इलेक्ट्रॉनों का अवशोषण करने लगते है और वे तदनुसार ठंडे हो जाते हैं।
- इलेक्ट्रॉनों की सांद्रता के इतिहास का अध्ययन कर, इस नई तकनीक में शोधकर्ता वस्तुतः समय के साथ तापमान प्रोफाइल को अनुमानित करते हैं और तत्पश्चात समय व्यवहार के रूप में इस ज्ञान का प्रयोग करते हैं।
- यह उन्हें उस दर की समझ प्रदान करते है जिससे चट्टाने सतह तक उभरती है।
- नए आंकड़ों से पता चला है कि अपरदन दर में पिछले 1 मिलियन वर्ष में वृद्धि हुई है जिस दर को सिर्फ नदी कटाव से नहीं समझाया जा सकता है, लेकिन विवर्तनिक उत्थान की मदद यह समझाने के लिए आवश्यक थी।
- व्यापक भूवैज्ञानिक संदर्भ पर पिछले अध्ययनों ने भी गुंबद के उत्तर की ओर जारी प्रवसन का संकेत दिया, जो नए डेटा के साथ संगत हैं।

7.15. ग्लोबल ग्रीन अवार्ड

(Global Green Award)

सुर्ख़ियों में क्यों ?

अंतर्राष्ट्रीय प्रकृति और प्राकृतिक संसाधन संरक्षण संघ (IUCN) की संचालन समिति ने सूचित किया है कि डॉ ध्रुबज्योति घोष, ल्यूक हॉफमैन पुरस्कार प्राप्त करने वाले पहले भारतीय पर्यावरण कार्यकर्ता है ।

विवरण

- उन्होंने पूर्व कोलकाता आर्द्रभूमि (East Kolkata wetland) का मानचित्रण किया है जो 100 वर्ग किमी में फैले जल निकायों की एक पट्टी है।
- यह मछली वाले शुद्ध जल तालाबों (fishponds) के अवैध रूप से भरने के कारण तेजी से सिकुड़ रहा है।
- उन्होंने इसके नुकसान के आर्थिक मूल्य की अभिनव तरीके से गणना की और इसे निवल वर्तमान मूल्य में प्रस्तुत किया जिसे आसानी से सकल घरेलू उत्पाद और अन्य गणितीय गणना में इस्तेमाल किया जा सकता है ।
- इसके लिए उन्हें ल्यूक हॉफमैन पुरस्कार प्रदान किया गया ।
- उन्होंने इसके बारे में भी अध्ययन किया कि झीलों तक पहुँचने के बाद शहर के सीवेज का क्या होता है।
- पूर्वी कोलकाता आर्द्रभूमि रामसर कन्वेंशन के तहत "अंतरराष्ट्रीय महत्व की आर्द्रभूमि" है।

7.16. औद्योगिक अपशिष्ट पुनर्चक्रण: नैनो तकनीक

(Industrial Waste Recycle: Nano tech)

- औद्योगिक रंगों (dyes) के उपचार के लिए उपलब्ध पारंपरिक तरीके महंगे हैं और उसे पूरी तरह से गैर-विषैले घटकों में विभाजित नहीं करते हैं बल्कि उसे केवल सान्द्र करते हैं।
- वैज्ञानिकों ने सल्फर और कार्बन के साथ मिश्रित टाइटेनियम डाइऑक्साइड नैनो कणों को लाल समुद्री शैवाल बहुलक सेर्राजीनान के साथ उपचारित कर फोटो-उत्प्रेरक (photo-catalytic) निम्नीकरण एजेंट को विकसित किया है।
- इस डोपिंग के कई फायदे हैं जैसे जब इसे डोप किया जाता है तो उत्प्रेरक को सक्रिय करने के लिए ऊर्जा की आवश्यकता कम होती है, साथ ही यह रंग के निम्नीकरण को पारम्परिक रूप से उपलब्ध विकल्पों की तुलना में तीव्र कर देता है।
- वैज्ञानिकों ने तीन औद्योगिक रंगों का पूर्णतः निम्नीकरण किया है- मिथाइल ऑरेंज (methyl orange), मिथाईलीन ब्लू (methylene blue) और रिएक्टिव ब्लैक-5 (reactive black-5) - सूर्य के प्रकाश की उपस्थिति में।
- जब एक सौर सांद्रक द्वारा दृश्य प्रकाश की तीव्रता का अधिक प्रयोग किया जाता है, तब वह निम्नीकरण प्रक्रिया में एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है।
- इसका एक और लाभ यह है कि नैनो-कंपोजिट तापीय रूप से स्थिर हैं और निम्नीकरण दक्षता के 97 प्रतिशत से अधिक रहने पर छह बार तक इसका पुन: उपयोग किया जा सकता है।

7.17. देश का पहला टाइगर रिपोजिटरी

(Country's First Tiger Repository)

- भारतीय वन्यजीव संस्थान (WII) के नए टाइगर सेल के तहत देश के बाघों पर पहली रिपोजिटरी |
- बाघ संरक्षण और जनसंख्या आकलन पर राष्ट्रीय बाघ संरक्षण प्राधिकरण (NTCA) के साथ काम करते हुए, WII ने बाघों की 23,000 से अधिक चित्रों का एक विशाल डाटाबेस तैयार किया है जिसका रखरखाव टाइगर सेल द्वारा किया जाएगा।
- यह रिपोजिटरी किसी भी स्थान पर मिली बाघ की खाल के संभावित स्रोत की पहचान करने और मंजूरी से पहले परियोजनाओं का अध्ययन करने में मदद करेगी।
- टाइगर सेल बाघों की जनसंख्या आकलन करने में, कानून प्रवर्तन, वन्य जीवन फोरेंसिक, बुनियादी ढांचे के विकास, स्मार्ट गश्ती और नीति-निर्माण में सलाहकार की भूमिका के रूप में सहायता करेगा।

VISION IAS

8. संस्कृति

(Culture)

8.1. तिरोत सिंग

(Tirot Sing)

सुर्ख़ियों में क्यों?

- महान स्वतंत्रता सेनानी तिरोत सिंग के बलिदान की याद में मेघालय में समारोह आयोजित किया गया, जिन्हें 19वीं सदी में ब्रिटिश शासकों ने फांसी पर लटका दिया था।
- यह समारोह भारत सरकार द्वारा स्वतंत्रता सेनानियों के बलिदान की याद में उनके जन्म-स्थान पर देश भर में कार्यक्रम आयोजित करने के 15 दिवसीय अभियान का हिस्सा था।

तिरोत सिंग कौन थे?

- यू तिरोत सिंग 18वीं सदी के आरंभ में खासी लोगों के नेताओं में से एक थे।
- उन्होंने खासी पहा्ड़ियों पर कब्जा करने के ब्रिटिश प्रयास के विरूद्ध लड़ाई लड़ी थी।
- उनकी मृत्यु 17 जुलाई 1835 को हुई थी। उनकी मृत्यु की याद में मेघालय में यू तिरोत सिंग दिवस मनाया जाता है।

8.2. ग्रामीण लोकगीतों का विश्वकोश

(Encyclopaedia of Village Folklore)

सुर्ख़ियों में क्यों?

- भारतीय इतिहास अनुसंधान परिषद (ICHR) ने भारत में सभी गांवों में प्रचलित कहानियों और किंवदंतियों को एक इनसाक्लोपीडिया (विश्वकोश) का रूप देने का निर्णय किया है।
- यह निर्णय लोगों को मौखिक और लोक परंपराओं के साथ बेहतर तरीके से "जोड़ने" के लिए लिया गया है।

ICHR के अन्य महत्वपूर्ण कदम

- आधुनिक भारत की रियासतों का अध्ययन करना।
- हड़प्पा सभ्यता (प्रथम भारतीय नगरीकरण) और 6वीं शताब्दी ईसा पूर्व (द्वितीय नगरीकरण) के बीच की खाई पाटने के लिए अध्ययन का संचालन करना।

8.3. 2016 दशहरा थीम

(2016 Dasara Theme)

सुर्ख़ियों में क्यों?

- मैसूर दशहरा महोत्सव ने 2016 के लिए जल संरक्षण का विषय अपनाया है।

दशहरा महोत्सव

- प्रतिवर्ष नवरात्रि के दौरान आयोजित किया जाने वाला मैसूर दशहरा दक्षिण-पश्चिम भारत में कर्नाटक राज्य का नदाहब्बा (राज्य त्योहार) है।
- यह 10 दिवसीय महोत्सव है और इसे मैसूर शहर में मनाया जाता है। दशहरा उत्सव का 400 वर्षों से भी अधिक का समृद्ध इतिहास है।

8.4. उड़ीसा की जुआंग जनजाति

(Juang Tribe of Orissa)

सुर्ख़ियों में क्यों?

- उड़ीसा के जाजपुर जिले में नगादा पहाड़ियों पर पिछले 3 महीनों में 19 **जुआंग** बच्चों की मृत्यु ने इस जनजाति में कुपोषण की समस्या के प्रति सरकार को सचेत किया है।
- यह जनजाति सड़क संपर्क की कमी के कारण पेयजल, प्राथमिक स्वास्थ्य देखभाल, बिजली और प्राथमिक शिक्षा जैसी आधारभूत सुविधाओं से वंचित रही है।

VISION IAS

जुआंग जनजाति

- जुआंग, मुंडा नृजातीय समूह के लोगों का जनजातीय (आदिवासी) समूह हैं।
- ये मुख्य रूप से उड़ीसा के क्योंझर, ढेंकनाल, अंगुल और जाजपुर जिलों में रहते हैं।
- ये जुआंग भाषा बोलते हैं जिसे ऑस्ट्रो-एशियाटिक भाषा परिवार की एक शाखा के रूप में स्वीकार किया जाता है।
- इस जनजाति की विशेष रूप से सुभेद्य जनजातीय समूह (PVTGs) के रूप में पहचान की गई है।

8.5. सत्यार्थी ने यूथ अगेंस्ट चाइल्ड अभियान आरंभ किया

(Satyarthi Launches Campaign for Youth Against Child)

सुर्ख़ियों में क्यों?

- कैलाश सत्यार्थी ने अपने नए संगठन “द कैलाश सत्यार्थी चिल्ड्रेन्स फाउंडेशन” के बैनर तले *100 मिलियन फॉर 100 मिलियन* अभियान की घोषणा की।
- इस अभियान का उद्देश्य 100 मिलियन बच्चों को गुलामी के बंधन से निकालने के लिए 100 मिलियन युवाओं की ऊर्जा और उत्साह का उपयोग करना है।

कैलाश सत्यार्थी

- कैलाश सत्यार्थी, भारतीय बच्चों के अधिकार और शिक्षा के समर्थक हैं। उन्हें बाल श्रम के विरुद्ध कार्यकर्ता के रूप में भी जाना जाता है।
- उनका जन्म 1954 में हुआ था। 1980 में उन्होंने बचपन बचाओ आंदोलन (BBA) की स्थापना की।
- बचपन बचाओ आंदोलन ने गुलामी जैसी स्थितियों से हजारों बच्चों को मुक्त कराया है।
- उनके प्रयास से ही अंतरराष्ट्रीय श्रम संगठन (ILO) ने बाल श्रम के सबसे बदतर रूपों पर कन्वेंशन संख्या 182 अपनाया।
- उन्हें बच्चों और युवा लोगों के दमन के विरूद्ध और सभी बच्चों की शिक्षा के अधिकार के लिए किये गए संघर्ष के लिए नोबेल शांति पुरस्कार 2014 से सम्मानित किया गया।
- उन्हें पाकिस्तान की मलाला यूसुफजई के साथ नोबेल पुरस्कार दिया गया।

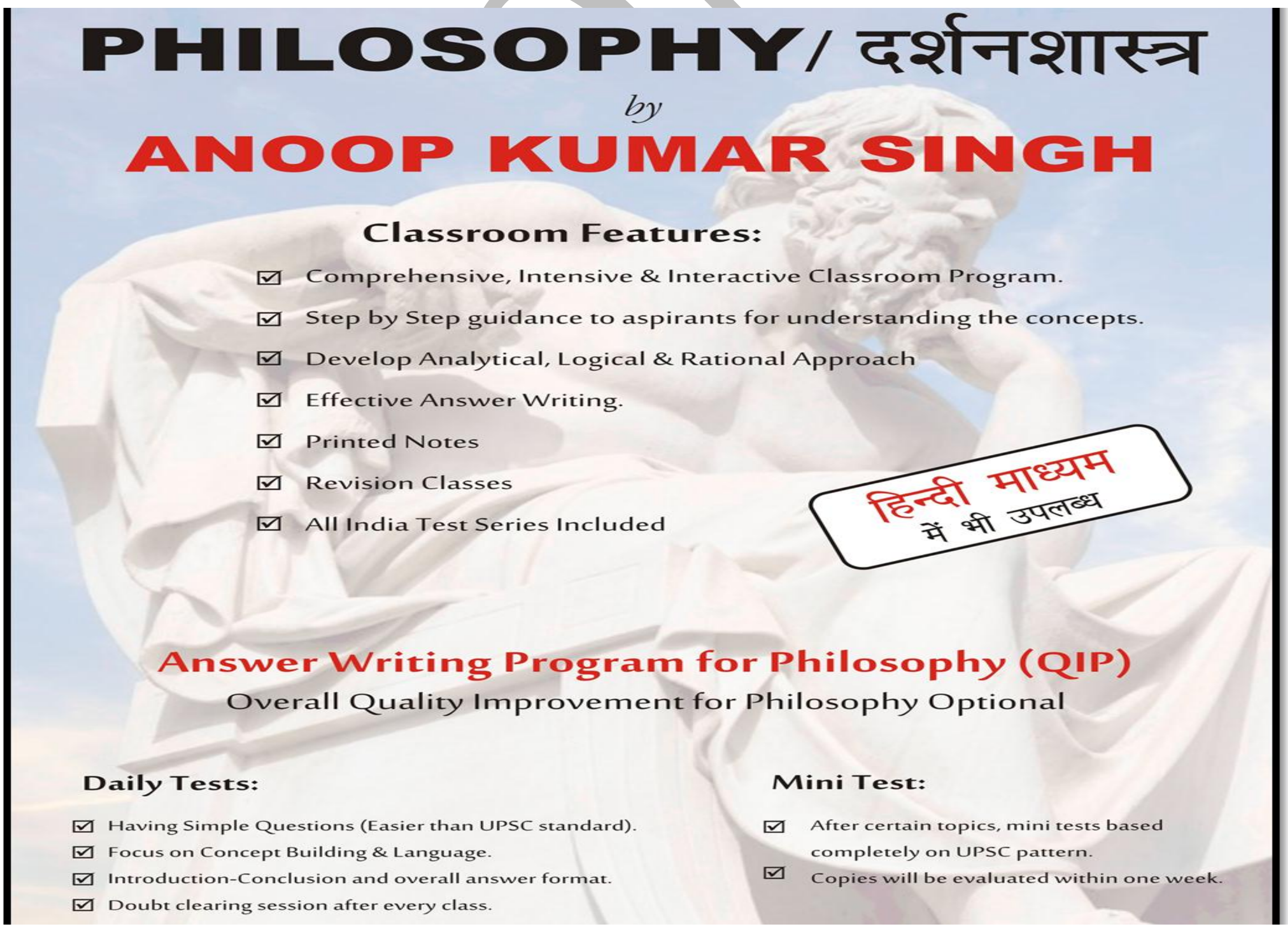

9. नीतिशास्त्र

(Ethics)

9.1 भ्रष्टाचार निवारण और व्यक्तिगत सत्यनिष्ठा

(Prevention of Corruption and Personal Integrity)

सुर्ख़ियों में क्यों?

हाल ही में 'कोयला घोटाले' के आरोपों के तहत कोयला सचिव के अभियोग से संबंधित मामला सर्वोच्च न्यायालय में उठाया गया है।

हितधारक: कोयला सचिव, राजनीतिक संरक्षक , मंत्रालय, सामान्य रूप में समाज।

संलग्न नैतिक मुद्दे

- **निष्पक्षता बनाम गोपनीयता** - कोयला सचिव को वस्तुनिष्ठ निर्णय लेना था किन्तु साथ ही उन्हें टीम भावना और निर्णय निर्माण के संरक्षण के लिए गोपनीयता को भी बनाये रखना था।
- **निष्ठा बनाम विधि का अनुपालन** - संभवत: कोयला सचिव में निष्ठा एवं सत्यनिष्ठा विद्यमान रही हो किन्तु उन्होंने पहली बार उस समय विरोध नहीं किया जब निर्णय क़ानून की भावना के विरुद्ध लिया जा रहा था।
- **स्व नियमन या स्वायत्तता बनाम बाह्य नियंत्रण** - कोयला घोटाले की तरह अन्य घटनायें मंत्रालय द्वारा की गयी स्वायत्तता की मांग की वैधता को घटाएंगी और उन्हें ओम्बड्समैन जैसे किसी निकाय के नियंत्रण के तहत रखेंगी।
- **आज्ञाकारिता के संबंध में लापरवाही बनाम कर्त्तव्य** - सचिव की लापरवाही को लेकर प्रश्न उठाये गए हैं जबकि सचिव ने कर्त्तव्य के अनुसार पदानुक्रम का सम्मान किया है।
- **ईमानदारी** - क्योंकि राजकोष को नुकसान हुआ था।
- **धारा 13 (1) (डी) (iii)** - आपराधिक मामलों की जाँच की जिम्मेदारी सामान्य रूप से अभियोजन पक्ष (prosecution) की होती है जबकि यहाँ क़ानून के अनुसार ये जिम्मेदारी लोक अधिकारी पर डाली गयी है।
- कार्यालय का दुरुपयोग।

प्रश्नगत मूल्य

- पेशेवर क्षमता और उचित देखभाल
- निस्वार्थता, सत्यनिष्ठा
- कानूनी और न्यायिक जवाबदेही
- राजनीतिक तटस्थता

हितधारक 1 द्वारा प्रदर्शित मूल्य

- विवेक - यह व्यावहारिक राजनीतिक ज्ञान को प्रदर्शित करता है
- दृढ़ता - अथक पीड़ा में भी नैतिक शक्ति या नैतिक साहस
- प्रायोजन या परिणामवाद - अर्थात्, हितधारक ने सख्ती से कर्तव्यशास्त्र या अपने कर्त्तव्य का अनुपालन नहीं किया।

आगे की राह

- मंत्रालय द्वारा :
- नैतिक मानदंडों और कार्यप्रणालियों को संहिताबद्ध करना।
- सार्वजनिक पदाधिकारी को उसके कार्यालय के योग्य या अयोग्य ठहराने के लिए मानदंड उपलब्ध कराना।
- निर्णय लेने की संरचना को पारदर्शी बनाया जाए। विभिन्न मामलों से निपटने की बोझिल प्रक्रिया को सरल बनाया जाना आवश्यक है।
- निवारक और दंडात्मक सतर्कता।
- सिविल सेवकों के लिए:
- सर्वश्रेष्ठ निर्णय का प्रयोग करना -जैसा कि आचार संहिता में उल्लिखित है। लेकिन अधिकारियों की ईमानदारी पर संदेह के अवसर सदैव बने रहते हैं।
- लिखित आदेश के साथ तबादलों के लिए सिविल सेवा बोर्ड।(तबादलों के लिए लिखित आदेश एवं सिविल सेवा बोर्ड)
- राजनीतिक अधिकारियों के लिए:
- व्यक्ति विशेष के लिए कार्य विशेष की जिम्मेदारी और उत्तरदायित्व को तय करना।

VISION IAS

- कपटपूर्ण भ्रष्टाचार से निपटने के लिए PoCA में संशोधन किया जाना चाहिए।
- CBI को स्वायत्त बनाया जाना चाहिए ताकि यह निष्पक्षता के साथ राजनीतिक अधिकारियों से पूछताछ कर सके।

निष्कर्ष: केंद्रीय IAS अधिकारियों के मानद सचिव के रूप में संघ ने कहा है कि "एक ईमानदार नौकरशाह को सेवा के दौरान या सेवानिवृत्ति के बाद किसी भी व्यक्ति या एजेंसी या संस्था द्वारा परेशान नहीं किया जाना चाहिए।यह सिस्टम में काम करने वाले नौकरशाहों को व्यग्र और तनावग्रस्त बना देगा जो कि देश के हित में नहीं होगा।" लेकिन साथ ही सिस्टम ऐसा होना चाहिए जो ईमानदार को पुरस्कृत करे और बेईमान को दंड दे सके।

9.2 वाणिज्यिक सरोगेसी

(Commercial Surrogacy)

सुर्ख़ियों में क्यों?

केंद्रीय मंत्रिमंडल ने हाल ही में भारत में वाणिज्यिक सरोगेसी पर प्रतिबंध लगाते हुए तथा केवल बाँझ दम्पत्तियों के लिए परोपकारी सरोगेसी की इजाजत देते हुए, सरोगेसी (विनियमन) विधेयक, 2016 को मंजूरी दी।

अवलोकन

प्रथम दृष्टया सरोगेसी एक आकर्षक विकल्प की तरह लगता है क्योंकि :

- एक गरीब सरोगेट माँ को आवश्यक धन की प्राप्ति हो जाती है।
- एक बांझ दंपती को लंबे समय से वांछित, जैविक संतान की प्राप्ति हो जाती है और
- देश, विदेशी मुद्रा प्राप्त करता है।

हालांकि, यह व्यवस्था सभी पक्षों के लिए लाभकारी प्रतीत होती है तथापि जब मानव प्रजनन का यह रूप वाणिज्य, लिंग असमानता और आर्थिक विषमता से जुड़ता है तो नैतिक अपराध की सम्भावना भी अधिक हो जाती है।

वाणिज्यिक सरोगेसी से सम्बंधित नैतिक मुद्दे

- आमतौर पर वाणिज्यिक सरोगेसी के पीछे नैतिक विचार यह है कि यह उन महिलाओं के लिए सहायक है जो प्राकृतिक रूप से मां बनने की स्थिति में नहीं हैं। यह उन्हें मातृत्व प्रदान करने में मदद करता है।
- साथ ही वे परिवार जहाँ संतान न होने के कारण अशांति है, वे इस परेशानी से बाहर निकल सकते हैं और संतान प्राप्ति के लिए वाणिज्यिक सरोगेसी निस्संदेह एक कारगर उपाय है।
- कई लोगों का तर्क है कि सरोगेसी की व्यवस्था प्रजनन का अवैयक्तिकरण करती है एवं आनुवांशिक , गर्भावधि और सामाजिक अभिभावकत्व को अलग -अलग बाट देती है। अन्य लोगों का तर्क है कि इससे बच्चे पैदा करने के उद्देश्यों में भी परिवर्तन आया है।
- उनके अनुसार बच्चों को वो अपने गर्भ में अपने स्वार्थ के लिए नहीं बल्कि दूसरे के लाभ के लिए पाल रहे हैं। जबकि कुछ लोग इसे एक नैतिक कर्तव्य के रूप में देखते हैं जिसके द्वारा सरोगेसी उस महिला के ऊपर से बांझपन का कलंक हटाती हैं जो इनकी सेवाएँ खरीदती है।

वाणिज्यिक सरोगेसी से जुड़े कुछ नैतिक मुद्दे

- दम्पति पर और विशेष रूप से सरोगेट माँ पर तनाव की मात्रा क्या है? सभी पक्षों के लिए किस प्रकार की चिकित्सा और मनोवैज्ञानिक स्क्रीनिंग प्रदान की जानी चाहिए? एक बच्चे को गर्भ में पालने के बाद उससे अलग होने की प्रक्रिया से कौन सी भावनाएं जुडी हो सकती हैं?
- क्या सरोगेट माँ द्वारा कभी भी इसके लिए सहमति दी जा सकती है?
- क्या सरोगेसी का इस्तेमाल न केवल बाँझ दम्पत्तियों द्वारा बल्कि एकल पुरुषों या महिलाओं द्वारा भी किया जायेगा?
- क्या सरोगेट माँ को भुगतान किया जाना चाहिए? क्या इसके परिणामस्वरूप सरोगेसी का वाणिज्यीकरण होगा और सरोगेट माँ के शोषण की संभावना बढ़ेगी ?
- क्या होगा जब एक विकलांग नवजात को लेने से मना कर दिया जाए?
- क्या दंपत्ति और सरोगेट को एक दुसरे से अनजान बने रहना चाहिए? किस प्रकार के रिकॉर्ड रखे जाने चाहिए और क्या बच्चो की उन तक पहुँच होनी चाहिए ?
- यदि डॉक्टर को केवल एक पक्ष द्वारा भुगतान किया जा रहा है और **उसे दुसरे पक्ष को** भुगतान करना हो तब क्या यह हितों में टकराव को उत्पन्न नहीं करेगा ?

VISION IAS

9.3. सेलेब्रिटी विज्ञापन

(Celebrity Endorsements)

सुर्ख़ियों में क्यों?

उपभोक्ता मामलों पर संसदीय समिति ने , उपभोक्ता संरक्षण विधेयक, 2015 की सिफारिशों में कठोर प्रावधानों की वकालत की है ,जिसके अंतर्गत उत्पाद का गलत असर होने पर सेलिब्रिटी को पांच साल तक की सज़ा और 50 लाख रुपये तक का जुर्माना भी शामिल है।

सेलिब्रिटी द्वारा किए जाने वाले विज्ञापनों को कब नैतिक न माना जाए:

प्रामाणिकता: यदि उत्पाद का प्रयोग सेलेब्रिटी स्वयं न कर रहा हो तो ऐसे में विज्ञापन अनैतिक लग सकता है। इसके अलावा यह पता लगाना काफी जटिल है कि सेलिब्रिटी उस उत्पाद का आम उपभोक्ता है या नहीं ।

असुरक्षित या अप्रभावी उत्पाद प्रचार : अनैतिकता से सम्बंधित मुद्दे पुनः उठ जाते है जब सेलेब्रिटी कुछ ऐसे उत्पादों का प्रचार करते हैं जो समाज के लिए खतरनाक हों।

भ्रामक जानकारी: जब सेलेब्रिटी कुछ भ्रामक कहते या ऐसे दावे करते हैं तो उक्त विज्ञापन को अनैतिक माना जाता है।

हितों का संघर्ष: जब कोई विज्ञापन सेलिब्रिटी की छवि, सिद्धांतों एवं हितों के विपरीत होता है तो इसका अर्थ है कि सेलेब्रिटी पूरी तरह से व्यावसायिक दृष्टिकोण रखता है अतः ऐसे में नैतिक निहितार्थ गंभीर हो सकते हैं।

विशेषज्ञ की राय को नज़रंदाज़ करना : यह विशेष रूप से अनैतिक है जब एक सेलिब्रिटी का विज्ञापन विशेषज्ञों की राय से आगे निकल जाता है अर्थात, जब वह अपनी गैर-विशेषज्ञ राय देता है तो वह योग्य विशेषज्ञों की राय को कमज़ोर करता है ।

निष्कर्ष

आम तौर पर, सेलिब्रिटी विज्ञापन पिछले कई दशकों से जारी है और इसके भविष्य में भी जारी रहने की संभावना है। लेकिन इन हस्तियों के कार्य सदैव नैतिक नहीं माने जा सकते। हालांकि इन अनैतिक व्यवहारों से उत्पन्न समस्या अलग-अलग हो सकती है तथापि उद्यमों और सेलेब्रिटी के लिए आवश्यक है कि किसी भी उत्पाद का समर्थन सार्वजनिक रूप से करने से पहले सभी नैतिक मुद्दों पर वे गंभीरता से विचार करें ।

9.4. गर्भपात का मुद्दा - कानूनी या नैतिक?

(Issue of Abortion- Legal or Ethical?)

पृष्ठभूमि

गर्भपात से सम्बंधित बहस वस्तुतः सामान्य प्रसव से पहले एक भ्रूण को जानबूझ कर मारने की क्रिया के गलत और सही होने से जुडी है। गर्भपात उन महिलाओं और पुरुषों के लिए एक कठिन मुद्दा है जो इस नैतिक दुविधा का सामना करते हैं कि किसी गर्भ को समाप्त करना चाहिए या नहीं।

- यह अनुमान है कि दुनिया भर में, 46 मिलियन महिलायें हर साल गर्भपात कराती है और विश्व स्वास्थ्य संगठन का अनुमान है कि इनमें से लगभग आधे गर्भपात असुरक्षित स्थितियों में होते हैं। भारत में करीब 20 मिलियन महिलायें हर साल एक अवांछित गर्भ समाप्त करना चाहती हैं।
- यहाँ तक कि आज भी लिंगभेद और गर्भपात से जुड़े कलंक की वजह से असुरक्षित गर्भपात के कारण हर दो घंटे में एक महिला की मृत्यु हो जाती है।

गर्भपात के खिलाफ तर्क

- चूंकि जीवन गर्भाधान से ही शुरू होता है, अतः गर्भपात हत्या के समान है क्योंकि यह एक मानव जीवन को समाप्त करता है। गर्भपात सामान्य रूप से मानव जीवन की पवित्र भावना का अनादर है।
- कोई भी सभ्य समाज क़ानूनी प्राधिकार के बिना किसी अन्य मानव के जीवन को नुकसान पहुँचाने या समाप्त करने की अनुमति नहीं देता, और गर्भपात इससे अलग नहीं है।
- गोद लेने की क्रिया को गर्भपात के व्यवहार्य विकल्प के तौर पर देखी जा सकती है और समान परिणाम देती है।
- गर्भपात के पश्चात् भविष्य में चिकित्सा सम्बन्धी जटिलताएं पैदा हो सकती है ; अस्थानिक (Ectopic) गर्भधारण का खतरा दोगुना हो जाता है, आगे चलकर मिसकैरेज और श्रोणि सूजन (पेल्विक इन्फ्लेमेटरी) की बीमारी की संभावना भी बढ़ जाती है।

- बलात्कार और व्यभिचार के मामले में उचित चिकित्सीय देखभाल यह सुनिश्चित कर सकती है कि महिला गर्भवती नहीं होगी। गर्भपात, अजन्मे बच्चे को दी जाने वाली सजा है जिसने कोई अपराध नहीं किया,जबकि सजा अपराधी को दी जानी चाहिए।
- गर्भपात को गर्भनिरोधक के रूप में इस्तेमाल नहीं किया जाना चाहिए।
- उन महिलाओं के लिए जो अपने शरीर पर पूरा नियंत्रण चाहती हैं, नियंत्रण के लिए गर्भनिरोधक का विवेकपूर्ण इस्तेमाल करना चाहिए या यदि वह संभव नहीं है तो संयमित आचरण द्वारा अवांछित गर्भधारण से बचना चाहिए।
- कर द्वारा प्राप्त धन का गर्भपात के वित्तपोषण के लिए प्रयोग करना नैतिक रूप से गलत है।
- जो स्त्रियाँ गर्भपात का विकल्प चुनती हैं वे अक्सर या तो नाबालिग या युवा महिलायें होती हैं जिनके लिए अपने कृत्य को गलत या सही समझने के लिए आवश्यक अनुभव की कमी होती है। उनमे से कई महिलाओं को बाद में आजीवन पछतावा होता है।
- गर्भपात अक्सर तीव्र मनोवैज्ञानिक वेदना और तनाव का कारण बनता है।

गर्भपात के पक्ष में तर्क

- लगभग सभी गर्भपात पहली तिमाही में किये जाते हैं, जब भ्रूण, माँ से अलग स्वतंत्र अस्तित्व बनाये रखने में असमर्थ होता है। क्योंकि यह प्लेसेंटा और गर्भनाल से जुड़ा होता है अतः उसका स्वास्थ्य माँ के स्वास्थ्य पर निर्भर होता है और उसे अलग इकाई के रूप में नहीं माना जा सकता है क्योंकि यह उसके गर्भ के बाहर जीवित नहीं रह सकता।
- पर्सनहुड की अवधारणा मानव जीवन की अवधारणा से अलग है। मानव जीवन गर्भाधान से शुरू होता है लेकिन इन विट्रो फर्टिलाइजेशन के लिए इस्तेमाल किये निषेचित अंडाणुओं में भी मानव जीवन होता हैं और उनमे से जो प्रत्यारोपित नहीं होते उन्हें सामान्यतया फेंक दिया जाता है। क्या यह हत्या है और यदि नहीं है तो गर्भपात को हत्या कैसे कहा जा सकता है ?
- गोद लेना गर्भपात का विकल्प नहीं है , क्योंकि यह औरत पर निर्भर करता है की वह अपने बच्चे को किसी और के द्वारा गोद लेने की अनुमति देने के लिए तैयार है या नहीं।
- गर्भपात एक सुरक्षित चिकित्सा प्रक्रिया है। लगभग 88% महिलायें गर्भपात गर्भावस्था की पहली तिमाही में करवाती हैं ।
- बलात्कार या व्यभिचार जैसे हिंसक कृत्यों से गर्भवती हुई पीड़ित महिला को मनोवैज्ञानिक नुकसान पहुँच सकता है। अक्सर एक औरत डर के कारण बोलती नहीं या इस बात से अनजान रहती है कि वह गर्भवती है , इस प्रकार गर्भ निरोधक गोली (morning after pill) भी ऐसी दशाओं में अप्रभावी रहती है।
- गर्भपात को गर्भनिरोधक के एक प्रकार के रूप में इस्तेमाल नहीं किया जाता है। गर्भाधान गर्भनिरोधक का विवेकपूर्ण इस्तेमाल करने के बावजूद भी हो सकता है। किसी महिला का अपने शरीर पर नियंत्रण करने का सामर्थ्य नागरिक अधिकारों के लिए महत्वपूर्ण है। एक स्त्री से प्रजनन के विकल्प चुनने का अधिकार लेना, एक विषम स्थिति को जन्म देता है। यदि सरकार एक स्त्री को गर्भावस्था बनाए रखने को विवश कर सकती है तो क्यों न उसे गर्भनिरोधकों के इस्तेमाल या नसबंदी के लिए ही विवश किया जाये?
- करदाताओं के धन का इस्तेमाल गरीब महिलाओं की उन चिकित्सकीय सुविधाओं तक पहुँच सुनिश्चित करने में किया जाता हैं, जो अमीर महिलाओं को प्राप्त हैं और गर्भपात इन सेवाओं में से एक है। गर्भपात के लिए धन उपलब्ध कराना, मध्य पूर्व में किसी युद्ध के वित्त पोषण से अलग नहीं है।जो इसके विरोध में हैं वे अपना रोष मतदान बूथों में व्यक्त कर सकते हैं।
- जो किशोरिया माँ बनती हैं ,उनका भविष्य चुनौतीपूर्ण हो जाता है। उनके स्कूल छूटने; अपर्याप्त प्रसव पूर्व देखभाल प्राप्त करने ; बच्चे के उत्तरदायित्व को पूरा करने के लिए सरकारी सहायता पर निर्भर होने ; स्वास्थ्य समस्याओं से ग्रस्त होने ; या अंततः तलाकशुदा होने की संभावनाएं बढ़ जाती हैं।
- किसी अन्य कठिन स्थिति की तरह, गर्भपात तनाव पैदा करता है। मनोवैज्ञानिकों ने पाया कि सर्वाधिक तनाव गर्भपात से पहले होता है तथा गर्भपात के बाद में सिंड्रोम का कोई सबूत नहीं था।

आगे की राह

- यहां नैतिक मुद्दे सिर्फ भ्रूण के अधिकार से सम्बद्ध नहीं हैं। भ्रूण एक स्वतंत्र सत्ता नहीं है और वह पूरी तरह से महिला के कल्याण पर निर्भर करता है। तो वास्तव में यह मां के अधिकार बनाम भ्रूण के अधिकार की बात है।
- गर्भपात सम्बन्धी यह दुविधा , कानूनी चिकित्सा, नैतिक, दार्शनिक, धार्मिक और मानव अधिकारों जैसे कई प्रकार के मुद्दों को अतिव्यापित करती है। इसका विभिन्न दृष्टिकोणों से विश्लेषण किया जाना चाहिए। गर्भपात पर कोई कठोर नियम नहीं हो सकता। एक आम सहमति के निर्माण हेतु इस पर व्यापक विचार विमर्श किया जाना चाहिए।

10. सुर्ख़ियों में

(Also in News)

10.1. स्टार प्रचारक पर व्यय मामले में उच्चतम न्यायालय का निर्णय

(Supreme Court on Star Campaigner's Expenditure)

सुर्ख़ियों में क्यों ?

हाल ही में, सुप्रीम कोर्ट ने निर्णय दिया है कि राजनीतिक दल के कार्यक्रमों का प्रचार करने के लिए स्टार प्रचारक द्वारा किए गए हवाई यात्रा के व्यय को उम्मीदवार के चुनाव खर्च में शामिल नहीं किया जा सकता।

विवरण

- अदालत ने गौर किया कि यह छूट स्टार प्रचारक की अभियान यात्राओं तक ही सीमित थी।
- इस तरह स्टार प्रचारक की जनसभा के लिए पंडालों के निर्माण जैसी व्यवस्था के संबंध में किए गए व्यय छूट दी गई व्यय का हिस्सा नहीं है ।
- अदालत द्वारा इस पर भी गौर किया गया कि स्टार प्रचारक का यात्रा व्यय स्टार प्रचारक द्वारा स्वयं वहन किया जाना चाहिए।

लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम की धारा 77

- धारा 77 प्रत्येक उम्मीदवार को चुनावी व्यय के लिए एक अलग चालू खाता रखने के लिए बाध्य करती है।
- हालांकि, धारा 77 के खंड (क) की व्याख्या (1) यह स्पष्ट करती है कि किसी पार्टी के किसी नेता द्वारा उस पार्टी के कार्यक्रमों के लिए की गई यात्राओं या हवाई यात्राओं के व्यय उम्मीदवार के व्यय में शामिल नहीं होंगे।

10.2. सभी NGO को गृह मंत्रालय के अधीन लाने के लिए प्रस्ताव

(Proposal to bring all NGOs under Home Ministry)

सुर्ख़ियों में क्यों ?

- गृह मंत्रालय चाहता है कि वित्त मंत्रालय विदेशी मुद्रा प्रबंधन अधिनियम (FEMA) के तहत गैर सरकारी संगठनों (NGO) की निगरानी की अपनी शक्तियों को गृह मंत्रालय के पक्ष में त्याग दे।

वर्तमान स्थिति

- वर्तमान में, लगभग 100 अंतरराष्ट्रीय गैर सरकारी संगठन और संघ हैं जो कि अपने संपर्क कार्यालयों के माध्यम से विदेशी धन प्राप्त करते हैं और उन्हें पूरे भारत में गैर सरकारी संगठनों को बाँटते हैं।
- गृह मंत्रालय विदेशी अंशदान नियमन अधिनियम (FCRA) के माध्यम से गैर सरकारी संगठनों और संघों को दान के रूप में प्राप्त विदेशी फंडों पर नजर रखता है।
- फोर्ड फाउंडेशन ,यू.के. का इंटरनेशनल डेवलपमेंट डिपार्टमेंट और कनाडा का इंटरनेशनल डेवलपमेंट रिसर्च सेंटर जैसे अंतर्राष्ट्रीय दानदाता फेमा के तहत पंजीकृत हैं, लेकिन विदेशी अंशदान नियमन अधिनियम (FCRA) के तहत नहीं ।

प्रभाव

- चूंकि FEMA वित्त मंत्रालय द्वारा नियंत्रित किया जाता है, ऐसे में कई बार ऐसा मौका आता है जब गृह मंत्रालय धन के प्रवाह पर प्रभावी ढंग से नजर रखने में सक्षम नहीं होता है।
- सभी विदेशी सहायता प्राप्त करने वाले गैर सरकारी संगठनों को एक ही मंत्रालय के अंतर्गत लाकर बेहतर निगरानी और नियमन किया जा सकेगा।

10.3 .हाइब्रिड एन्युइटी मॉडल: अद्यतन

(Hybrid Annuity Model: Updates)

सुर्ख़ियों में क्यों ?

चालू वित्त वर्ष की पहली तिमाही (अप्रैल-जून 2016) के लिए निर्माण की औसत दर- पिछले वित्त वर्ष की 16.60 किमी और 2014-15 के सिर्फ 12 किलोमीटर के दैनिक औसत से बढ़ कर 21.86 किमी/दिन हो गयी है ।

इसके अलावा **हाइब्रिड एन्युइटी मॉडल** के तहत आने वाली परियोजनायें दो गुना बढ़ा दी गई है।

(हाइब्रिड एन्युईटी मॉडल पर अधिक जानकारी के लिए - विजन आईएएस मई 2016 संस्करण देखें)

10.4. खदानों की स्टार रेटिंग के लिए वेब पोर्टल

(Web Portal for Star Rating of Mines)

- खनन मंत्रालय ने खदानों की स्टार रेटिंग के लिए एक रूपरेखा सहित भारत में खनन क्षेत्र के बारे में समस्त जानकारियों तक लोगों की आसान पहुँच बनाने के लिए एक वेब पोर्टल का शुभारंभ किया है।
- पोर्टल पर खनन क्षेत्र के लिए सतत विकास फ्रेमवर्क (SDF) के बारे में भी जानकारी उपलब्द्ध होगी।
- रेटिंग प्रणाली एक दो-स्तरीय प्रणाली होगी जहां खनन मंत्रालय के अधीन भारतीय खान ब्यूरो द्वारा गलत जानकारी प्रदान करने वालों के लिए दंड के साथ खदान संचालक द्वारा स्वयं मूल्यांकन को विधिमान्य किया जाएगा।
- रेटिंग प्रणाली खदानों के हानिकारक पर्यावरणीय प्रभाव को कम करने और प्रभावित लोगों के पुनर्वास के लिए किये गए प्रयासों पर आधारित होगी। यह खनन कार्य और प्रतिवेदन के लिए अंतरराष्ट्रीय मानकों को समाहित करने जैसी कसौटियों पर आधारित होगी।
- इस प्रणाली का मुख्य उद्देश्य सभी खानों को न्यूनतम संभव समय में 5 स्टार रेटिंग में कम से कम 4 या 5 स्टार के स्तर तक लाना है।

10.5. वाहन आधुनिकीकरण कार्यक्रम

(Vehicle modernization Programme)

सुर्ख़ियों में क्यों ?

- सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय ने वोलंटरी वेहिकल फ्लीट मॉडर्नाइजेशन प्रोग्राम (V-VMP) प्रस्तावित किया है।

V-VMP के बारे में

- V-VMP के तहत, पुराने वाहन को बदलने वाले वाहन मालिकों नया वाहन खरीदते समय मौद्रिक प्रोत्साहन प्रदान की जाएगी।
- उत्सर्जन (CO2 आदि) को कम करना इसका प्राथमिक उद्देश्य है। इसमें मुख्य जोर निम्न ईंधन दक्षता वाले पुराने वाहनों और प्रदूषणकारी ट्रकों को सड़क से हटाने पर दिया गया।
- पुराने वाहनों के विक्रेताओं को उनके पुराने वाहनों की बाजार कीमत के स्क्रैप मूल्य, ऑटोमोबाइल विनिर्माताओं द्वारा प्रदत विशेष छूट और उत्पाद शुल्क में कुछ आंशिक छूट के माध्यम से प्रोत्साहित किया जायेगा।
- इस योजना के 31 मार्च 2005 से पूर्व खरीदे गए या BS- IV मानक से नीचे के वाहनों पर लागू होने की संभावना है।
- वित्त मंत्रालय ने स्क्रैप किये जाने वाले वाहनों की संख्या एवं उत्पाद शुल्क में छूट के मुद्दों पर गंभीर आपत्ति जताई है साथ ही योजना के लिए बुनियादी ढांचे के सृजन और निवेश के संबंध में अस्पष्ट आंकड़ों जैसे कुछ पहलुओं पर भी प्रश्नचिन्ह खड़े किये हैं।
- हालांकि, उत्पाद शुल्क की हानि के मुद्दे पर सड़क मंत्रालय का कहना है कि नए वाहनों की खरीद से सरकार को अधिक उत्पाद शुल्क प्राप्त होगा और साथ ही अन्य प्रकार के प्रशुल्कों से सरकार के राजस्व में और वृद्धि ही होगी।
- इस कार्यक्रम से ऑटोमोबाइल उद्योग को प्रोत्साहन तो मिलेगा, परंतु इससे 11,500 करोड़ रुपए का स्टील कबाड़ भी प्रति वर्ष उत्पन्न होगा।

10.6. हैबिटेट प्रतिबद्धता सूचकांक

(Habitat commitment index)

- 1996 में इस्तांबुल में आयोजित हैबिटेट- II के दौरान व्यक्त की गयी गैर-बाध्यकारी प्रतिबद्धता के प्रति प्रत्येक देश के प्रदर्शन का आंकलन करने के लिए शहरी विकास पर संयुक्त राष्ट्र सम्मेलन के आयोजन से पूर्व हैबिटेट प्रतिबद्धता सूचकांक (HCI) जारी किया गया।
- भारत का प्रदर्शन पाकिस्तान और नेपाल जैसे अन्य दक्षिण एशियाई देशों से भी बदतर है, और दक्षिण एशियाई औसत से कम है।
- HCI एक सूचकांक है जो कि हैबिटैट- II कार्यसूची के 6 व्यापक श्रेणियों (अवसंरचना, गरीबी, रोजगार, संवहनीयता, संस्थागत क्षमता, और लैंगिक क्षेत्र में हुई प्रगति) की जांच करता है।
- किसी भी निगरानी तंत्र या बाध्यकारी प्रतिबद्धता के बिना भी, हैबिटैट- II के उपरांत समग्र शहरी परिस्थितियों में थोड़ा सार्थक परिवर्तन हुआ है।
- भारत ने शहरी बुनियादी ढांचे और संस्थागत क्षमता के सन्दर्भ में नकारात्मक अंक प्राप्त किया है और पिछले 20 वर्षों में अन्य मानकों पर मामूली सुधार प्रदर्शित किया है।

10.7. राष्ट्रीय राजमार्ग इंटरकनेक्टिविटी

(National Highways Interconnectivity)

- सरकार ने 5 राज्यों - कर्नाटक, ओडिशा, बिहार, राजस्थान और पश्चिम बंगाल में राष्ट्रीय राजमार्ग इंटरकनेक्टिविटी सुधार परियोजना (NHIIP) के तहत 1,120 किलोमीटर राष्ट्रीय राजमार्गों के विकास के लिए 6461 करोड़ रुपये अनुमोदित किया है।
- 2- लेन मानकों का विकास कार्य पहले चरण के तहत विश्व बैंक की सहायता से हो रहा है।
- यह परियोजना प्रस्तावित राष्ट्रीय राजमार्गों जोकि ज्यादातर पिछड़े क्षेत्रों में अवस्थित है पर तीव्र, सुरक्षित और सभी मौसम में यतायात प्रचालन को सुनिश्चित करेगी जिससे इन क्षेत्रों का सामाजिक आर्थिक विकास होगा।
- अनुमोदित परियोजना लागत में भूमि अधिग्रहण, पुनर्वास और पुनरुद्धार और अन्य निर्माण पूर्व गतिविधियों की लागत शामिल है।

10.8. तरंग मोबाइल एप्लिकेशन, "ई-ट्रांस (E-TRANS)" तथा दीप (DEEP)

(Tarang Mobile App, “E-Trans” And Deep)

सुर्ख़ियों में क्यों ?

- बिजली, कोयला, नवीन और नवीकरणीय ऊर्जा और खान राज्य मंत्री (स्वतंत्र प्रभार), पीयूष गोयल ने **तरंग मोबाइल एप्लिकेशन, ई-ट्रांस और दीप ई-निविदा पोर्टलों** का शुभारंभ किया।
- ये पोर्टल देश के विद्युत पारेषण के क्षेत्र में पारदर्शिता लाने के उद्देश्य से शुरू किये गये हैं।

तरंग (मोबाइल एप्लिकेशन और वेब पोर्टल)

- यह विकास और रिअल टाइम निगरानी के लिए ट्रांसमिशन एप है।
- यह आगामी परियोजनाओं को ट्रैक करने के लिए एक निगरानी उपकरण के रूप में कार्य करेगा।
- इसका उपयोग देश में अंतर्राज्यीय और अंत:-राज्यीय पारेषण सिस्टम की प्रगति की निगरानी करने के लिए भी किया जाएगा।
- इसमें देश में रुकी हुई या धीमी गति से चल रही पारेषण संबंधी योजनाओं की स्थिति को भी पता लगाया जा सकेगा ताकि सभी साझेदारों को परियोजनायें तुरंत पूर्ण करने के लिए बाध्य किया जा सके।
- यह ग्रीन एनर्जी कोरिडोर की निगरानी भी करेगा।

ई-ट्रांस

- यह पारेषण परियोजनाओं की **टैरिफ आधारित प्रतिस्पर्धात्मक बोली (TBCB) के लिए ई-निविदा और ई-रिवर्स नीलामी के लिए वेब प्लेटफॉर्म** है।
- अभी तक पारेषण क्षेत्र के सेवा प्रदाता पारंपरिक तरीके से प्रसारण नीलामी में भाग ले रहे थे। ई-ट्रांस से यह इलेक्ट्रॉनिक हो जायेगा।
- ई-ट्रांस के साथ ट्रांसमिशन के क्षेत्र में रिवर्स नीलामी भी शुरू की जा रही है।

DEEP (Discovery of Efficient Electricity Price)

- यह मध्यम अवधि (1-5 वर्ष) के लिए बिजली की खरीद के लिए एक ई-निविदा पोर्टल है।
- यह एक व्यापक नेटवर्क के माध्यम से देशव्यापी बिजली प्रबंध सुविधा के लिए ई- रिवर्स नीलामी की सुविधा के साथ एक सार्वजनिक ई-निविदा मंच प्रदान करेगा।

रिवर्स नीलामी क्या है?

- यह नीलामी का एक प्रकार है जिसके अंतर्गत क्रेताओं और विक्रेताओं की भूमिकाएं बदल जाती हैं।
- नीलामी के इस प्रकार में, विक्रेता उस कीमत के लिए बोली लगाते हैं जिस पर वे विक्रय करने के लिए तैयार हैं।

10.9. SME क्षेत्र के क्षेत्रीय नेतृत्वकर्ताओं में भारत

(India among Regional Leaders in SME Sector)

- मास्टर कार्ड द्वारा प्रकाशित एक रिपोर्ट में भारत को एशिया प्रशांत क्षेत्र में एसएमई (छोटे और मध्यम उद्यमों) क्षेत्र के क्षेत्रीय नेतृत्वकर्ताओं में स्थान दिया गया है।
- रिपोर्ट के अनुसार एसएमई व्यापार परिवेश सूचकांक में भारत ने 50.4 अंक प्राप्त किये। 50 से ऊपर का स्कोर एक सकारात्मक स्थिति को दर्शाता है।
- भारत का चौथा स्थान आया है, जबकि चीन, ऑस्ट्रेलिया और इंडोनेशिया क्रमशः शीर्ष तीन देश थे।
- डिजिटल वचनबद्धता की श्रेणी में भारत ने सबसे ज्यादा अंक प्राप्त किया।

VISION IAS

- **महत्व**: रैंकिंग में इस बात पर प्रकाश डाला गया है कि व्यापारी **विकास के सन्दर्भ में आर्थिक तथा व्यापार संबंधी परिस्थितियों के प्रति कितना सकारात्मक दृष्टिकोण रखते हैं।**

10.10. मसाला बांड

(Masala Bonds)

सुर्ख़ियों में क्यों ?

- हाउसिंग डेवलपमेंट फाइनेंस कॉरपोरेशन (HDFC) ने मसाला बांड जारी करके 3000 करोड़ रुपये जुटाए हैं। सितंबर 2015 में भारतीय रिज़र्व बैंक द्वारा अनुमति देने के बाद ऐसा करने वाली यह पहली कंपनी है।

यह क्या है?

- मसाला बांड भारतीय कंपनियों द्वारा विदेशी बाजार में बेचा गया रुपया-नामित (आधारित) बांड हैं।
- फिलहाल इन बांड का कारोबार लंदन स्टॉक एक्सचेंज में किया जा रहा है।
- विश्व बैंक की शाखा अंतरराष्ट्रीय वित्त निगम (IFC), द्वारा अवसंरचनात्मक परियोजनाओं के वित्त-पोषण के लिए 1000 करोड़ रुपये के रुपये आधारित बांड जारी करने के बाद इसे मसाला बांड नाम दिया गया।
- **महत्व**: मसाला बांड से भारतीय ऋण प्राप्तकर्ताओं को विनिमय दर में अधिक उतार-चढ़ाव की स्थिति का सामना करने तथा घाटे को कम करने में मदद मिलेगी। इससे रुपये का वैश्विक महत्त्व स्थापित होगा।

10.11. ई-कॉमर्स कंपनियों के लिए आसान नीति व्यवस्था

(Easing Policy Regime for E-Commerce Players)

सुर्ख़ियों में क्यों ?

- केन्द्र सरकार ने देश में तेजी से बढ़ रहे ई-कॉमर्स उद्योग से संबंधित एफडीआई नियमों सहित सभी मुद्दों पर गौर करने के लिए एक समिति गठित करने का फैसला लिया है।
- इस पैनल का गठन इसलिए भी काफी अहमियत रखता है क्योंकि सरकार ने हाल ही में खाद्य प्रसंस्करण क्षेत्र में 100 प्रतिशत एफडीआई की अनुमति दी है।
- औद्योगिक नीति एवं संवर्धन विभाग (DIPP) ने भी ई-कॉमर्स के खुदरा बिक्री के बाज़ार प्रारूप में स्वचालित मार्ग से 100% एफडीआई की अनुमति दी है ।

समिति की संरचना

- समिति की अध्यक्षता नीति आयोग के सीईओ अमिताभ कांत करेंगे।
- समिति के अन्य सदस्यों में वाणिज्य एवं उद्योग मंत्रालय और इलेक्ट्रॉनिक्स एवं सूचना प्रौद्योगिकी विभाग के अधिकारी शामिल हैं।
- पंजाब, महाराष्ट्र और कर्नाटक सहित चार राज्यों के प्रतिनिधि भी इस समिति के सदस्य होंगे।

समिति के विचारार्थ मुद्दे

- समिति देश में तेजी से बढ़ रहे ई-कॉमर्स उद्योग से संबंधित एफडीआई नियमों सहित सभी मुद्दों पर गौर करेगी।
- समिति उदारीकरण के माध्यम से क्षेत्रक के विकास को बढ़ावा देने के तरीकों के बारे में सुझाव देगी।

आगे की राह

- समिति को ऐसे मुद्दों को देखना चाहिए जोकि ई-कॉमर्स उद्योग के विकास में बड़े अवरोधक हैं।
- ई-कॉमर्स के माध्यम से दवाइयों की बिक्री के नियमन से संबंधित कुछ मुद्दे हैं जिन्हें हल किया जाना आवश्यक है।
- चूँकि ई-कॉमर्स कंपनियां अपने आधारक्षेत्र को कम कर वाले राज्यों में स्थानांतरित करती रहती हैं, अतः कर चोरी और विनिर्माण आधारित राज्यों को होने वाले नुकसान जैसे मुद्दे भी ध्यान में रखने होंगे।
- इन्वेंट्री बेस्ड ई-कॉमर्स मॉडल में प्रत्यक्ष विदेशी निवेश की अनुमति देने के विकल्पों पर भी विचार किया जा सकता है।

10.12. POCSO ई-बटन

(POCSO E-Button)

- प्रोटेक्शन ऑफ़ चाइल्ड फ्रॉम सेक्सुअल ऑफ्फेंसेज (POCSO), ई-बॉक्स, वस्तुतः POCSO अधिनियम, 2012 के तहत, बच्चों के खिलाफ यौन अपराधों की आसान और प्रत्यक्ष शिकायत और अपराधियों के खिलाफ समय पर कार्रवाई के लिए एक ऑनलाइन शिकायत प्रबंधन प्रणाली है।
- इस ऑनलाइन प्रणाली को महिला एवं बाल विकास मंत्रालय द्वारा शुरू किया गया है।
- एक अध्ययन के अनुसार सर्वेक्षण में शामिल बच्चों में 53% बच्चों ने बताया कि उन्हें अपने जीवन काल में किसी ना किसी रूप में यौन शोषण का सामना करना पड़ा।

- हालांकि, बच्चों के खिलाफ शोषण की घटनाओं की एक बड़ी संख्या की शिकायत नहीं की जाती है क्योंकि वे किसी करीबी रिश्तेदारों, दोस्तों या परिचितों के खिलाफ होती हैं।
- ई-बॉक्स संचालित करने में बहुत आसान है और इससे शिकायत की गोपनीयता बनाए रखने में मदद मिलेगी।
- ई-बॉक्स राष्ट्रीय बाल अधिकार संरक्षण आयोग की वेबसाइट ncpcr.gov.in के होम पेज पर प्रमुखता से प्रदर्शित है जहां उपयोगकर्ता को केवल POCSO ई-बॉक्स नामक एक बटन पर क्लिक करना होता है।
- ई-बटन क्लिक करने पर इस तरह के अपराधों का सामना कर रहे बच्चों को प्रेरित करने के लिए एक एनीमेशन फिल्म प्रदर्शित होगी। इसके बाद अपराधों की प्रकृति बताने वाली प्रदर्शित तस्वीरें चुनने के साथ-साथ शिकायतकर्ता का विवरण लिया जाएगा। शिकायतकर्ताओं को उनके मामलों पर नज़र रखने के लिए एक ऑटो जनरेटेड नंबर प्राप्त होगा।

10.13. सुगम्य पुस्तकालय

(Sugamya Pustakalaya)

- "सुगम्य पुस्तकालय" वस्तुतः दृष्टि विकलांग व्यक्तियों के लिए **निःशक्त जन सशक्तिकरण विभाग** (Department of Empowerment of Persons with Disabilities: DEPwD) द्वारा सुगम्य भारत अभियान के तहत प्रारम्भ एक ऑनलाइन पुस्तकालय है।
- इस ऑनलाइन पुस्तकालय को नेशनल इंस्टिट्यूट ऑफ़ विजुअली हैंडीकैप्ड (NIVH) और डेज़ी फोरम ऑफ़ इंडिया (DFI) के सहयोग से तैयार किया गया है, जिसे TCS Access द्वारा संचालित किया जा रहा है।
- भारत में 52 लाख लोग (2011 की जनगणना) दृष्टि विकलांगता के शिकार हैं तथा मुद्रित ग्रंथों का उपयोग नहीं कर सकते हैं।
- यह पुस्तकालय देश भर से सभी सुलभ सामग्री के एकल ऑनलाइन पुस्तकालय प्रणाली में संग्रहण पर ध्यान देगा।
- यह ई-लाइब्रेरी प्लेटफ़ॉर्म विभिन्न अंतरराष्ट्रीय एजेंसियों, जैसे- 'Bookshare' और 'Accessible Books Consortium' के सहयोग से काम करेगा; जिससे पूरी दुनिया से सुलभ पुस्तकें भारत में उपयोगकर्ताओं के लिए उपलब्ध हो सकें।
- दृष्टि विकलांग व्यक्ति, स्कूल/कॉलेज/पुस्तकालय, प्रकाशक/सरकारी विभाग/पाठ्यपुस्तक प्रोडक्शन हाउस,गैर सरकारी संगठन, कॉर्पोरेट क्षेत्र आदि इस ऑनलाइन पुस्तकालय के उपयोगकर्ता हो सकते हैं।

10.14. 'मेरा अस्पताल' पहल

(My Hospital/Mera Aspatal Initiative)

- सार्वजनिक स्वास्थ्य सेवा में हुए अनुभव की गुणवत्ता पर रोगियों की राय मांग कर रोगियों को सशक्त बनाने के उद्देश्य से स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय द्वारा " मेरा अस्पताल"पहल शुरू की गई है।
- ICT आधारित मरीजों की संतुष्टि स्तर को दर्शाने वाली प्रणाली (PSS- Patient Satisfaction System) " मेरा अस्पताल" सार्वजनिक और पैनल में शामिल निजी अस्पतालों में लागू किया जाएगा।
- वेब पोर्टल, मोबाइल एप्लिकेशन, SMS और इंटरएक्टिव वॉयस रिस्पांस सिस्टम (IVRS) के माध्यम से मरीजों की प्रतिक्रिया एकत्र करने के लिए एक बहु चैनल पद्धति इस्तेमाल की जायेगी।
- स्वच्छता अभियान के हिस्से के रूप में 'मेरा अस्पताल' तथा कायाकल्प पुरस्कार राज्यों में अपनी सुविधाओं के लिए सर्वोच्च रेटिंग प्राप्त करने की स्वस्थ प्रतिस्पर्धी भावना का विकास करेंगे।

10.15. खुर-पका और मुंह-पका रोग (FMD)

(Foot & Mouth Disease [FMD])

कृषि मंत्रालय ने अगले कुछ वर्षों में 'खुरपका-मुंहपका रोग मुक्त भारत' के लक्ष्य को प्राप्त करने के क्रम में राष्ट्रीय कृषि विकास योजना के तहत 'खुरपका-मुंहपका रोग' नियंत्रण के लिए 100.00 करोड़ रुपये का आवंटन किया है।

पृष्ठभूमि

- खुरपका-मुंहपका रोग (एफएमडी) सभी अतिसंवेदनशील खुर वाले जानवरों को प्रभावित करने वाला आर्थिक रूप से विनाशकारी तथा सर्वाधिक संक्रामक वायरल पशु रोगों में से एक है।
- भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद (ICAR) के अनुमान के अनुसार, इससे दूध और मांस उद्योग को प्रतिवर्ष 20,000 करोड़ रुपए का प्रत्यक्ष नुकसान होता है।

- खुरपका-मुंहपका रोग के कारण होने वाले आर्थिक नुकसान को रोकने के लिए, **10 वीं पंचवर्षीय** योजना से खुरपका-मुंहपका रोग नियंत्रण कार्यक्रम (FMD-CP)' नामक एक कार्यक्रम का क्रियान्वयन किया जा रहा है।

10.16. गिफ़्ट मिल्क योजना

(Gift Milk Scheme)

सुर्ख़ियों में क्यों ?

- केंद्र सरकार द्वारा दूध एवं दुग्ध उत्पादों के माध्यम से पोषण (विशेष रूप से बच्चों के लिए) को बढ़ावा देने के लिए NDDB के अंतर्गत स्थापित कॉर्पोरेट सामाजिक उत्तरदायित्व निधि के उपयोग द्वारा एक संस्था की स्थापना के प्रस्ताव को मंजूरी दी गई है।
- दूध और दुग्ध उत्पादों के प्रयोग द्वारा बच्चे के पोषण में सुधार करने की सोच के साथ मुफ्त दूध उपलब्ध कराने की इस पहल को 'मिल्क गिफ्ट' के नाम से जाना जाता है।
- दूध/दुग्ध उत्पाद की आपूर्ति केवल डेयरी सहकारी समितियों के माध्यम से होगी।

राष्ट्रीय डेयरी विकास बोर्ड (NDDB)

- राष्ट्रीय डेयरी विकास बोर्ड भारत की संसद द्वारा (NDDB अधिनियम 1987) स्थापित राष्ट्रीय महत्व की संस्था है। देश भर में क्षेत्रीय कार्यालयों के साथ इसका मुख्य कार्यालय गुजरात के आनंद जिले में है।
- NDDB का उद्देश्य शोषण को सशक्तिकरण में बदलना, परंपरा को आधुनिकता में बदलना, ठहराव को विकास में बदलना तथा डेयरी को भारत के ग्रामीण लोगों के विकास के लिए एक साधन के रूप में बदलना है।

10.17. महाराष्ट्र सरकार द्वारा यातायात की निगरानी के लिए ड्रोन का उपयोग

(Maharashtra Govt to Use Drone to Monitor Traffic)

सुर्ख़ियों में क्यों ?

- पहली बार मुंबई-पुणे एक्सप्रेस-वे पर वाहनों की आवाजाही पर नजर रखने के लिए ड्रोन का प्रयोग किया गया।

आवश्यकता

- अविवेक पूर्ण वाहन चालन और चालकों की अनुशासनहीनता के कारण मुंबई-पुणे एक्सप्रेस-वे पर दुर्घटनाओं की बढ़ती संख्या को ध्यान में रखते हुए ड्रोन का इस्तेमाल किया जा रहा है।
- इसके अलावा, ड्रोन यातायात की निगरानी में सीसीटीवी कैमरों से बेहतर कार्य कर रहे हैं।

10.18. सर्पमीन(EEL) की नई प्रजाति बंगाल की खाड़ी में पायी गई

(New Species of EEL Found on Bay of Bengal)

सुर्ख़ियों में क्यों ?

वैज्ञानिकों ने पश्चिम बंगाल के तट के साथ उत्तरी बंगाल की खाड़ी में सर्पमीन(EEL), साँप की तरह की मछली की एक नई प्रजाति की खोज की है।

विवरण

- यह *जिम्नोथोरक्स इंडिकस* प्रजाति की है तथा एक फुट लंबी, सुगठित (slender bodied) और एवं खाने योग्य होती है।
- यह नदियों और समुद्र के तल पर ज्यादातर पायी जाती है। यह प्रजाति समुद्र में 35 मीटर की गहराई में पायी गई।
- मीठे पानी और समुद्री जल में उपस्थित मत्स्य संसाधनों के अत्यधिक दोहन के कारण, वैज्ञानिकों का मानना है कि यह नई खोजी गयी प्रजाति भविष्य में खाद्य सुरक्षा में योगदान कर सकती है।

10.19. आधुनिक समय का पृथ्वी का सबसे गर्म माह

(Earth's Hottest Month in Modern Times)

सुर्ख़ियों में क्यों ?

नासा के दस्तावेजों के अनुसार 1880 में जब से तापमान दर्ज करना शुरू किया गया है, जुलाई इस ग्रह (पृथ्वी) का सबसे गर्म महीना था। जुलाई 2016, 1951 से 1980 तक के जुलाई के औसत तापमान से 0.84°C ज्यादा गर्म था और पिछले अधिकतम तापमान जोकि जुलाई 2015 में था, से 0.11°C अधिक था।

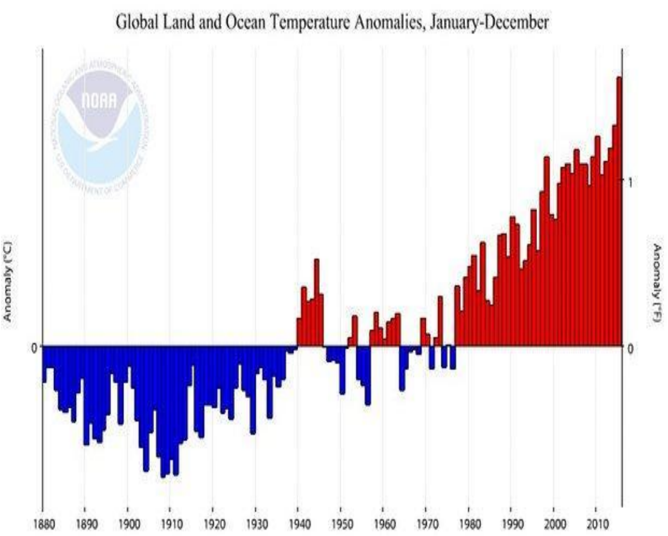

कारण

- ग्लोबल वार्मिंग और अल नीनो के संयोजन के द्वारा समस्त प्रशांत महासागर में गर्म जल का प्रसार हुआ जिसके कारण वैश्विक तापमान में वृद्धि हुई।
- अल नीनो परिघटना तो समाप्त हो गयी, लेकिन वैश्विक वायु तापमान पर इसका प्रभाव तीन से छह माह तक रहेगा।

चिंतायें

- ग्रीन हाउस गैसों के द्वारा संग्रहीत उर्जा के उत्सर्जन का 93% सागर में समाहित हो जाता है तथा 1 प्रतिशत ही वायुमंडल में शेष रह जाती है, जहां अधिकांश तापमापन संबंधी गतिविधियां सम्पादित की जाती हैं।
- आर्कटिक क्षेत्र में विशेष रूप से सर्दियों के दौरान भयानक गर्मी का अनुभव किया गया। उत्तरी ध्रुव में तापमान दिसम्बर में 0°C पहुँच गया जोकि औसत ताप से 30°C से 35 °C ज्यादा था।
- साइबेरिया में, जमी हुयी बर्फ पिघलने से दशकों से रेनडियर के शव में एकत्रित, एंथ्रेक्स जीवाणु ने मुक्त होकर घातक प्रकोप मचाना शुरू कर दिया है।

आगे की राह

- ग्लोबल वार्मिंग और जलवायु परिवर्तन के कारण प्राकृतिक जलवायु में उतार-चढ़ाव और चरम मौसमी घटनायें बढ़ रही हैं।
- यह तंत्र इतना नाजुक है कि हम लोग नहीं जानते कि 2°C तापमान पार करने पर किन आपदाओं का सामना करना पड़ेगा। अतः INDC को सही ढंग से लागू किया जाना चाहिए।

10.20. सुनामी चेतावनी का अगला स्तर

(Next Level of Tsunami Warning)

सुर्ख़ियों में क्यों ?

भारतीय राष्ट्रीय महासागर सूचना सेवा केंद्र (Indian National Centre for Ocean Information Services: INCOIS) को एक और अधिक उन्नत एवं सटीक सुनामी चेतावनी प्रणाली प्राप्त होने की संभावना है।

उठाए गए कदम

- तटरेखा के पूर्ण मानचित्रण के लिए नेशनल रिमोट सेंसिंग एजेंसी (NRSA) ने पूर्वी तट पर पारादीप से कोच्चि तक हवाई मानचित्रण किया है।
- महासागरीय तापमान और तरंगों के प्रभावों पर नियंत्रण प्राप्त करने हेतु Argo के सहयोग से INCOIS एक जलप्लावन मॉडल (inundation models) विकसित कर रहा है।
- जटिल गणितीय मॉडल को हल करने एवं आंकड़ों की तीव्र गणना के लिए एक सुपर कंप्यूटर 2017 से परिचालित होगा।

प्रमुख लाभ

- 50 किलोमीटर की परिधि में तट से टकराने वाली लहरों की भविष्यवाणी करने में सक्षम हो पाने की स्थिति प्राप्त होगी।
- प्रभावित होने वाली तटरेखा का पूर्वानुमान किया जा सकेगा तथा ऐसे प्रभाव में निरंतर कमी लायी जा सकेगी।
- लहरों की ऊंचाई का अनुमान लगेगा जिससे लोगों को शीघ्रता से सुरक्षित निकाला जा सकेगा।
- इसके द्वारा शीघ्र चेतावनी जारी हो सकेगी और भगदड़ की स्थिति को कम किया जा सकेगा।

10.21. बैटरी के पुनर्चक्रण में कवक का उपयोग

(Use of Fungi to Recycle Batteries)

- वैज्ञानिक हरित पुनर्चक्रण प्रक्रिया द्वारा अपशिष्ट बैटरी से कोबाल्ट और लिथियम को निकालने के लिए प्राकृतिक रूप से पाए जाने वाले कवक का उपयोग करने पर कार्य कर रहे हैं।
- कवक प्राकृतिक रूप से कार्बनिक अम्ल उत्पन्न करते हैं, और अम्ल धातुओं के निक्षालन का कार्य करते हैं।
- कवक द्वारा उत्पन्न कार्बनिक अम्ल का उपयोग कर प्रयुक्त बैटरी के कैथोड से 85 प्रतिशत तक लिथियम और 48 प्रतिशत तक कोबाल्ट निकाला गया।
- कवक के तीन प्रकार –ऐस्पर्जिलस नाइजर, पेनिसिलियम सिम्प्लिसिसिमम और पेनिसिलियम क्रयसोजेनम इस प्रयोजन के लिए प्रयुक्त हो रहे हैं।

10.22. ग्रीनलैंड शार्क

(Greenland Shark)

- वैज्ञानिकों का अनुमान है कि ग्रीनलैंड शार्क पृथ्वी का सबसे पुराना रीढ़ की हड्डी युक्त जीवित जानवर है।
- आयु के अनुमान के लिए, रासायनिक ट्रैकिंग, गणितीय मॉडलिंग और शार्क के नेत्र लेंस पर केंद्रित विकास माप के संयोजन से एक जटिल और अप्रत्यक्ष प्रणाली का इस्तेमाल किया गया।
- शार्क के नेत्र लेंस का निर्माण उसके अपनी माँ के गर्भाशय में विकसित होने के दौरान ही शुरू हो जाता है और जन्म के बाद भी उसमें कार्बन की मात्रा में परिवर्तन नहीं होता।
- एक अनुमान के मुताबिक, मादा ग्रे शार्क या ग्रीनलैंड शार्क, मोटे तौर पर 272 से 400 वर्ष पूर्व बर्फीले जल में पैदा हुयी, और हाल ही में उसकी मृत्यु हुयी।
- इससे पहले तक, इस रिकार्ड की धारक एक बोहेड व्हेल थी, जोकि 211 वर्ष की उम्र में मरी।

10.23. शिकार और कृषि जलवायु परिवर्तन से अधिक नुकसानदायक

(Hunting, Farming Cause More Harm than Climate Change)

- जर्नल, "नेचर" में प्रकाशित 9,000 से अधिक "संकटग्रस्त" या "संकटप्राय" प्रजातियों पर वैज्ञानिकों द्वारा किये गए एक अध्ययन के अनुसार, वन्य जीवन विलुप्त होने का मुख्य कारण पौधों एवं जानवरों से भोजन ,ईधन और औषधियों की बढती हुयी मांग है न कि जलवायु परिवर्तन।
- उदाहरण के लिए, शरीर के अंगों की मांग ने पश्चिमी गोरिल्ला और चीनी पंगोलिन को विलुप्तप्राय कर दिया है।
- प्राकृतिक आवासों का औद्योगिक क्षेत्रों और प्रतिष्ठानों में रूपांतरण अध्ययन की गई पौधों और जानवरों की कई प्रजातियों के आधे से अधिक को प्रभावित कर रहा है।
- दूसरी तरफ, इन प्रजातियों में से केवल 19 प्रतिशत वर्तमान में जलवायु परिवर्तन से प्रभावित हैं।
- अतः, वैज्ञानिकों के एक समूह के अनुसार, जलवायु परिवर्तन से ज्यादा इन खतरों पर संरक्षण के मुद्दे केन्द्रित होने चाहिए।
- विश्लेषण में यह स्वीकार किया गया है कि ग्लोबल वार्मिंग आने वाले दशकों में जैव विविधता के लिए तेजी से प्रमुख खतरा बन सकता है।
- रिपोर्ट में बताया गया है कि, पृथ्वी अब "सामूहिक विलुप्ति की स्थिति" में पहुँच गई है, जिसमें प्रजातियां एक या दो सदी पहले की तुलना में 1,000 से 10,000 गुना ज्यादा तेजी से गायब हो रही हैं।

10.24. मत्स्यन जलवायु परिवर्तन में योगदान देता है: अध्ययन

(Fishing Contributes to Climate Change: Study)

- कोच्चि के केन्द्रीय मत्स्य प्रौद्योगिकी संस्थान के मत्स्य वैज्ञानिकों ने पाया कि अकुशल मत्स्यन के कारण उत्सर्जित कार्बन डाइऑक्साइड की अतिरिक्त मात्रा जलवायु परिवर्तन में काफी योगदान दे रही है।
- अध्ययन के अनुसार, एक टन सार्डीन मछली को केरोसिन से चलने वाले मोटर युक्त नाव से पकड़ कर तट तक लाने में 402 किलोग्राम कार्बन डाइऑक्साइड मुक्त होती है और अगर यही कार्य ट्राउल नेट से किया जाय तो यह मात्रा और अधिक हो जाती है।
- उत्सर्जन को मापने के लिए नावों और जहाजों के परिचालन मामलों को शामिल करते हुए जीवन चक्र आकलन (एलसीए) को अपनाया गया था।
- हालांकि, यंत्रीकृत रिंग मछली पकड़ने वाले जहाज और डीजल से चलने वाले जहाज उल्लेखनीय रूप से कम उत्सर्जनकारी हैं।

VISION IAS

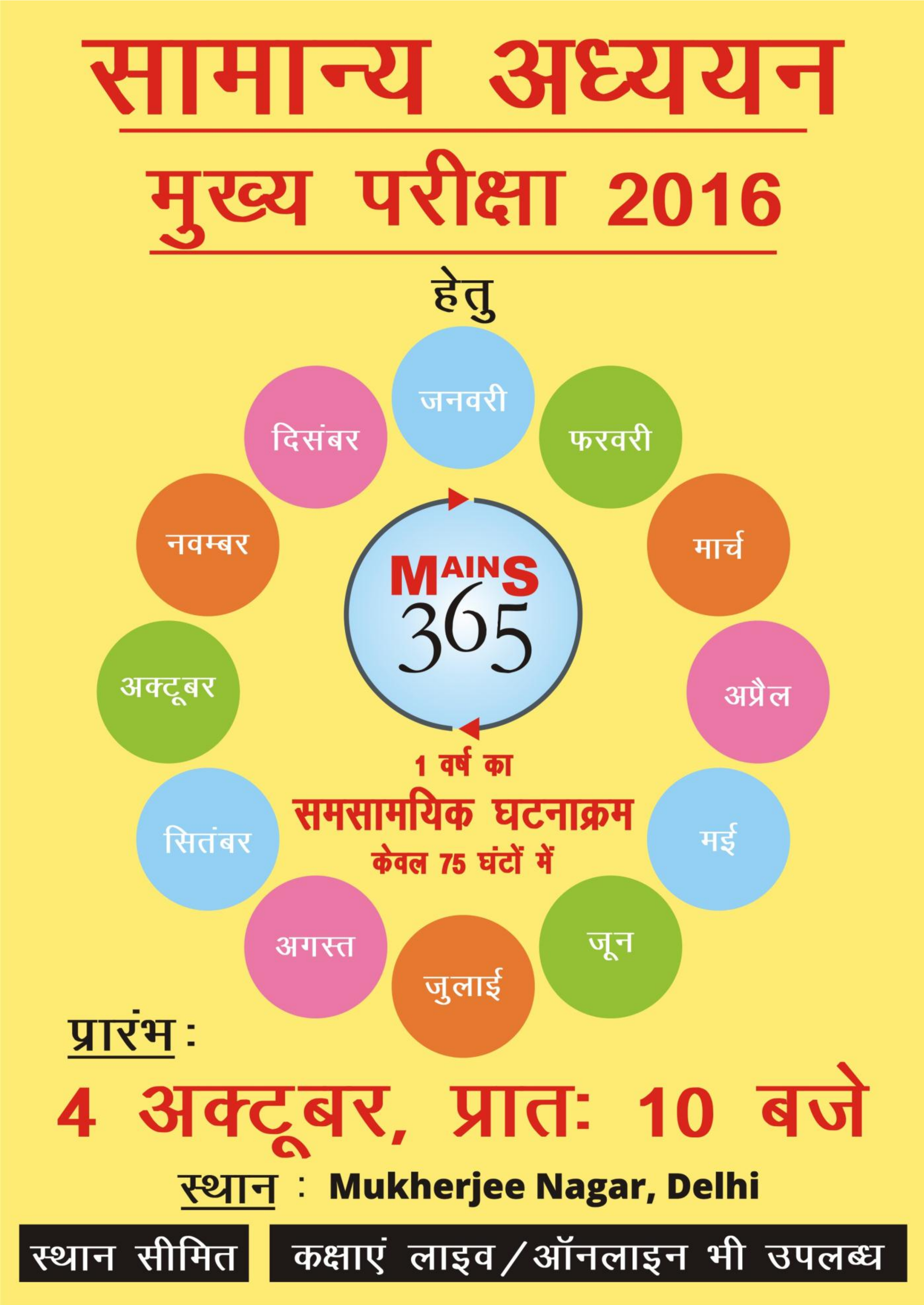
सामान्य अध्ययन
मुख्य परीक्षा 2016
हेतु
जनवरी
फरवरी
मार्च
अप्रैल
मई
जून
जुलाई
अगस्त
सितंबर
अक्टूबर
नवम्बर
दिसंबर
MAINS 365
1 वर्ष का
समसामयिक घटनाक्रम
केवल 75 घंटों में
प्रारंभ :
4 अक्टूबर, प्रातः 10 बजे
स्थान : Mukherjee Nagar, Delhi
स्थान सीमित
कक्षाएं लाइव/ऑनलाइन भी उपलब्ध